(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 11

बुधवार

दिनांक 11 जुलाई, 1990

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश झामनानी।

राज्य में नशाबंदी

272. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार वर्ष 1977 से 1980 की भांति राज्य में नशाबंदी की योजना को पुन: लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री हरीश झामनानी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि जब पूर्व में जनता पार्टी का राज्य था उस समय हमारे मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे और सौभाग्य से इस बार भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ही हैं। अब उस समय उन्होंने हमारे राज्य में पूर्ण नशाबंदी की व्यवस्था की थी तो इस बार की व्यवस्था के लिए क्यों मानस बनाया हुआ नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह भी सही है कि गरीब जनता मजदूर जो नशाबंदी न होने के कारण से गाढ़ी पसीने की कमाई का पैसा अपने परिवार में, अपने बच्चों और पत्नी को न दे करके उस पैसे से शराब पीकर अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं ? अगर नशाबंदी हो तो इस प्रकार का पैसा उनके परिवार में उनके विकास के लिए काम आ सके। क्या यह भी सही हैकि नशाबंदी न होने के कारण राज्य में जितने भी ट्रक ड्राइवर और वाहन चालक हैं उनके शराब पीने से जितने एक्सीडेंट्स होते हैं यदि नशाबंदी हो तो वो एक्सीडेंट सब बच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है वह सही है। 1977-1978 में प्रोहिबिशन शुरू किया था उसमें उसके अनुसार जितनी रेवेन्यू थी आबकारी की, आय जितनी थी उसका 50 प्रतिशत गवर्नमेंट आफ इण्डिया रिएम्बर्स करती है। अगर यह व्यवस्था, वर्तमान में इस तरह की रिइम्बर्समेंट की व्यवस्था नहीं है। स्टेट को इससे काफी आय होती है, काफी डवलपमेंट होते हैं। जब तक कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक सरकार और सदन निर्णय न कर लें, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार निर्णय न कर

(श्रीमती विद्या पाठक)

लें तब तक इस पर कोई विचार नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इसमें कोई सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

पूरा सवाल है, परन्तु गुंजाइश नहीं है। आप बोलना चाहते हैं तो भले ही बोलिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। पहले जिनका नाम है। श्री इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या यह सही है मंत्री महोदय, आपने सिर्फ देखा है राज्य के कोष में आय। क्या यह सही है कि तरह-तरह की शराब उसमें सस्ती चीजें होने के कारण राज्य की जनता की जो हैल्थ डाउन हो रही है, बहुत ऐसी मृत्यु हो रही हैं। क्या राज्य सरकार नशा-बंदी को रोकने का इरादा रखती है? और क्या मंत्रिमण्डल में आपने इस मुद्दे को रख कर विचार-विमर्श किया है?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे साधनों का होना आवश्यक है? और इन्कम के लिए केवल शराब को माध्यम बनाया, यह कहां तक उचित है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थान है...

श्री अध्यक्ष : इसमें प्रश्न कुछ भी नहीं हैं, सजेशन है तो दो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्ले हैं, कुएं हैं, सार्वजनिक स्कूल हैं, अगर वहां पर शराब की दुकानें, हाइवेज पर शराब की दुकानें तो कम से कम बन्द करें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा यह होगा कि नए-नए दो, रिपीट मत करिए। यह तो वे दे चुके।

श्री विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : धार्मिक स्थान हैं, स्कूल हैं, पाठशाला हैं....

श्री अध्यक्ष : सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, सवाल कुछ नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ये जो शराब के ठेके हैं अक्सर गांवों में झगड़े की जड़ होते हैं और यहां पर जो धार्मिक स्थान हैं, स्कूल हैं, मन्दिर हैं, मस्जिद हैं इन जगहों पर नहीं हो, इस तरह के आप डाइरेक्शन दे दें बाकी ठेके तो आप रखें ही तो ठीक रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की भी आमदनी होगी और न पीने वाले न पीएंगे और पीने वालों के लिए तो यह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है इसलिए आप इसको चालू रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि आप नशाबंदी करें या न करें, यह आपकी सरकार की नीति है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि नशाबंदी....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं सबका नाम पुकार लूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नशाबंदी आप करें या न करें लेकिन क्या नेशनल हाइवेज पर खासतौर से और जैसा माननीय विश्नोई जी ने कहा नेशनल हाइवे पर जो आज बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और वहां जो लोग शराब बेचते हैं उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। उस नियम का पालन तो करवा दीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की स्वयं की नशाबंदी कमेटी है उसके कोई अध्यक्ष हैं उनके क्या फंक्शन चल रहे हैं इस प्रांत में वो कितनी नशाबंदी रोक पा रहे हैं और कंट्राडिक्टरी कहा। यह सरकार एक तरफ तो नशाबंदी रोकना भी चाहती है और दूसरी तरफ सरकार यह जवाब भी देती है कि यह आय का स्रोत है। अतः फिलहाल इसको बंद नहीं कर सकते। ये दोनों प्रश्न क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल जी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछता हूं। जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में आई तो गुजरात में भी राजस्थान की तरह से सम्पूर्ण नशाबंदी प्रोग्राम लागू किया था। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय कि गुजरात सरकार को 50 फीसदी भारत सरकार आज दे रही है जो 1977 के प्रोग्राम वो आज पूरी तरह नशाबंदी लागू किए हुए हैं। क्या राजस्थान सरकार दूसरे रिसोर्सेज से इतनी आमद नहीं कर सकती ? तो इस नशाबंदी के सवाल पर पुनर्विचार करें। यह एक नैतिक सवाल है इसलिए दूसरे रिसोर्सेज आप पैदा करें जिससे नशाबंदी रुक सके। गुजरात सरकार ने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री जगमाल सिंह यादव : गुजरात सरकार को 50 प्रतिशत भारत सरकार....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल; अब रिपीट कर रहे हैं आप।

श्री किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : इसी पर पूछ रहे हैं आप ? हां पूछिए।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, जो शराब के ठेके स्कूलों के पास, मस्जिदों के पास हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये बन्द करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बन्द। शराब बन्द। शाम को शराब बन्द। (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी। देखिए दो सवाल, सम्पत सिंह जी का सवाल, जगमाल सिंह जी का सवाल बाकी सजेशंस हैं आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता, ऑब्जर्वेशन

(श्रीमती विद्या पाठक)

व्यक्त किए हैं उससे मेरा इत्तफाक है। बहुत सारी जगह रोड साइड पर जहां नहीं होने चाहिए वहां दुकान है। मैं निवेदन करना चाहती हूं इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं। अगर 2 महीने बाद इस तरह की दुकानें मिलेंगी, क्योंकि 2 महीने का लेजिटिमेट टाइम अधिकारियों को सर्वे करने का चाहिए। अगर नियमों के विपरीत 2 महीने बाद कोई भी दुकान इस तरह की खुली मिलेगी तो वो सीनियर अधिकारियों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 2 महीने का समय इसलिए था कि वो सर्वे करके खुद कार्यवाही कर लें और उसके बाद भी यदि ऐसा मिलता है तो उसके लिये सीनियर अधिकारियों को पेनेलाइज किया जायेगा। यह आदेश माननीय सदस्य, हालांकि प्रश्न आने के बाद दिये यह बात सही है लेकिन 3 दिन पहले ये आदेश निकाले गये....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने ये आदेश कब जारी किये ?

श्रीमती विद्या पाठक : 7 तारीख को। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा कहा है कि हाइवेज के किनारे, तो मेरा जैसा निवेदन है कि नियमों के विपरीत जहां भी कहीं दुकानें हैं उनको परिवर्तन करने की बात की जायेगी। माननीय जगमालसिंह जी ने नीतिगत प्रश्न उठाया है कि गुजरात में जो नशाबंदी का अनुदान वर्तमान में सरकार दे रही है कि नहीं। तो इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि 88 के बाद इस तरह की कोई जानकारी केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं दी गई है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। नशाबंदी पर खर्चा कर रहे हैं, लम्बे अरसे से इतना खर्चा हुआ है...

श्री अध्यक्ष : याद आ गया उनको, इनका कहना यह है कि नशाबंदी की आपने कमेटी बना रखी है क्या ? बना रखी है तो वह क्या कार्य कर रही है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी की कमेटी सरकार ने बना रखी हो ऐसी कोई जानकारी मेरे को नहीं है। अगर यह कोई आटोनॉमस कोई कमेटी है, इस तरह की जो कमेटी बना रखी है, सरकार की नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह कमेटी है, राजस्थान सरकार का उस पर बहुत खर्चा हो रहा है लेकिन वह कमेटी करती क्या है, ठेकेदारों से यह कहती है कि हम नशाबन्दी करवा देंगे या तो हमें चन्दा देओ तो वह अपने तरीके से एक और बार्गेनिंग हो रही है, नहीं, इसमें मंत्री महोदया मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं, यह एक कितना पवित्र सिद्धान्त है उसका मखौल हो रहा है, बड़ी-बड़ी हैसियत के लोग और इतने चैरेटिबल में लगे हुए हों तो बाद में आने वाली पीढ़ी भी उन अच्छे कामों को नहीं कर सकती जब एक तरह का फ्राड हो गया तो नये आने वाले लड़के क्या करेंगे ? इसलिये आप इस पर मुस्तैदी से, लॉ आफ दी लैंड लागू करिये। या तो खर्चे की बात करना बन्द कर दीजिये या फिर इस स्थिति को रोकिये, फिर अगर इस फिजूल खर्चों को रोक कर इतना किसी

(श्री सम्पत सिंह)

इन्स्टीट्यूशन्स में, एजूकेशन की इन्स्टीट्यूशन्स पर खर्चा करते तो मैं समझता हूं कि बेहतर होता।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : इसको सस्ती करने का विचार भी है क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यही पूछना चाहूंगा कि जब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गुजरात में चली गई लेकिन अब वहां पर जनता दल या भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, उन्होंने नशाबन्दी अभी नहीं की है, यह नशाबन्दी 1977 से लेकर आज तक कन्टीन्यू गुजरात में है, तो उन्होंने अपने रिसोंसेज कहीं से डवलप किये ही हैं, 1980 से 1990 तक अर्थात् 10 साल तक उन्होंने आर्थिक क्षमता को भी ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्री महोदया को जानकारी नहीं है, वह यह कह रही हैं कि हमको जानकारी नहीं है। आप विराजें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गुजरात गवर्नमेण्ट को सैन्ट्रल गवर्नमेण्ट रिएम्बर्स कर रही है या नहीं इसकी जानकारी हमको कैसे हो सकती है ?

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, इसको बन्द कर देना चाहिये जैसे पहले 1977 में थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू लोहिया महाविद्यालय छात्रावास

273. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लोहिया महाविद्यालय छात्रावास, चूरू कब से व किन कारणों से बन्द है ? क्या सरकार छात्रावास को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास को पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता की गलत तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर बन्द किया गया था ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(3) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 व 1989-90 में उक्त रिपोर्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से पुनः समीक्षा कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय शिक्षा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) लोहिया महाविद्यालय छात्रावास चूरू सत्र 1987-88 से बन्द है। छात्रावास भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना आने पर छात्रावास बन्द किया गया था। छात्रावास भवन रहने योग्य होने पर छात्रावास प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) जी नहीं, उक्त छात्रावास भवन को अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुशंषा पर ही बन्द करने के आदेश दिये गये।

(3) चूंकि रिपोर्ट सक्षम अधिकारी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

द्वारा की गई थी, अतः इसकी पुनः समीक्षा नहीं कराई गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया, से यह पूछना चाहूंगा कि दानदाताओं द्वारा जो छात्रावास बनाकर शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिये जाते हैं उन छात्रावासों को मरम्मत का क्या कोई प्रावधान है, क्या सरकार उनका निरीक्षण प्रतिवर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाती है या नहीं ? अगर नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ? अगर हां, तो क्या इस छात्रावास को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारियों से निरीक्षण करवाया गया था वह अचानक रखने के लिये अयोग्य क्यों घोषित कर दिया गया था ?

दूसरा मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि छात्रावास को जब बन्द किया तो उसके देखरेख की जिम्मेदारी किस की थी ? क्या छात्रावास बन्द करते समय इसमें जो फर्नीचर और अन्य सामान था उसका कहीं कोई इन्द्राज किया गया था ? अगर हां, तो पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष फर्नीचर और रजिस्टर में जो फर्नीचर इन्द्राज किया गया था उसका मिलान किया गया था ?

तीसरा मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि छात्रावास बन्द होने के पश्चात् उसका फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां पंखे आदि गोदाम से चोरी होते रहे और छात्रों द्वारा प्राचार्य को लिखित में शिकायत करने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहती हूं कि जो बात वह कह रहे हैं सही है, छात्रावास अधिशासी अभियन्ता की अनुशंसा पर बन्द किया गया था। उसके पश्चात् 3 वर्ष के समय में उसमें से काफी सामान चोरी चला गया, उसके किवाड़-खिड़की तोड़ दिये, वहां से क्या-क्या सामान गया क्या-क्या नहीं गया, उसका कुछ पता नहीं है। 1987 के अन्दर मुख्य सचिव ने जिलाधीश की सिफारिश के आधार पर 75,000/- रुपये इसकी मरम्मत के लिये यहां से सैंक्शन किये थे लेकिन यह होता रहा कि कालेज के प्रिन्सिपल यह कहते रहे कि इसमें जो सामान है उसकी सूची बनाई जाय, इसका काम शुरु होने से पहले चौकीदार रखा जाय ताकि यहां से चीजें चली न जायें। इसके अन्दर चौकीदार नहीं रहा, लगातार 3 साल बीत गये और 75,000/- रुपये थे वह लेप्स हो गये। इस वर्ष हमने इसके लिये 2 लाख रुपये का प्रोविजन किया है। अब प्रिन्सिपल इस बात के लिये आग्रह कर रहे हैं मुझे पहले जो सामान है वह सम्भलाएं, उसकी सूची दें। सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रिन्सिपल के बीच में जो कुछ भी है, उसकी सूची दें, उनकी निगरानी के लिये चौकीदार रखें ताकि उसकी देखरेख में वह सारा सामान निगरानी में रहे जब इसका काम शुरु हो। शीघ्रातिशीघ्र काम शुरु किया जायगा और काम शुरु होने पर जब अधिशासी अभियन्ता की अनुशंसा प्राप्त हो जायेगी कि यह मकान रहने लायक है तब छात्रावास प्रारम्भ कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आ गया, बाकी क्या

(श्री अध्यक्ष)

रहा।....अच्छा मैं पूछ लेता हूं, मैं आपकी तरफ से पूछ लेता हूं।

आप तो यह बताइये कि जब छात्रावास बनाकर दिया तो पी. डब्ल्यू. डी. ने मेन्टेन क्यों नहीं किया ? और चोरी हुई उसके लिये कौन जिम्मेदार है और क्या इसकी जांच करवायेंगी और मेन्टेन क्यों नहीं किया, केवल एक आदमी यदि अनुशंसा कर दे कि रहने लायक नहीं है तो उससे सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ गया, जिम्मेदार बनाकर पी. डब्ल्यू. डी. को सम्भलाया था तो किसी पर इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप होनी चाहिये। और इसके पीछे जो गड़बड़ हुई है उसकी जांच हो जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसकी जिम्मेदारी पी. डब्ल्यू. डी. की थी और उन्हें ही मेन्टेन करनी थी लेकिन जैसा पूर्ववर्ती कार्यकाल में हुआ है वह, अध्यक्ष महोदय, आपसे छिपा हुआ तो नहीं है कि क्या क्या हुआ है, फिर भी इसकी जांच करवा लेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका मामला नहीं है। चूरू का मामला है और आप बीच में हैं।

श्री लालचन्द डूडी : हां, हां चूरू का मामला है हमारे भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं चूरू में ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां कालेज नहीं है। दरअसल यह असलियत है, पी. डब्ल्यू.-डी. और इसका तो एक बहाना है इसको बन्द करने का, वहां पर आपस में कोई लड़कों द्वारा झगड़ा फिसाद की वजह से, इस बहाने से इसको बन्द किया गया है और वहां पर जो प्रिन्सिपल हैं वह नहीं चाहते हैं कि यह छात्रावास दुबारा काम करे, यह बीच में जो अड़चन लगाई 3 साल तक 75,000/- रुपये लेप्स होने की कार्यवाही हुई जो भी खतो-किताबत प्रिन्सिपल और उनके बीच में चल रही है उसी षड़यन्त्र का हिस्सा है....

श्री अध्यक्ष : इस षडयन्त्र को भी ध्यान में रखेंगे, मंत्रीजी जांच करा लेंगे। (व्यवधान) अब क्या रह गया आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या इसको इसी सत्र में चालू कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, हो जायेगा 2 लाख रुपये उन्होंने ग्रान्ट कर दिये हैं, हो जायेगा। नेक्स्ट। श्री किशन गोपाल कोगटा।

मसूदा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय में रिक्त पद

274. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डर्स के पद कहां-कहां एवं कब कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री आयुर्वेदक (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) अजमेर जिले के मसूदा विधान

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभा क्षेत्र में वर्तमान में 18 औषधालय स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अधिकांश वैद्य और कम्पाउण्डर्स अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं और जो लगे हुये हैं उनकी हालत यह है कि नहीं के बराबर है। 18 औषधालयों की आपने सूची दी है। उसमें 8 पद रिक्त हैं और काफी लम्बे अरसे से रिक्त हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आप पद भरने की योजना या समय बतायेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो औषधालय खुले हैं उनमें दवाइयां, पट्टी वगैरह के लिये किस आधार पर बजट सैंक्शन करते हैं, क्या जन-संख्या के आधार पर या जैसा भी व्यवस्था हो ? उसी आधार पर 18 जो औषधालय हैं अधिकांश में कोई दवाई, पट्टी वगैरह नहीं पहुंचती है। इनका मुझे जवाब दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 18 औषधालय जो मसूदा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनमें माननीय सदस्य के अनुसार 8 पद रिक्त हैं जबकि हकीकत में केवल 4 पद रिक्त हैं-किराण, बेगलियावास, नन्दवाड़ा और देवास और इन 4 में से भी बेगलियावास में अभी अभी आदेश हो चुके हैं, एक वैद्य को लगा दिया गया है, शेष को जल्दी से जल्दी....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब तो सुनिये। जवाब पूरा हुआ ही नहीं और बीच में खड़े हो गये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अभी जो पद रिक्त हैं उनको भरने के लिये निविदा निकाल दी गई है और उसके बाद नव-नियुक्त लगायेंगे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कब तक हो जायेगा, समय पूछ रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : यह निविदा हुआ करती है, पद भरने की, हमें भी चिन्ता हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या निविदा निकाली गयी है, टेण्डर निकाले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्लिप ऑफ टंग हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिये। ऐसा था स्वामी विवेकानन्द से एक बार संस्कृत के कई विद्वान मिलने के लिए आए। सवाल यह था कि गांवों की रक्षा करने की व्यवस्था की जाए। स्वामी जी ने उनको कहा बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है पहले आदमियों की चिन्ता करो। मगर बोलते समय उनके मुंह से गलत संस्कृत निकल गई तो सारा उनका वाद विवाद उनसे

(श्री अध्यक्ष)

संस्कृत पर ही चल गया कि वह गलत बोल रहे हैं। वह गाय भी भूल गए और अकाल भी भूल गए इसलिए स्लिप आफ टंग से आप इस तरह मत करिए। (व्यवधान) आप सुन तो लो पहले। आप पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी बोलिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभी विद्वान सदस्य इस निविदा शब्द को विज्ञापन शब्द समझ लें। विज्ञापन निकल चुका है। शीघ्र ही उनकी नियुक्तियां हो जाएगी। नीति हमारी यह रहती है कि सबसे पहले जो बेहुत इन्टीरियर क्षेत्र हैं जनजाति विशेषकर उनमें पहले नियुक्तियां दी जाए। उन पदों को पहले भरा जाए। उसके बाद हम दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो विज्ञापन निकला है, जितनी भर्ती होने वाली है उसके हिसाब से एक भी पद रिक्त नहीं बचेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : जहां रिक्त पद हैं वहां तो आप भर देंगे लेकिन जो पद भरे हुए हैं और वहां डाक्टर्स और कर्मचारी रहते नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। एक बार ज्वाइन करने के बाद वह जाते ही नहीं हैं. जाते हैं तो वापस आ जाते हैं शहरों की ओर। उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, क्या आप यह नीति बनायेंगे कि बड़े शहरों में चार-चार, पांच-पांच साल जिन वैद्यों को, कम्पाउण्डरों को हो गए हैं। कोई क्राइटेरिया बनाकर उनको रूरल एरिया में लगाऐंगे। होता यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया। श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य में कुल कितने वैद्यों के पद रिक्त हैं। जो औषधालय आपके चलते हैं तो कई औषधालय राज्य में ऐसे हैं जहां पर कम्पाउण्डर्स के पद नहीं हैं और आप जो नये औषधालय खोलते हैं उनमें कम्पाउण्डर और वैद्य दोनों के पद हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय इन औषधालयों में समानता लाने के लिए जिन औषधालयों में कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत नहीं हैं क्या वहां भी कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष जी, मैंने दो-तीन बार लिख करके भी दिया है कि मेरे क्षेत्र में दो-तीन जगह पर वैद्य जाते ही नहीं हैं। एक तो जयसिंहपुरा छिद है 6-7 महीने से वहां पर वैद्य जी गये ही नहीं। मैंने तीन-चार बार पूर्व में लिखित में पूर्व मंत्री जी को दिया। अभी तक कोई कार्यवाही उस पर हुई नहीं। तो ऐसे जो स्थान हैं और जो ऐसी शिकायतें हैं उनका निपटारा आप कब तक कर देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रश्न किया था दवाइयों के बारे में वह प्रश्न इस प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। इस सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में भी दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप तो जो प्रश्न पूछे हैं उनका ही जवाब दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : दूसरा प्रश्न है अधिकांश माननीय सदस्यों का कि वैद्य और कम्पाउण्डर अपने औषधालयों पर नहीं मिलते हैं। यह एक....

श्री जगमाल सिंह यादव : जाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है। नहीं जाते हैं इसीलिए तो नहीं मिलते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह एक सामान्य शिकायत है और इस तरह से सामान्य शिकायत के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। कृपया व्यक्तिगत रूप से कौन नहीं जाता है अपने-अपने क्षेत्र में, नाम मुझे सूचित करें। मैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा। और जिसके विरुद्ध आप लिखेंगे, विशेष शिकायत होगी उसको मैं जाकर अचानक चैक करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है। इनको बोलने दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक माननीय सदस्य का यह प्रश्न था कम्पाउण्डर्स के बारे में। तो जो औषधालय जिला परिषद से स्थानान्तरित हुए हैं उनमें कम्पाउण्डर्स के पद सृजित ही नहीं हैं और इसलिए वह पद वहां नहीं हैं। इस वर्ष की पंचवर्षीय योजना में वह पद स्वीकृत किए जा रहे हैं और उन्हें भरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

कताई-बुनाई संस्थाओं को ऋण/अनुदान

275. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित कई संस्थाएं ऊन कताई तथा बुनाई कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया तथा उससे संस्था को पिछले पांच वर्षों में कितना-कितना मुनाफा मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग में ऊन की कताई व बुनाई में काफी श्रमिक काम कर रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस संस्था में कितने-कितने श्रमिक कार्य करते हैं तथा उनकी माहवारी आय कितनी कितनी होती है? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार का इन संस्थाओं के विस्तार तथा विकास हेतु कोई नई योजना बनाने का इरादा है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मोहन मेघवाल) :

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग

(श्री मोहन मेघवाल)

बोर्ड ऊन की कताई व बुनाई करने वाली कोई संस्था संचालित नहीं करता है बल्कि बोर्ड केवल इन संस्थाओं को वित्त पोषित करता है जिसकी सूची (परिशिष्ट-क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में जो ऋण व अनुदान दिया गया है तथा उन्हें जो हानि लाभ हुआ है उसका उपलब्ध विवरण (परिशिष्ट-क) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त संस्थाओं में कताई व बुनाई में लगे हुए श्रमिकों की संख्या तथा इससे उनकी औसत मासिक आय का विवरण (परिशिष्ट-क) में दर्शाकर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड तीन में जो मजदूरों की मासिक आय के सम्बन्ध में दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग पर लगी हुई जो समितियां हैं उनके द्वारा कताई, बुनाई, सिलाई में लगे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मासिक आय इसमें दर्शाई गई है 25 रुपये 32 पैसे, 33 रुपये 34 पैसे इसी तरह प्रत्येक मजदूर को महीने में 12 रुपये तक मिलें तो क्या मजदूरों का गुजारा हो सकता है। खादी बोर्ड का जो उद्देश्य था कि ग्रामीण और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आज यह स्थिति खादी बोर्ड की बनी हुई है। खादी भण्डारों में जो मजदूर और कर्मचारी लगे हुए हैं उनका वेतन भी बहुत कम है। न्यूनतम वेतन जितना मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी जितनी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। क्या मंत्री महोदय इस विषय में बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहन मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खादी संस्थाओं द्वारा ऊन व कताई में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनको स्थाई रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। केवल खादी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचल के निवासियों को जो खाली समय में, खेती-बाड़ी या पशुपालन करने के खाली समय में जो लोग यह बुनाई, कताई का काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। बाड़मेर और अन्य क्षेत्रों के अन्दर नियमित रूप से मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों को इसी तरह वेतन दिया जा रहा है। ऐसी पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। इसके लिए जांच कमेटी भी बनाई हुई है उसकी भी रिपोर्ट आई होगी। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे उसकी रिपोर्ट क्या आई ? जो मजदूर दिन-भर मजदूरी कर रहा है उसका पेट भर गुजारा नहीं हो तो वह मजदूर क्या करेगा ? बाड़मेर आदि पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जहां बरसात कम होती है, खेती-बाड़ी कम होती है, सारे मजदूर इस पर आधारित हैं। उसके बावजूद भी उनको

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। सरकार इसके बारे में आगे क्या कदम उठा रही है मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो यह संस्थाएं हैं, जो ऋण व अनुदान देती हैं। उसकी आॅडिट होती है या आडिट नहीं होती है ? आॅडिट होती है तो मात्र खाना पूर्ति होती है। इसके बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, खादी संस्थाओं के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके मार्फत क्या यह सही है और क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं खादी की हैं उनका रजिस्ट्रेशन है क्या ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि लिमिटेड एरिया भी होता है और उन संस्थाओं के ऊपर सारे के सारे, कोई भी गांव का गरीब आदमी नहीं है जो गरीबी से सम्बन्ध रखता हो। बड़े-बड़े लोग एक तरह से कहना चाहिए यूनियन और सीधी भाषा में +++ है। आज गांवों में भयंकर अकाल पड़ता है। जो गरीबों से सम्बन्ध रखता है। क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस कर रहे हैं कि गरीबों से गांव के लोगों से सम्बन्ध रखने वाले जो महकमे हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जानते हैं गांव में कुछ ऐसी बेवा औरतें हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सवाल ही पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि पिछले दो साल से किसी भी संस्था ने गांव में भयंकर अकाल के समय में कताई और बुनाई का कोई काम नहीं किया ? क्या यह सही है कि कताई और बुनाई का काम नहीं देने से लोग भटक रहे हैं ? क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर उनको कताई और बुनाई का काम देने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है यह खेती और पशुपालन के अलावा बाकी बचे समय में उनको रोजगार दिया जाता है। यह उनकी मासिक आय है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे इसमें ऐसे लोग भी इस धन्धे से लगे हुये हैं जैसे अल्पसंख्यक वर्ग जुलाहे वगैरह। जिनके पास पशुपालन का धन्धा है एक बकरी शायद कहीं किसी घर में होगी और ना उनके पास खेती है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति के मेघवाल लोग सम्पूर्ण राजस्थान में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, उनके पास खाने कमाने का कोई साधन नहीं है। मात्र यही कताई और बुनाई साधन हैं। एक्स्ट्रा समय की बात कही गयी तो क्या ऐसी परिस्थितियों में उनके पास कोई साधन नहीं है और 20-25 रुपये मासिक उनकी आमद है। खादी संघ ने विशेष करके ऐसे

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

लोगों को सम्पूर्ण माह में या साल में 200 दिन रोजगार देने की योजना बनाई ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्यक्रम गांवों में खादी बोर्ड के माध्यम से प्रारम्भ किये, मैं समझता हूं इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना रहा होगा। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो काम के आधार पर उनको पारिश्रमिक देने का जो उनको तय किया गया है इसका आधार क्या है ? यह आधार कब बनाया गया था ? उस आधार को आज की परिस्थितियों को देखते हुये, मंहगाई को देखते हुये क्या सरकार इसे बदलने का विचार कर रही है। जो बताया गया 12 रुपये, वास्तव में यदि कोई 5-7 के परिवार जहर खरीदने जाये तो 12 रुपये में उनके परिवार को मरने के लिए शुद्ध जहर भी नहीं मिल सकता है। इतना जो कम वेतन है इसको बढ़ाने के बारे में क्या विचार कर रही है सरकार ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नेक्स्ट।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि नागौर जिले के अन्दर कुम्हार जाति के लोग कांगला गांव के अन्दर ऊन और सूत की इतनी अच्छी दरियां वगैरह बनाते हैं लेकिन उन दरियों को और जो चद्दरें वगैरह होती हैं उनको बाजार के अन्दर बेचना पड़ता है। सरकार उसको खरीदती नहीं है। इसके लिए क्या मंत्री महोदय उनको सही दाम दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बुनकरों को और दस्तकारों को खादी बोर्ड के मार्फत जो ऋण दिये जाते हैं। ऋण की सीमा 3000 तक बुनकरों के लिये है। साढ़े चार हजार दस्तकारों को, बुनकरों को जूती का काम करने वाले लोगों को क्या इस मंहगाई को देखते हुये यह ऋण सीमा आप बढ़ायेंगे ? मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो मजदूर लगते हैं उनको काम के आधार पर मजदूरी नहीं दी जाती है। काम के दिन भर का हिसाब जो है कोई आदमी घंटे काम करता है, कोई चार घंटे करता है और कभी करता ही नहीं है, कभी महीने भर वह आता ही नहीं है तो उस हिसाब से ही उनको पेमेंट होता है।

श्री अध्यक्ष : काम के आधार पर मिलती है।

श्री मोहन मेघवाल : मेरा मतलब जितना वह काम करते हैं उसी हिसाब से दिया जाता है। मैं माफी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : काम के आधार पर ही मिलती है।

श्री मोहन मेघवाल : वह जितने समय काम करते हैं उसे उसी हिसाब से जितना समय है समय के आधार पर ही वह काम करता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जवाब दे तो दिया, अध्यक्ष महोदय। उसके बाद क्या रह गया है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने जवाब दिया। आप बोलिये।

श्री मोहन मेघवाल : इसमें जो यह कहते हैं जो कताई बुनाई का काम करते हैं उनको अधिकतम करीब-करीब दो हजार रुपये तक भी मिलते हैं जो आदमी बराबर रेगूलर काम करता है उनको। लेकिन जो आदमी काम ही कम करता है उनको हिसाब से औसत जो 36 रुपये माहवार होती है या मान लो उससे ज्यादा कम से कम वह करीब 140 से 142 रुपये भी पड़ता है लेकिन जैसा वह काम करते हैं उसे उसी हिसाब से पेमेंट होता है। रहा सवाल यह कहते हैं मजदूरी कम मिलती है। यहां हमारे चेयरमैन साहब आये थे उस वक्त भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी लेकिन उन्होंने यह जवाब दिया कि आज खादी के ऊपर लगे हुये जो मजदूर हैं अगर उनकी रेट हम बढ़ायेंगे तो खादी महगी हो जायेगी और खादी का जो चलन है, वह मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है इसलिए वह चाहते हैं कि इस हिसाब से उनकी रेट बढ़ाना बहुत मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम जी। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह मामला बड़ा गम्भीर है। 40 साल तक इन लोगों ने संकट.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर प्लीज। हां, गम्भीर है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 40 साल तक इन लोगों ने किस तरह से खादी के नाम पर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, खादी के नाम पर गांव के गरीबों का शोषण करने के जो अखाड़े जमा रखे हैं क्या अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गांव के शोषण करने वाले अखाड़ों को उखाड़ फेंकने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, गांव से सम्बन्धित कोई बोर्ड में आदमी नहीं है और पूंजीपति लोग बैठे हुये हैं, रिटायर हुये लोग बैठे हैं जो गांव का शोषण खादी के नाम पर और गांधी के नाम पर कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे सम्राट बैठे हैं। क्या मंत्री महोदय इसको रोकेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

श्रीडूंगरगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

276. श्री किशनाराम नाई(श्री डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में कुल कितने और किस-किस स्तर के चिकित्सालय खुले हुए हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों में कुल कितने

(श्री किशनाराम नाई)

चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं ? अलग-अलग चिकित्सालयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) कितनी-कितनी आबादी पर किस-किस स्तर के चिकित्सालय खोलने के राज्य सरकार के नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफरल अस्पताल) एक नेत्र चिकित्सालय, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं तीन ग्रामीण डिस्पेन्सरियां कार्य कर रही हैं।

(2) संस्था वाइज स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र कार्यवाही कर रही है।

(4) राज्य सरकार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफरल अस्पताल) तथा तीस हजार की जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में एक तथा रेगिस्तानी एवं जनजाति क्षेत्र में बीस हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं उसमें किसी भी अस्पताल में पूरा स्टाफ नहीं है और पूरा स्टाफ नहीं होने से रोगियों के उपचार में कमी रहती है, वह बराबर अखरती रहती है। डूंगरगढ़ अस्पताल में ऐसा वातावरण जो डाक्टर कोचर इन्चार्ज हैं उसने खराब कर रखा है। रेफ्रिजरेटर खराब पड़े हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है, ई. सी. जी. की जो मशीन आई है उसको काम में नहीं ले रहे हैं जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि स्टाफ की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। दुलचासर मे एक डिस्पेंसरी तीन लाख रुपये की लागत से चार साल पहले बनी थी उसमें डिस्पेंसरी शिफ्ट नहीं हो रही है और उनको बड़ी बाधायें आ रही हैं। डाक्टर कोचर को जब-जब भी कहते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि स्टाफ की कमी के कारण हम पूरा कार्य नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरा स्टाफ हो। मेरे क्षेत्र में एक लालगढ़ कस्बा है जिसकी जनसंख्या 81 में तीन हजार थी और आज तक वहां कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। इसलिये मुझे बड़ा दुःख है कि 81 की जनसंख्या के हिसाब से इनके नियम के मुताबिक जो खुलनी चाहिए थी वह आज भी नहीं खुली है। इसलिये डिस्पेन्सरी खुलवाई जाय ताकि मेरे क्षेत्र में लोगों को कुछ लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : डूंगरगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं आप। हां पूछिये, डूंगरगढ़ के बारे में।

श्री फूलचन्द गुर्जर : क्वेश्चन नं. 2 में एक उत्तर दिया है कि रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कर दी जायगी। डूंगरगढ़ या राजस्थान में सब जगह। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा पोस्ट सीजर की कोई सीमा है क्या, इसकी परिभाषा वह बतायें। ऐसे बहुत सारे राजस्थान में स्थान हैं जहां दो-दो साल से पद रिक्त पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : जब विपक्ष घोड़े बेचकर सो जायगा तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को ही पूछना पड़ेगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : तो मेरा एक तो यह सवाल है कि सीजर की समयावधि तय है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो हो गया आपका।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा दूसरा सवाल एक और है आज भी यह स्थिति है चिकित्सालयों में कि अगेन्स्ट दी पोस्ट लगे हुए हैं। मतलब जे. एस. की जगह सी.ए.एस. लगे हुए हैं और जहां डी.एस. दो की जरूरत है वहां तीन लगे हुए हैं। तो अगेन्स्ट द पोस्ट लगाने वाली प्रवृति को क्या खत्म करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : माननीय अध्यक्षजी, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रिक्त स्थानों की चर्चा की है। डूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तो इतने पद रिक्त नहीं हैं। इसी तरह....

एक माननीय सदस्य : कितने हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो सूची मैंने दी है वह उनके पास है। इस कारण से यह कहना कि बहुत अधिक पद रिक्त हैं, ठीक नहीं है। किन्तु मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं इन स्थानों की अपेक्षाकृत भी ऐसे कई स्थान हैं जिनमें रिक्त स्थानों की संख्या अधिक है। इसकी कुछ मजबूरियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 600 डाक्टरों का चयन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से किया हुआ है....

एक माननीय सदस्य : 400 का।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन्तु प्लस 180 ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, दूसरा जो आपने रिक्त स्थान बतायें हैं डाक्टर एक भी नहीं है, 6 स्थान हैं मेल नर्स के और नर्सों के।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डूंगरगढ़ में चार कनिष्ठ विशेषज्ञों के हैं, चारों भरे हुए हैं। तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी।

श्री अध्यक्ष : भरे हुए हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी में मेरा यह निवेदन है कि आर. पी. एस. सी. के सलेक्शन होने के पश्चात् 400 पोस्ट तो वह हैं और 180 रिजर्व में रखे हुए हैं। किन्तु वहां हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है। राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है। 12 जुलाई को उसकी तिथि है। हमने एडवोकेट जनरल को निवेदन किया है कि वह निश्चित रूप से जोधपुर जायं और यह प्रयास करे कि यह प्रतिबन्ध हटाया जा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सके। यह प्रतिबन्ध हटे बिना हम दूसरे डाक्टर्स को इनकी जगह पोस्ट नहीं कर सकते, यही हमारी दुविधा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शेष डाक्टरों को छोड़कर सारे जो रिक्त पद हैं इनकी पूर्ति 31 अगस्त तक निश्चित रूप से प्रदेश भर में कर दी जायगी। डाक्टरों के विषय में मेरा यह कहना है कि इस स्टे को हटाने के लिए हम सब प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और मैं हाई कोर्ट के बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, किन्तु मुझे लगता है कि यह स्टे हट जायगा और डाक्टरों की कमी भी निश्चित रूप से 31 अगस्त तक सब अस्पतालों में पूरी कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि महिला डाक्टरों की बात तो दर किनार, मन्त्रीजी, बढ़िया-बढ़िया डाक्टर तो देहात के रेफरल हॉस्पिटल तक जाते ही नहीं। उनका पोस्टिंग हो जाता है, 6-6 महीने तक, पता नहीं कौन से रजिस्टर में उनकी हाजरी हो जाती है। मैं स्वयं नगर के बारे में निवेदन कर सकता हूं। महिला डाक्टर के आदेश हैं और उनकी कभी शक्ल ही नहीं देखी गई। आज हमको दिक्कत हो रही है, कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर तो....

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : शक्ल दिखाने के लिए नहीं भेजे जाते।

श्री सम्पत सिंह : शक्ल दिखाने से तो बहुत मरीज का फायदा होता है। मरीज को चाहिए फायदा। दवाई सूंघने से, यह रूढ़िवादी मरीज थोड़े ही है....

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री सम्पत सिंह : मेहरबानी करके इन्हें देखियेगा कि डाक्टर, महिला डाक्टर जहां दोनों उपलब्ध होना जरूरी हो वहां उपलब्ध करावें। महिलायें भी मरीज होती हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि राज्य में कुल कितने....

श्री अध्यक्ष : आप डूंगरगढ़ के बारे में पूछेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो पूरे राज्य का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, डूंगरगढ़ के बारे में पूछिये। नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। श्री इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : डूंगरगढ़ का स्पेसिफिक सवाल है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की सहायता से सीमावर्ती क्षेत्र में चार-पांच डिस्पेंसरियां बनाई गई और दो-दो, ढाई-ढाई....

श्री अध्यक्ष : यह डूंगरगढ़ का सवाल है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सवाल है इसमें। यह सैद्धान्तिक सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : भारत सरकार ने जो डिस्पेंसरियां बनाई हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये.... श्री राजेन्द्र राठौड़....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो सवाल है मैं उस को उसी रूप में लूंगा। आप पढ़ लीजिये, पढ़कर बताइये। यह नीतिगत प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़कर बता रहे हैं? आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : डूंगरगढ़ में ही नहीं सब जगह खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : होंगे, यह तो सवाल डूंगरगढ़ का है। इसलिए डूंगरगढ़ का अलाऊ करूंगा और नहीं। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात डूंगरगढ़ और दूसरे इलाकों के लिए कही है कि काफी जगह चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और यह कहा है कि उच्च न्यायालय से स्थगन है। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि 44 चिकित्सकों ने, उन्हें नौकरी मिले, इसके लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर नहीं कर रखी है। पिछले दिनों जिन लोगों को एडहॉक बेसिस पर हड़तालें के दरमियान आपने नियुक्ति दी थी उन चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें चाहे प्रदेश के किसी भाग में भेज दो, हम नौकरी करना चाहते हैं। तो यह जो आपने बताया यह दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण आप नौकरी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हमारे चिकित्सक दरवाजा खटखटा रहे हैं नौकरी पाने के लिए न्यायालय का। यह मन्त्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष : परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने राजस्थान में गत दो वर्षों में तीन हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे, सब-सेन्टर। वह खाली पड़े हुए हैं, नर्सें पहुंची नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहां का पूछ रहे हो?

श्री मोहनलाल चौहान : नागौर जिले में....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल केवल डूंगरगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री मोहनलाल चौहान : रिक्त स्थानों की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे एक मिनट बोलने नहीं देंगे। आप कृपया बैठिये।

(श्री अध्यक्ष)

विराजिये। इस सवाल से जो एक सवाल उत्पन्न हुआ है वह श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कर लिया। वही इससे सम्बन्धित है क्योंकि मन्त्रीजी के जवाब से उत्पन्न हुआ है कि हाईकोर्ट में रिट चल रही है, उनका कहना है कि जो रिट में गये हैं वह बाध्य हुए हैं। वह नौकरी चाहते थे, आपने नौकरी नहीं दी। इसलिए उनको रिट में जाना पड़ा। और अब यह कारण बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में रिट हुआ है। दिस इज दी ऑनली क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं। (व्यवधान) इसके अलावा दो मिनट के अलावा मैं नहीं दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी साधारण क्वेश्चन है। कितनी-कितनी आबादी पर, किस-किस स्तर के चिकित्सालय....

श्री अध्यक्ष : आप इस सवाल को ऊपर से पढ़िये। विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में कुल कितने और किस-किस स्तर के चिकित्सालय खुले हुए हैं ? उक्त चिकित्सालयों में कुल कितने चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। सरकार रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही कर रही है। यह इसी से रिलेटेड है। आप उसे अलग से मत पढ़िये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अलग से है चौथा सवाल।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। (व्यवधान) अब हो गया। डूंगरगढ़ के बारे में पूछेंगे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सिर्फ डूंगरगढ़ के बारे में।

श्री अध्यक्ष : हां पूछिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिए उठा, मन्त्री महोदय ने तो बता दिया कि चार डाक्टरों का है। लेकिन यह मामला इसलिए उठा, मन्त्री महोदय, आपने जो नाम बताये डाक्टरों के कि चार वहां पोस्टिंग मौजूद है। लेकिन मन्त्री महोदय आप इसकी जांच कीजिये, माननीय किशनारामजी ने इसलिए उस मुद्दे को उठाया, क्या यह सही है कि आज डाक्टर सिर्फ कागजों में ही ड्यूटी पर हैं और वहां मौके पर कोई डाक्टर नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा उठा।

श्री किशनाराम नाई : इसका तो फिक्र मैं कर रहा हूं, क्या करना है इसके बारे में आप चिन्तित मत होइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके हॉस्पिटल मेरे गांव से 8 मील पर ही हैं। आपको इस बात का दर्द नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) आप जवाब सुनना नहीं चाहते ? प्लीज सिट डाउन। जवाब सुनिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात की चर्चा की है मेरी सहमति उनके साथ है। जिस समय रेजीडेंट्स डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और यहां मेडिकल एड की अविलम्ब आवश्यकता थी उस समय बिना किसी विज्ञापन किये हुए बिना मैरिट सूची बनाये हुए, जो जो पुरानी एप्लीकेशन्स डाइरेक्ट्रेट में पड़ी थी उन सारे लोगों को हमने अविलम्ब बुलाकर चिकित्सा सुविधा मेडिकल कालेजेज में दी जा सके हड़ताल के कारण, हमने उनको लगा दिया। मैं आपके माध्यम से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैरिटोरियस लोग राजस्थान भर में होंगे जो विधिवत एप्लीकेशन्स देने के बाद एप्लाई करते हैं जिनका चयन हो जाता है उनके मन में यह प्रतिद्वन्दता खड़ी हो जाती है कि सरकार ने लगातार ऐसे डाक्टर्स को लगा लिया है जो मैरिटोरियस नहीं है और इस कारण से हमने उनको यह कहा कि हम आपकी जो पोस्ट टेम्परेरी सर्विसेस थी उनको हम टरमीनेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट बीच में आ गया उन्होंने कहा आप इनको नहीं करिये। जब तक कि आपके आर. पी. एस. सी. में जिनका सलेक्शन हो गया है वह डाक्टर्स जब तक नहीं आते तब तक आप उनको लगाये रखिये। हमने उनको लगाकर रखा हुआ है वह अनएम्पलायड नहीं हैं मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं। मेरे मन की इच्छा यह है कि अविलम्ब यह डाक्टर्स लगा दिये जायें किन्तु 600 लोगों का पहले से सलेक्शन हुआ पड़ा है और लोगों को अगर लगा लिया जाता है तो यह बहुत बड़ी लायबिलिटी राज्य सरकार पर होगी जिसको हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिये उस दृष्टि से हमने इस बात की राह देखी है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का स्टे हट जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी डिमाण्ड्स है। इन डिमाण्ड्स पर माननीय सदस्यों के द्वारा जनरल जो सारे उठाये जाने वाले इश्यूज हैं उनका प्रति उत्तर देने का मौका मुझे मिलेगा किन्तु नीम काथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने डूंगरगढ़ का जिक्र किया था कि अगेंस्ट दी पोस्ट जो लगे हुए हैं उनका आप क्या कर रहे हैं। मेरा निवेदन है अगेंस्ट दी पोस्ट लगे हुए लोगों को राज्य सरकार उन पोस्टों पर नहीं रखना चाहती। किन्तु एक बार हटाने के बाद बहुत बड़ा गैप निर्माण नहीं हो जाये, पहले ही वैकेन्सीज हैं। इसलिये जब हाई कोर्ट की क्लीयेरेंस डाक्टर्स की हमको मिल जायेगी तो न हम अगेंस्ट पोस्ट रखेंगे, डेपूटेशन वाले जितने लोग हैं उनका केन्सिलेशन करेंगे और जैसा डूंगरगढ़ के जिक्र में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं डाक्टर्स गांव में जायें, कागजों पर केवल नियुक्ति न रहे. इस बात के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। मेडिकल विभाग मेरे पास है किसी का इलाज करने के लिये गोली से काम चलता है तो गोली से नहीं तो इन्जेक्शन से नहीं तो आपरेशन करना पड़ता है। ऐसे डाक्टर्स जो ड्यूटी पर स्थापित करने के बाद में नहीं जायेंगे उन पर सब प्रकार की कार्यवाही सामान्य से लेकर कठोर तक की जायेगी और उन डाक्टर्स को जाने के लिये बाध्य किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना करने पर भी डा. हरिसिंह ड्यूटी पर नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

जनजाति उपयोजना

277. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कुल कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया था और वह राशि मुख्यत: किन कार्यों पर खर्च की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उपयोजना की राशि जिन विभागों को आवंटन की गई थी उसे व्यय नहीं किया गया था और लैप्स हो गई ? यदि हां, तो किन-किन विभागों की राशि लैप्स हुई और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना की राशि पंचायत समितियों में समान रूप से खर्च नहीं की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 व 1989-90 में खर्च की गई राशि के पंचायत समितिवार व्यय के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 804.47 लाख रुपये एवं वर्ष 1989-90 में 904.24 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था। यह राशि मुख्यत: आश्रम स्कूल मिनि आई. टी आई., लिफ्ट सिंचाई, एनीकट, डीजल पम्प से, नारु उन्मूलन, कृषि कार्यक्रम, मत्स्य पालन, सहकारिता आदि मदों पर व्यय की गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि उपयोजना क्षेत्र में कुछ विभागों की राशि लैप्स हुई है। वर्ष 1988-89 में 804.47 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था, इसके विपरीत 699.21 लाख रुपये का ही व्यय हुआ है एवं 105.26 लाख रुपयों की बचत रही है। इस बचत राशि का मुख्य कारण वित्त विभाग की स्वीकृतियां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में देर से पहुंचने नहीं पहुंचने एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप अभिकरणों के निजी निक्षेप खातों में 62.059 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त स्टाइफण्ड का भुगतान नहीं होना एवं आश्रम छात्रावासों तथा मिनी आई. टी. आई. में पदों का रिक्त रहना है। वर्ष 1989-90 के व्यय के संबंध में महालेखाकार कार्यालय से अंक अन्तिम मिलान का कार्य चल रहा है, जिस उपरान्त ही अन्तिम व्यय के आंकड़े दिया जाना संभव हो सकेगा। विभागों से प्राप्त व्यय के अन्तिम आंकड़े संलग्न परिशिष्ट "1" में दर्शाये गये हैं।

(3) पंचायत समिति क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र की आवश्यकता भिन्न होती है। अतः राशि का आवंटन विभागों को उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विभागों को आवंटित राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना

Page No. 22

(22)

(श्री दयाराम परमार)

चाहता हूं कि वर्ष 90-91 में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया था नं. 1 व नं. दो, कई आश्रम भवन इस योजना के अन्तर्गत बनाये हुए हैं, कई आश्रम भवन खाली पड़े हैं तो वह क्यों खाली पड़े हुए हैं और उनको चालू करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ? नं. 3, 1989-90 में कुल कितने एनीकट बनाये गये या एनीकट बनाने की स्वीकृतियां जारी की गई और कहां-कहां की गई ? नं. 4, जैसा कि आपने जवाब में बताया है कि प्रत्येक वर्ष राशि लैप्स होती जा रही है। भविष्य में राशि लैप्स नहीं हो और ट्राइबल एरिया में बजट के अनुसार वह राशि लग जाये उसके लिये आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो राशि आबंटित की गई थी और खर्च नहीं की गई उसके लिये जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि उस राशि में से पंचायत समिति स्तर पर और भी स्तर पर दूसरे मदों पर जो पैसा खर्च कर दिया जाता है, अधिकारियों द्वारा और राजनैतिक हस्तक्षेप द्वारा तो उसके लिये सरकार क्या उपाय करेगी कि आइंदा कि जनजाति योजनाओं का पैसा जनरल योजनाओं में नहीं लगे। तीसरा, 1990-91 में आने वाले बजट के समय क्या सरकार इसी तरह कोई ऐसा प्रावधान ला रही है जिससे जो कमियां रह गई हैं जिससे पैसा लैप्स होता रहा है, आगे पैसा लैप्स नहीं हो और जो योजनायें हैं उसमें सही ढंग से लग सके। इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यह सही है कि वर्ष 88-89 में जो 105 लाख रुपये की राशि लैप्स हुई है उसका कारण जिला विकास अभिकरण और पंचायत समितियों में समय पर राशि नहीं पहुंचना है ? क्या यह भी सही है कि जो राशि जिला विकास अभिकरण और पंचायत समितियों में पहुंची है उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है और राशि लैप्स पड़ी है जिस कार्य हेतु राशि दी गई थी....

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी जल्दी सवाल कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि जो माडा क्षेत्र है, जो राजस्थान में बिखरी जनजाति है उसके विकास के लिये जो राशि दी गई है वह भी पंचायत समितियों में जाकर पड़ी है और माडा क्षेत्र में गांवों में जो खर्च की जाने वाली राशि उनके ऊपर खर्च नहीं की जा रही है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपने वर्ष 1988-89 की राशि लैप्स होने के लिये कहा है.... व 89-90 में जिसमें भी लाखों रुपये की राशि खर्च नहीं हुई है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। कृपया यह भी बतायें कि....

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री हीरालाल आर्य : वर्ष 89-90 में कितनी राशि ऐसी है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आपका हो गया सवाल। श्री महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि.... (व्यवधान) आपने जो सूचना दी है, उसके अनुसार सामान्य शिक्षा पर 189 के मुकाबले में 102 लाख रुपया खर्च किया गया है यानी 87 लाख रुपये कम हैं और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर 88 लाख के मुकाबले 7 लाख हैं, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों में....

श्री अध्यक्ष : आप इनको मत पढ़िये, सवाल पूछिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो यह जो सारी राशि लैप्स हुई है, जिन अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी या आपने कोई आब्जर्वेशन किया कि एक तरफ तो हम यह कोशिश कर रहे हैं और यह चाहते हैं हमारे यहां पर जन जाति उप योजना में वो खर्च हुआ, पैसा मिले, लोगों का विकास हो। एक तरह से जो हमें यह राशि मिल रही है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिसने यह राशि उपयोग नहीं की है और जिसमें भी यह लेकुना रहा है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एनीकट के बारे में पूछा है. (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : ऐसा है, 90 और 91 में सरकार ने बजट में ट्राइबल एरिया के लिए कितना प्रावधान रखा है, सवाल इस बात का है। मूल प्रश्न यह है कि ट्राइबल एरिया में 1990-91 में कितना प्रावधान रखा है राजस्थान के अन्दर, यह आप बता दीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय विधायक महोदय, आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न से मेल नहीं खाता है। 90-91 में... आपने जो प्रश्न पूछा है ...

श्री परसराम मोरदिया : आपने 90-91 में ट्राइबल एरिया में कितना प्रावधान रखा है ?

एक माननीय सदस्य : आप नीति की बात नहीं बताओ। आप आंकड़ों की बात नहीं बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जवाब सुनना नहीं चाहते हैं तो प्रश्नकाल समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मोरदिया : आप बैठिये न फिर। आप सब क्यों खड़े होते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के टिप्स पर जो नाम आये हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको विश्वास नहीं है उन पर। आप बैठिये। लेट हिम स्पीक। आप सब एक साथ खड़े होंगे, मैं नहीं सुन पाता, मंत्री जी जवाब क्या देंगे। जवाब दीजिये मंत्री जी। आप सुनिये तो पहले। आप सुनते तो हैं नहीं। (व्यवधान)

मैं जोर से नहीं बोलूंगा तो आप सुनेंगे

(श्री अध्यक्ष)

नहीं। आप सब 10 बोलते हो, मैं अकेला बोलता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : हमें आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : हम तो प्रेम से मानने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे स्वास्थ्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : हमें बहुत चिन्ता है आपके स्वास्थ्य की।

श्री अध्यक्ष : तो आप 10-10 मत खड़े हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। (व्यवधान) बिराजिये। हां, माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इस साल का आउट-ले कितना है? यही तो है न आपका प्रश्न। ये वैसे तो बजट में फीगर्स दी हुई हैं आप देखेंगे तो मिल जायेगी, उसमें कोई दिक्कत नही है। उसमें फीगर है 920.3। (व्यवधान) मंत्री जी क्या मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 404

(स्थगित)

लाखेरी में महाविद्यालय

405. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या को मध्य नजर रखते हुए लाखेरी में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) उक्त मानदण्डानुसार क्या लाखेरी में महाविद्यालय खोला जाना न्यायसंगत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) महाविद्यालय खोलने के निम्न मापदण्ड विभाग द्वारा बना रखे हैं :-

1- प्रस्तावित स्थान की 30 कि.मी. की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं हो।

2- प्रस्तावित स्थान के आस-पास कम से कम 4 (चार) सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

3- क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

4- प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

(3) जी नहीं।

चिकित्सकों की पदोन्नति

406. श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मई, 1990 में राज्य सरकार ने विभिन्न चिकित्सकों को मेडिकल आफिसर के पद से सीनियर मेडिकल आफिसर्स के पद पर पदोन्नत करने के आदेश निकाले हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चिकित्सकों को रोस्टर प्रणाली का लाभ पदोन्नति में दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(3) जिन अधिकारियों ने रोस्टर नियमों की अवहेलना की है, क्या उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9–8–90 को प्रसारित किए गए हैं।

(2) चिकित्सा अधिकारियों की केवल वर्ष 1979 तक के बैच की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। उस सूची में जो भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का चिकित्सक उपलब्ध था, उनके प्रकरण में विचार किया जाकर योग्य पाये गये चिकित्सकों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बागीदौरा क्षेत्र में सड़क निर्माण

407. श्री सोमा (बागीदौरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा आनन्दपुरी मार्ग की सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) कोवा से आनन्दपुरी मार्ग का डामरीकरण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या शेरगढ़ से फुलवा सड़क को पारबेल चीकली तक मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या केसरपुरा से भानों का पाडरा होते हुए पांच बड़ा तक की सड़क डामरीकरण की योजना है ? यदि हां, तो कब तक बनवा दी जायेगी ?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बागीदौरा आनन्दपुरी मार्ग की वार्षिक मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं बरसात के पूर्व की मरम्मत जैसे डामर के पेच रिपेयरिंग का कार्य किया जा चुका है। विशेष मरम्मत एवं रिन्युवल के कार्य वर्षा के मौसम के बाद कार्य प्रारम्भ कर मार्च, 91 तक पूर्ण करना सम्भव होगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) कोबा से आनन्दपुरी मार्ग पर डामरीकरण कार्य हेतु किसी भी मद के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं है। अतः डामरीकरण का कार्य करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। शेरगढ़ से फलवा सड़क को पारबेल चीकली तक बढ़ाने की योजना एम.एन.पी. (टी.ए.डी.) के तहत स्वीकृत है। मार्च, 1991 तक फलवा से पारबेल तक डामरीकरण करना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी नहीं।

(5) बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूर्ण करना योजना अन्तर्गत स्वीकृतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राज्य में सीवरेज निगम की स्थापना

408. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी (सीवरेज) निगम की स्थापना के बाद राज्य में कौन-कौन से शहरों में इसकी योजनायें बनाई गईं? प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत राशि क्या हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना में टोंक व निवाई को शामिल नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) योजनाएं बनाना निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

(2) निवाई हेतु मांसी बांध से संवर्द्धन योजना बनाकर स्वीकृत हो चुकी है। टोंक हेतु संवर्धन योजना प्रस्तावित नहीं है।

टोंक, जयपुर एवं सीकर क्षेत्र में कृषि कनेक्शन

409. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अप्रैल 1990 व उसके बाद भी कृषि आवेदकों के मांग-पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डल द्वारा संबंधित अधिकारियों को 31 मार्च, 1990 के बाद मांग-पत्र जारी नहीं करने के निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो निर्देशों के बावजूद टोंक, जयपुर एवं सीकर जिले में कितने मांग-पत्र जारी किये गये, एवं किन-किन अधिकारियों के द्वारा, व उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि कुछ ही अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त मांग-पत्र अधिकारियों की गलती से जारी हुए या मण्डल के निर्देशों से?

उत्तर

(1) जी हां। केवल जयपुर जिले में 719 व सीकर जिले में एक मांग-पत्र जारी किये गये हैं।

(2) जब तक कि आगामी वित्तीय वर्ष (1990–91) के लिये कृषि कनेक्शन देने का कार्यक्रम व नीति मण्डल द्वारा निर्धारित

(ऊर्जा मंत्री)

व प्रसारित नहीं हो जाती तब तक आगामी वर्ष के कृषि आवेदकों के मांग-पत्र जारी नहीं किये जाते। प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ही मांग-पत्र जारी किये जाते हैं। टौंक जिले में 31 मार्च, 1990 के बाद कोई कृषि कनेक्शन देने हेतु मांग-पत्र जारी नहीं किया गया। जयपुर व सीकर जिले में जारी किये गये मांग-पत्रों के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच की जा रही है तथा जिन मामलों में प्रारम्भिक जांच पूर्ण हो गई है उनमें दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

(3) ये मांग-पत्र स्वयं अधिकारियों ने ही अपने स्तर से निकाले थे।

खण्डेला हाउस (जयपुर) में विकास कार्य

410. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अम्बर सिनेमा के पीछे स्थित खण्डेला हाउस कालोनी में सड़क के अभाव में नागरिकों को आवाजाही में परेशानी होती है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में सभी स्ट्रीट लाइटें बन्द हैं ? क्या पूर्व में लगी हुई ट्यूब लाइटों को हटा कर उनके स्थान पर बल्ब लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो बन्द पड़ी ट्यूब लाइटों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(4) क्या उक्त कालोनी में गटर लाइन के बहने वाले पानी का स्थाई समाधान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है, यह एक निजी कालोनी है, जिसमें पक्की सड़कों का अभाव है।

(2) खण्डेला हाउस कालोनी एक निजी योजना है। अतः उक्त क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त कालोनी में स्ट्रीट लाइट बंद नहीं है और न ही पूर्व में लगी हुई ट्यूब लाइटों को हटा कर उनके स्थान पर बल्ब लगाये गये हैं। इस कालोनी में पूर्व से ही लाल लाइट के पाइण्ट है, जो चालू है। (ट्यूट लाइट-5, मरकरी–1, बल्ब–1)

(4) यद्यपि यह एक निजी कालोनी है। फिर भी इस समस्या को देखते हुए नई सीवर लाइन डलवाने के आदेश मै. शकील ब्रादर्स को दिये जा चुके हैं किन्तु ठेकेदार द्वारा सीवर लाइन का कार्य अभी चालू नहीं किया है, जिसकी कार्यवाही की जा रही है। उक्त कालोनी में सीवर लाइन का लेवल सही नहीं होने के कारण लाइन का बहाव सही नहीं चलता है। मैनहोलों की सफाई समय-समय पर करवाई जाती है।

15 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में परिवहन व्यवस्था

411. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में ऐसे गांव अथवा कस्बा भी है जिसकी आबादी 15 हजार से अधिक होते हुए भी उसे राज्य पथ परिवहन सेवा से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से हैं ? और बस सेवा से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ?

(2) निगम द्वारा बसों को किस मापदण्ड के आधार पर गांव अथवा कस्बे में संचालित किया जाता है ?

(3) नागौर जिले के ग्राम बासनी जिसकी आबादी करीब 18 हजार है उसे कब तक निगम की बस सेवा से जोड़ा जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित कोई भी गांव/कस्बा ऐसा नहीं है, जिसकी आबादी 15 हजार से अधिक होते हुये भी परिवहन निगम की सेवा से नहीं जोड़ा गया हो।

(2) निगम राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित सभी गांवों/कस्बों के लिये यात्री उपलब्धता के अनुरूप बस सेवाओं का संचालन करता है। राष्ट्रीयकृत मार्गों के आसपास 2 कि. मी. तक कोई गांव/कस्बा सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ होता है, तो स्थानीय जनता की मांग पर अनुकूल यात्री भार की उपलब्धता के अनुसार निगम अपनी बस सेवा संचालित करता है।

(3) नागौर जिले का ग्राम बासनी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है, जिस पर वर्तमान में निगम द्वारा वाहन संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

बीकानेर शहर के सार्वजनिक नल

412. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर शहर में कितने सार्वजनिक नल स्टेण्ड कहां-कहां लगे हुए हैं उनमें से कितने, कहां-कहां खराब हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह शहर की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो कितने कम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में कच्ची बस्तियों एवं अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सार्वजनिक नल स्टेण्ड की व्यापक कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(4) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बीकानेर शहर में कहां-कहां टंकियां, फिल्टर प्लान्ट, कृत्रिम जलाशय एवं कितनी-कितनी पाइप लाइन कहां-कहां बिछाई जाना प्रस्तावित है ?

(5) क्या यह सही है कि लक्ष्मी नाथजी की टंकी से संबंधित लगभग 25 लाख रुपये लागत की एक जल आपूर्ति योजना विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में 439 सार्वजनिक नल लगे हुए है। इनमें से 34 खराब है। सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है

(2) विभागीय मापदण्डों के अनुसार सार्वजनिक नल पर्याप्त संख्या में है।

(3) बीकानेर शहर में कच्ची बस्तियों एवं अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सार्वजनिक नल पर्याप्त संख्या में है।

(4) आठवीं पंचवर्षीय योजना में किए जाने वाले प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है।

(5) जी हां, योजना की जांच की जा रही है। स्वीकृति धन की उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय आयुर्वेद रसायन शालाएं

413. श्री हेमराज (किशनगंज) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितनी राजकीय आयुर्वेद रसायन शालाएं हैं ? और ये कहां-कहां स्थापित है ?

(2) इनमें से कितनी चालू हैं और कौन-कौन सी क्यों बन्द है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के आयुर्वेद औषधालयों के लिये औषधियां कहां से उपलब्ध करायी जाती रही हैं औषधि क्रय करने में गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गयी है ?

(4) क्या सरकार इन बन्द राजकीय आयुर्वेद रसायन शालाओं को शुरू करके औषधियां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) राज्य सरकार की इन रसायन शालाओं के संदर्भ में भावी क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राज्य में चार राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर व उदयपुर संचालित हैं।

(2) चारों राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएँ चालू हैं।

(3) विभागीय आयुर्वेद औषधालयों को उक्त रसायनशालाओं से राजकीय आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्रों के माध्यम से औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

गत पांच वर्षों में औषध क्रय में निम्नानुसार राशि व्यय की गई:-

वर्ष	औषध क्रय का व्यय (राशि लाखों में)
1985-86	28.41
1986-87	55.55
1987-88	44.00
1988-89	70.39
1989-90	54.01

(4) कोई राजकीय रसायनशाला बन्द

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

नहीं हैं। अतः पुनः चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) निकट भविष्य में रसायनशालाओं का आधुनिकीकरण कर उनकी निर्माण क्षमता में वृद्धि करने की राज्य सरकार की नीति है। इसके लिए राज्य सरकार ने आज्ञा से संख्या प. 25(80) आयुर्वेद/84 दिनांक 7.7.90 द्वारा एक समिति का गठन किया हैं।

राज्य में बेरोजगार स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

414. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1987 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में भेजा गया था, उनमें से कितने कार्यकर्ताओं को नियोजन दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रवेश के समय 5 वर्ष हेतु बाण्ड भरा कर अन्यत्र रोजगार प्राप्त नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था ?

(3) यदि हां तो उक्त कार्यकताओं को अभी तक राज्य सेवा में नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) राज्य में ऐसे कुल बेरोजगार प्रशिक्षित कार्यकर्ता कितने हैं तथा उन्हें सरकार कब तक राज्य सेवा में ले लेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1987 में विभाग द्वारा 120 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया था। 55 अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु विभिन्न संयुक्त निदेशक (जोन्स)/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकृत किया गया।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष तक राज्य सेवा में कार्य करने के लिए बंधक पत्र भरवाया जाता है किन्तु विभाग नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है।

(3) पदों के अभाव एवं दिनांक 6.6.90 से वेतनमान संख्या 6 तक की सीधी भर्ती पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के कारण प्रशिक्षित बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) को राज्य सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सका है।

(4) बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (पुरुष) की उपादेयता एवं उनके द्वारा वास्तविक रूप से किये गये कार्यों के प्रश्न वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं, जिनका निर्णय होने के पश्चात् बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों की पूर्ति एवं नये पदों के सृजन एवं उनकी पूर्ति के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

राज्य के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्मारक

415. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(i) राज्य में पुरातत्व ऐतिहासिक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महत्व के ऐसे कितने स्मारक हैं जो संरक्षित घोषित किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने स्मारक राज्य से बाहर हैं तथा कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितने स्मारकों में अतिक्रमण कर बिक्री की शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं ?

(4) कुछ स्मारकों की बिक्री कर दी गई है या विचाराधीन है ?

(5) यदि हां, ऐसे कितने मामलों में मुकदमें विचाराधीन हैं ? इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के 222 स्मारक राज्य सरकार तथा 111 स्मारक केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किये हुये है। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य के बाहर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन कोई भी स्मारक संरक्षित घोषित किया हुआ नहीं है।

(3) केवल एक स्मारक (भरतपुर का किला) की खाली भूमि पर।

(4) राज्य में किसी भी संरक्षित स्मारक की न तो बिक्री हुई है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) बिन्दु संख्या 3 में वर्णित एक मामला राज्य सरकार बनाम कर्नल बृजेन्द्र सिंह जिला एवं सत्र न्यायालय, भरतपुर में विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर सुधार न्यास जोधपुर को नीलामी से हानि

416. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के मानजी के हत्थे में नगर सुधार न्यास, जोधपुर, द्वारा एक सिनेमा हाल बनाने हेतु नीलाम किये गये भूखण्ड पर दो सिनेमा हाल व 72 दुकानें बनाने की स्वीकृति देने से न्यास को रु. 1,30,57,894.86 की हानि हुई जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा न्यास के वर्ष 1984-85 की आडिट रिपोर्ट के आक्षेप संख्या (5) में की है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त ऑडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त आक्षेप के अनुसार उपरोक्त अभूतपूर्व हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 90 (ए) व भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक क्या कार्यवाही करने की गयी ?

Page No. 32

(32)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। आक्षेप के अनुसार हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भू-आवंटन

417. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, जोधपुर जो तत्कालीन भूमि आवंटन समिति के अध्यक्ष थे एवं तीन इस समिति के सदस्य जो न्यासी भी थे, ने दिसम्बर, 1982 के आस-पास 924 वर्ग गज क्षेत्रफल का एवं अनुमानित रुपये तीन लाख से ऊपर के बाजार मूल्य का स्ट्रे भू-खण्ड संख्या 2 पावटा को एक तत्कालीन न्यासी को मात्र रु. 13,500/– में राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के नियम 24 उल्लंघन करते हुये आवंटित कर दिया जिस का बाद में निरस्तीकरण राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 3(90) नविभ्रा/83 दिनांक 4-11-86 द्वारा कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त न्यासी ने उपरोक्त भू-खण्ड पर आवंटन के पश्चात् परन्तु निरस्तीकरण के पूर्व एक कमरा और हत्था बना कर अपने उपयोग में लेना प्रारम्भ कर दिया और वे आज तक भी राज्य सरकार के निरस्तीकरण की अवहेलना करते हुए इस भू-खण्ड व कमरे पर काबिज है ?

(3) उपरोक्त प्रकरण में कौन-कौन प्राधिकारी व अधिकारी लिप्त हैं और सरकार उनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री नरपत राम बरबड़ को भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 902.28 व ग. न्यास की आवंटन समिति के निर्णयानुसार आवंटित किया गया था। आवंटन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन न्यास अध्यक्ष श्री मानसिंह देवड़ा थे। श्री मानसिंह देवड़ा के खिलाफ उनके न्यास अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान किये गये अवैद्य एवं अनियमित कृत्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें यह प्रकरण भी सम्मिलित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 418

(स्थगित)

चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

419. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No. 33

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की हाल ही में जोधपुर यात्रा के समय कर्मचारी संगठनों और शहर के नागरिकों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर और जोधपुर शहर के अस्पतालों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे ?

(2) क्या इन अस्पतालों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के जोधपुर यात्रा के समय शहर के नागरिकों द्वारा डा. एन एस. भण्डारी, रीडर, सर्जरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे।

(2) डा. एन. एस. भण्डारी, रीडर, सर्जरी के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा की जा रही है।

पाली जिले के प्रभाव ग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

420. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1990 से तहसील सोजत के प्रभावग्रस्त ग्रामों में राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य कब-कब प्रारम्भ किये तथा किस-किस विभाग द्वारा कब कब कार्य प्रारम्भ किया गया ? मजदूरों की संख्या विभागवार कब-कब कितनी थी ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त तहसील के अधिक प्रभावग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त तहसील के प्रभावग्रस्त गांवों में मजदूरों की संख्या ग्रामवार कब-कब बढ़ाई गई।

(4) पाली जिले की प्रत्येक प्रभावग्रस्त तहसीलों के गांवों के लिए राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई ? तहसीलवार कुल गांवों की संख्या व कुल राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत तहसील में अप्रेल, 90 से प्रभावग्रस्त ग्रामों में अकाल राहत कार्य कब कब प्रारम्भ किये, किस विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये एवं कार्यरत श्रमिकों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) सोजत तहसील के सभी प्रभावग्रस्त गांवों के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अकाल राहत कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ करवा दिये गये हैं।

(3) सोजत तहसील के प्रभावग्रस्त गांवों में स्वीकृत कार्यों पर बढ़ाये गये मजदूरों की संख्या निम्न प्रकार है —

(अकाल राहत मंत्री)

कार्य	बढ़ाये गये श्रमिक संख्या व दिनांक	वास्तविक लगे मजदूर संख्या जून, 1990 तक
1. अजीतपुरा बाढ़ बचाव	50 से 100 30.5.90	50
2. रेपड़ावास बांध विस्तार	100 से 150 30.5.90	95
3. जोडो में प्लान्टिग कार्य मुरडवा	100 से 150 8.6.90	59
4. रायरा कलां बांध	100 से 200 13.6.90	125
5. राजोला से आणिया सड़क	150 से 250 13.6.90	240
6. चौपड़ा से चान्दासनी सड़क	200 से 300 13.6.90	257
योग-	700 से 1150	826

(4) राज्य सरकार ने अकाल राहत हेतु पाली जिले में अभावग्रस्त तहसील अनुसार धनराशि उपलब्ध न कराकर पूरे जिले की अभावग्रस्त तहसीलों के लिये 105.26 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं, तहसीलवार अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या व उनके लिये अकाल राहत कार्यों की स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :--

तहसील	अभावग्रस्त गांवों की संख्या	स्वीकृत राशि
पाली	142	210.21
सोजत	53	75.89
जैतारण	16	28.65
मारवाड़ जंक्शन	4	5.80
देसूरी	110	104.20
बाली	7	9.62
योग-	332	434.37

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

टोडारायसिंह कस्बे में चिकित्सीय सुविधा

421. श्री घासीलाल (टोडारायसिंह): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा टोडारायसिंह कस्बे के चिकित्सालय को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया गया था ? क्या उसमें सभी सुविधायें उपलब्ध है ? और स्टाफ लगा दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक स्टाफ लगाने का सरकार का विचार है ?

(2) तहसील टोडारायसिंह में पंचायत हैडक्वाटर पर कितने प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? जिन पंचायतों में अब तक भी प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये

(श्री घासीलाल)

हैं, क्या वहां सरकार ऐसे केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह के ग्राम मान्दोलाई में प्राइमरी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुये काफी समय हो गया है लेकिन वहां पर कभी भी डाक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के पूरे पद नहीं भरे गये, और डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है ? अब वहां चिकित्सीय स्टाफ कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, टोडारायसिंह स्थित चिकित्सालय को पिछले वर्ष 89-90 में रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। रेफरल अस्पताल में भवन व्यवस्था के अभाव में पूरी सुविधायें अभी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। स्वीकृत पदों में से केवल चिकित्सा अधिकारी–2, लेब. टेक्नीशियन–1, वरिष्ठ लिपिक-1, कनिष्ठ लिपिक-1, को छोड़कर समस्त स्टाफ लगा दिया गया है। रिक्त पदों के भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) टोडारायसिंह पंचायत समिति में 18 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं। एक उपकेन्द्र 5000 की ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। मानदण्ड के अनुसार इस पंचायत समिति में उपकेन्द्र खोलने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अतः इस पंचायत समिति में और नये उपकेन्द्र खोलने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

(3) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांदोलाई में समस्त स्वीकृत पद केवल एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका को छोड़कर भरे हुए हैं, जिसे प्रशिक्षित अभ्यार्थी के उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 422

(स्थगित)

भवानीमण्डी–सुनेल (झालावाड़) में आवास योजना

423. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले के कस्बे भवानी मण्डी-सुनेल में सन् 1977 से अब तक आवास योजना में कितना-कितना बजट स्वीकृत हुआ तथा कितना किस-किस मद में खर्च हुआ ? अब तक कितने मकान पूर्ण हो चुके हैं ? आगामी वर्ष की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीन किन-किन स्थानों पर अवाप्त की तथा उनको किस-किस स्तर का कितना-कितना मुआवजा दिया जा चुका तथा कितनों का शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के कस्बे भवानी मण्डी में वर्ष 1977 से 31.3.90 तक आवास योजना में रुपये 32.25 लाख एवं कस्बे सुनेल में वर्ष 1977 से अब तक रुपये

(आवासन मंत्री)

29.79 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। भवानी मण्डी की योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकानों के निर्माण में 5.77 लाख रुपये निम्न आय वर्ग के मकानों की निर्माण लागत में 2.26 लाख रुपये व मध्यम आय वर्ग के मकानों की निर्माण लागत में 3·07 लाख रुपये व्यय हुए और कुल इस प्रकार 11·10 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सुनेल कस्बे की योजना में विकास लागत में 0·08 लाख आर्थिक दृष्टि से कमजोर मकानों के निर्माण की लागत में 6 72 लाख रुपये कुल 6·80 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

कस्बा भवानी मण्डी की योजना में अब तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में 40, अल्प आय वर्ग में 7, मध्यम आय वर्ग में 7, कुल 54 मकान पूर्ण हो चुके हैं। इसी प्रकार कस्बा सुनेल योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में 20 मकान पूर्ण हो चुके हैं।

कस्बा भवानी मण्डी की योजना में आगामी वर्ष निर्माणाधीन 11 मकान पूर्ण किये जाने की योजना है। कस्बा सुनेल योजना में शेष रहे 153 मकानों को पूर्ण किये जाने की योजना है।

(2) भवानी मण्डी एवं सुनेल कस्बे की योजना में जिन-जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है एवं जिस-जिस स्तर पर मुआवजा दिया गया है, सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

टोडाभीम क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

424. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितनी अपूर्ण सड़कों का कार्य बन्द पड़ा हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य चालू कराके उनको कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(3) वित्तीय वर्ष 1989-90 में उक्त क्षेत्र की कितनी सड़कों को योजना में लिया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 37 अपूर्ण सड़कों के कार्य बन्द पड़े हैं। बन्द पड़े कार्यों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों में 3 सड़कें आर.एल.ई.जी.पी., 17 सड़कें एन.आर.ई.पी. तथा 13 सड़कें अकाल राहत कार्यों के तहत अधूरी रही है जिनको पूर्ण करवाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं तथा संसाधनों पर निर्भर करता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अधूरी सड़क मूंडिया से धोलेटा वाया नागल मोरड़ा कमालपुरा का कार्य 1991-92 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(3) योजना वर्ष 1989-90 समाप्त हो चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

बेरोजगार होम्योपैथी चिकित्सक

425. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने होम्योपैथिक चिकित्सक बेरोजगार पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार की इन चिकित्सकों को कब तक रोजगार देने की योजना है ? क्या राज्य सरकार की नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना है ?

(3) यदि हां, तो कितने, कब तक और कहां-कहां ? प्रस्तावानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार कार्यालयों में दिनांक 31.12.1989 को 231 होम्योपैथिक चिकित्सक पंजीकृत थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2-3) वर्तमान में विभागीय होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों में 23 पद होम्योपैथिक चिकित्सकों के रिक्त हैं, जिन पर निर्धारित योग्यताधारी चिकित्सकों को रोजगार दिया जावेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कुल 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं। इनमें किस चिकित्सा पद्धति के कितने औषधालय खोले जायेंगे इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल

426. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग द्वारा संचालित किस-किस होटल में कितने-कितने कमरे व शय्याएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में किस-किस होटल में किस-किस वर्ष में कमरों अथवा शय्याओं का कितने-कितने प्रतिशत का उपयोग हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक होटल में आरम्भ से अब तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी हानि व लाभ हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों में उपलब्ध कमरों एवं शय्याओं का इकाईवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षों में प्रत्येक होटल में हुये कमरों एवं शय्याओं के उपयोग का वर्षवार प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रत्येक होटल की पृथक-पृथक बैलेंस-शीट नहीं बनाई जाती, अपितु निगम स्तर पर इकजाई रूप से बनाई जाती है अतः निगम को प्रारम्भ से अब तक हुए लाभ/हानि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(पर्यटन मंत्री)

वर्ष	लाभ (+)/हानि(—) (लाख रुपये में)	
1979-80	(—)	2.95
1980-81	(—)	21.75
1981-82	(—)	28.89
1982-83	(—)	38.52
1983-84	(—)	48.24
1984-85	(—)	71.81
1985-86	(—)	78.03
1986-87	(—)	52.11
1987-88	(—)	24.59
1988-89	(+)	45.02
1989-90	(+)	70 50 (अनुमानित)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जयपुर जिले में हैण्डपम्प योजना

427. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लालसोट तहसील में हैण्डपम्पों की कुल कितनी संख्या है ? उनमें से कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं तथा कितने खराब पड़े हैं ?

(2) बन्द पड़े हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

(3) जयपुर जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में कितने हैण्डपम्प लगाने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लालसोट तहसील में शहरी क्षेत्र में लगाये गये समस्त 19 हैण्डपम्प चालू हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगे 848 हैण्डपम्पों में से 20 अस्थाई रूप से खराब, 41 सूखे व 55 परित्यक्त हैं।

(2) मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को इसी माह में ठीक करवा दिया जावेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले में तहसीलवार 583 हैण्डपम्प लगाये जाने का विवरण संलग्न प्रपत्र "क" पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कोबाल्ट यूनिट खरीद में वित्तीय अनियमिततायें

428. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में क्रय की गई तोशीबा टेली थैरेपी कोबाल्ट यूनिट, खरीद में वित्तीय अनियमितताओं तथा मशीन के जापानी सप्लायर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण स्थापित नहीं की जा सकती है तथा पुरानी मशीन ने भी काम करना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप काफी अर्से से जयपुर में कैंसर रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि तोशीबा कोबाल्ट मशीन की खरीद में हुए घोटाले की

(श्री हरिसिंह)

जांच के लिए सरकार ने विधान सभा में दिए गए आश्वासन के अनुसार रामाकृष्णा कमेटी का गठन किया था? क्या इस घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी स्वतन्त्र रूप से जांच की थी? यदि हां, तो कृपया रामाकृष्णा कमेटी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस विषय में तैयार की गई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) इन रिपोर्टों के आधार पर कोबाल्ट मशीन की खरीद में घोटाले के दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 'सरकार' क्या कदम उठाने जा रही है?

(4) क्या इस खरीद में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गड़बड़ियां भी उजागर हुई हैं? यदि हां, तो सरकार क्या यह मामला उचित कार्यवाही हेतु भारत सरकार के प्रवर्तन विभाग को सौंपेगी?

(5) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि श्री सिद्धराज ढढ्ढा की रिट याचिका के सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित मानसिक अस्पताल जांच समिति ने भी इसकी जांच की है? यदि हां, तो इस पर सरकारी रुख क्या रहा है?

उत्तर

(1) यह सही है कि क्रय की गई तोशीबा टेली थैरेपी कोबाल्ट यूनिट, रेडियो एक्टिव सोर्स प्राप्त न होने एवं गलत मॉडल की मशीन आने के कारण अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है तथा पुरानी मशीन ने काम करना बन्द कर दिया है। कोबाल्ट थैरेपी के अतिरिक्त अन्य उपचार कैंसर रोगियों को जयपुर में दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने नई मशीन खरीदने की स्वीकृति दे दी है।

(2) जी हां। रामाकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है।

(3) रामाकृष्णा रिपोर्ट पर गत सरकार ने निर्णय लेकर समस्त प्रकरण बन्द कर दिया था।

(4) जी हां।

(5) जी हां। सरकार इस पर विस्तृत जांच कर कार्यवाही करेगी।

जिला नागौर में कृषि कनेक्शन

429. श्री मोहनलाल (परबतसर) एवं श्री रिछपाल सिंह (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989-90 में कृषि कनेक्शनों का कितना लक्ष्य था? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुके हैं, कितने कनेक्शनों की राशि जमा हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं तथा कितने कनेक्शन सामग्री के अभाव में रिलीज नहीं किए गए हैं? अब कब तक

(श्री मोहनलाल)

रिलीज कर दिये जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) 31-3-1983 के पूर्व के कितने कृषि कनेक्शन अब शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति परबतसर में कृषि कनेक्शन 31-3-1983 के बाद में किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने हैं तथा 31-3-1983 के पूर्व के कृषि कनेक्शन कितने बकाया है ? सूची मय कृषक के नामवार सदन की मेज पर रखें।

(6) बकाया कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989-90 में 2,190 कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित था। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जिला नागौर में नागौर वृत के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 31.3.1990 तक 4789 कृषि मांग पत्र जारी किये गये तथा 4468 कृषि कनेक्शनों के मांग पत्रों की राशि 31.3.1990 तक जमा हुई। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जिला नागौर में नागौर वृत के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 2192 कनेक्शन रिलीज किये गये तथा प्रस्तावित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है। अतः सामग्री के अभाव से कनेक्शनों के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

(4) जिला नागौर में नागौर वृत के अन्तर्गत वर्ष 1983 के पूर्व के लगभग 754 कृषि आवेदन पत्र लम्बित हैं। पंचायत समितिवार संख्या सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(5) जी हां। पंचायत समिति परबतसर में उपखण्ड परबतसर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 31.3.1983 के पूर्व के लम्बित कृषि आवेदनों में से 70 कृषि कनेक्शन दिये गये तथा 31.3.1983 के पूर्व 92 कृषि आवेदन पत्र बकाया हैं। सूची मय कृषक नामवार परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(6) बकाया आवेदन पत्रों का निपटारा योजनानुसार वार्षिक लक्ष्यों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। अतः फिलहाल निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लाडनूं पंचायत समिति में परिवार नियोजन कार्यक्रम

430. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नागौर जिले में वर्ष 1986 में पंचायत समिति लाडनूं का परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में द्वितीय स्थान रहा ?

(श्री मनोहर सिंह)

(2) क्या इस कारण उक्त पंचायत समिति को 2 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा सरकार ने की थी ? यदि हां, तो इसका भुगतान पंचायत समिति लाडनूं को कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर जिले में वर्ष 1985-86 में पंचायत समिति लाडनूं द्वितीय स्थान पर रही थी।

(2) जी हां, जिला कलक्टर, नागौर के निदेशानुसार आदेश संख्या 24859 दि. 29.1.87 के द्वारा इनाम की दो लाख रुपये की राशि के बराबर व्यय के पंचायत समिति लाडनूं के तीन कार्यों की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई। परन्तु स्वीकृत कार्य शहरी क्षेत्र के होने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत होने के कारण आदेश संख्या 290003 दिनांक 25.2.87 के द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई। उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या-एफ. 1 (12) वियोस/राग्रारोका/87/12949-51 दिनांक 15.7.87 के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर की बैंकों में जमा राशि की ब्याज की आय से 2 लाख रुपये की लागत के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। इसी क्रम में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा निम्न कार्य कराने हेतु कार्यालय आदेश 9529 दिनांक 14.8.87 द्वारा स्वीकृति दी गई :-

1- पंचायत समिति में मीटिंग हाल निर्माण रु. 85,000/-

2- पचायत समिति जीप हेतु गैरेज निर्माण रु. 20,000/-

कुल रुपये योग - 1,05,000/-

राजस्थान में नशाबन्दी

431. श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) व श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार को जानकारी है कि अखिल भारतीय औसत से राजस्थान में नशा करने वालों का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ? नशे की आदत को कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

अखिल भारतीय औसत में राजस्थान में नशा करने वालों का प्रतिशत कितना है इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना प्राप्त होने पर नशा करने वालों का प्रतिशत सूचित किया जा सकेगा। नशे की आदत कम करने के लिये राज्य में नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 लागू किये गये हैं। इसके तहत अफीम और डोडा पोस्त के सेवन के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। बिना अनुज्ञापत्र के अफीम, डोडा पोस्त का सेवन वर्जित है। मदिरा सेवन करने वालों के लिये वर्तमान में कोई परमिट लेना आवश्यक नहीं है इस कारण मदिरा पान करने वालों की सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विद्युतीकरण

432. **श्री रामप्रताप कासनिया**(पीलीबंगा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितने राजस्व गांव व ढाणियां ऐसी हैं जहां विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन गांवों व ढाणियों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 376 राजस्व गांव और ढाणियां ऐसी हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है । सूची "अ" संलग्न है ।

(2) शेष अविद्युतीकृत ग्रामों में से 55 ग्राम विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हैं, जिन का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रावधान एवं निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप करना सम्भव होगा । शेष 321 ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कह पाना सम्भव नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

डीग कस्बे में बस यात्रियों को सुविधा

433. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निगम द्वारा डीग कस्बे में स्थित बस स्टेण्ड की जमीन का किराया नगर पालिका डीग को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से एवं किराये की कुल बकाया राशि कितनी है ? बकाया राशि का चुकारा कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि डीग बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है एवं पीने के पानी तथा छायादार स्थान की बहुत कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक सुधार कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 2.3.79 को नगरपालिका से हुए समझौते के अनुसार यह तय किया गया था कि डीग बस स्टेण्ड के किराये का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराया जाये, और तब तक निगम नगर पालिका को प्रोविजनल तौर पर 2,000/– रुपये (दो हजार रुपये) प्रति माह किराये के रूप में जमा कराये । लेकिन नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को मूल्यांकन फीस जमा न कराने के कारण किराये का मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है । मार्च, 1979 से अगस्त 1980 तक 18 माह का भुगतान 36,000 रुपये नगर पालिका को किया जा चुका है ।

निगम के सहायक सम्भाग प्रबन्धक भरतपुर ने अपने आदेश सख्या 4765 दि. 31.5.89 द्वारा बाकी किराये का भुगतान सितम्बर, 1980 से करने के आदेश भी जारी कर दिये हैं । अतः फरवरी, 1990 तक 114 माह के किराये का भुगतान 2.28 लाख इसी माह कर दिया जायेगा ।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। बस स्टेण्ड नगरपालिका डीग की सम्पत्ति है। अतः बस स्टेण्ड पर मूलभूत यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व नगरपालिका डीग का है। इसके लिए नगरपालिका डीग को निवेदन किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में सड़क निर्माण

434. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में तहसील अरनोद में गोतमेश्वर से सालमगढ़ एवं रायपुर से दानपुर रोड का डामरीकरण कार्य रुका हुआ है ?

(2) क्या सरकार डामरीकरण का कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सड़क कार्य कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। गोतमेश्वर से दानपुर सालमगढ़ सड़क की स्वीकृत लम्बाई 5 कि. मी. में मेटल कार्य (गिट्टी कुटाई) समाप्त करने के एवं बरसात के बाद चालू कर इस साल में डामरीकरण करने की सम्भावना है रायपुर से दानपुर सड़क की स्वीकृति नहीं है।

(3) गोतमेश्वर से सालमगढ़ सड़क की स्वीकृत लम्बाई 5 कि.मी. में दिसम्बर, 90 तक पूर्ण करने की सम्भावना है। इस सड़क के शेष भाग तथा रायपुर से दानपुर सड़क का निर्माण करवाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना का सड़क मास्टर प्लान

435. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना का सड़कों से सम्बन्धित मास्टर प्लान तैयार किया गया है ? यदि हां, तो प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मास्टर प्लान पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मास्टर प्लान के अनुसार सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1984-85 में सीकर जिले का मास्टर प्लान तैयार किया गया था जो अभी तक राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं है। मास्टर प्लान के प्रारूप में नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त मास्टर प्लान में ली गई कुल

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

47 सड़कों में से 10 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 2 का कार्य प्रगति पर है जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब" संलग्न है।

(3) जी हां, "मास्टर प्लान के अनुसार सड़कों का निर्माण करवाना योजना अन्तर्गत, प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है"।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

भीलवाड़ा जिले में सड़क निर्माण

436. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में विगत तीन वर्ष की अवधि में कितनी कि.मी पक्की एवं कितने किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत की गई है ?

(2) उक्त वर्षों में अकाल राहत, नोन प्लान एवं प्लान मद में कितनी धनराशि भीलवाड़ा जिले में व्यय की गई तथा कितने कि.मी. सड़कों का निर्माण व मरम्मत का कार्य कराया गया ?

(3) राज्य के अन्य जिलों में पिछले तीन वर्ष की समयावधि में कितने निर्माण कार्य हुये हैं ?

(4) पिछले तीन वर्षों में कितने-कितने किलोमीटर पक्की सड़कें बनायी गयी व कितनी किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने पंचायत हैडक्वाटरों को सड़कों से जोड़ा गया है, तथा कितने पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जोड़े जाने शेष हैं, तथा सरकार का इनको कब तक सड़क से जोड़ने का विचार है ?

(6) निम्बाहेड़ा से केली कनेरा तक सड़क की लम्बाई कितने कि.मी. है कितने कि मी. सड़क बनी हुई है तथा कितने कि. मी. कच्ची है ? क्या सरकार इसी वर्ष में उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में विगत तीन वर्ष की अवधि में 258.66 कि मी. डामर सड़क, 92.70 कि.मी. मेटल रोड, 202.60 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया एवं 541 कि.मी. डामर सड़क व 6.50 कि मी. मेटल सड़क की मरम्मत की गई।

(2) विगत तीन वर्षों में भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत के तहत रु. 547.22 लाख, नोन प्लान में रुपये 744.57 लाख, प्लान में 157.05 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 553.96 कि.मी. सड़कों का निर्माण तथा 547.50 कि.मी. सड़कों की मरम्मत की गई।

(3) राज्य के अन्य जिलों में पिछले तीन वर्ष की समयावधि में 5587 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण कार्य हुए तथा 87-88 में 51690, 88-89 में 53523 एवं 89-90 में 55801 कि.मी. सड़कों की मरम्मत की गई।

(4) पिछले तीन वर्षों में 5394 कि.मी. डामरीकरण, 193 कि.मी. मेटल सड़क कुल 5587 कि. मी. पक्की सड़कें बनाई गई।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 307 पंचायत मुख्यालयों में से मार्च, 90 तक 144 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, 32 पंचायत मुख्यालय मेटल से तथा 90 पंचायतें मुख्यालय ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं तथा 51 पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जाने शेष हैं। वर्ष 90-91 में तीन पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जाने की संभावना है। शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(6) निम्बाहेड़ा से केली कनेरा तक सड़क की कुल लम्बाई 33 कि.मी. है जिसमें से 23 कि. मी. राजस्थान व 10 कि. मी. मध्यप्रदेश में स्थित है। राजस्थान में 19 कि.मी. डामर सड़क एवं 4 कि.मी. ग्रेवल सड़क है। इस वर्ष में इस 4 कि.मी. सड़क को बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है। भविष्य में इसका निर्माण योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बांसवाड़ा जिले के बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक

437. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षक बेरोजगार हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष 600 प्रशिक्षणार्थियों को स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जबकि उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं ?

(3) यदि हां, तो इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान स्वास्थ्य शासन संस्था, जयपुर द्वारा प्रति वर्ष 600 प्रशिक्षणार्थियों को स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त संस्था द्वारा, प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी वहन नहीं की जाती है।

(3) स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों की उपयोगिता पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.6.90 को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को, भरने अथवा न भरने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

अटरू क्षेत्र में गऊघाट से ब्यावर सड़क निर्माण

438. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में गऊघाट से ब्यावर सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया एवं कार्य प्रारम्भ से अब तक किस-किस स्कीम यथा एन आर.आई.पी. आर.एल.ई.जी.पी. अकाल राहत के तहत कितनी राशि खर्च की गई ?

(श्री मदन दिलावर)

(2) योजना एवं वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खर्च की गई राशि सड़क के पूर्ण निर्माण के लिए पर्याप्त थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य अब तक पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में गऊघाट ब्यावर सड़क निर्माण का कार्य 1983-84 में प्रारम्भ किया गया तथा मार्च, 1990 तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 23.31 लाख एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.01 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(2) योजना एवं वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

पंचायत समिति, आमेर व जमवारामगढ़ में सड़क निर्माण

439. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चन्दवाजी (राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर-8) से सिरोही (पं. स आमेर) तक की सड़क का कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खव्वा राणीजी (पं.स. जमवारामगढ़) से ग्राम पड़ासौली तक की सड़क का निर्माण से अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त दोनों सड़कों का डामरीकरण अब कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्लान प्राथमिकताओं व सीमित संसाधनों के कारण डामरीकरण करवाया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(2) जी हां। खव्वा राणीजी से पड़ासौली सड़क की कुल लम्बाई 21 कि.मी. है। खव्वा राणीजी से धुला रावजी के बचे हुए 8 कि मी. 700 मीटर का कार्य प्रगति पर है। धुला रावजी से पड़ासौली सड़क के 8 कि.मी. लम्बाई में प्लान प्राथमिकताओं व संसाधनों के सीमितता के तहत कार्य करवाया जाना संभव नहीं हो सका है।

(3) खव्वा राणीजी से धुला तक की सड़क का निर्माण अगले वर्ष तक पूर्ण हो जायेगा। चन्दवाजी से सिरोही एवं धुला रावजी से पड़ासौली सड़कों का निर्माण प्लान प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की सीमितताओं के तहत कार्य करवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

बूंदी जिले में परिवार कल्याण कैम्प

440. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में परिवार कल्याण के कितने कैम्प कहां-कहां पर लगाये गये ? इन पर कैम्पवार कितना-कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने स्त्री पुरुषों ने नसबंदी करवायी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में आयोजित परिवार कल्याण कैम्पों की संख्या तथा उन पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	आयोजित कैम्पों की संख्या	कुल व्यय की राशि
1988-89	175	रुपये 2,12,630.00
1989-90	212	रुपये 3,01,105.00

कैम्पवार विवरण की सूची संलग्न है।

(2) इन कैम्पों में निम्नानुसार स्त्री/पुरुषों ने नसबन्दी आपरेशन कराये:-

वर्ष	नसबन्दी करवाने वालों की संख्या		
	स्त्री	पुरुष	योग
1988-89	1216	24	1242
1989-90	1702	11	1713

कैम्पवार कुल केसेज की संख्या की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

441. श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की हर पंचायत क्षेत्र को डामर सड़क से जोड़ने की नीति है ? यदि हां, तो टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में इस नीति के तहत कौन-कौन सी पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है ? शेष पंचायतों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में टोडारायसिंह क्षेत्र एवं देवली तहसील की 12 ग्राम पंचायतों में सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि बजट में स्वीकृत हुई ? उसमें से कितनी उपयोग में आई व कितनी लैप्स हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में कुल 39 पंचायत मुख्यालयों में से 26 पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए हैं। परिशिष्ट "अ" शेष पंचायत मुख्यालयों (परिशिष्ट "ब") को सड़कों से जोड़ना योजना अन्तर्गत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) गत पांच वर्षों में टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में आने वाली देवली तहसील की 12 ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण हेतु कुल 30.45 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई उसमें से रुपये 23 64 लाख व्यय हुए। अत: 6.81 लाख रुपये की राशि लैप्स हुई। विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

सीकर जिले की सड़कों का डामरीकरण

442. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में पिछले अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कंकरीट की सड़कें बनाई गई थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पैसे को बचाने के लिए अविलम्ब इस सड़कों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर डामरयुक्त सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कंकरीट से रोड़ी एवं मुरण्डा (डब्ल्यू बी. एम.) सड़क का तात्पर्य है। इन सड़कों का डामरीकरण योजनान्तर्गत मापदण्डों की प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(2) पंचायत मुख्यालयों को डामर युक्त सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत मापदण्डों की प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

पंचायत समिति, सपोटरा में पुल निर्माण

443. श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति सपोटरा जिला सवाई माधोपुर के ग्राम मण्डरायल से रोधई तक केन्द्र सरकार से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान हुई है ? क्या इन ग्रामों को जोड़ने वाले मार्ग पर दर्श नाला पड़ता है ? जिस पर पुल बन जाने से इस इलाके की जिला मुख्यालय से दूरी कम हो जाती है ?

(2) क्या इस नाले पर पुल निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य तकनीकी मापदण्डों व निर्धारित राशि के अनुकूल हुआ है ?

(3) क्या इस नाले पर हुए निर्माण कार्य की विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस नाले पर पक्की रपट (फलश काजवे) का निर्माण किया गया है। कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया गया है।

(3) रपट के कार्य की कोई जांच नहीं चल रही है लेकिन इसके एप्रोच सड़क पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मिट्टी की कुटाई एवं ढुलाई के कार्य की जांच चल रही है। प्राथमिक जांच के अनुसार कुछ अनियमिततायें ध्यान में आने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है। जांच का कार्य चल रहा हैं।

विधान सभा क्षेत्र खंडार में औषध खरीद

444. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खंडार के राजकीय चिकित्सालयों के लिये कितना-कितना बजट औषध खरीद के लिए स्वीकृत है ? गत 3 वर्षों का औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दवा की खरीद किस प्रक्रिया द्वारा किस स्तर पर की गई हैं ? वर्ष 1989-90 में दवाइयां किस फर्म से कितने राशि की खरीदी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में समस्त औषधालयों को औषधियों की आपूर्ति करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक आपूर्ति करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 8 अस्पताल (6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 डिस्पेंसरी) चालू हैं।

-प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 12,000 रु. एवं डिस्पेंसरियों पर 6000/- रु० प्रतिवर्ष की औषधियां उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

-इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार अकाल राहत तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

-गत तीन वर्षो में उपलब्ध कराई गई औषधियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दवा की खरीद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा विभागीय अनुमोदित सूची के अन्तर्गत की गई है। यह सूची विभाग द्वारा दो वर्ष के लिए दर संविदा की जाती है।

-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली द्वारा वर्ष 1989-90 में खरीदी गई दवाइयों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 445

(स्थगित)

जिला महिला विकास प्राधिकरण की बैठकें

446. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या महिला व बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला महिला विकास प्राधिकरण कौन कौन से जिले में कार्यरत हैं ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) इन प्राधिकरणों की कितनी बैठकें इन जिलों में गत वर्ष में हुई हैं ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राधिकरणों के कार्यों की उपयोगिता का कोई मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन जिला प्राधिकरणों को कितनी धनराशि गत पांच वर्षों में आबंटित की गई ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला महिला विकास अभिकरण राज्य के नौ जिलों में कार्यरत हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा सीकर और अजमेर।

(2) जिला महिला विकास अभिकरणों की गत वर्ष में हुई बैठकों का जिलेवार इकजाई करके सूची संलग्न है।

(3) जी हां, महिला विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन, मूल्यांकन संगठन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा किया गया है। मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

महिला विकास कार्यक्रम (प्रशासन) एवं स्वेच्छा दोनों का सम्मिश्रण है। मूल्यांकन के उपसंहार में कहा गया है कि इस कार्यक्रम की प्रगति बहुत उत्साहवर्धक रही है। कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर जाजम का आयोजन महिला जगत में चेतना का बहुत ही प्रभावशाली माध्यम मूल्यांकन संगठन विभाग ने माना है।

(4) जिला महिला विकास अभिकरणों को गत 5 (पांच) वर्षों में आबंटित की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र

447. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में रखरखाव हेतु कितने बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर हैं ? इन केन्द्रों पर वर्ष 1988–89 से 10 जून, 1990 तक कितनी-कितनी मात्रा में तेल, दलिया, दवाओं का वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन केन्द्रों पर कितने कर्मचारी एवं अन्य कार्यकर्ता लगे हुए हैं ? उनकी जातिगत सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त वर्षों में दलिया, तेल वितरण की कितनी अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा नादोती एवं टोडाभीम दो परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। नादोती परियोजना में 83 एवं टोडाभीम परियोजना में 88 कुल 171 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में रख-रखाव हेतु दो बाल विकास परियोजना अधिकारी नादोती एवं टोडाभीम कार्यरत हैं तथा नादोती परियोजना के 83 आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव हेतु 4 पद एवं टोडाभीम में 6 पद महिला सुपरवाइजर के हैं अर्थात् कुल 10 महिला सुपरवाइजर्स कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

इन 171 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष 1988-89 से 10 जून, 1990 तक कुल 1432.62 क्विन्टल गेहूं का दलिया एवं 109.22 क्विन्टल तेल का वितरण किया गया। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर वितरित दवाई की मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इन केन्द्रों पर 171 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनमें 5 अनुसूचित जाति, 7 अनु. जनजाति एवं 159 अन्य हैं, कार्यरत हैं। साथ ही 171 सहायिका कार्यरत हैं जिनमें 4 अनु. जाति, 15 अनु. जनजाति एवं 152 अन्य जाति की हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटा दिया है। दूसरी शिकायत महिला पर्यवेक्षक की है जिसकी जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय उप निदेशक से अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भिनाय क्षेत्र में विद्युतीकरण

448. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय के सभी राजस्व गांव विद्युतीकरण योजना में आ गये हैं ?

(2) यदि नहीं, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष गांवों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जायेगा ?

(4) मजरों ढाणियों के विद्युतीकरण के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भिनाय विधान सभा क्षेत्र के कुल 164 ग्रामों में से 147 ग्राम माह मार्च, 1990 तक विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। शेष 17 ग्राम विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में स्वीकृत हैं।

(3) शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा घोषित वार्षिक लक्ष्यों तथा वित्तीय संसाधनों

(ऊर्जा मंत्री)

के अनुरूप किया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

(4) ऐसे नये राजस्व ग्राम, मजरे एवं ढाणियां जो कि 1981 की जनगणना पश्चात घोषित हुये हैं उनमें यदि उनके पूर्व मूल ग्राम विद्युतिकृत हैं तो मूल ग्राम के नाम से ही कनेक्शन दिये जाते हैं। ऐसे मजरे और ढाणियां जो किसी विद्युतिकृत राजस्व ग्राम के क्षेत्र में आते हैं, उनके विद्युतिकरण के लिये बिजली की लाइनों का विस्तार विद्युत प्रणाली में उपलब्ध क्षमता तथा लाइनें डालने के खर्चे पर उचित वित्तीय साध्यता के अनुरूप ही किया जाना संभव होता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 449

(स्थगित)

जिला सीकर में भू-गर्भ झील योजना

450. श्री अजयसिंह (दांतारामगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सितोलाव तन नितडवास, तहसील सीकर, जिला सीकर में एशिया की सबसे बड़ी भू-गर्भ झील है।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी योजना बनाकर इस क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, झील तो नहीं है परन्तु भू-जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। भू-जल विभाग के पास उक्त क्षेत्र में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। क्षेत्र के किसानों के लिये नलकूप खोदे जाने की सुविधा उपलब्ध है। क्षेत्र के किसान नलकूप को पूर्ण राशि नियमानुसार जमा कर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है।

कस्बा लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) में 132 के. वी. स्टेशन

451. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर में विद्युत विभाग के दो-दो सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनका अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सीकर जिला मुख्यालय पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करने के लिए पृथक से अधिशासी अभियन्ता कार्यालय लक्ष्मणगढ़ में खोलने की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में 132 के. वी. सब स्टेशन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए इसको रबी की फसल पर चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में एक-एक वितरण एवं सुधार व एक-एक विकास (उपखण्ड) सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित है।

(2) जी हां। वर्तमान में पृथक से लक्ष्मणगढ़ में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में 132 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस सब-स्टेशन को माह अक्टूबर, 1990 तक रबी की फसल के समय तक चालू करने की योजना है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 452

(स्थगित)

बांदीकुई शहर में विकास कार्य

453. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1985 से मई, 1990 तक बांदीकुई शहर में सफाई, रोशनी, शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, शौचालयों आदि के निर्माण हेतु किन-किन वर्षों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांदीकुई नगर व बसवा नगर में सफाई व प्रकाश की पूरी व्यवस्था नहीं होने, सड़कों के जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने व अन्य नागरिक सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से मई, 1990 तक बांदीकुई शहर में सफाई, रोशनी, सड़क, नालियों आदि के निर्माण हेतु व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। शुद्ध पेय जल "जलदाय विभाग" द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) बांदीकुई तथा बसवा नगर की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सफाई व प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा रही है। यह सही है कि सड़कों की अवस्था जीर्ण-शीर्ण है तथा नई बसी कालोनियों में रोशनी तथा सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुरूप इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 454

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

(स्थगित)

भू-जल विभाग द्वारा किसानों को उपलब्धता प्रमाण-पत्र

456. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या भू-जल विभाग किसानों को कुएं व ट्यूबवैल खुदवाने हेतु पानी की व्यवस्था का प्रमाण देता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपलब्धता प्रमाण-पत्र के बिना किसानों को कुएं एवं ट्यूबवैल हेतु प्रस्तावित बीमा योजना तथा बैंक ऋण में बाधा उपस्थित होगी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू जल विभाग, भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने के उपरान्त पोटेन्शल जोन वाइज भू-जल उपलब्धि, उसकी गुणवत्ता आदि के बारे में प्रतिवेदन नाबार्ड एवं विशिष्ट योजना संगठन को प्रस्तुत करता है व इन पोटेन्शल जोन में एक वर्ष भू-जल आकलन करके अपनी सिफारिश देता रहता है जिसके आधार पर विशिष्ट संगठन द्वारा जहां भू-जल की उपलब्धता दर्शाई जाती हैं वहां के लिए लघु सिंचाई योजना में कुएं व ट्यूबवैल खुदवाने का कार्य, कुएं गहरे कराने का कार्य, पम्प सैट लगाने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि लघु सिंचाई योजना उन्हीं क्षेत्रों के लिये विशिष्ट योजना संगठन बनाता है जहां विभाग के प्रतिवेदन में भू-जल उपलब्धता दर्शाई होती है। अत: उसके लिये अलग से विभाग द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता।

(2) जी नहीं। लघु सिंचाई योजना क्षेत्र में कुएं व ट्यूबवैल खुदवाने के लिये किसी अतिरिक्त भू-जल उपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तावित बीमा योजना अभी विचाराधीन है। इसके पश्चात् ही इसके बारे में कुछ कहा जायेगा।

नगर विकास न्यास, जोधपुर से सम्बद्ध लोकायुक्त रिपोर्ट

457. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या मुख्य (जन अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माननीय लोकायुक्त ने भू. पू. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर के सम्बन्ध में अपनी अन्तरिम जांच रिपोर्ट, जो जून, 1987 के आसपास राज्य सरकार को प्रस्तुत की, उसके मुख्यत: क्या निष्कर्ष रहे ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) माननीय लोकायुक्त ने भू. पू. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर के सम्बन्ध में अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट, जो जनवरी, 1990 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की, उसमें क्या फाइन्डिंग्स हैं ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त दोनों रिपोर्टों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) माननीय लोकायुक्त महोदय ने दिनांक 4.6.87 को तत्कालीन अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर के विरुद्ध जांच कर अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन

(जन अभियोग निराकरण मंत्री)

जांच रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसकी प्रति सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(2) जी हां, माननीय लोकायुक्त महोदय ने जनवरी, 1990 में अन्तिम जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। बिन्दु संख्या (1) में अंकित कारणों से जांच रिपोर्ट की प्रति सदन में रखा जाना सम्भव नहीं है।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन न्यास अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर अन्वेषण जारी है।

आबकारी कर की बकाया

458. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर 1 लाख से अधिक का आबकारी कर बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 104 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें 1 लाख से अधिक की आबकारी बकाया है। (सूची संलग्न है)

(2) इस वसूली के लिये की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची के कॉलम संख्या 6 में प्रत्येक प्रकरण के सामने अंकित किया है।

साथ ही उपरोक्त 104 प्रकरणों में कुल बकाया की राशि रु. 5,75,63,232/- निहित है। इस राशि में से रुपये 2,64,30,198/- के मामले स्थगन/न्यायालय में होने से वसूली नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त राशि रु. 1,04,91,113/- के मामले ऐसे हैं जिनमें वसूली सम्भव न होने के कारण नियमानुसार अपलेखन की प्रक्रिया जारी है। शेष राशि की वसूली की कार्यवाही चल रही है।

मुख्यालय से बकाया वसूली के समस्त मामलों में कार्यवाही करने के निर्देश समय-समय पर दिये जाते रहे हैं तथा विभागीय अधिकारियों की बैठकों में भी बकाया वसूली की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जैसलमेर का आयुर्वेदिक औषधालय

459. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जैसलमेर स्थित आयुर्वेदिक औषधालय पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही पुराने व छोटे से मकान में क्रियाशील है, जिससे जनता व स्टॉफ को काफी असुविधा होती है ?

(2) क्या सरकार इसे किसी अन्य व

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय जैसलमेर हेतु जो भवन किराये पर लिया हुआ है वह पुराना अवश्य है, किन्तु उसमें नल, बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा भवन "अ" श्रेणी चिकित्सालय हेतु पर्याप्त है। जनता व स्टाफ को होने वाली असुविधा सम्बन्धी कोई शिकायत वर्तमान में नहीं है।

(2) फिलहाल वर्तमान में भवन परिवर्तित करने का कोई विचार नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

1. श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय वर्ष कला के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को राजस्थान कालेज के प्राचार्य व अन्य द्वारा निरस्त बताये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से असम से पलायन कर राजस्थान में आये प्रवासी असमी राजस्थानियों के पुनर्वास करने में राज्य सरकार की पूर्णतया असमर्थता के सम्बन्ध में।

3. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री लालगिरी एवं उदयपुर गिरी बाबा की समाधि गलता गेट, जयपुर पर अलख मठ की सम्पत्ति पर अन्य द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर वाटी के गुढा में नदी नालों से जन धन की होने वाली हानि के सम्बन्ध में।

2. श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह थडोली, बिसलपुर जिला टोंक में स्थित पहाड़ियों पर 250 पत्थर की खानों में खनन कार्य में अवरुद्ध आने के सम्बन्ध में।

3. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 18 वर्ष के नवयुवक की हत्या करने के सम्बन्ध में दोषियों को बचा कर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के सम्बन्ध में।

4. श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुस्लिम समुदाय के किसी योग्य व्यक्ति को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नगरपालिका केशवराय पाटन क्षेत्र में भूमि

(श्री अध्यक्ष)

विक्रय एवं नियमन में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में।

6. श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा दस्यु प्रभावित क्षेत्र को आर्म्स लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में।

7. श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे जुए और सट्टे के सम्बन्ध में।

8. श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शाहबाद कस्बे में चार वर्षीय डिम्पल की हत्या के सम्बन्ध में।

9. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य (करौली) क्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में।

10. श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों कृषि मजदूरों, फौजियों आदि को भूमि कम मात्रा में अलॉट कर अन्य को अलॉट किये जाने के सम्बन्ध में।

11. डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक राज्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार व राज्यादेश के बावजूद भी रविवार को पेट्रोल पम्प खुलवाकर पेट्रोल भरवाने के सम्बन्ध में।

12. श्री गोपीराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर विधान सभा क्षेत्र में गोचर व वन विभाग की जमीनों पर नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में।

13. श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में नील गायों द्वारा फसल को चौपट किये जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री हीरा लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण की डवलपमेण्ट राशि जमा करवाने की दोहरी नीति के सम्बन्ध में।

16. श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी में यातायात सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में।

17. श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रत्येक पंचायत की विकास योजना बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोलिये ना।

एक माननीय सदस्य : आप नाम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक नहीं बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मैं जोर से बोल रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुक्रवार को आपको 295 का एक प्रस्ताव दिया था लेकिन आप ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को आयेगा और मंगलवार को कहा कि कल आयेगा। यह रोजाना ही आगे से आगे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज मैंने 17 लगाये हैं। आपका पेंडिंग हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकता। 12 से ज्यादा लगा नहीं सकते लेकिन मैंने 17 लगाये हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन मैंने तो शुक्रवार को ही दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। आपका खारिज नहीं किया, आपका पेंडिंग है। आप बोल चुके हैं। फिर आपको मौका दूंगा, मगर आप 17-17 लगा दिये और कितने चाहते हो। व्हाट मोर डू यू वांट। आखिर कोई सीमा होनी चाहिये। बिराजिये।

अनेक माननीय सदस्य : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : पंजाब के सम्बन्ध में, उग्रवादियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह जानकारी के लिए भेजा हुआ है। व्यवस्था दूंगा तो सुनाऊंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : ये पाइण्ट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थानान्तरण नीति

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर है पहले, पाइंट आफ आर्डर आप समझ रहे हैं आप बिराजिये। ये पाइण्ट आफ आर्डर पढ़ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज से 3 दिन पहले यह तय हुआ था कि तबादला नीति पर चर्चा करवायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सिलसिले में आश्वासन दिया था कि तबादला नीति पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार हो रहा है। उस समय जो होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परसों लिस्ट आफ बिजनेस के अन्दर मिनिस्टर का स्टेटमेण्ट था और माननीय सदस्यों के अनुरोध पर नेता महोदय ने एग्री किया कि यहां पर चर्चा इसकी कर लेंगे और बहस चलेगी। कल मैं आपके कक्ष में मिला।

श्री अध्यक्ष : कक्ष की बात यहां नहीं की जाती। कक्ष की बात यहां मत करिये। यह नियम विरुद्ध है। इसमें जो बात कहनी है, यहां की यहां कहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नियम विरुद्ध तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है, नियम विरुद्ध कक्ष में हुई बात यहां रिपीट नहीं की जा सकती। यह नियम विरुद्ध है, यह व्यवस्था है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय। मैं प्रार्थना कर रहा हूं. आप कक्ष में जो बात कहते हैं आप हाउस में कहना नहीं चाहते। हाउस में उस पर व्यवस्था देना नहीं चाहते। चर्चा करना नहीं चाहते, आखिर बात क्या है। आप विचार कब तक करेंगे। तीस तारीख को ट्रांसफर पर बैन लगाया। और दो तारीख को मैंने मोशन दिया है, आज तारीख 11 हो गई, 9 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर डिसीजन जल्दी करूंगा। आप बिराजिये।

(12.10 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय मुख्य मंत्री ने यहां पर आश्वासन दिया था विस्तार से यहां पर चर्चा कराना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद यहां सदन में चर्चा नहीं हो। कोई समय निश्चित नहीं हो तबादला नीति के बारे में सदन के नेता के स्वयं के चाहने के उपरान्त भी। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई दिन निश्चित करें, कोई समय शीघ्र निश्चित कर दें, आज कर दें कल कर दे। कल तक निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा करने की बात पर मैंने अपनी सहमति व्यक्त की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय मैंने निवेदन किया था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो समय निश्चित करेगी उस समय पर इस सम्बन्ध में चर्चा हो सकेगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और जब इस पर सदन में समय निश्चित करने का प्रश्न आया तो माननीय सदस्य जो चीफ व्हिप हैं, शायद....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं नहीं था उस समय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं थे इसी कारण से आप यह प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री पूनमचंद विश्नोई (फलोदी) : आप स्वयं उपस्थित थे और आपने वायदा किया था तो आप खुद उठाते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लीजिये। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यहां विपक्ष भी उपस्थित था उस समय यह चर्चा हुई कि इस पर सदन में चर्चा करने के बजाय ट्रांसफर के सम्बन्ध में सरकारी प्रक्रिया क्या है उसकी प्रतियां यदि माननीय सदस्यों को भेज दी जाय, उनसे सुझाव आमंत्रित किये जायं उसके बाद में सब पक्ष के 10-12 आदमी बैठ कर इस पर विचार करलें तो इस पर सार्थक रूप से कोई ऐसी चीज निकलेगी जिनको सरकार इम्पलीमेंट कर सकेगी। इसी आधार पर मैंने परसों सारे मैम्बर्स को ट्रांसफर के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में जो भी निर्णय हुए हैं, जिस प्रकार की प्रक्रिया बनाई गई है उसकी प्रतियां डिस्पेच कर दी हैं, या तो पंहुच गई होगी या आज पहुंच जायगी। उसके ऊपर यदि आप सुझाव देंगे, सुझाव लेने के उपरान्त जैसे उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता उपस्थित थे उन्होंने कहा कि उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद में अगर चर्चा करने की आवश्यकता हुई तो हम चर्चा कर लेंगे। इस कारण से ही मामला स्थगित हुआ है। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, यह वजह थी बस।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो बिन्दू सामने आये हैं। आज नेता महोदय ने जो बात कही, यही बात है, मैं कोई और बात नहीं कह रहा था। अध्यक्ष महोदय ने चैम्बर में यही बात कही थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। एक तो, उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को यह पावर नहीं है। वह सिर्फ टाइम तय करेगी, डेट तय करेगी आवर्स अलाट करने का तय करेगी। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस से ऊपर नहीं है। हाउस तो सुप्रीम है। हाउस के अन्दर नेता महोदय ने एग्री किया। अब आप उसमें कहते हैं दस पांच आदमी से, हाई कोर्ट के फैसले का, पालिसी तो बाकायदा आपने अखबारों के के अन्दर आफिशियली रिलीज की है। पालिसी में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अच्छा होता कि आपकी पार्टी के प्रतिनिधि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं वह उस समय इस बात का जिक्र करते। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। उस समय भी आपत्ति नहीं थी, आज भी आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उचित यही है कि उसके बारे में एक एक बार सारे लिटरेचर देख लें, उसके बाद में सुझाव देने हों, सुझाव दें और उसके उपरान्त यदि बैठ कर चर्चा करनी हो तो चर्चा करें। उससे भी कोई समाधान नहीं हो तो मामला हाउस में लाया जाय। मैं तो एक प्रक्रिया है जिसके अन्दर इसमें से परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। यह कोई पाइंट स्कोर करने का कि मैंने कह दिया मैं डिबेट नहीं कराना चाहता। मैंने तो अपनी तरफ से कहा था कि इस पर चर्चा हो जाय। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सारे विचार मंथन के बाद जो बात निकली, वह बात ऐसी है कि जिसके अन्दर ट्रांसफर के मामले में एक इस प्रकार की नीति या प्रक्रिया तय हो सकती है और तय हो जाने के बाद में उसको लागू करने में सुविधा हो सकती है। हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपको शायद आज मिल गये होंगे, जयपुर वाले माननीय सदस्यों को। सारा मैंने देखकर अपनी तरफ से लैटर लिखे हैं, लैटर में आपसे सुझाव मांगे हैं। सुझाव देंगे उस पर बैठ कर चर्चा होगी। यह कोई आप यह समझे कि ट्रांसफर पालिसी के बारे में कोई एक दिन में निर्णय ले लिया जाय, यह इस तरह का इश्यू है जो पिछले तीस वर्षों से सारी सरकारों ने कोशिश की है। मैं नहीं कहता किसी सरकार ने कोशिश नहीं की, कोशिश की है। लेकिन इसके उपरान्त भी कोई निर्णय नहीं ले सके। आज जल्दी में हम भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसको वास्तव में राजस्थान में लागू किया जा सके और उसके परिणाम अच्छे निकल सकें। एक दिन आप डिबेट कर लेंगे और डिबेट में चर्चा यह होगी कि आपने दस स्थानान्तरण यह कर दिये और 15 यह कर दिये। आप बोल जाओगे, हम सुन लेंगे। लेकिन नीति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के सम्बन्ध में या प्रोग्राम के सम्बन्ध में जो एक इफेक्टिवली हम चर्चा कर सकते हैं वह नहीं कर सकेंगे। इसलिये सुझाव यह था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सुझाव दिया उस सुझाव के ऊपर विचार हुआ और उस सुझाव में वास्तविकता है कि यदि हम सही निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो इन सारी प्रक्रियाओं से हमें निकलना पड़ेगा। अगर इसके उपरान्त भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप अभी चर्चा कर लीजिये, मैं तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, दो इसमें बिन्दु हैं। पहला तो यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस के डिसीजन को पलट सकती है क्या? नेता महोदय उस समय मौजूद थे, यह प्रश्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नीति बनाने की बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं है। यह खुद कह रहे हैं कि हमने नीति बनाई है और नीति का प्रकाशन भी किया है। नीति को लागू किया है एक जुलाई से। इसमें बहुत लम्बी चौड़ी यहां पर कोई ट्रांसफर की लिस्ट मैम्बर्स उठ कर यह कहेंगे, फलां आदमी का ट्रांसफर कर दिया उसको केन्सिल कर दो, नेता महोदय, इस प्रकार की डिबेट के स्तर की आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यहां पर मैम्बर्स आपको रचनात्मक सुझाव देंगे। हम यह समझते हैं कि नेता महोदय का जो कथन होता है हाउस के अन्दर, पब्लिक इमेज की वजह से आप कान्शसनेस देते हैं, आप नीतिगत अच्छा एक वक्तव्य और कमिटमेंट यहां करते हैं। और जो बाद में आप दबाव में काम करते हैं पार्टी के कहने से वह सरासर गलत करते हैं। इसलिये आप अगर यहां बैठ करके डिबेट सुनोगे तो कुछ न कुछ अच्छा कमिटमेंट करेंगे, सर्विसेज का भी ठीक होगा, सर्विसेज में सफाई भी आयेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि यहां चर्चा हो और आप इस बात से सहमत हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना, ना, मैं पक्ष में हूं। मुझे तो चर्चा करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन मैं चर्चा की स्टेजेज बदलना चाहता हूं। पहले चर्चा पत्रों से, पत्र दिये उसका जवाब आये, उसको हम स्क्रीनिंग करें फिर बैठकर चर्चा करें। हाउस में चर्चा करने की आवश्यकता हो, मुझे रत्ती भर आपत्ति नहीं है। रत्ती भर आपत्ति नहीं है। सरकार के तो हाथ मजबूत होंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम तो इससे सहमत हैं लेकिन हम तो आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। दो चार दिन पांच दिन भी लग सकते हैं। इसलिये तीस तारीख का रजिस्टर है, जिसमें आपने तीस तारीख से स्थानान्तरण बन्द करने की नीति बनाई थी वह तीस तारीख का रजिस्टर कब तक खुला रहेगा। आज भी स्थानान्तरण आदेश निकल रहे हैं और लोगबाग परेशान हो रहे हैं। यहां भीड़ लग रही है। आज भी निकल रहे हैं, तीस तीस तारीख में निकल रहे हैं। निकल रहे हैं, साहब, दस-दस दिन बाद जयपुर के कर्मचारियों को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैनीजी, मैं एक मिनट कह देऊं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मिनट, सर, आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट सुन लेओ आप। ट्रांसफर हो जाय या नहीं हो जाय, यह इस समय पाइंट नहीं है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : नेता महोदय, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि जयपुर में जो रह रहे हैं उनको 6-6, 7-7 दिन बाद रोज स्थानान्तरण आदेश मिल रहे हैं, बाहर की बात तो छोड़ो। मैं आपको सबूत लाकर बता दूं। उनके पास सुबह लेकर जाते हैं कि मेरा स्थानान्तरण हो गया, मुझे आज 5-6 रोज बाद मिला है। तो तीस तारीख के रजिस्टर को आप कृपया बंद करा दो, चाहे इसमें दस दिन और ले लो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे यह बता देओ वह रजिस्टर कहां पड़ा है, अपन दोनों चल कर अभी ले आयें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सारे विभागों में रजिस्टर पड़े हैं और उनकी तीस तारीख खुली है। सारे विभागों में है आपके रजिस्टर।

श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पशुपालन) : आपको पशुपालन विभाग में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सकता। अगर तीस तारीख के बाद में एक भी कोई स्थानान्तरण किया गया हो या केन्सिल किया हो, एक भी सबूत बता दीजिये आप। बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों तो एस.सी. एस.टी. के आपने किये हैं ट्रांसफर।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात भाटीजी ने कही है वह बात माननीय मुख्य मंत्रीजी कह दें हमें कोई एतराज नहीं है। आप कह दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट इस तरह से डाइवर्ट हो जायगी। एक्जीक्यूशन और काउंटर एलीगेशन तो अलग है। सवाल यह है कि हाउस के अन्दर यह डिसीजन हो चुका है कि इस पर चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : तो मना कहां किया है। उन्होंने मना तो नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मना ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अधिकार आपका सुरक्षित है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय ने कल चैम्बर में मना किया। और नेता महोदय ने उसकी ताईद करी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय कर दिया कि इस पर चर्चा अभी नहीं करानी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह तय नहीं किया। यह तय हुआ था कि इससे पहले सार्थक इस पर बहस हो, कोई तबादला नीति बने इसके लिये पहले छोटे ग्रुप में लोग बैठ लें उसके बाद आवश्यक हो तो चर्चा करलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तबादला नीति तो बन चुकी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : तबादला नीति की घोषणा हो गई। आप कह रहे हैं अब बनायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तबादला नीति की तो घोषणा हो गयी। यह सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : तबादला नीति की अगर घोषणा हो गई....

श्री हेतराम बेनीवाल : उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें कहीं आपके सुझावों से सरकार को अमेंडमेंट करना पड़े, चर्चा करने का मतलब ही यह हुआ। आपके सुझाव आयेंगे, नये सुझाव आयेंगे उनको सरकार ध्यान में रख कर उसमें परिवर्तन करने को तैयार है। इसीलिये चर्चा की बात है।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या इस विधान सभा सत्र में हो जायगा यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। मैं एक अर्ज कर दूं। जो कुछ भी सरकार ने निर्णय लिया है उसको यदि सदन के विचारार्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह खुले दिमाग से कर रहे हैं कि सदन में जो कुछ भी इस सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव आयेंगे उनको एकमोडेट करना है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इस पर अभी चर्चा की जाय या बाद में की जाय। मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि यह मामला जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, महा जटिल है। पिछले 40 वर्षों से लगातार आप और हम दोनों प्रयत्न कर रहे हैं कि ट्रांसफर पालिसी- निश्चित रूप से बननी चाहिए जिसके आधार पर सारी सर्विसेज में असंतोष न रहे। सिफारिशों का चक्कर भी समाप्त हो जाय। कोई ऐसी व्यवस्था हो कि शासन सुचारू रूप से चल सके। मैं नहीं, कहता कि मैं इसे बनाने में सफल हो जाऊंगा या हो गया हूं मेरे सामने भी कई समस्याएं हैं लेकिन जैसा कि बी.ए.सी. में सुझाव आया कि चर्चा के सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे इसलिए जो कुछ आपका प्रारूप है वह मैम्बर्स के पास भेज दीजिए। उस पर मैम्बर्स इंडिविजुअली विचार करें अपने सुझाव दें और उसके बाद आवश्यकता हो तो सारे दलों के माननीय सदस्य बैठ कर इस पर चर्चा कर लें। उसके उपरान्त भी सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हो तो मुझे रत्ती भर सकोच नहीं। आप अध्यक्ष महोदय से समय निश्चित करा लीजिए। मैं तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी सत्र में चर्चा होगी यह नीति तो आलरेडी बन चुकी है और आपकी नीति का हम स्वागत करते हैं, खराब थोड़े ही बताते हैं लेकिन आपने जो 30 जून की बात की, 30 जून के बाद जो अनीति की, मैं उसके खिलाफ हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसफर्स खुले नहीं हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, रवि भट्टाचार्य, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, आमेर (जयपुर) से उसका स्थानान्तरण 27.6.90 को हिंगोनियां किया गया। उसके बाद इस व्यक्ति ने 6 जुलाई को कोर्ट से स्टे लिया कि उसका स्थानान्तरण आदेश कोर्ट से स्थगित किया गया है उसके बाद 8 जुलाई को पुरानी तारीख 30.6.90 को पुन: आर्डर निकाले गये। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बता सकता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हूं। रजिस्टर खुला है और अनीतिपूर्ण स्थानान्तरण हो रहे हैं। इसलिए इस पर चर्चा करवाई जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इतना तो पता नहीं किन्तु 10-10 बार आपके ट्रांसफर पांच दिन में किये हुए बता सकता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बता दीजिए, कौन मना करता है आपको ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह चर्चा का विषय निश्चित नहीं है और अगर मंत्री महोदय चैलेन्ज कर सकते हैं तो 5-5 तो हम भी बता सकते हैं। 30 तारीख के बाद, जो 30 तारीख लिख कर तीन आर्डर एक तारीख में निकाले उसका मतलब क्या हुआ। एक तारीख में तीन आर्डर का मतलब ही यही है कि आर्डर बाद में निकले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ट्रांसफर प्रक्रिया हमने निश्चित की है उसके विपरीत आपकी जानकारी में स्थानान्तरण हो मुझे बताइये, मैं एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। 295।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समस्त स्थानान्तरण मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वह उपाध्यक्ष महोदय, नीति विरुद्ध हो रहे हैं। आप उदाहरण की बात कह रहे हैं। पूरे ही ट्रांसफर्स नीति विरुद्ध हो रहे हैं। 30 जून तो नीचे लगाई जाती है और अभी भी हो रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : 30 तारीख को इन्होंने प्रतिबन्ध लगाया.... (व्यवधान) हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा केवल मात्र विरोध यह है कि इनका कहना था कि 30 तारीख के बाद ट्रांसफर नहीं होंगे और एक तारीख बाद इन्होंने नीति लागू कर दी कि 30 तारीख के बाद दो साल तक कोई ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे। अगर 15 दिन तक उस ट्रांसफर पर अमल नहीं किया तो सस्पेण्ड किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। हमें इस पर कुछ नहीं कहना। आपकी सरकार है, आप लाखों ट्रांसफर कीजिए क्योंकि हमने भी 69 हजार ट्रांसफर किये हैं। हमारा तो सिर्फ यही निवेदन है कि या तो इस पर चर्चा कर लो। हम तो यह चाहते हैं कि 30 तारीख के बाद की तारीख में....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें कोई तारीख तय कर लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नेता महोदय, आप यह नीति वापस ले लीजिये। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : नेता महोदय ने यह कहा है कि ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं और मेरे पास सबूत भी है कि जयपुर के जयपुर में ट्रांसफर हों और उसका 7 रोज बाद आदेश मिले तो यह 30 तारीख का रजिस्टर है कि नहीं है, आप इतना सा बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसका कोई अन्त नहीं होगा माननीय सदस्य। नेता महोदय ने कह दिया कि अगर आपके नोटिस में ऐसा कोई स्थानान्तरण आया है तो उसका एक्शन होगा। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तब अध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान थे। उस व्यवस्था के प्रश्न पर या तो चर्चा निर्धारित की जाय या उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। बी ए सी. हाउस के डिसीजन को रिवर्स कर सकती है क्या ? मोटा सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : डिसीजन कहां हुआ था ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिसीजन हुआ था। आप प्रोसीडिंग मंगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : चेयर से कोई डिसीजन नहीं हुआ था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि डिसीजन हुआ था। आप अपनी स्मरण शक्ति से....

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप प्रोसीडिंग मंगाइये। तय हुआ है यह हाउस के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीडिंग मंगानी है तो चेम्बर में मंगाई जाएगी ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इसके ऊपर निर्णय कल होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, एक इश्यू के ऊपर, यह तो रोज चलेगा। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि या तो आप नीति वापस ले लीजिए। कह दीजिए हमारा प्रेरोगेटिव है, मर्जी आएगी जहां ट्रांसफर करेंगे। यह साइक्लोजी क्यों डालते हैं आप कि हम तो नीति से करना चाहते हैं, परेशान नहीं करना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : 295।

श्री मोहनलाल : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है, सर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस का निर्णय नहीं है। आपने मांग की ओर मैंने कहा कि इस नीति, प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हो सकती है तो समय तय करा लीजिए। समय तय करने का प्रश्न बी. ए. सी. में आया जिस समय यह बात हुई। यह तो आप मानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, फिर इस चर्चा का इतना विवाद क्यों उठाया जाय। मैं तो चाहूंगा कि विपक्ष बैठ कर तय कर ले कि इस पर चर्चा करनी है। आपका कमिटमेण्ट हुआ है कि चर्चा नहीं करनी है इसलिए कह रहा हूं, चर्चा करनी है तो अध्यक्ष महोदय से समय निश्चित करा लें। यहां समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आप एक मत हो जायं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हम तो एकमत हैं। आप चर्चा करवा लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा सजेशन है कि इस पर चर्चा हो और सदन के नेता महोदय इस पर एग्री कर गये और हाउस का डिसीजन क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : टाइम तो तय करेंगे ना ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बी. ए. सी. में टाइम तय होगा, डेट तय होगी लेकिन यह तय नहीं करना है कि इस इश्यू को लिया जाय या नहीं लिया जाय। आप देखिये, बी.ए.सी. के फंक्शन क्या हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह फंक्शन तो मालूम है, आपके अधिकार सुरक्षित हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको मालूम है, बी.ए.सी. यह तय नहीं कर सकती कि यह मोशन लिया जाएगा और कौनसा टाइम कब अलाट किया जाएगा यह तो जो भी हाउस में तय होगा या....

श्री उपाध्यक्ष : तय कहां हो गया। आप कोई मोशन रखें और मुख्य मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई तैयार हो तो समय तो चेयर की तरफ से तय होगा ना ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यही निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ जाय। बी.ए.सी. ने नहीं कहा कि चर्चा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि कोई व्यवस्था तो आये। आप रोज कहते हैं कि चर्चा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और चर्चा आप कराते नहीं है। आधा टाइम तो निकल गया। आप रोज कहते हैं कि इसमें सुझाव आ रहे हैं। आज कांग्रेस के नेताओं को बुलाया है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत होगा। चार ट्रांसफर किसी के गैर-वाजिब हुए या पांच गलत हुए यह चर्चा नहीं होगी। यहां पर चर्चा नीतिगत प्रश्न पर होगी। ट्रांसफर किसी भी पालिसी पर रखें उससे कोई सदस्य इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि ट्रांसफर करने की सीमा होती है। किस हालत में करना चाहते हैं और करने का उद्देश्य क्या है और खास तौर से जब आप कहते हैं कि नीतिगत ट्रांसफर करना चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो हजार....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके वश के बाहर की बात है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं और डाक्टर ट्रांसफरों में डोल रहे हैं। एस.सी., एस.टी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) जवाब आ गया सम्माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अस्पताल खाली पड़े हैं। मरीज मर रहे हैं लेकिन डाक्टर सड़कों पर डोल रहे हैं। आप उनको जल्दी से जल्दी लगाइए। आपको जहा भी लगाना हो। ऐसे तबके के लोगों के सबसे ज्यादा ट्रांसफर किये गये हैं। जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाकर उन्हें जहां भी लगाना हो लगाया जाए। अस्पताल खाली पड़े हैं सारे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कि इस विषय में माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया कि आप इस विषय पर चैम्बर में आकर चर्चा कर लीजिए। आप चैम्बर में पधारिए देखिए आज बहुत इम्पोर्टेन्ट डिमाण्ड्स है और बहुत से 295 है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, चैम्बर में मैं मिल लूंगा, पर चैम्बर में माननीय अध्यक्ष महोदय जो कहते हैं वह क्या यहां नहीं कहूंगा मैं। चैम्बर में तो गम्भीरता से कोई बात लेते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चैम्बर में कहते हैं वह यहां नहीं बतायें। माननीय सदस्य। 295 श्री मदनलाल सैनी, श्री घासीलाल चोपड़ा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो व्यवस्था दे दी। लेकिन माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था होनी चाहिए....। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चैम्बर में आकर बात करिए....।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आप जब आए थे, तब अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था दे रहे थे। हमेशा सदन की यह परम्परा रही है कि आसन की व्यवस्था देने के बाद माननीय सदस्य जो मुद्दा कॉल अटेन्शन मोशन, एड-जोर्नमेण्ट मोशन के माध्यम से जो-जो उठाते हैं, अपनी-अपनी बात कहते हैं और आप उसके बारे में बताते हैं। यह विषय अभी चल रहा है और बीच में आपने 295 उठा लिया। मैंने इस सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। अलवर में सौ बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर सरकार से जानकारी प्राप्त हो, उसके पहले मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस अवैध कब्जे पर आप जल्दी से जल्दी रोक लगाइए। नहीं तो वह करोड़ों रुपयों की जमीन बरबाद हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं आप बैठिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीर जी बैठिए आप भी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद में आसन पैरों के ऊपर खड़ा होता है तो अधिकारी लोग उस आसन के पैरों के ऊपर खड़ा होते हुए भी उठकर रवाना हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक आसन पैरों पर खड़ा रहे, चाहे माननीय सदस्या हो या अधिकारीगण हो, वे उठकर नहीं जाए। जहां है वहीं खड़े रहे। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्देश सभी विभागों में पूरी तरह से जाना चाहिए। (व्यवधान)

Page No. 68

(68)

श्री रामस्वरूप मीणा : आसन तो पैरों पर है, सरकार पैरों पर खड़ी हुई हो तब....

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा एक सवाल है जबकि उससे पहले ही आपने 295 शुरू कर दिया। (व्यवधान) मैंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसकी चर्चा उस के बाद अखबारों में और हुई है और उसके जो प्रोपराइटर हैं, जिस कम्पनी के खिलाफ मैंने दिया.... ।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के लिए आज रिमाइण्डर फिर भेजा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें कब तक आएगा, मैं चाहता हूं कि समय बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : आज अध्यक्ष महोदय ने रिमाइण्डर फिर भेजा है।

श्री मदनलाल सैनी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के तहत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र (उदयपुरवाटी) गुढा में नदी नालों से जनधन को होने वाली हानि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, उदयपुरवाटी तहसील का आधा भाग पहाड़ी एवं शेष भाग रेतीला है, इस क्षेत्र में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण इन पहाड़ों से अनेक नदी नाले निकलते हैं। ये नदी नाले जमीन एवं फसल को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिसके कारण वर्षा में लाखों रुपयों का नुकसान तो होता ही है साथ ही नदी नालो के साथ हजारों घन फुट मिट्टी खेतों तथा सिंचाई भूमि पर फैल जाती है। इस प्रकार से हजारों बीघा भूमि बेकार हो जाती है। किसान फिर पूरे वर्ष भर हजारों रुपये खर्च कर मिट्टी को हटाता है लेकिन फिर भी जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं लौट पाती है। इन नदी नालों से बहता बेकार पानी यदि नहीं रोका जाए, बांध या एनिकट बनाये गए तो भूमि का कटाव होने से हजारों बीघा भूमि बेकार होने से नहीं बच पायेगी। नदी नालों के साथ बहने वाली मिट्टी से किसानों की बारानी एवं चाही भूमि पर मिट्टी जमा नहीं हो सकेगी, इससे किसानों की श्रम, शक्ति एवं पैसा बचेगा।

मान्यवर महोदय, खेतुड़िया नाला से जब वर्षा होती है तो नगर पालिका क्षेत्र के पांच वार्डों में जहां कुएं बने हुए हैं। कुओं की सिंचाई भूमि पर मिट्टी जमा हो जाती है। इस वर्षा के कारण तो पूर्व की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण हजारों घन फुट मिट्टी पांच वार्डों की कृषि भूमि पर जमा हो गई है। किसानों की श्रम, शक्ति, पैसा बचाने एवं पानी के संकट के समय सिंचाई, पानी पीने का उसका उपयोग लेने के लिए एनिकट बनाये जाना अतिआवश्यक है।

मान्यवर, वार्ड नं–11 (नगरपालिका क्षेत्र) से गुजरावाली ढाणी के पहाड़ से निकलने वाला नाला, नाले का बड़ा खतरनाक नाला है इस वर्ष वर्षा प्रारम्भ होते ही यह नाला अपने पूरे यौवन पर, सैकड़ों बीघा

(श्री मदनलाल सैनी)

भूमि व कई कुओं में मिट्टी भरता गया, इस नाले पर एनिकट बनाना आवश्यक है।

नांगल पंचायत क्षेत्र के गांव कोट से निकलने वाली कोट नदी पर भी बांध पंचायत वार्ड नम्बर 8 में बनने से नदी का विध्वंस रोका जाकर पानी का उपयोग सिंचाई एवं पशुओं के पीने के लिए लिया जा सकता है। भगकसास पंचायत समिति के बांध को तुरन्त पूरा करना भी अतिआवश्यक है। उदयपुरवाटी तहसील के पहाड़ों पर जहां अन्य कई छोटे-छोटे नदी, नाले हैं जिसके कारण पानी निकलता है उसी कारण से जमीन बेकार होती है। ऐसे नदी नालों पर जो बागेरा गिरावड़ी आदि क्षेत्रों में एनिकट बनाना आवश्यक है। छापोली पंचायत के किरावंडी कुओं पर एनीकट होने की भी अतिआवश्यकता है। मालकेतु पहाड़ जहां से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है, उसका भी एनीकट बनाना जरूरी है।

सराय मुरपुरा पंचायत क्षेत्र से निकलने वाली नदी पर एनीकट बागोली के पानी का जो बांध नहीं बना-ा गया है, उसे भी और बनाना जरूरी है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत नेबरी में भी नाले के पानी को एनीकट द्वारा रोका जाना जरूरी है। कुढ़ा पोंख पंचायत जो पहाड़ों से घिरी हुई है, उसके कारण अनेक किसानों की चाही भूमि बेकार हो जाती है अधिक पानी फसल में जमा हो जाने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। उसे रोकने के लिए बांध या एनीकट जैसी भौगोलिक परिस्थिति के अवलोकन से आवश्यकता हो, उसका निर्माण अति आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पहाड़ी क्षेत्र में नदी नाले से होने वाले विध्वंस से किसानों की कठिन परिश्रम से उर्वरा भूमि की बर्बादी रोकने के लिए भूमि पर पानी के साथ आने वाली मिट्टी से भूमि को बचाने के लिए किसानों को इससे होने वाली आर्थिक हानि अनावश्यक परिश्रम से बचाने के लिए वर्णित नदी नालों पर बांध एवं एनीकटों का निर्माण अविलम्ब कराया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्षजी, नियम 295 के तहत टोडारायसिंह, थडोली, बीसलपुर खनन कार्य में अवरुद्ध आने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि टोडारायसिंह, थडोली, बीसलपुर जिला टौंक में स्थित पहाड़ी पर लगभग 250 पत्थरों की खानें हैं जिनमें पिछले सौ साल से अधिक अर्से से करीब 400–500 निर्धन मजदूर खनन कार्य करते आये हैं। इनमें पत्थर चेजा, घट्टी, पट्टी आदि निकालने का कार्य होता है। इससे करीब दस हजार गरीब अपने परिवार का पालन करते हैं। यह खनन कार्य जयपुर स्टेट के समय से ही होता आया है। सन् 1956 से पूर्व इन खानों की रायल्टी वन विभाग द्वारा वसूल की जाती थी। बाद में राज्य का खनिज विभाग रायल्टी लेकर रायल्टी रेन्ट कम डीड इन्हें 1980 तक देता रहा। केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधिनियम 69 सन् 1980 के प्रभाव के बाद भी सन् 1980 तक उक्त श्रमिक खनन कार्य करते

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

आये हैं किन्तु जनवरी, 1980 के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने खनन कार्य में व्यवधान डाला। राज्य सरकार ने इस व्यवधान पर विचार कर निर्णय लिया कि बिहार स्टेट अपीलान्ट बनाम बंशीराम मोदी, सिविल अपील नं. 1345 सन् 1984 दिनांक 7.5.85 (ए.आई.आर.) सुप्रीम कोर्ट पेज 714 के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार माइन्स विभाग ने अपने पत्र एफ 13(9) खान. जी. आर. 4/77 दिनांक 18.1.86 से यह निर्णय लिया कि यह खानें पुरानी हैं सो यथावत् रहेगी। उनके लिए लीज प्रदान कर दी जावेगी। इसके आधार पर ही माइन्स विभाग ने टोडारायसिंह व आमली को उक्त वन अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व पुरानी खानें मानते हुए राजस्थान माइन्स विभाग उप सचिव, खान विभाग माइन्स जी. आर./2 ने अपने पत्र क्रमांक एफ 3/117/खान. जी. आर. II/86 दिनांक 3.2.87 राज्यादेश जारी हुए जिसमें टोडारायसिंह, आमली पुरानी खानें मानते हुए रेन्ट कम रायल्टी लीज जारी कर दी जावे। इसी संदर्भ में निदेशक, माइन्स विभाग ने एस. ई. वृत जयपुर को दिनांक 16.2.87 को मूर्त रूप दिये जाने हेतु आदेश 18.1.86 के अनुसार अन्डर टेकिंग लेकर स्वीकृति कार्यवाही शुरु करें व रेन्ट वसूली करें, तदनुसार खनन कार्य करने वाले श्रमिक निरन्तर अब तक रेन्ट कम रायल्टी की राशि जमा कराते आये हैं। इस बाबत एस. ई. खनिज विभाग के श्री जी. एल. व्यास ने ता. 21.3.90 को ए.ई.एन. खनिज विभाग टौंक को आदेश दिये थे कि लीज-डीड जारी की जावे।

इसी सन्दर्भ में 31.1.1986 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकार आदेश जारी करके वन क्षेत्र में आई खानों के पट्टों का भी नवीनीकरण कर सकती हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा था कि अब वन विभाग इन श्रमिकों को खनन कार्य के लिए रोक नहीं सकेगा। किन्तु कानून व राज्य सरकार के निर्णय व आदेश के बावजूद भी वन विभाग, राजस्थान अपनी हठधर्मी से श्रमिकों को खनन कार्य करने से रोक रहा है।

खनिज विभाग, टौंक इसी वर्ष 8 फरवरी, 1990 में नीलामी विज्ञप्ति जारी कर टोडारायसिंह, बीसलपुर, लाडपुरा की पट्टी, कातला, चेजा, पत्थर माइन्स के लिए ठेका वर्ष 1990-91 का 85,500/- रुपयों में 22.2.90 को अब्दुल गनी पुत्र अब्दुल रहमान, टौंक के नाम स्वीकार किया। रेन्ट कम रायल्टी निरन्तर राज्य कोष में श्रमिक जमा कराते आये हैं। फिर भी वन विभाग खनन कार्य में बाधा डालता है। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह माइन्स है वहां पर कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है तथा माइन्स की गहराई 50-60 फीट से लेकर सौ फीट तक है, सो पेड़ लगने का सवाल ही नहीं है। इन्हीं माइन्स के पास ही बीसलपुर प्रोजेक्ट का कार्य चला आ रहा है। प्रोजेक्टर के कार्य में आने वाला सम्पूर्ण पत्थर, मिट्टी उन्हीं माइन्स से निकलती है। राज्य सरकार की यह दोहरी नीति है कि प्रोजेक्ट को तो खनन कार्य से नहीं रोका जा रहा है तथा गरीब श्रमिकों को खनन कार्य से रोका जा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि उन गरीब श्रमिकों

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

की रोजी-रोटी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें खनन कार्य से नहीं रोका जावे। यह सब श्रमिक प्रोजेक्ट में डूब में आने वाले क्षेत्र के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रागपुरा कस्बे में एक नौजवान 18 वर्ष की कत्ल हुई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्थानीय थाना प्रभारी नथमलजी पारीक के व्यवहार से जनता रूष्ट हो गई। जनता ने राष्ट्रीय मार्ग को रोक लिया। यह स्वाभाविक था कि कत्ल पर जनता में जोश और रोष आया, जोश में कुछ लोग होश भी खो जाते हैं यह भी स्वाभाविक है। लेकिन ज्योंही मैं स्वयं वहां पहुंचा तो मेरे आग्रह से जनता ने आम रास्ता खोल दिया। इतने में एस. पी. मिस्टर खान पहुंच गये। हमारे समझाने बुझाने से पोस्टमार्टम करा दिया गया। जनता अपने-अपने घर चली गई। इसके बाद गुपचुप थाना प्रागपुरा के प्रभारी नथमलजी पारीक ने अपने निशाने से सैंकड़ों लोगों के नाम लिख कर धारा 186 का इस्तगासा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में किया। जो बड़ा ही अशोभनीय और अन्याय है। यह एक अमानवीय पक्षपात का व्यवहार करके ग्रामीण व शहरी मानवों का भेदभाव साफ प्रकट किया है। शहरों के नागरिक आये दिन आन्दोलन करते हैं, रास्ता रोकते हैं लेकिन कितने धारा 186 के इस्तगासे किये जाते हैं। किसी मामले की वजह से केवल ग्रामीणों को भयभीत करने, तंग करने, दण्ड दिलाने की साजिश की है। ऐसे थाना प्रभारी के किये हुए इस्तगासों को वापिस लेने के आदेश फरमावें ताकि ग्रामीण व शहरी नागरिकों को समान व्यवहार का आभास हो सके। यह भेदभाव व पक्षपात का रवैया न रहे। अब ही आज माननीय मुख्य मंत्रीजी आदेश देवें कि धारा 186 के इस्तगासों को, जो प्रागपुरा के भूतपूर्व प्रभारी ने अपनी बुरी नियत और पक्षपात से किये हैं, वापिस लिये जावें। यह भी सुनने में आया है कि, इस कत्ल में करीब एक, सवा लाख रुपये लेकर इस कत्ल को दबाया जा रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर यह इस्तगासा भी किया गया है। एक भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, करीब तीन महीने हो गये। बल्कि जिन लोगों ने इस रिश्वत को लेने, बीच में दलाली करने वालो का भण्डाफोड़ करना शुरू किया उनके ऊपर, उनको लक्ष्य बना कर और उनको डराने-धमकाने के लिए यह इस्तगासे किये हैं। यह पक्षपातपूर्ण रवैया, जो कि एक कत्ल को दबाने के लिए और रिश्वत को लेकर, कि कोई तरह का राज नहीं खुले, इसके लिए इस तरह का जो इस्तगासा किया गया है, इसके लिए राज्य सरकार आदेश दें कि वापिस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय से किसी योग्य व्यक्ति को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य मनोनीत किये जाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जुबेर खां)

अब तक यह परम्परा रही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सदस्य मुस्लिम समुदाय का रहता चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में मुस्लिम समुदाय से कोई सदस्य राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एवं अन्य स्टेट्स के सर्विस कमीशनों में भी मुस्लिम समुदाय के एक-एक सदस्य मौजूद हैं। केन्द्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत भी यह निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक सलेक्शन बोर्ड/कमीशन में मुस्लिम समुदाय से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अतः इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से यह मेरी मांग है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी एक योग्य मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मदन दिलावर : यह योग्यता के आधार पर होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बोल दिया, बोल दिया, जवाब आयेगा, सरकार जवाब देगी।

श्री जुबेर खां : मत मानो ना। हमारे कहने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के तहसील मुख्यालय/नगरपालिका, केशोराय पाटन में किस तरह से जमीन हड़पो अभियान के तहत भ्रष्टाचार किया गया है उसके विषय में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

महोदय, बून्दी जिले की नगरपालिका केशवराय पाटन द्वारा पिछले पांच वर्षों में वर्ष 1985 86 से 1989-90 तक जितनी भूमि आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ विक्रय की गयी है वह चाहे निर्धारित मापदण्डानुसार बोली लगाकर या अतिक्रमियों को नियमन के अनुसार दी गयी है। उसमें भारी अनियमिततायें बरती जाकर भ्रष्टाचार किया गया है—

1. चूंकि नगर केशवरायपाटन तहसील मुख्यालय है इसके दक्षिण-पूर्व में चम्बल नदी सदैव बहती रहती है इसलिये यहां आवासीय संकट है। इसके कारण कई आवश्यकता वाले गरीब एवं मजदूरों ने अतिक्रमण किया। राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1981 के अतिक्रमियों को निर्धारित मापदण्डानुसार राशि जमा करवाई जाकर उनका नियमन किया गया। इस तरह का क्षेत्र माम रोड है। इस क्षेत्र में किये गये नियमन में भारी अनियमितता बरती गयी है। कई व्यक्तियों ने सार्वजनिक एवं सामाजिक प्रयोजनार्थ भूमि लेने के नाम से स्वयं ही भूमि हपड़ ली। कई व्यक्तियों ने हाथों हाथ कब्जे कर नियम विरुद्ध नियमन करवा लिया। इस प्रकरण की कार्यवाही किसी भी सक्षम जिला अधिकारी के समक्ष नहीं करवाई गई। अतः मेरी मांग है कि पिछले पांच वर्षों में जितने भी नियमन किये गये हैं उनकी सूची, नाम, पिता, जाति, भूमि का प्रकार (प्रयोजनार्थ) राशि एवं क्षेत्र के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

नाम सहित वर्षवार बतायी जाय जिससे सारी स्थिति साफ हो सकेगी।

इस माम रोड पर 100 रुपया प्रति फीट की दर से भूखण्ड दिये गये थे। परन्तु कुछ व्यक्तियों को इससे भी कम ऐसा क्यों हुआ जबकि नियमन आदेश एक से थे।

2. इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी जिन भूखण्डों की बोली द्वारा आवंटन किया गया, इसमें भी बिना किसी अनुमति के किया गया है। नियमानुसार जिला कलक्टर एवं नगरपालिका प्रशासक की अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति प्रचार, प्रसार या ढोंडी आदि द्वारा जनता को जानकारी नहीं करवाकर की गयी। इसमें सबसे मंहगी दर जो शायद राजस्थान के कई नगरों में भी मुश्किल मे होगी 550/- रु. प्रति वर्गफीट रही है. वही कुछ बहुत ही कम दरों पर। इस प्रकार मनमानी की गयी है।

अत: मेरी मांग है कि बिना स्वीकृति एवं प्रचार प्रसार के गुपचुप नाम मात्र की बोली की औपचारिकता कर भूमि हड़पी है। इसकी पूरी रिपोर्ट वर्षवार नाम, पिता, जाति, क्षेत्र, दर, राशि सहित दी जाय तो स्थिति साफ हो जायेगी।

अत: मैं अपने इस 295 के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाकर पालिका को क्षति पहुंचाने वालों को दण्डित किया जाये एवं नियम विरुद्ध हड़पी जमीन को खारिज किया जाये।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह डाक से भिजवा दिया करें तो कैसा रहेगा उपस्थिति कितनी सी रह गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम आपने और हम ने ही बनाए हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोगों ने जमीनें ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका अंकित तो होगा नहीं जो पढ़ा है वही रिकार्ड होगा इसलिए बोलने से कोई फायदा नहीं। श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा विधान सभा दस्यु प्रभावित क्षेत्र को आर्म्स लाइसेंस देने बाबत।

महोदय, सपोटरा विधान सभा क्षेत्र डांग का व दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आये दिन डकैतियां होती रहती हैं जनता की सुरक्षा व्यवस्था करने में सरकार व पुलिस असफल रहती है। डकैतों से मुकाबला करने के लिये जनता के पास कोई हथियार नहीं है कुछ पुरानी टोपीदार बन्दूकें जनता के पास थीं उनको भी जमा करा लिया गया है। ऐसी सूरत में बदमाशों द्वारा बिना परेशानी उठाये ही लूट लिया जाता है।

अत: इस दस्यु प्रभावित क्षेत्र में जनता को खुद रक्षा करने के लिये प्रति गांव में अच्छे व योग्य व्यक्तियों को पांच-पांच 12 बोर व 15 बोर आर्म्स लाइसेंस दिलवायें जिनसे बदमाशों का मुकाबला किया जा सके तथा जनता अपना सुरक्षित जीवन यापन कर सके।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

अतः जनता की इस सुरक्षा व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुये लाइसेंस प्रक्रिया को आसान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस देकर आम जनता को अहसानमन्द करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री डूंगरराम पंवार : रायफल लेकर उस गिरोह में शामिल हो जाओ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं:—

1. श्रीगंगानगर जिले में पुलिस की मिलीभगत के कारण जुआ और सट्टा चल रहा है। उसमें थाने के इन्चार्ज को महीने के दस हजार रुपये मिलते हैं कम से कम और इससे ज्यादा भी लेता है यह मामला बहुत ही गम्भीर है। हजारों घर इस जुए और सट्टे से उजड़ गये हैं और मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस कुरीति को खत्म करने के लिए पुलिस के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके जिले में जुआ और सट्टा तुरन्त बन्द करवाया जावे।

2. राजस्थान में किसानों की फसल प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाती है। राज्य सरकार की तरफ से किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती है जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब में किसानों को सरकार मुआवजा देती है राजस्थान में भी हरियाणा और पंजाब की तरह किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा यह निवेदन राज्य सरकार से है।

3. गंगानगर जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों ने तहलका मचा रखा है। जितने भी ट्यूबवैलों के कनेक्शन हुए हैं उनमें 80 प्रतिशत कनेक्शनों में ए.ई.एन. व एक्स. ई.एन. तथा जे.ई.एन. ने पैसे लेकर किये हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार-पांच माह में जितने भी ट्यूबवैलों के कनेक्शन हुए हैं उनमें ए.ई.एन. व एक्स.ई.एन. व जे.ई.एन. ने दस हजार रुपये लेकर व पन्द्रह हजार रुपये तक की रिश्वत ली है इसके अलावा गांवों में घरों के कनेक्शन बिना पैसे के नहीं देते हैं जो व्यक्ति पैसा नहीं देता है उसके लिए कानूनी दीवार खड़ी करके दो-दो हजार रुपये के डिमाण्ड नोटिस निकाल दिये जाते हैं आखिर में तंग आकर रिश्वत देनी ही पड़ती है जो व्यक्ति पैसे दे देता है उसके लिए कोई कानून नहीं, कानूनी दीवार तोड़कर कनेक्शन दे दिये जाते हैं। मैंने एक्स. ई.एन. व ए.ई.एन की जांच करने के लिए ऊर्जा मंत्री महोदय व मुख्यमंत्री महोदय को लिखित में दिया है परन्तु अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस लूट को बन्द करने के लिये कड़े से कड़े कदम राज्य सरकार को उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

4. इसके अलावा हमारे जिले में एक और प्रथा है तहसीलों में हम चाहे किसी भी तरह की रजिस्ट्री करवाने के लिए जायें तो डेढ़ पर्सेण्ट के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है। यह पूरे जिले की समस्या है अगर कोई

(श्री रामप्रताप कासनिया)

व्यक्ति पैसे देने को तैयार नहीं होता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो तो कम स्टाम्प ड्यूटी के बहाने से सब रजिस्ट्रार महोदय मुकर जाते हैं। यह काम पिछले काफी टाइम से चल रहा है और लोग यह महसूस करने लगे हैं कि यह डेढ़ पर्सेण्ट की रिश्वत ली जाती है यह रिश्वत न होकर एक किस्म का सरकारी कर हो गया है। इस कुप्रथा को बन्द करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरा यह निवेदन है।

5. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग की तरफ से जितना भी निर्माण कार्य हुआ है। उन सब में घटिया किस्म की ईंटें व सीमेण्ट लगने के कारण सारी की सारी स्कीमें निर्माण होने के तुरन्त बाद नष्ट हो जाती हैं। कहीं पर फिल्टर चालू नहीं कहीं कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 90 प्रतिशत स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। पैसे खर्च हो चुके हैं इसके अलावा मेरे गांव व जाखड़ों वाली के नाम से पैसे मंजूर हुए उसमें पीलीबंगा में खर्च कर दिये एक ही गांव में अलग-अलग चकों के नाम से पैसे मंजूर कराके बिना ही मतलब रुपये खर्च कर दिये जाते हैं।

6. सूरतगढ़ तहसील के दस-बारह गांव ऐसे हैं जिनका रकबा तो आर.सी.पी. में है परन्तु मौके पर पानी नहीं लगता है और ना ही कोई पानी लगने की सम्भावना है। मेरी जानकारी के हिसाब से जो मुख्य गांव हैं वे इस प्रकार से हैं - 1. कुंभगढ़, 2. श्योनाथपुरा, 3. इन्दोर, 4. फरीदसर, 5. ठुकराना, 6. कालूसर, 7. ऐटा, 8. सूरतगढ़ कस्बा, 9. ढाडियां वाली, 10. टिलानियां, 11. कीरतनपुरा इसके अलावा कई गांवों में आधे रकबे में पानी नहीं लगता है आधा रकबा खसरों में है उसमें पानी नहीं लगता। गांवों के नाम 1. उदयपुर गोदारान 2. उदयपुर बास उदासर 3 चक सादाणी 4. मोकलसर 5. पींपासर 6. राइयांवाली 7. सोमासर 8. ठेठार 9. कानोर 10. जैसा भट्टी 11. लालगढिया इसके अलावा इन गांवों की बारानी भूमि पर 1रु. बीघा मालकाना लगता है उसको बन्द किया जाये और उपरोक्त गांवों की भूमि को या तो सरकार पानी दे अन्यथा इन गांवों की भूमि को आर. सी. पी. से बाहर करके लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू किया जावे ताकि किसान अपने हकों से महरूम न हो। इन गांवों के साथ सौतेला सा व्यवहार हो रहा है। पानी लगता ही नहीं है और नियम इन पर जो लागू हैं वो पानी वाली भूमि के हिसाब से लागू हैं जो सरासर अन्याय है।

7. सूरतगढ़ तहसील में छावनी विस्तार हेतु भूमि अवाप्त की गयी है जिनमें ज्यादातर किसानों की जमीनों का फैसला भी अभी तक नहीं हुआ है। बालिग पुत्रों की मिसलें चल रही है व रिमाण्ड आदि मामलात चल रहे हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि किसानों की जमीन अवाप्ति से पहले इनके हकों को निर्णीत किया जावे और मौके पर जमीन के जो भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से मुआवजा दिया जावे व इन किसानों को बदले में कीमत लगा कर सरकार जमीन मुहैय्या करावे ताकि किसान अपना पेट भर सके। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के शाहबाद कस्बे में 9.2.90

(श्री हेमराज मीणा)

को 4 वर्षीय बालक डिम्पल नामदेव को 3 बजे करीबन अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गये। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 9.2.90 को 7.30 पी.एम. को कराई गई। गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों ने व उसके परिवार वालों ने लगातार तलाश जारी कर दी। उसके पिता श्री प्रकाश नामदेव एडवोकेट व उसके परिवार वाले चार दिन तक लगातार ढूंढते रहे।

दिनांक 13.2.90 को यही गुमशुदा बालक डिम्पल शाहबाद में ही फरियादी के मकान से एक फर्लांग दूरी पर स्थित राम-द्वारे वाले कुएं में 10.30 बजे दिन में मृत पाया गया, जबकि कुएं में पहले ढूंढ चुके थे। मृत पाये जाने पर एक रिपोर्ट पुलिस थाना शाहबाद में इस दिन दर्ज करवाई, जिस पर इल्जाम संख्या 8/90 दर्ज कर 302 आई.पी.सी. में जांच शुरू की गयी। दिनांक 9.2.90 से दिनांक 13.2.90 तक शाहबाद डी वाई. एस.पी. व थानाधिकारी ने कार्यवाही नहीं की।

13.2.90 को घटना स्थल पर डाक्टर हरीश मेहता चिकित्सा प्रभारी केलवाड़ा ने शव का पोस्टमार्टम किया। डाक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट 17.2.90 को डी.वाई. एस.पी. शाहबाद के पास पहुंचाई। तत्कालीन डी.वाई. एस.पी. शाहबाद व डाक्टर हरीश मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाया है। मेडिकल बोर्ड बिठाने के लिए सी.एम.एच.ओ., कोटा को 25.3.90 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर भी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने कोई निर्देश नहीं दिये। पुलिस के अधिकारियों ने भी इस रिपोर्ट को संदेहात्मक माना है।

13.2.90 को शाहबाद उप जिला कलक्टर को भी ज्ञापन दिया गया। उप जिला कलक्टर ने पत्र क्रमांक 1792-96 दिनांक 13.2.90 द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। 17.4.90 को एस.पी. (ग्रामीण) कन्हैयालाल बैरवा शाहबाद गये। उन्होंने इस मामले को योजनाबद्ध हत्या का षड्यंत्र स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ने कहा, डाक्टर ने हत्या के तथ्यों को छिपाया, उसके कपड़े व गूदड़ी खून से सन रही थी। एस डी.एम. शाहबाद ने भी उच्च अधिकारियों को लिखा है। पुलिस के अधिकारी भी इस मामले को हत्या का मान रहे हैं। उसके बाद भी किसी मुल्जिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है। उसका जवाब भी मुझे प्राप्त हुआ है। परन्तु कोटा जिले के पुलिस अधिकारियों के जूं भी नहीं रेंगी है। मैं इस केस की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करता हूं।

(1) क्या इल्जाम नं. 8/90 की जांच उच्च अधिकारियों से कराई जावेगी ?

(2) क्या उप अधीक्षक पुलिस शाहबाद व डाक्टर हरीश मेहता दोनों ने मिलकर तथ्यों को छिपाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

(3) जब एस.पी. ग्रामीण ने हत्या के षड्यंत्र को स्वीकार किया है तो अभी तक मुल्जिम को क्यों नहीं गिरफ्तार किया ?

(4) एस. पी. (ग्रामीण) कोटा व एस.

(श्री हेमराज मीणा)

पी. बारां कितनी बार इल्जाम नं. 8/90 की जांच करने गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जायेगी ? पता नहीं।

कोमल बच्चे की हत्या की गई, अपराधी पकड़े नहीं जाने से जनता में भयकर असंतोष है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी, शाहबाद के अन्दर एक बहुत बड़ा हत्याकाण्ड जो हुआ है, पिछले 8 माह से पुलिस की निष्क्रियता के कारण से न मुल्जिम पकड़े गये, न इसकी ठीक प्रकार से जांच हुई। मैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आगे अंकित न हो।

श्री हेमराज मीणा : × × ×

श्री मदन दिलावर : उसका खून बह रहा था। सही जांच करायी जाये। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, डाक्टर ने तथ्यों को छिपाया है, डी वाई. एस.पी. ने संरक्षण दिया है इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच कराई जाये।

श्री लालचन्द डूडी : डाक्टर और अधीक्षक के खिलाफ कब जांच होगी कृपया हमको बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य (करौली) में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का विगत 2-3 वर्षों से निरन्तर उल्लंघन किया जाकर वन अधिकारियों की सांठगांठ से लाखों रुपये मूल्य की वन सम्पदा नष्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र में कानूनन खनन कार्य करना निषेध है, परन्तु वर्तमान में धड़ल्ले से इस अभ्यारण्य के पूर्व जोन में दर्जनों पत्थर की खानें चल रही हैं। यह खानें सम्बन्धित रेंजरों तथा फोरेस्टरों द्वारा रिश्वत लेकर चलाई जा रही हैं। पूर्व में इस अभ्यारण्य में बनने वाली कैलादेवी-करणपुर पी.डब्ल्यू डी. रोड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, पत्थर तथा डामर की जलाई के लिए काटे गये हजारों वृक्षों से हुए नुकसान की जांच करके जनवरी, 1989 में तत्कालीन सहायक वन संरक्षक (वन्य जीव) ने सम्बन्धित पी.डब्ल्यू डी. के ठेकेदार पर करीब 5 लाख रुपये के नुकसान का दावा भी किया गया था। इस नुकसान की भरपाई के लिए आज तक करौली के डी.एफ.ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार की वनों की संरक्षण नीति को पलीता लगाने की दिशा में कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य के पूर्व जोन का स्टाफ धड़ल्ले से इस क्षेत्र में रिश्वत लेकर अवैध खनन कार्य करवा रहा है।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वह तत्काल ही निदेशक, (सतर्कता) वन विभाग को मौके पर भेजकर इस अभ्यारण्य में चलने वाली खानों को बन्द करवाकर दोषी स्टाफ के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करे। इस इलाके में वनों के विनाश के लिए स्वयं

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

वन विभाग का स्टाफ जिम्मेदार है। कैला-देवी अभ्यारण्य में तैनात रेंजर अपने को सम्बन्धित मंत्री का रिश्तेदार कहता है। अतः आज की वार्ता को स्थगित कर मुझे अविलम्ब इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। मेरी मांग थी, उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिया जाये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बस्सी विधान सभा क्षेत्र में गलत आवंटन होने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विभिन्न ग्रामों में पिछले तीन सालों में 1214 व्यक्तियों को हजारों बीघा जमीन का आवंटन हुआ है। वह भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति और भूमिहीन व्यक्तियों–काश्तकारों के आवेदन पत्र होने के बावजूद ऐसे व्यक्तियों को अलाट की गयी है जो सरकारी सेवा में उच्च पदों पर आसीन हैं तथा अलाटमेण्ट कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे 50 पर्सेण्ट से भी ज्यादा लोग हैं जो वहां के निवासी नहीं हैं। यह भूमि राजकीय सेवा के कर्मचारियों को अलाट की गयी है अलाटमेण्ट कमेटी के सदस्यों के परिवारों को ही अलाट की गयी है। एक व्यक्ति को चार-चार नामों से भूमि अलाट की गयी है। इस मामले की जांच करने हेतु जनता ने बार-बार पिछली सरकार के मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र भी दिये, परन्तु भूमि सभी सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को अलाट होने के कारण मामला दबा दिया गया। नियम 295 के अन्तर्गत मामला उठाया जाकर निवेदन है कि जिन व्यक्तियों को यह भूमि अलाट की गयी है वे व्यक्ति यहां हैं भी या नहीं, यही नहीं पता। ऐसे व्यक्तियों के नाम से अलाटमेण्ट तो कर दिया गया लेकिन वह व्यक्ति वहां हैं ही नहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों के मूल स्थान का पता लगाया जाय कि उस नाम के व्यक्ति यहां रहते भी हैं या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र जे.डी.ए. की परिधि में आता है, जहां अलाटमेण्ट जे.डी.ए. की एन.ओ.सी. के बिना नहीं होता। ऐसी जगह 1214 व्यक्तियों को 1987-88 से लेकर आज तक जो अलाटमेंट हुआ है, उसकी जांच चल रही थी, लेकिन अब उसको दबा दिया गया है। यह हजारों बीघा जमीन करोड़ों की है और जयपुर नगर की दस किलोमीटर की परिधि में आती है। इसकी जांच करायी जाय और जिन गलत व्यक्तियों को अलाटमेण्ट हुआ है उसको निरस्त फर्माया जाय। वहां के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति और भूमिहीन व्यक्ति उस भूमि पर काबिज हैं। जिन व्यक्तियों को अलाटमेण्ट हुआ है उनको यह भी पता नहीं है कि हमारी भूमि वहां है या नहीं, और है तो किस जगह अलाट हुई है। उनको खाली अलाटमेण्ट लैटर दे दिया गया है। आज की तारीख में वहां अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति एवं भूमिहीन व्यक्ति काबिज हैं। इसलिए कब्जाशुदा व्यक्तियों को अलाटमेंट

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

किया जाय और जिन गलत व्यक्तियों को अलाटमेण्ट हुआ है वह निरस्त फर्माया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात के लिए जब मेरा नाम पुकारा तो माननीय मुख्य मंत्री जी और कई मंत्रीगण उसको मजाक के रूप में ले रहे थे। मुझे बड़ा खेद है कि मर्यादाओं के मामले को मुख्य मंत्री जी और यह सरकार मजाक के रूप में लें। बड़े दुःख की बात है। राम और रावण में क्या फर्क था? मर्यादाओं का फर्क था। कौरव और पाण्डवों में क्या फर्क था? मर्यादाओं का फर्क था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 295 से कहां पहुंच गये आप?

श्री रामकिशन : प्रेक्टिस की बजाय, डाक्टर साहब, कथा बांचने लग गये क्या?

श्री हरिसिंह : कथा का जिम्मा तो पण्डित जी, आपका है, लेकिन आजकल कलियुग में शायद हमारा भी नम्बर आ जाय।

श्री रामकिशन : इसीलिए खतरा था कि एक ही तो धन्धा था।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष जी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत सदन की जानकारी में मैं निम्न तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, इस महान उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए केन्द्र सरकार ने रविवार को पैट्रोल पम्प बन्द रखने का निश्चय किया। इस निश्चय के प्रति मतभेद के बावजूद, बहुत महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता के महान संकल्प की पूर्ति के लिए सारे देश ने अपने लिए केवल राज्यादेश का नियन्त्रण ही नहीं, आत्म नियन्त्रण के रूप में स्वीकार किया। किन्तु इस महान संकल्प को भग करने का अपराध राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने किया है और इस अपराध को करने में राज्य की पुलिस ने भी अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है। राज्य के मुख्य मंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, ने इस सम्बन्ध में अपने मंत्री को इस आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित नहीं किया अपितु उसे अपने मंत्रिमण्डल में बनाये रखा। इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य सरकार विशेष तौर पर पुलिस विभाग इस आपराधिक कृत्य में भागीदार है और वे देश की सरकार और देशवासियों के इस संकल्प में जहर घोलने के अपराधी भी हैं। राजस्थान सरकार, उसके मुख्य मंत्री और दोषी मंत्री इसके जिम्मेदार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले इतवार को मेरे पास टेलीफोन आया राजधानी क्लिनिक से, जहां मैं सर्जरी करता हूं कि एक भयंकर एक्सीडेण्ट है, मेरे को पांच मिनट में पहुंचना चाहिए। मेरी गाड़ी में पैट्रोल नहीं था। मैं डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर और फिर रिक्शा पकड़कर राजधानी क्लिनिक पहुंचा। मैं अगर किसी भी पैट्रोल पम्प को खुलवाता और यह अपराध करता तो क्या यह पुलिस मेरे को गिरफ्तार नहीं करती? यह सरकार मेरे को कानून तोड़ने की सजा नहीं देती? सवाल मर्यादाओं का

(श्री हरिसिंह)

है। पुलिस को बुलाकर पैट्रोल पम्प खुलवाया गया। यह सरकार मर्यादाओं का और क्या कहूं, वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, उधर हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं। उप प्रधान मंत्री जी वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स तो खैर नहीं कहते +++ लेकिन जो वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स की सरकार है वह अगर इस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि इनकी कथनी और करनी क्या है। उसमें फर्क नहीं समझेंगे।

श्री सम्पत सिंह : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री हरिसिंह : सवाल पैट्रोल का नहीं है। छोटी-सी चीज पर महाभारत हो गया। सीता को रावण हरकर ले गया था, रोजाना औरतें भगायी जाती हैं, रामायण तो रची नहीं जाती? सवाल मर्यादाओं का है। सवाल यह राज्य सरकार का है, सवाल यह देश की सरकार का है।

श्री सम्पत सिंह : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, डाक्टर साहब, पाइण्ट आफ आर्डर आ गया आप पर।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि +++ यह निकाला जाय कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल देंगे।

श्री हरिसिंह : यह असंसदीय नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं?

श्री हरिसिंह : मेहम में तोड़ चुके हैं, वे तो सब जगह तोड़ चुके हैं।

श्री सम्पत सिंह : एट रेण्डम आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? वह तो रायबरेली में क्या हुआ और दूसरी जगह क्या हुआ, फिर हम भी निवेदन करेंगे।

श्री हरिसिंह : आप उनको डिफैन्ड करते जाइये, वह तो तोड़ते ही जायेंगे, क्योंकि उनकी तोड़ने की आदत है।

श्री सम्पत सिंह : लेकिन यह ठीक नहीं होगा। नेशनल लीडर्स पर अगर यूं सरकास्ट करने लगे तो फिर तो बुरी बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं बोलना चाहिए। श्री गोपीराम चौधरी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आमेर विधान सभा क्षेत्र के कूकस गांव में वन विभाग व बांध की जमीन पर नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूं। मान्यवर, दिल्ली रोड पर स्थित ग्राम कूकस में सरकारी जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है तथा अब भी कब्जा करने का क्रम जारी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी पूर्व में विधान सभा में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कब्जे हटाने का प्रयास नहीं किया। कुछ दिन पूर्व

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गोपीराम जाट)

एस.डी.एम. आमेर ने वहां पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, लेकिन अतिक्रमियों ने फिर भी अपने कब्जे करने का अभियान जारी कर रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कूकस बांध मे आमेर तहसील की बिलोची, छापराड़ी, काट, बगावान आदि कई पंचायतों का वर्षा का पानी आता है। अतिक्रमियों ने नदी क्षेत्र में कब्जा कर रखा है, नदी के बहाव में दीवारें बना रखी हैं तथा नदी में मिट्टी भरकर पानी की दिशा बदलने का प्रयास किया है। इससे वहां अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों में पानी भरने व उनकी जमीन बहने का अंदेशा है। कभी भी भारी वर्षा आने पर कूकस गांव में पानी आने का भय बना हुआ है तथा ग्रामवासियों को मकान बहने तथा भारी नुकसान होने का अंदेशा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इस गिरोह ने खरीद रखा है। इन अतिक्रमियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही नहीं हुई तो अतिक्रमियों का साहस बढ़ेगा। क्षेत्र में बिन्दायका, कायडियावास, नांगल पुरोहितान, सेवापुरा में लूणियावास, रामपुरा डाबड़ी आदि अनेक पंचायतों में गोचर भूमि पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनका साहस और बढ़ेगा और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिला नागौर में नील गायों का प्रभाव प्रचण्ड मात्रा में फैल रहा है। हजारों की तादाद में गायें खुली खेतों में घूम रही है जिससे खरीफ व रबी की फसल को चौपट कर देती है तथा काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 20-20 के झुंड में घूमती हैं तथा काश्तकारों की खड़ी फसल में घुसकर फसल को साफ कर देती हैं। रबी की फसल के समय तो काश्तकारों को रात्रि को भी जागना पड़ता है और रखवाली करनी पड़ती है। फिर भी फसल को खा जाती हैं। मेरा मानना है कि अजमेर जिले में किशनगढ़ व पुष्कर क्षेत्र में भी इनका हजारों की तादाद में फैलाव है। इस सम्बन्ध में काश्तकारों ने माननीय उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी के रूपनगढ़ प्रवास के दौरान एक ज्ञापन भी दिया था। अगर इन नील गायों की रोकथाम के उपाय सरकार ने नहीं किए तो काश्तकारों का जीना दूभर हो जायेगा। काश्तकारों को अपने जीवन-यापन के लिए फसल से हाथ धोना पड़ेगा। नील गायों के नुकसान से जिला नागौर व अजमेर के काश्तकारों में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः मैं वन मंत्री जी से इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन में ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि इन नील गायों की रोकथाम के लिये इन गायों को पकड़ कर किसी घने जंगल में छोड़ने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : इस उल्लेख का कोई महत्व है ही नहीं। यहां मंत्री जी हैं ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो सूचना दी वो कृषि मंत्री जी तक पहुंच गई और आप जो बोल रहे हैं....(व्यवधान) नहीं, नहीं। यह बहुत गम्भीर मामला है और आपने जो प्रस्ताव दिए वे निश्चित तौर पर मंत्री जी तक पहुंच गए। इस पर कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों का बाहुल्य है। वहां के नागरिकों की आजीविका का मुख्य धन्धा कृषि कार्य है। यहां की कृषि केवल वर्षा पर निर्भर करती है। क्योंकि यहां पर कृषि योग्य भूमि के पूरे क्षेत्र में से अभी तक केवल एक चौथाई भाग में ही चम्बल की नहरों से सिंचाई होती है तथा तीन चौथाई हिस्सा केवल वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा कम होने तथा अनावृष्टि से इस क्षेत्र का अधिकांश भाग हमेशा अकाल की चपेट में रहता है। और भी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस क्षेत्र का कृषि योग्य भूमि का आधा भाग चम्बल सिंचित क्षेत्र में आता है। लेकिन चम्बल सिंचित क्षेत्र के भी केवल आधे भाग में ही सिंचाई होती है तथा आधा भाग असिंचित रहता है। इस प्रकार क्षेत्र का केवल एक चौथाई भाग ही चम्बल की नहरों से सिंचित होता है।

पीपल्दा क्षेत्र का जो तीन चौथाई भाग कृषि योग्य है तथा जिसमें चम्बल की नहरों से पानी नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र में नदियों के पानी को लिफ्ट करके सिंचाई की जा सकती है। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र नदियों की दृष्टि से एक छोटा पंजाब है जहां पर पांच नदियां हैं - चम्बल, पार्वती, काली सिंध, व्याकन तथा खाड़ी, जिनमें बारह महीने पर्याप्त पानी बहता है। इस पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकता है। यदि पीपल्दा क्षेत्र में बहने वाली नदियों के पानी को लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बना कर सिंचाई हेतु उपयोग किया जाय तो उस सूखी भूमि को सरसब्ज किया जा सकता है, क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली लाई जा सकती है तथा हर वर्ष पड़ने वाले अकाल से जनता को राहत दी जा सकती है।

इस हेतु निम्न स्थानों का लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु सर्वे कराकर लिफ्ट की योजनाएं जनहित में स्वीकृत की जानी अत्यन्त आवश्यक है। ये स्थान हैं -- काली सिंध नदी पर नलखता तथा नोनेरा के पास चम्बल नदी पर हवा खेडली, कीरपुरा, ककरावदा, रामगंज, डोबरली, नयागांव, केथोदा तथा पार्वती नदी पर फूसाद, शहनावदा, मीठोद खाडी पर पटपडा के पास तथा व्याकन नदी पर बाबई, पापड़ा आदि स्थानों पर तथा चम्बल की दांई मुख्य नहर पर रकसपुरा गांव के पास हिंगोनिया पंचायत के लिए।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जनहित में उक्त नदियों पर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई जाकर, स्वीकृत की जाकर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की जाय। इस प्रस्ताव के माध्यम से यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का

(श्री कालीचरण सराफ)

ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये सूरजपोल नागतलाई कच्ची बस्ती में 1981 के जो सर्वेधारी हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं राज्य सरकार के उपक्रम जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के सूरजपोल नागतलाई कच्ची बस्ती के वर्ष 1981 के ई. डब्ल्यू. एस. क्वार्टर्स के पीड़ित निवासियों के साथ की गई दोहरी नीति (डवलपमेंट राशि) की ओर सदन का ध्यानाकर्षित कर जनहित में यह मामला उठाना चाहता हूं।

राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी वर्ष के स्वीकृत सर्वेधारी चाहे वे किसी भी कच्ची बस्ती के निवासी हों, उस बस्ती को बसाने की पूर्ण डवलपमेंट राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाती रही है एवं....

श्री सम्पत सिंह : राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस तरह से पढ़ रहे हैं। हमारे देश का क्या होगा।

श्री कालीचरण सराफ : टाइप गड़बड़ है।

श्री सम्पत सिंह : टाइप बढ़िया करानी चाहिए थी, हमारा राज है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : राज वालों की टाइप खराब है तो हमारा क्या होगा? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : तदनुसार प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर की कई कच्ची बस्तियों का विकास किया गया है। (व्यवधान) इस संबंध में, मेरे एक जुलाई, 89 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में प्राधिकरण ने स्पष्ट उत्तर दिया हुआ है कि सूरजपोल नागतलाई के वर्ष 1981 के 177 स्वीकृत सर्वेधारियों को बसाने का डवलपमेंट खर्चा स्वयं प्राधिकरण खर्च करेगा।

राज्य सरकार की नीति है कि कच्ची बस्ती के निवासियों को उनकी आय के अनुसार न्यूनतम 5/- रुपये वर्ग गज एवं अधिकतम 10/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि उपलब्ध करायेगी, एवं तदनुसार मूलभूत सुविधाएं स्वयं राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही हैं।

यहां प्राधिकरण ने दोहरी चाल यह चली कि सूरजपोल नागतलाई के वर्ष 1981 के 109 परिवारों से 4,500/- रुपये डवलपमेंट राशि के रूप में वसूल किये जबकि हुडको से प्रति क्वार्टर 15,000/- रुपये सिर्फ निर्माण लागत के लिये गये थे। हुडको संस्थान ने आर्थिक दृष्टि से इन कमजोर वर्ग हेतु ई. डब्ल्यू. एस. मकान बनाने हेतु 15,000/ रुपये दिये थे, मगर प्राधिकरण ने सिर्फ मकान लागत में 10,500/- रुपये खर्च किये, जिसे वे स्वयं मानते हैं।

दूसरी ओर इसी बस्ती के वर्ष 1981 के शेष 66 लोगों को प्राधिकरण ने सिर्फ 250 से 300 रुपये में 50 वर्ग गज में जमीन उपलब्ध कराते हुए वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जो सुविधाएं इन क्वार्टर्स निवासियों को उपलब्ध कराई गई हैं।

कच्ची बस्ती निवासी जहां मकान लेता

(श्री कालीचरण सराफ)

है तो उससे वास्तव में मकान की लागत व्यय एवं उस पर लगने वाला ब्याज जोड़कर किश्तों में राशि ली जानी चाहिए परन्तु प्राधिकरण ने इन 109 परिवारों के मकानों हेतु उपलब्ध राशि को अपने ही स्तर पर कम कर डवलपमेंट में खर्च कर दिये।

यह एक नीति निर्धारण का मामला है। जब कच्ची बस्ती क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास व्यय राज्य सरकार करती आ रही है तो इन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ प्राधिकरण ने दोहरी नीति कैसे चली ?

इसी बस्ती के इनके साथ के लोगों से सिर्फ 250/– ही लिये जा रहे हैं, अतः नीति विषयक मामला यह बनता है कि समान नीति अपनाकर प्राधिकरण को उक्त हुडको क्वार्टर्स निवासियों की किश्तों को उपरोक्त राशि 4,500/- रुपये एवं उसका ब्याज घटाकर नये सिरे से किश्तें तय की जाए।

प्राधिकरण/राज्य सरकार वर्तमान मूलभूत सुविधाएं कच्ची बस्ती क्षेत्र के निवासियों को नि.शुल्क उपलब्ध कराती है, जैसे रोड, पानी, विद्युत, तो फिर इनसे इस प्रकार प्रति निवासी 4,500/– रुपये जो वसूल किये जा रहे हैं उसे स्थगित करते हुए नये सिरे से किश्तें तय की जाए।

अतः प्राधिकरण को राज्य सरकार की नीति की स्पष्ट पालना कराने हेतु एवं इन गरीब व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार का इस विशेष उल्लेख के द्वारा ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सदन में निम्न जानकारी प्रस्तुत कर यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में यातायात सुविधाओं का काफी अभाव है। निम्बाहेड़ा-बांसवाड़ा वाया छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ मार्ग पर राज्य परिवहन की सेवा नगण्य है, केवल दो बसें बाबाड़ा तक आती जाती है जबकि जिला चिकित्साधिकारी, जिला सैशन कोर्ट व जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिशासी अभियन्ता भी वहीं बैठते हैं। छोटी सादड़ी-नीमच मार्ग पर वर्तमान में निम्न प्रकार के परमिट जारी हैं :-

राजस्थान सरकार	2 परमिट
मध्य-प्रदेश परिवहन	1 परमिट

नीमच प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है जहां छोटी सादड़ी क्षेत्र का किसान वर्ग एवं व्यापारी पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यह व्यवस्था बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में केवल एक चौथाई है, अतः उपरोक्त परमिटों की संख्या को दुगुना किये बिना कोई राहत नहीं पहुंचाई जा सकती है। अतः छोटी सादड़ी-नीमच मार्ग पर बसों के परमिट जारी किये जायं, राज्य परिवहन की बसें चलायी जायं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

निम्बाहेड़ा-उदयपुर मार्ग पर केवल एक बस सुबह जाती है व एक बस दोपहर में आती है। निम्बाहेड़ा के नागरिकों के लिये अच्छी चिकित्सा सुविधा व्यवस्था उदयपुर में है। सैल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, देवस्थान विभाग शिक्षा विभाग, रेवेन्यू अपीलेन्ट कोर्ट भी उदयपुर में है। अतः निम्बाहेड़ा से उदयपुर मार्ग पर प्रातःकाल 4 बसें तथा सायकाल 2 बसें चलाया जाना अति आवश्यक है।

निम्बाहेड़ा में जे. के. सीमेण्ट फैक्टरी है, पत्थर की बहुत बड़ी मण्डी है व कृषि उपज मण्डी भी काफी अच्छी है। अतः निम्बाहेड़ा-जयपुर, निम्बाहेड़-अहमदाबाद, निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर बसें चलाया जाना अति आवश्यक है।

निम्बाहेड़ा नगर अनेक कस्बों व शहरों को जाने वाले मार्गों का संगम है। नगर की आबादी को देखते हुए पथ परिवहन निगम डिपो निम्बाहेड़ा में होना चाहिये लेकिन बस स्टेण्ड भी नहीं, जिससे बसों की प्रतीक्षा में सड़क पर खड़े रहना पड़ता है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वर्तमान में बसों के खड़े करने का स्थान रेलवे स्टेशन के नजदीक स्टेट हाइवे पर स्थित है तथा बड़ी रेल लाइन शुरू होने के बाद स्थिति और विकट हो जायेगी। अतः भारी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में राजस्थान परिवहन निगम का डिपो या बस स्टेण्ड व प्रतीक्षालय का शीघ्र निर्माण करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 के तहत पंचायत राज व्यवस्था पर पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पंच परमेश्वर कहलाते हैं। यह बात कैसे चरितार्थ हो इसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। राजा का मुख्य कार्य समाज को भय मुक्त करना होता है, कि जिस गरीब की हम आर्थिक मदद करते हैं कहीं उसका शोषण तो नहीं हो रहा। लेकिन आज के युग में पचायतों के सरपंचों के पास ठेकेदारी प्रथा पनपती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं सरपंच केवल ठेकेदार ही न रह जायं। इसके लिये हमें कुछ उपाय करने चाहिए। प्रथम बात है कि प्रत्येक पंचायत में सचिव हो। ग्राम सभा की बैठक हर 6 माह में होवे या कम से कम साल भर में एक बार ग्राम सभा हो। वह सर्वोपरि हो। ग्राम अनुसार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य रखे जायं। ग्राम सभा में बी.डी.ओ., तहसीलदार और हो सके तो एस.डी.ओ. भी जावे तथा उसकी प्रतिलिपि से, जगह अनुसार काम करवाए जाएं। अन्त्योदय का चयन भी ग्रामवार हो, ग्राम के बीच में से हो। विकास की योजना भी बीच में से बननी चाहिए।

पंचायत की बैठक कम से कम 15 दिन में अवश्य होनी चाहिए। उसमें पटवारी, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पंचायत समिति का कोई प्रसार अधिकारी अवश्य जावे। इस पर पूरा ध्यान दिया जावे।

पंचायतों को ग्रामों के प्रशासनिक कार्यों के प्रति सजग किया जावे, न्याय पंचायत के अधिकार पंचायत को अवश्य मिले और रास्ता, मकानों के विवाद और चरागाह

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

आदि के झगड़ों का निपटारा वहीं पर हो।

अब विकास कार्यों में बेईमानी कैसे मिटे उसके लिये ग्राम में निर्माण कमेटी स्थायी हो। उसमें सरपंच अध्यक्ष, ग्राम का पंच तथा उसी ग्राम का अध्यापक तथा उसी ग्राम में 2 समाजसेवी नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें बताया जाए कि यहां इस कार्य पर इतनी राशि स्वीकृत हुई है। मस्टररोल पर कमेटी के कोरम के आधार पर सचिव चुकारा करे। पंचायत समिति का जे.ई.एन. नाप भी समय पर कमेटी के समक्ष करे। पंचायतों को अनुदान राशि नगर पालिका के बराबर हो। पंचायतों को हमने सबल बनाया तो हमारा जनतंत्र भी सबल होगा। हर साल राजस्व अभियान चलाकर नामान्तरण जो रह जायं, वह खोले जायं। राशि मृत्यु के नामान्तरण 3 माह के अन्दर-अन्दर अवश्य खुलने चाहिए अन्यथा पटवारी और कानूनगो के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत की विकास की योजना बननी चाहिए।

पंचायत राज मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन बातों पर ध्यान दीजिये।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1990–91 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1990–91 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री भरोसीलाल (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1990–91, इन्दिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) परियोजना विभाग की राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण विषयक अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रथम् प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

शासकीय– वक्तव्य

मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़क निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जिस विषय पर वक्तव्य दे रहे हैं वह प्रस्ताव मैंने नियम 119 के अन्तर्गत रखा था। पश्चिमी राजस्थान में सड़क निर्माण की नीति के सम्बन्ध में मैंने बात उठायी थी। मंत्री महोदय तो जो विभाग की नीति है, सोचने का तरीका है उसका यहां अपना वक्तव्य दे देंगे और मेरा विरोध इनकी जो मूल नीति है उससे है आल्टरनेटिव कोई व्यवस्था करने के लिये कह रहा हूं। इसलिये मुझे आप पहले अनुमति बोलने की दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, यह कह दें अपनी बात, फिर आप अपनी बात कह दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है पहले आप अपना व्यू पाइन्ट रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नियम 119 के अन्तर्गत क्योंकि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसमें वक्तव्य छप गया, 119 में चर्चा होती है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना व्यू पाइन्ट निश्चित रूप से रखें ताकि सरकार का मार्गदर्शन हो सके। मैं यह भी चाहूंगा, अगर जनहित की बात यह है उस को लागू करेंगे। हम भी आपके विचारों से अवगत होकर ऐसा कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आप पहले अपनी बात कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप वक्तव्य दे दें उसके बाद आपकी बात हो जाती। चलिये आप बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समाज बिना सड़कों के कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है – We have roads or we have no roads, but we pay more if we have roads.

पश्चिमी राजस्थान मरूस्थलीय है। रेत और टीबों का इलाका है। दूरियां बहुत अधिक हैं। एक विशेषता यह है कि लोग ढाणियों में बिखरे हुए बसते हैं। वर्तमान में जो सड़क निर्माण की नीति बनाई है राज्य सरकार ने, वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए एक ही नीति बनाई है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जो नीति बनी है उसमें यहां केवल डामर सड़कों का निर्माण हुआ है। डामर सड़कों की लागत चार-पांच लाख रुपये प्रति किलोमीटर लगती है। मुझे बता दें एवरेज, लेकिन फिर भी चार-पांच लाख रुपये डामर सड़क पर लगता है। आप जानते हो, मरूस्थल में जैसा मैं आपको उदाहरण दूंगा लुहावद का। लुहावद गांव की आबादी है 25 हजार। वर्तमान में उस गांव को विभक्त किया गया है 13 गांवों के अन्दर। गांव की सीमा की लम्बाई और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम करीब 25 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 25 किलोमीटर है। बीच में गांव आया है और केवल दो हजार या तीन हजार की आबादी ग्राम के मुख्यालय में बसती है। शेष आबादी सब एक-एक अपने-अपने खेत में अन्दर बिखरे हुए हैं।

पानी की समस्या है। वैसे उसमें दो-तीन जगह नलकूप अभी खोदे गये हैं जहां से पानी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी साधारणतया ढाणी के निवासियों को चार या पांच किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। पहले मरूस्थल में खेती पशुओं के हल, चाहे ऊंट का हल हो, चाहे बैल का हल हो उससे होती थी। अब वह लाभकारी नहीं है इस लिए वर्तमान में 90 प्रतिशत खेती का काम आजकल ट्रैक्टरों से होता है। इसलिए हर व्यक्ति के पास और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पास अपना ऊंट या बैल की जोड़ी है। ऊंट और बैल-गाड़ी और उसके जानवर रखें तो लगभग 12 हजार रुपये में एक गाड़ा और उसके जानवर आते हैं। पानी चार-पांच किलोमीटर से लाना पड़ता है। तो या तो अपने सिर पर लाए। गरीब आदमी खास तौर से महिलाएं चार किलोमीटर से पानी उठाकर के लाती हैं और तीन गैलन उठाकर के ला सकती है। लगभग 180 गैलन की ऊंट गाड़े के ऊपर टंकी होती है, उसके पचास रुपये करीब लगते हैं। यानि साढ़े तीन गैलन पानी एक रुपये में वह प्राप्त करते हैं। इस तरह से उनकी कमाई का आधा हिस्सा इसी में चला जाता है। प्रत्येक गांव में तीन-चार सड़कें चाहिए क्योंकि चौतरफ गांव होते हैं।

(९८४)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हम यह सोचते हैं कि प्रत्येक गांव भी जुड़े। खेत हैं जो इतनी दूर-दूर हैं। उनके पास निकट में सड़कें हों। तो मैं यह पूछता हूं कि कितनी लागत में अपन सड़कें, यह जो डामर का तरीका आपने अपनाया है, कितने वर्षों में डामर की सड़कों से मरूस्थल में बसने वाली आबादी को जोड़ सकेंगे ? मैं कहता हूं यह बिल्कुल असम्भव कार्य है। इन्जीनियर साहिबान यहां बिराजते हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जोधपुर संभाग और बीकानेर में कुछ इलाकों में ग्रेवल नहीं है बाकी सब जगह इफरात से ग्रेवल मिलता है। और ग्रेवल की सड़कों की बदनामी कर दी। पिछले अकाल के अन्दर ग्रेवल की सड़कें बनाने का जो काम किया उसके अन्दर बहुत धांधली हुई, धन का दुरुपयोग हुआ। इस बहाने से इन सड़कों को बनाना हमने छोड़ ही दिया और यह कह दिया कि यह सड़कें किसी काम की नहीं हैं।

सड़कों के बारे में हमारी नीति यह होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मार्ग है, राज्य के जो मार्ग हैं, जिले के मार्ग हैं, जिला मुख्यालय से जो तहसील और सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर को जोड़ते हैं वह सब डामर की होनी चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क है वह भी डामर की हो। मैं उदाहरण दूंगा, यहां पर जोधपुर में रहे हुए इन्जीनियर साहिबान भी बिराजमान हैं। 1940 में एक सड़क बनी थी जोधपुर से सरदारसमन्द के लिए। वह करीब 40 मील या 60-65 किलोमीटर लम्बी सड़क है। उसके बाद में उसकी मरम्मत भी नहीं की गई लेकिन वह सड़क आज भी वैसी की वैसी मौजूद है। मैं आपको कहता हूं कि यह ग्रेवल की सड़कें हैं यह हल्के वाहनों के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सस्ती साबित हो सकती हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जो मैंने ऊपर बताई सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं उनको डामर की बनाइये और बाकी एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली है और इतनी हैवी ट्रेफिक की सड़कें नहीं हैं वह ग्रेवल की हमको बनानी चाहिए। वह बहुत सस्ती पड़ती हैं और उससे जल्दी तरक्की होगी। हमारे मरूस्थल की कठिनाई यह है कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो प्राइमरी स्कूल तो दो-तीन किलोमीटर में हो जाता है लेकिन उच्च प्राथमिक शाला लें, चाहे माध्यमिक शाला लें, बहुत दूर पड़ती हैं। लड़के 7-7, 8-8 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। साइकिल पर भी नहीं जा सकते। पहले महिलाएं खेतों में काम करने जाती थीं। शाम को घर आती थी। तो ठीक है उस वक्त पैदल का ही रिवाज था। लेकिन अब जब साइकिल हो गई है तो साइकिल पर भी जा सकती हैं। लेकिन सड़कें नहीं हैं इसलिए साइकिल का लाभ उनको मिल नहीं सकता। यदि हम पानी के लिए टांका बनाना चाहें या पक्का मकान बनाना चाहें, उस क्षेत्र का विद्युतीकरण करना चाहें तो वहां पर इतनी रेत है कि उसके निर्माण की सामग्री भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन करना चाहिए। मरूस्थलीय क्षेत्र जहां पर ग्रेवल काफी मात्रा में हर जगह उपलब्ध हैं वहां पर हमको बजट में परिवर्तन करना चाहिए कि वहां पर सड़कें हैं वह ग्रेवल की बनाई जाएं। और डामर की, जैसा मैंने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

निवेदन किया, महत्वपूर्ण सड़कें डामर की होंगी और होनी चाहिए। मैं आज से तीस साल पहले पीकिंग गया था चाइना। वहां का एरोड्रम करीब 12 मील दूर पड़ता है। उस वक्त वहां 12 मील जो पीकिंग से हवाई अड्डे को जोड़ने वाली सड़क थी वह ग्रेवल की सड़क थी। ग्रेवल की सड़क में कोई खराबी नहीं है। मारवाड़ में 1948 से पहले पूरे जोधपुर स्टेट के अन्दर जोधपुर शहर से बाहर कोई डामर सड़क नहीं थी केवल ग्रेवल सड़कें थीं, जो जिला मुख्यालय से जोधपुर शहर को जोड़ती थीं और वह अच्छी तरह काम करती थीं। तो संक्षेप में मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में आप कोई नीति बनायें। अगर नीति नहीं बनती है तो हमारे पश्चिमी राजस्थान की तरक्की है वह अवरुद्ध होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फलोदी से आने वाले माननीय विधायक ने नियम 119 के अन्तर्गत यह मांग की है कि राजस्थान सरकार की पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में मुख्य सड़कों को डामर व अन्य सड़कों को ग्रेवल की सड़क बनाने की नीति होनी चाहिए क्योंकि ग्रेवल सड़कें बनाने की लागत कम आती है व गांवों की दूरी व अकाल की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है। पिछले वर्षों में बनी सड़कों की लम्बाई को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को इस स्थिति की जानकारी है व सरकार इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठा रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां भारत व राजस्थान की औसत जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्रमशः 2098.43 और 100.11 के हिसाब से है वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों की औसत जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 48.75 है। यह बात सच है कि रेगिस्तानी इलाके में पॉपुलेशन अलग-अलग बसी हुई है किन्तु उसके बाद भी अगर इस जनसंख्या को देखेंगे तो सड़कों की लम्बाई के हिसाब से मैंने यह आंकड़े आपके सामने रखे हैं। राजस्थान राज्य की सड़कों की औसत लम्बाई दूसरी तरह से प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 16.64 व प्रति एक लाख जनसंख्या पर 166.24 किलोमीटर है। आन दी कंट्री पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सड़कों की औसत लम्बाई प्रति एक लाख जनसंख्या पर 275.74 है 166.24 की तुलना में। यह बात सच है कि इसका कारण जनसंख्या की डेन्सिटी कम होना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह जिक्र किया है कि ग्रेवल की सड़क की लागत डामर की सड़क से 15 गुनी है। यह सत्य से परे है। डामर सड़क बनाने की लागत ग्रेवल सड़क बनाने की लागत से लगभग चार गुना अधिक आती है। एक किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनाने की लागत 65 हजार से एक लाख रुपये होती है जबकि डामर सड़क बनाने की लागत लगभग 3 से 4 लाख रुपये आती है। सड़क से खान की दूरी को देखते हुये जहां से मैटीरियल आता है और सड़कों के रखरखाव की लागत और उसकी मजबूती व यातायात को देखते हुये ग्रेवल सड़कें दीर्घकाल में डामर की सड़कों के मुकाबले सस्ती नहीं पड़ती हैं एवं असुविधाजनक होती हैं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य करता है, न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम, अन्य योजना और विशेष अकाल राहत कार्यों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत और योजना आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार। ऐसे गांव, जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 15 सौ से अधिक है, को प्राथमिकता के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ना है। उपरोक्त योजना में विभाग रेगिस्तानी जिलों को विभिन्न योजनायें जैसे अकाल राहत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवा कर गांवों की सड़कों का न्यूनतम लागत में निर्माण करवाता है। राजस्थान के सात रेगिस्तानी जिलों में सड़कों की विभिन्न श्रेणियों की लम्बाई, मुख्य सड़कों की लम्बाई लगभग 27 प्रतिशत है जबकि पूरे राजस्थान में यह औसत 17 प्रतिशत है। इन विभागीय सड़कों के अतिरिक्त इन जिलों में अन्य ग्रेवल सड़कें भी हैं जो विभिन्न अकाल राहत कार्यों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत बनायी गयी हैं, जो विभाग की देखरेख में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में आप देखेंगे, डामर सड़क की लम्बाई 1472 किलोमीटर है।

श्री अमीन खां : यह नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पूरी बात तो सुन लीजिए जल्दी क्यों कर रहे हैं? आपको पूछने का मौका मैं दूंगा।

दूसरी ओर 597 ग्रेवल की सड़कें बनी हुई हैं। उसी प्रकार जालौर में 1047 डामर की सड़कें हैं तो ग्रेवल 380। इसमें थोड़ी हैं किन्तु माननीय सदस्य जोधपुर का आंकड़ा देखेंगे तो 3061 किलोमीटर डामर की सड़कें है, 1243 किलोमीटर ग्रेवल की सड़कें है। नागौर में 1900 डामर की सड़कें हैं तो 1088 ग्रेवल सड़कें हैं। पाली में 1686 डामर की सड़कें हैं तो 1367 ग्रेवल की सड़कें भी हैं। मैं आंकड़े आपकी जानकारी के लिए इसलिए देना चाहता हू कि हमारी नीति यह है कि जहां सम्भव हो डामर की सड़कें हम बनायें, नहीं हों तो वहां ग्रेवल की सड़कें हम व्यवस्थित रखें।

मैंने एक बात प्रारम्भ में कही थी उस की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रेवल सड़क की सतह जल्दी खराब हो जाने की वजह से कम गति पर भी यातायात के लिए असुविधाजनक रहती है। अत: सामान ढोने में ग्रेवल सड़क पर कम गति की वजह से भी अधिक समय लगता है। रेगिस्तानी इलाके में गर्मी के मौसम में हवा जब अधिक गति से चलती है तो बारीक मिट्टी ग्रेवल से मिलती है, अत: ग्रेवल अपनी आपस में जुड़ने की क्षमता, उस गुण को भी खो देती है। इसकी वजह से सड़क की भार ढोने की क्षमता कम हो जाती है और सड़क की सतह उबड़-खाबड़ होने से यातायात के लिए वह उपयुक्त नहीं रहती। इसी प्रकार इन सड़कों की पानी की कमी की वजह से पुताई नहीं हो पाने के कारण सड़कों की सतह समतल नहीं रह पाती। इससे यातायात में भारी परेशानी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पड़ती है। आज कल अधिकतर वाहन रबर टायर से युक्त होते हैं। रबर टायर युक्त वाहन जब ग्रेवल सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों का जो बाइंडिंग मैटीरियल होता है वह रबर टायरों के साथ चला जाता है और उड़ जाता है। इसके कारण ग्रेवल की सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। इन सड़कों के रखरखाव के लिए हर तीसरे वर्ष ग्रेवल की नई सतह बिछानी पड़ती है तो दूसरी ओर डामर की सड़क की एक ऊपरी सतह सात से दस वर्ष बाद नई डालनी पड़ती है।

कुल मिला कर कहा जा सकता है कि पश्चिमी जिलों में सभी महत्वपूर्ण सड़कें जो कि योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनायी जाती हैं वह डामर की सड़कें बनायी जायं ताकि वह सड़कें सभी प्रकार के मौसम में सभी तरह के यातायात में काम में आ सकें। अन्य सड़कें जो कि महत्वपूर्ण नहीं हैं अथवा जिनकी लम्बाई कम है व यातायात कम है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि विभिन्न ढाणियां रहती हैं, इसके लिए ग्रेवल सड़कें बनायी जा सकती है। बाद में आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर इन ग्रेवल सड़कों को डामर से बनाया जा सकता है। इससे पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में अधिक रोजगार उपलब्ध होता है क्योंकि ग्रेवल सड़कों में मजदूरों का प्रतिशत सामान के प्रतिशत से अधिक होता है। पूर्व में भी इसी प्रकार की ग्रेवल सड़कों का निर्माण होता रहा है और इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि रीतिगत नीति से और संसाधनों की कमी होने के कारण ग्रेवल की सड़कों में कम लागत आने के कारण और वहां विभिन्न प्रकार की समस्यायें जैसे पानी, यातायात और प्रकार की समस्यायें हैं उनके कारण राजस्थान सरकार उनका एक तालमेल रखती है। केवल डामर की सड़कें बनें, वह आवश्यक नहीं है। डामर की सड़कें हों, जैसा माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में रखा है और बाकी जगहों को ग्रेवल की बनाने की प्रक्रिया हम कर सकें। मैं फिर आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि फिर भी रेगिस्तानी इलाकों में सड़कों की लम्बाई, सड़कों का विस्तार, सड़कों का जाल पूर्वी राजस्थान की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा नम्र निवेदन यह है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि वहां सड़कें क्यों हैं या नहीं बनी हैं। यह मैंने नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब एक नीति तय करने का है। उसमें जो बहुत-सी टैक्निकल बातें आपने कहीं वह भी सही हो सकती हैं लेकिन यह जो आप सड़क बनाते हैं यह केवल अकाल में बनाते हैं और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वगैरह में तो एक किलोमीटर, दो किलोमीटर ऐसे टुकड़े बनाते होंगे लेकिन आपका विभाग जो ग्रेवल सड़कें हैं उनको मेन्टेन नहीं करता है। सड़कें अकाल के अन्दर बनायी जाती हैं। अकाल के अन्दर क्या है कि, पूरा उसका नाम और उसकी जैसी क्वालिटी होनी चाहिए उस तरह की बनती नहीं हैं और बाद में आप उनको मेन्टेन करते नहीं हैं। तो मेरा मतलब यह है कि आप प्रति वर्ष विभाग की ओर से ग्रेवल सड़कों के लिए प्रावधान, जैसे 15 किलोमीटर सड़क बनानी हैं तो आप कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब कोई अकाल होगा उसके लिए कहेंगे। और अकाल

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में अच्छी तरह से बनती नहीं हैं। ग्रेवल किस तरह से डाली जाती है, उसका एलाइनमेंट और अर्थ वर्क जैसे करते हैं उसमें बड़ी भारी कमियां रह जाती हैं। सिस्टेमेटिकली इसको लें, मैंने तो यही बात कही है। कम बनी है वह भी नहीं है। काफी बनी हैं वह सड़कें जैसे टूटी-फूटी हैं। आज पश्चिमी राजस्थान का काम उनसे चले, मेरे साथी जो उधर से आते हैं वह जानते हैं। सड़कें अगर नहीं होतीं तो न अनाज पहुंचता न वहां चारा पहुंचता और न पानी पहुंचता। उनकी उपयोगिता है लेकिन उनको मेन्टेन करें और नई सड़कें बनायें। जहां तार की बनती हैं, ग्रेवल की वहां हर साल बनायेंगे, विभाग बनायेगा, अच्छी बनेंगी और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनकी मरम्मत करें, यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की सड़कों के निर्माण के बाबत नीति सरकार ने बताई। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि पूर्वी राजस्थान की चर्चा नहीं हुई। एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां 15 सौ की जनसंख्या वाले गांव या पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गयी थी। वह आज दिन तक नहीं है। आगे भविष्य में भी वह पूर्ण होगी कि नहीं होगी, इसकी क्या नीति बनाई है?

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में डामर की सड़कों की जो लम्बाई है वह न तो अकाल में बनी है, न न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में बनी है। वह तो पाकिस्तान की सीमा दोनों ही जिलों - जैसलमेर और बाड़मेर से लगी हुई है इसलिए भारत सरकार के डिफेन्स पाइण्ट आफ व्यू से बनी है। ग्रेवल सड़कें जितनी भी बनी है पश्चिमी राजस्थान में, यह आप और हम जानते हैं कि अकाल हमेशा ज्यादा पड़ता है, आज भी वहां बरसात नहीं हुई है, अकाल राहत कार्यों में लोगों को रोजगार देने के लिए इतनी सड़कें बनाई हैं। लेकिन वहां पर की ग्रेवल, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भरतपुर जिला भी है, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर में जिस तरह की साइड में ग्रेवल निकलती है ऐसी ग्रेवल मैंने नहीं देखी। वहां ग्रेवल साइड पर इतनी बढ़िया निकलती है कि जिस पर ट्रान्सपोर्ट का गवर्नमेंट को खर्चा नहीं आता है। अकाल राहत के तहत सैकड़ों मील सड़कें बनी हैं जिन पर बसें भी चलती हैं, ट्रेक्टर भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं। दूसरा वहां पर यह भी है कि सर्दियों के मौसम में सीमावर्ती इलाकों में आर्मी ज्यादा जाती है। तो उनकी ट्रकें भी घूमने से वहां की सड़कों की जितनी क्षति होती है उतनी दूसरे इलाके में नहीं। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में देश की सीमा सुरक्षा के लिहाज से, वहां जो अकाल पड़ते हैं उस लिहाज से, और बढ़िया जो ग्रेवल निकलता है उस लिहाज से, और फिर वह इलाका ऐसा है जो ढाणियों में बसा हुआ इलाका है, इसलिए ग्रेवल सड़कों को वहां और अधिक महत्व दिया जाय। जैसा अभी मंत्री महोदय ने फर्माया, यह बात सही है कि योजना के तहत 1500 की आबादी वाला गांव जुड़ता है, उससे कम हम नहीं जोड़ना चाहते हैं तो वही जोड़ें। लेकिन ग्रेवल सड़कों के रख-

(श्री अमीन खां)

रखाव के लिए बहुत ज्यादा अहमियत दी जाय।

दूसरा, मंत्री महोदय, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, कृषि उपज मण्डी ने कई अप्रोच सड़कें बनाई। कृषि उपज मण्डी ने पैसा खर्च कर दिया, सड़क बन गई। लेकिन उसके बाद में उसकी मेन्टिनेंस न तो कृषि उपज मण्डी करती है न पी.डब्ल्यू.डी. करता है, न जिला ग्रामीण विकास अभिकरण करता है। आखिर इस सड़क का धणीधोरी कौन होगा? वह सारे पैसे खर्च किये हुये बेकार जाते हैं। अकाल में भी ऊपर की रेत कोई नहीं हटाते। इस ओर भी ध्यान दिया जाय, मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मिश्रीलाल।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने पहले एक बार घोषणा की थी, यह सदन में भी कर चुके हों, मुझे पता नहीं। 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का आप मीटिंग में भी ऐलान करते रहे और अभी कह रहे हैं कि यह हो चुका है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो चुका।

श्री मिश्रीलाल चौधरी : इसमें नीति स्पष्ट करें। आपने नागौर की मीटिंग में कहा था कि 1500 की आबादी वाले हर गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे। मैं आपको याद दिलवा दूं या कहो तो लोगों से कहलवा दूं। इस बारे में हम कौनसी सड़कों के लिए आपसे डामर के लिए अप्रोच करें, और कौनसी सड़कों के लिए ग्रेवल की? इस बारे में थोड़ी नीति स्पष्ट करें ताकि हम जनता को यह कह सकें कि यह सड़क ग्रेवल की बनेगी, यह डामर की बनेगी। एक पंचायत मुख्यालय से दूसरे पंचायत मुख्यालय पर सड़क कैसे बनेगी, कृपया इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में सड़कें पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पश्चिमी राजस्थान में सड़क की लम्बाई क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : यह बता दिया।

श्री सांवरलाल जाट : जनसंख्या के ऊपर बताया।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही बता दिया।

श्री सांवरलाल जाट : पश्चिमी राजस्थान का बता दिया?

श्री उपाध्यक्ष : सारा बता दिया। आप ने नहीं क्या?

एक माननीय सदस्य : सुना नहीं होगा।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी पश्चिमी राजस्थान के सम्बन्ध में सड़कों के बारे में जो विस्तृत विवरण दिया है उसमें मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है और विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र है वह क्षेत्रफल के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आधार पर बहुत बड़ा है। सड़की लम्बाई से इसका आंकलन करना कि इतनी सड़क बन गई है यह सर्वथा गलत है क्योंकि जैसलमेर जिला मुख्यालय से पोकरण उप खण्ड मुख्यालय की 115 किलोमीटर की दूरी है। जिला मुख्यालय से आपने पोकरण उपखण्ड मुख्यालय को जोड़ दिया तो, आंकड़ों में तो आ गया कि 115 किलोमीटर सड़क बना दी। पर, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में सौ ग्राम पंचायतें हैं और 100 ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतें हैं जो जिला मुख्यालय से डामर की सड़क से जुड़ी हुई हैं? इसलिए यह मापदण्ड लगाना सर्वथा गलत बात है क्योंकि इस जिले की एक विशेष परिस्थिति है। आप जो पूर्वी राजस्थान या अन्य क्षेत्रों से इसका आंकलन करते हैं, मैं इससे सर्वथा सहमत नही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम प्रश्न।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह कि पिछले बजट में कुछ सड़कें मन्जूर हो गई, टेण्डर हो गये और काम भी शुरू हो गया लेकिन वह आज तक नहीं बन रही। उनके लिए कोई समय की सीमा है क्या? (व्यवधान) अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। पिछले बजट में जो सड़कें स्वीकृत हो गई थीं, टेण्डर हो गये थे, रोड़ी पड़ गई थी लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई। क्या इसके लिए भी कुछ समय की परिधि है?

दूसरा यह कि वेक्यूम रोड्स, अधूरी सड़कें, इधर से दस किलोमीटर बन गई, उधर से दस किलोमीटर बन गई, बीच में दो किलोमीटर या चार किलोमीटर की जो वेक्यूम रोड है उसके लिए क्या कोई योजना है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सवाल अन्त में माननीय सदस्य महोदय ने किया है इसका जवाब तो आज डिमाण्ड के वक्त दूंगा क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाके से सम्बन्धित विषय नहीं है। बाड़मेर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है कि सड़क के साथ-साथ मण्डी कमेटी की देखरेख का काम, वैसे तो यह भी वही है,.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : सारा जवाब डिमाण्ड में ही दे देना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे तो बोलने दीजिये अभी। जल्दी क्यों कर रहे हो, वह भी दे दूंगा। अभी तो मरूस्थल सम्बन्धी ही बात कर रहा हूं।

माइन्स और मण्डी कमेटी की इस प्रकार की सड़कें हैं जो विभाग तो बना देता है। उसमें बड़ी कठिनाई आ रही है कि उनकी देखरेख का काम कौन करे। यह बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हुई है और सारे विभाग बैठकर इस विषय में नीति निर्धारण करने वाले हैं। और एक समन्वित योजना सड़कों के विषय में बने, और देखरेख हो, ऐसा राज्य सरकार विचार कर रही है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न उठाया था उससे मेरी सहमति है। और उस सहमति के अनुसार ही मैंने अपना वक्तव्य यहां दिया है। पूर्वी राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ सवाल उठाये जिसका सीधा-सीधा सम्बन्ध डिमाण्ड के बाद होगा, जिसकी चर्चा विस्तार से मैं उस समय करूंगा। इसलिए फिर मूल सवाल जो माननीय फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब योजना बनेगी, प्लान बनेगा, प्रतिवर्ष का प्लान बनेगा, उस समय डामर की सड़कों के साथ-साथ ग्रेवल की सड़कें कम लागत होने के कारण और सुविधा होने के कारण रेगिस्तानी इलाकों में आवश्यक हैं उसका ध्यान विभाग रखेगा। और अपनी ओर से बनाने की प्रक्रिया करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगें

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण। मांग संख्या 19. लोक निर्माण मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,45,37,99,000/- (एक अरब पैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख निन्यानवे हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 26।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,47,07,86,000/- (दो अरब, सैंतालीस करोड़, सात लाख, छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :

1. सांचोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्तियों तथा एक ही व्यक्ति का तीन-तीन बार नसबन्दी आपरेशन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. सांचोर तहसील के चिकित्सालयों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

3. गांव में चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य

(श्री रतनाराम चौधरी)

केन्द्र 20-20 किलोमीटर की दूरी तक न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

4. राजकीय एलोपेथी एवं आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

5. सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमुल्य उपकरणों को प्रयोग में नहीं लेने से एवं बेकार पड़े रहने से खराब होने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

6. राजस्थान में विभिन्न अस्पतालों की दुर्दशा तथा गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

7. राज्य के पांचों मेडिकल कालेजों के ग्लूकोज संयंत्र खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह वहिया (भीनमाल) :

8. भीनमाल में क्षय रोग चिकित्सालय शहर के बाहर पृथक से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

9. बाड़मेर जिले के 166 खाली सब सैन्टरों में स्टाफ व दवाईयों की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. बाड़मेर जिले में सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीना कलर, गागरीया; गडरोड़ आदि में खोले गये चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में ब्लड बैंक न होने से कई गरीबों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

12. बाड़मेर नगर के सामान्य चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से रोगियों को गुजरात राज्य में चिकित्सा हेतु ले जाया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. बाड़मेर के क्षय रोग चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

14. राजस्थान के चिकित्सालय में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :

15. आबू रोड़ के चिकित्सालय में फैल रही अव्यवस्थाओं एवं स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

16. ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों, मेल नर्स और कर्मचारियों के नहीं

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जाने से ग्रामीण जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

17. चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) :

18. अस्पतालों में एक्स-रे मशीनों तथा ई. सी. जी. मशीनों के अभाव से जनता में बढ़ते असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) :

19. जैसलमेर एवं पोकरण अस्पतालों में बिजली उत्पादन हेतु डीजल जनरेटर सैट्स उपलब्ध कराने एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिन्डौन) :

20. सवाई माधोपुर जिले के अस्पतालों की दुर्दशा एवं मरीजों को दवाई एवं भोजन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (चूरू) :

21. चूरू तहसील के ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों एवं रतननगर रेफरल अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीनासर में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. भरतिया अस्पताल चूरू में लम्बे समय से चिकित्सकों व कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

23. झालावाड़ डग विधान सभा क्षेत्र के पंचायत केन्द्र हरनावदा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

24. झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र के डग कस्बे में रेफरल अस्पताल नहीं होने से उत्पन्न जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

25. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा के चामेला कस्बे की डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) :

26. झालावाड़ जिले के पंचायताड़, भवानी मंडी, डग, चौमेला, गंगधार कछनारा, मिश्रोली के चिकित्सालयों में जनता को दवाईयां उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

27. राजस्थान में अस्पतालों के दुर्दशा तथा दवाईयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) :

28. चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

29. ग्राम पंचायत मुख्यालय महाजन अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. लूणकरणसर रेफरल अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था माकूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

31. निर्वाचन क्षेत्र फलासीया के राजकीय चिकित्सालयों में स्वीकृत पदानुसार स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के राजकीय चिकित्सालयों को पर्याप्त राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. रेफरल अस्पताल झाड़ोल एवं कोटड़ा) उदयपुर में दवाईयों के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर जर्चा के लिये।

34. रेफरल अस्पताल बाड़ोल एवं कोटड़ा (रायपुर) में स्वीकृत पदानुसार स्टाफ नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

35. ग्राम कयापदा तहसील मण्डावर अलवर में 20-25 किलोमीटर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से जनता को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

36. बूंदी के भीतरी ग्रामीण इलाके रामथल पंचायत मुख्यालय में चिकित्सा सेवायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

37. तहसील नैनवा स्थित चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जाने से चिकित्सा सेवाओं में आ रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

38. चिकित्सालयों में मरीजों को दवाई नहीं मिलने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

39. डाक्टरों के समय पर चिकित्सालयों में नहीं पहुंचने से मरीजों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

40. चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

41. केलवाड़ा रेफरल अस्पताल में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

42. शाहबाद पी.एच.सी. में स्टाफ की कमी से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

43. किशनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा होस्पिटल, शाहबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवाई उपलब्ध नहीं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

44. पिण्डवाड़ा तथा आबू क्षेत्र के अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पिण्डवाड़ा तथा आबूरोड अस्तपाल में फैल रही अव्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन)

46. झालावाड़ जिले के जिला केन्द्र के अस्पताल की बिगड़ती हुई व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

47. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र के पचपहाड़ कस्बे की फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरी को डाक्टर डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा आबू)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

48. मोरस, बालोरिया, उपलागढ़, पाबा में आयुर्वेदिक अस्पताल न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (बाली)

4 . विधान सभा बाली में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

50. भीलवाड़ा नगर के एम. जी. हॉस्पिटल में मेडीसन में जूनियर स्पेशलिस्ट तथा सर्जरी में जूनियर स्पेशलिस्ट का एक-एक और नया पद सृजित करने पर चर्चा के लिये।

51. भीलवाड़ा तहसील के क्षेत्र आठूण, बरडोढ, अरणीय, दोथल में ऐड पोस्ट चिकित्सा केन्द्र न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

52. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टपूकड़ा व कोटकासिम में लेडी डाक्टर न होने से महिलाओं को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

53. तिजारा व टपूकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, प्रसाविकाओं एवं कर्मचारियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में ऐड पोस्ट सब-सेन्टर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी पर उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कासिम एवं टपूकड़ा को रेफरल अस्पताल बनाने पर चर्चा के लिये।

56. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम (अलवर) में डाक्टर द्वारा शराब पीकर केन्द्र पर आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

57. दूर-दराज के ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

58. चिकित्सालयों में चिकित्सा सामग्री साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

59. रेफरल अस्पताल लालसोट में एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. रेफरल अस्पताल लालसोट में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारी नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. पंचायत समिति लालसोट में अधिकतर उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. तथा अन्य स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा एवं डीडवाना में चिकित्सा अधिकारी नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी (लालसोट) में एस.एम.ओ. के पद पर चिकित्सा अधिकारी नहीं लगाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. पंचायत समिति लालसोट में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडवाना एवं दौलतपुरा को चालू नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

65. रायपुर (बाली) के रैफरल चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति अभी तक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. मलेरिया उन्मूलन के लिये डी.डी.टी. पाउडर में कीटनाशक दवा का प्रतिशत बढ़ा कर उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. एक वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित बेरोजगार हैल्थ गाइडों को विभाग द्वारा नियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68 विधान सभा क्षेत्र रायपुर के चिकित्सालय गिरी, कुशालपुरा, देवलीकला चण्डावल नगर, रेफरल चिकित्सालय रायपुर, पिपलिया कलां में चिकित्सक, एम.ओ.एस., एम.ओ.जे.एस. शीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर

(श्री हीरासिंह चौहान)

सब हैल्थ सेन्टर, ऐड पोस्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. ग्रामीण क्षेत्र के सब-सेन्टर, स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरियों में आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

71. ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चिकित्सा अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन प्रिय बनाने हेतु पंचायत स्तर पर विभाग द्वारा कार्यकर्ता लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. कापरेन रैफरल अस्पताल के रिक्त पदों पर नया स्टाफ लगाया जाकर जन समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. कापरेन रैफरल अस्पताल की एक्स-रे मशीन पर रेडियोग्राफर की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. केशवराय पाटन क्षेत्र के शूनगर, करवाला, जैथल, मारवीदा, चोतरो का खेड़ा, नोवाड़ा आदि उप स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालयों पर स्टाफ के न रहने से उत्पन्न जन कल्याण पर चर्चा के लिये।

76. कापरेन रैफरल अस्पताल में डाक्टरों की कमी से व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. केशवरायपाटन अस्पताल के रोगी वाहन का बून्दी में उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. बून्दी जिले के लाखेरी नगर में क्षय रोग एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

79. ग्रामीण क्षेत्रों की प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरियों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

80. अलवर जिले के चिकित्सालयों में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

81. कापरेन रैफरल अस्पताल में रोगी शैय्याओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. दईखेड़ा ग्राम के चिकित्सालय में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के मुख्यालय पर नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. परिवार कल्याण कार्यक्रम के आपरेशन से पीड़ित महिला एवं पुरुषों का उचित इलाज एवं सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. अस्पतालों में पागल कुत्तों के काटे

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जाने पर इनके इलाज वाले इन्जेक्शन समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

श्री मदन दिलावर (अटरू)

85. केशवराय पाटन क्षेत्र के रेबारपुरा ग्राम में दूषित पानी से फैली बीमारी की जांच कर उचित समाधान करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. मरीजों, बीमारियों एवं बढ़ रही दुर्घटनाओं के अनुपात में अस्पतालों में स्टाफ बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. कापरेन रैफरल अस्पताल में पुरुष एवं महिला चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. लाखेरी में बढ़ रहे क्षय रोग की जानकारी विशेष अभियान द्वारा करवाई जाकर जनता को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

89. केशवराय पाटन के जैथल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लाखों रुपयों की लागत से चिकित्सा भवन का निर्माण करवाने जाने पर भी उपयुक्त स्टाफ नहीं दिया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. घाटका बराना ग्राम पंचायत के भपायता गांव में पिछले तीन वर्षों में हो रही मस्तिष्क बीमारी को रोकने एवं त्वरित गति से उपचार व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा)

91. जन सहयोग से निर्मित रैफरल अस्पताल बिलाड़ा में फर्नीचर, दवाओं, एक्स-रे मशीन एवं आपरेशन थियेटर के आवश्यक उपकरण तुरन्त उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. जन सहयोग से बनाये जा रहे बिलाड़ा रैफरल अस्पताल के लिये सरकार द्वारा घोषित "मेचिंग ग्रांट" दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. रैफरल अस्पताल बिलाड़ा व पीपाड़ में रिक्त स्थानों पर डाक्टर एवं लेडी डाक्टर की शीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

94. टोंक के अस्पताम में तथा जिले के अन्य चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टाफ एवं दवाओं की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

95. राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे अस्पताल व डिस्पेन्सरियों में अधिक सफाई कर्मचारी और दवाइयां उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. कल्याणपुरा खुर्द में डिस्पेन्सरी न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

97. राजनौता में अस्पताल नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

Page No. 103

(२०४)

(श्री रामकरण सिंह)

98. भूरी भड़ाज में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

99. तहसील कोटपूतली की स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाइयों, रूई, पट्टी आदि की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. कोटपूतली तहसील के अस्पताल, डिस्पेन्सरी, पी. एच. सी. सब-सेन्टर ऐड पोस्ट्स में डाक्टर, नर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की कमी पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

101. पीलीबंगा हास्पिटल में डाक्टर द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

102. ग्रामवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

103. चूरू तहसील के ग्रामीण अंचलों में बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों को विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये।

104. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय चूरू की बजाय रतनगढ़ में होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

105. चूरू तहसील में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू)

106. झुन्झुनू के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के उपयोगार्थ कार्यालय में तीन गाड़ियां होने के बावजूद नई गाड़ी खरीदकर किये गये धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

107. राजकीय चिकित्सालय झुन्झुनू के महिला वार्ड में व्याप्त अव्यवस्था से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

108. झुन्झुनू के भगवान दास खेतान अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से आम जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र कुमार (सीकर)

109. सीकर कल्याण चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन, अन्य मशीनों, उपकरणों तथा भवन की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

110. लूणकरणसर रैफरल अस्पताल में सिर्फ एक ही डाक्टर उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

111. चिकित्सा सेवाओं का विस्तार न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

112. शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों

(श्री हरिसिंह)

में चिकित्सा सुविधा के भिन्न-भिन्न मापदण्डों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. चिकित्सा विभाग में नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

114. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के पहाड़ा डिस्पेन्सरी में कई वर्षों से डाक्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर रैफरल अस्पताल नहीं होने से उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव रैफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन चालू न होने के कारण उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

117. बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल में बिस्तर व पलंग आदि सामग्री शीघ्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. बीकानेर की पी.बी.एम. अस्पताल की एक्स-रे मशीन सही ढंग से काम नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

119. राज्य में मेडिकल डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

120. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरियों, चिकित्सालयों व आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध करवाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

121. बीकानेर जिले में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

122. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों व डिस्पेन्सरियों में डाक्टरों, कम्पाउण्डरों व नर्सों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

123. राज्य के चिकित्सालयों में चिकित्सा की सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

124. जनरल अस्पताल अलवर सर्जिकल वार्ड बैड नम्बर 23 के इन्चार्ज एवं मेडिकल ज्यूरिस्ट आदि द्वारा ग्राम पंचायत शायदा के सरपंच का पूर्ण इलाज करे बगैर ही अस्पताल से छुट्टी दे दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

125. झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे की एड पोस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये।

126. झालावाड़ जिले के अस्पतालों में अधिकांश डाक्टरों द्वारा दवाइयों का ब्लैक कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. भवानी मण्डी के रैफरल अस्पताल में रोगी वाहन तथा वार्डों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. झालावाड़ जिले की चामोली

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

कस्बे में I ग्रेड कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरी को तुरन्त प्रभाव से डाक्टर डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र वाले झालावाड़ के डग कस्बे के अस्पताल को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल जाट (सराड़ा)

130. अस्पतालों में स्टाफ की कमी व अन्य अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

131. रेफरल अस्पताल भिनाय में लम्बे समय से डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स व अन्य स्टाफ के अभाव में जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

132. भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ के अभाव के कारण होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

133. भिनाय विधान सभा क्षेत्र में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

134. भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में औषधियों की कमी के कारण होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

135. भिनाय विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद अस्पताल में वैद्यों व अन्य स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. भिनाय विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद अस्पतालों में औषधियों के अभाव से चिकित्सा व्यवस्था न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

137. जयपुर शहर में सेटेलाइट अस्पताल सेठी कालोनी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)
श्री मदन दिलावर (अटरू)

138. होम्योपैथिक औषधियों की सम्पूर्ण राशि के पुनर्भरण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिये अनिवार्य रूप से चिकित्सकों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. जयपुर जिले के नायला गांव में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

141. ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. पोस्ट मार्टम व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. ग्रामीण अस्पतालों में स्टाफ के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आवास हेतु व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. राज्य आयुर्वेद औषध निगम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. सवाई मानसिंह अस्पताल में काटेज वार्डों के बीच के खाली स्थान में लॉन (दूब) लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. जयपुर नगर के मानसिक चिकित्सालय में सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वांछित मात्रा में नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. मानसिक चिकित्सालय में रोगी शैय्याओं पर काम आने वाले गद्दे, चद्दरें व तकियों आदि के नित्य धुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. प्रत्येक अस्पताल में दांतों, आंखों व कानों के विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. नसबन्दी के लक्ष्य पूरे किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. आयुर्वेद परामर्शदात्री समिति के तत्काल पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. राज्य में मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया की सिफारिशों की समुचित क्रियान्विति चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. राज्य के अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार करने हेतु जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थायें और चिकित्सकों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. राज्य में अनेक जिलों में फैले क्षय एवं नारू रोग के उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. महिला चिकित्सालय में वेस्टेज जलाये जाने हेतु मशीन की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये।

155. राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावी ढंग से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. जयपुर नगर में बन रही नकली दवाइयों के निर्माताओं पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

157. राज्य के प्रत्येक जिले में समर्थ बाल चिकित्सालय न होने से बाल मृत्यु दर में हो रही वृद्धि से उत्पन्न चिन्ता पर चर्चा के लिये।

158. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकस्मिक दुर्घटनाओं पर पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. राज्य में आपात कालीन सेवाओं में सुधार एवं इन्हें सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. सवाई मानसिंह अस्पताल में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

शय्याओं की चद्दरें, गद्दे, तकियों की सफाई, धुलाई ठीक से न होने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

161. सवाई मानसिंह अस्पताल में तत्काल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

162. सवाई मानसिंह अस्पताल में लिफ्ट तात्कालिक रूप से ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. आयुर्वेद औषधालयों में औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये।

164. राज्य में डिप्टी डायरेक्टर सात, चिकित्सक तीन सौ, कम्पाउण्डर सौ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पांच सौ की आयुर्वेद विभाग में तत्काल नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

165. चिकित्सा की चल इकाइयों को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

166. दुर्घटना होने की स्थिति में मेडिकल ज्यूरिस्ट को दिखाये जाने से पूर्व ही चिकित्सा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. राज्य व्यापी चिकित्सा सेवाओं में सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति का कोटा पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. जे. के. लॉन अस्पताल में और अधिक शैय्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. मालवीय नगर स्थित चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शहरी भाग में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

171. जमवारामगढ़ में कम्पाउन्डर द्वारा दवाईयों के बेच दिये जाने तथा असभ्य व्यवहार किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश के कारण चर्चा के लिये।

172. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मुर्दाघर को वातानुकूलित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

173. राज्य में कुत्ते के काटे का उपचार किये जाने संबंधी इंजेक्शन पी. एच. सी. में उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

174. जमवारामगढ़ में सरकारी अस्पताल की जमीन में अतिक्रमण किये जाने पर भी विभाग द्वारा शिकायत पर रोकथाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)
श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

175. जमवारामगढ़ में मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

176. परिवार कल्याण कार्यक्रम में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

177. राजस्थान में अप्रमाणित एवं सब स्टेण्ड दवाइयों के रोकथाम को प्रभावी ढंग से करने की चर्चा के लिये।

178. भानपुर कलां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

179. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पदों पर डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स एवं सभी श्रेणी की सेवाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

180. आयुर्वेद की रसायन शालाओं को तात्कालिक रूप से सम्पुष्ट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को पर्याप्त दवाई उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. क्षय चिकित्सालय जयपुर में और सफाई कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

183. क्षय चिकित्सालय में शय्या पर बिछाने वाली चद्दरें ठीक ढंग से धुलवाने व प्रतिदिन बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. चिकित्सा क्षेत्र में नये-नये अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

185. भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के बस्सी गांव में सब सेन्टर नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

186. रेफरल अस्पताल बेगूं में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

187. डूंगरपुर जिले के अस्पतालों में 20-25 वर्षों से डाक्टरों को पदस्थापित नहीं करने से व्याप्त असंतोष एवं रोष पर चर्चा के लिये।

188. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों का अभाव तथा शहर तथा कस्बों में डाक्टरों की भरमार पर चर्चा के लिये।

189. डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा कस्बे के राजकीय अस्पताल की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

190. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में दवाईयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

191. सागवाड़ा में डाक्टरों की मनमानी करने तथा गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जनता में रोष व्याप्त होने पर चर्चा के लिये।

Page No. 109

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

192. इच्छित स्थान पर पदस्थापित न होने पर चिकित्सकों द्वारा लम्बे अवकाश लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

193. रावत भाटा में अस्पताल भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

194. अस्पतालों में व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

195. उदयपुर वाटी गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों के अभाव चिकित्सालयों में अपर्याप्त दवाई, सुख-सुविधाओं एवं चिकित्सकों की कमी पर चर्चा के लिये।

196. प्रदेश में खाद्यान्नों में मिलावट की प्रवृति को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधा राम (मकराना)

197. मकराना चिकित्सालय में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

198. पैथोलोजिकल यूनिटें स्थापित कराने एवं इनमें आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. सवाई मानसिंह अस्पताल के समस्त बाथरूमों को पुनः बनाये जाने के लिये विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

200. राज्य में गरीब लोगों का मुफ्त उपचार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा व दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

202. टोडारायसिंह क्षेत्र में पी. एच. सी. डिस्पेन्सरी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयों व डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

203. कस्बा टोडारायसिंह के रैफरल अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

204. मोरफिया पैथेडिन व इन्जेक्शन्स बाजार में एवं चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

205. वर्षों से औषध विक्रय करने वाले दुकानदारों के परिजनों का अनुभव के आधार पर पुनः रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

206. गांवों में पूरी सुविधाएं उपलब्ध

(श्री चम्पालाल बांठिया)

नहीं होने पर भी परिवार नियोजन के कैम्प लगाने एवं बड़े अस्पतालों के डाक्टर्स को कैम्पों में भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. बालोतरा के रैफरल अस्पताल में दिन-रात (24 घन्टे) डाक्टर नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

209. मडली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली का अभाव होने से मरीजों को होने वाली दुविधा एवं फ्रिज का साधन नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

210. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. बालोतरा के राजकीय नाहटा रैफरल अस्पताल की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. बालोतरा के राजकीय नाहटा रैफरल अस्पताल को 100 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने में देरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

213. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के अस्पताल के पंखों को ठीक नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में रोगी शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में एक्स-रे मशीन का कार्य स्थगित पड़ा है उसे तुरन्त प्रारम्भ कर मरीजों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के स्वास्थ्य भवन के आसपास धूप से बचाव हेतु छाया की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सेनावासा में डिस्पेन्सरी नहीं होने से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

218. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव बामन पाडला में चिकित्सा सुविधा नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

219. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा आवंटित राशि का दुरुपयोग एवं झूठे अभिलेख दर्ज कर गबन करने पर चर्चा के लिये।

220. शहर में बैठे बैठे ही ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा झूठी उपस्थिति अंकित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

221. राजकीय चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम संचालन करने से सरकारी चिकित्सालयों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

222. चिकित्सालयों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की गम्भीर कमी; मरीजों की उपेक्षा व लापरवाही से होने वाली मृत्यु पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

223. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एली-जी-एवल कपल का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. नसबन्दी कराने वालों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. राजस्थान में चिकित्सकों को प्रथम नियुक्ति पर दो साल की सेवा गांव में चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. जिला नागौर के ग्रामीण चिकित्सालयों के रिक्त पदों को पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

228. जिला नागौर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों की पूर्ति लम्बे समय से नहीं करने पर चर्चा के लिये।

229. जिला नागौर के, उप स्वास्थ्य केन्द्र रवडियाद को ऐड पोस्ट में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. तहसील परबतसर जिला नागौर के ग्राम गूलर रोड में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

231. जिला नागौर में राजकीय परिवार केन्द्र बाजवास को राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर)

232. गोगाताडा में 1500-2000 की आबादी होने पर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

233. ग्राम ताड़ास के नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

234. चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से ग्राम अहमदपुरा के नागरिकों को रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

235. ऊंटवालिया पंचायत हैड क्वाटर स्थित डिस्पेन्सरी में नर्स या कम्पाउण्डर नही होने से ग्रामवासियों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

236. पूरी पंचायत कालड़ी के पांचों गांव व ढाणियों के 25 कि.मी. क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

237. ताखा कला में डिस्पेन्सरी में कोई नर्स या ए.एन.एम. नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

238. पी. एच. सी. जावाल जिला सिरोही एवं पी. एच. सी. कैलाश नगर में एम.सी एच. के पद के अन्तर्गत लेडी डाक्टर की पद स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. सी.एच.सी. शिवगंज में वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोग्राफर एवं लैब तकनीशियन के खाली पदों पर पद स्थापना शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. पोसालिया पंचायत तहसील शिवगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

241. सिरोही के मुख्य चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञों के लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

242. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालन्द्री जिला सिरोही में कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जन एवं वरिष्ठ चिकित्सक के दो पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243 बरलूट ग्राम पंचायत तहसील सिरोही में आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

244. बोरेवडा एवं मोरली गांव में (ग्राम पंचायत मोरली) चिकित्सा सुविधा न होने से आ रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

245. ग्राम पंचायत बराडा तहसील सिरोही में एक स्टाफ नर्स की पोस्टिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246 अन्दोर ग्राम पंचायत तहसील शिवगंज, ग्राम गुडा, ग्राम पंचायत तहसील सिरोही दोनों स्थानों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये।

247. बावली (ग्राम पंचायत गुडा) तथा अणगोर (ग्राम पंचायत खाम्बल) में ए. एन. एम पोस्ट की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

248. तेलपी खेड़ा (ग्राम दानी गांव तहसील सिरोही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की औचित्यता पर चर्चा के लिये।

249. सी. एच. सी. कालन्द्रा जिला सिरोही में मेल नर्स प्रथम श्रेणी के दो पद तथा स्टाफ नर्स का एक पद रिक्त होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

250. सार्वजनिक चिकित्सालय मुख्यालय सिरोही में सिस्टर के तीन पद एवं ए.एन.एम. ट्रेनिंग (पी. एच. एन.) के चार रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत)

251. राष्ट्रीय परिवार कल्याण संतान बीमा योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

252. पाली जिला तहसील सोजत की पी.एच.सी. चन्द्रावल के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्रों व स्वास्थ्य केन्द्रो में पड़े रिक्त पदों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. पाली जिला तहसील सोजत के

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

ग्राम बगड़ी के राजकीय अस्पताल को रैफरल अस्पताल घोषित किये जाने के पश्चात् भी रैफरल सुविधायें एवं निर्माण हेतु व्यय राशि उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

254. राजकीय चिकित्सालय में औषधियों की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. राजकीय रघुनाथ चिकित्सालय सोजत में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. पाली जिला तहसील सोजत में राजकीय रघुनाथ चिकित्सालय सोजत में 100 शय्यायें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

257. मेड़ता सिटी अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. मेड़ता सिटी अस्पताल में 100 शय्याओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर रैफरल अस्पताल खोलने के निर्णय की पालना करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

260. मेड़ता तहसील के ग्राम बीजाथल, कात्यासनी में चिकित्सा सुविधा के अभाव में चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

261. सलूम्बर उच्चीकृत चिकित्सालय में मरीजों की शय्याओं की बैंड सीट व तकिया खोले एवं अन्य कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

262. इंटाली खेड़ा, ओड़वाड़िया और खरका ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

263. उच्चीकृत चिकित्सालय सलूम्बर में मरीजों के लिये शय्याएं बढ़ाने एवं मरीजों को भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

264. रैफरल चिकित्सालय पाटन में एक्स-रे मशीन व अन्य उपकरण नहीं होने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

265. राजकीय चिकित्सालय डाबला (सीकर) में हास्पिटल स्टाफ द्वारा की गई अनियमितताओं से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

266. कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) के परिसर में अवैधानिक तरीके से चलाई जा रही चाय, पान कैन्टीन से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

267. उप खण्ड नीमकाथाना (सीकर) के ग्राम गणेश्वर, चिपलाटा, जिली, रायपुर जागिर, मोदूका निवासियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

268. राजस्थान में सरकारी चिकि-

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

त्सालय में अवधि पार के नजदीक वाली दवाइयां वितरण करने से हो रही जन हानि पर चर्चा के लिये।

269. नीमकाथाना उपखण्ड में एम. एन. सब-सेन्टरों में स्टाफ के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

270. राजकीय चिकित्सालय डाबला व टटेरा (सीकर) में स्टाफ के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

271. नसीराबाद के गांव बाघसूरी एवं तिहारी की डिस्पेन्सरियों में डाक्टर के गांव में नहीं रहने तथा इनमें पर्याप्त दवा एवं उपकरण उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

272. रामसर मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर व पर्याप्त दवा तथा स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र रैफरल अस्पताल जेठाना में वर्तमान डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

274. नसीराबाद राजकीय केम्पामेन्ट जनरल अस्पताल की बैड शय्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी)

275. झुन्झुनू जिले की खेतड़ी तहसील के ग्राम त्योदा के अस्पताल में नियुक्त चिकित्सक का महीने में केवल एक दिन ही ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

276. झुन्झुनू जिले की खेतड़ी तहसील के ग्राम बबाई अस्पताल में एक और डाक्टर तथा एक्स-रे मशीन सरकार द्वारा दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. खेतड़ी अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

278. झुन्झुनू जिले की खेतड़ी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में 15–15 कि. मी. तक चिकित्सालय नहीं होने के कारण लोगों को हो रही भारी असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

279. चूरू जिले के गांव धाधू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव से ग्रामीणों का चिकित्सा सुविधा से वंचित रहने पर चर्चा के लिये।

280. चूरू जिले के गांव में मलेरिया फैलने व डी.डी.टी. का छिड़काव न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

281. चूरू तहसील के ग्राम सिरसला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत)

282. पाली जिले की तहसील सोजत के ग्राममेव, रामसनी, सादवान, बीजपुर, मालपुरिया कल्ला, मालपुरिया खुर्द, लागेरा,

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

थरासनी आदि गाँवों में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

283. कोटा जिले के सीमल्या कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से ग्रामीणों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

284. कोटा जिले के ग्राम लाखसनीजा में डाक्टर डिस्पेन्सरी नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

285. सांगोद कस्बे में रैफरल अस्पताल न होने से चिकित्सा सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित रहने पर चर्चा के लिये।

286. कोटा जिले के सुल्तानपुरा कस्बे में रैफरल अस्पताल न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

287. ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों की व्यवस्था में सुधार करने पर चर्चा के लिये।

288. ग्राम चारचौमा तहसील दीगोद में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

289. ग्राम रेल तहसील दीगोद के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

290. टोंक जिले के चिकित्सालय में स्वीकृत स्टाफ कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, मेल नर्स प्रथम, मेल नर्स द्वितीय एल एच.वी. प्रसाविका, स्वास्थ्य निरीक्षक आदि रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

291. पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल नगर में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

292. बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ नगर में रैफरल अस्पताल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

293. पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सा कर्मचारियों के विभिन्न पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

294. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न डिस्पेन्सरियों पी.एस.सी. एडपोस्ट तथा उपकेन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

295. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा रैफरल अस्पताल में रिक्त पदों को अविलम्ब भरने तथा लेडी डाक्टर नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

296. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालय हेतु बड़े बिस्तरों की खरीद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

297. केशवरायपाटन के बालकासा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

हिंगोनिया, चरडाना, आजन्दा एवं करवाला की झोंपडिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

298. डूंगरपुर जिले में डाक्टरों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

299. सागवाड़ा क्षेत्रमें कई सब सेन्टरों पर ए.एन.एम. तथा स्टाफ का अभाव होने से सब सेन्टर बंद होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

300. डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पी. एस. सी. को अविलम्ब दवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर)

1. अनुसूचित जाति / जनजाति के कल्याण की योजना के पूंजी परिव्यय हेतु रखी गयी राशि का सदुपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

2. विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

3. उदयपुर में पुरानी सरकारी इमारतों के रख-रखाव के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

4 सुजानगढ़ में राजाजी की कोठी की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली)

5. विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों से सन्तुष्टि नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

6. बाड़मेर जिले की शिव तहसील मुख्यावास पर अनुसूचित जाति के छात्रावास भवन के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

7. बाड़मेर जिले की शिव तहसील मुख्यावास ग्राम पर मिनी पी.एच.सी. के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

8. नैनवा तहसील के ग्राम तलवास के अजीतगढ़ किले की ऐतिहासिकता बनाई रखने हेतु रख-रखाव व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. तलवास के ऐतिहासिक अजीतगढ़ किले में श्री रंगनाथ जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करने में सरकार की अनदेखी पर चर्चा के लिये।

Page No. 117

(117)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

10. स्कूल भवनों एवं सरकारी भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

11. केशवराय पाटन स्थित केशवराय मन्दिर की मरम्मत हेतु 70 हजार की राशि का कार्य विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

12. रामगढ़ अलवर में पी.डब्ल्यू डी. डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

13. उप अधीक्षक पुलिस नैनवा के आवास एवं कार्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

14. इटावा एवं मांगरोल (कोटा) में नवीन थाना भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

15. भीनमाल में पुलिस थाने हेतु आवंटित नये प्रांगण में पुलिस थाना भवन व कर्मचारियों हेतु क्वार्टर बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

16. सीमा पर पुलिस चौकियों के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

17. कापरेन थाना की बिल्डिंग बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

18. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय भवनों की जीर्णशीर्ण हालत को तुरन्त सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव घटियाला मोटा, दलेवाड़ा, कन्हाव, गरनावट में प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

20 टोंक जिले के राजकीय भवनों की दयनीय दशा के उचित संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

21. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

22. वाणिज्य कर कार्यालय भवन की दयनीय स्थिति के सुधार की जनहित में आवश्यकता के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

23. सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगला (रेस्ट हाउस) कोटपूतली में 2 कमरों का निर्माण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

24. पंचायत समिति लालसोट के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

25. रैफरल अस्पताल, झाड़ोल एवं कोटड़ा (उदयपुर) का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

26. बाड़मेर जिले की शिव तहसील मुख्यावास पर डिस्पेन्सरी भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

27. भिनाय विधान सभा क्षेत्र में किसान विश्राम गृह निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

28. नीमकाथाना उपखण्ड में पूरा विश्राम गृह न बनने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

29. जयपुर नगर में स्कूल भवन वर्षों से टूटे-फूटे पड़े हैं उन्हें ठीक कराने और नव-निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

30. जयपुर कारागार में वर्ष 1975 से 1977 के बीच में भवन निर्माण कराकर ठेकेदार का पैसा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

31. राजकीय गंगापोल गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल भवन की मरम्मत की जाकर उसका विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. सवाई मानसिंह अस्पताल के जनरल वार्डों के बाथरूम तत्काल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जयपुर म्यूजियम को नक्शे के अनुसार पिछले भाग को अगले भाग के अनुसार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

34. उदयपुरवाटी तथा गुढ़ा पंचायत कार्यालय में पी. डब्ल्यू. डी. डाक बंगले की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

36. सवाई मानसिंह अस्पताल के 18 कोटेज वार्ड शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. क्षय अस्पताल जयपुर की पुख्ता बाऊन्ड्री वाल शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. मानसिंह चिकित्सालय भवन जयपुर में आवश्यक निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. माणक चौक स्कूल में जीर्णशीर्ण कमरों को ठीक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. मोती कटला बाजार में सुभाष सैकण्डरी स्कूल में कमरों के नव-निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

41. डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा क्षेत्र में अपूर्ण सार्वजनिक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. डूंगरपुर जिले के अधिशाषी अभियन्ता तथा सागवाड़ा सहायक अभियन्ता का भ्रष्टाचार में लिप्त होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

44. बालोतरा स्थित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

45. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सेमावासा में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

46. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालय में मरीजों हेतु कमरों का निर्माण शीघ्र करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

47. विभागीय उच्च अधिकारियों की लापरवाही में हुए करोड़ों रुपये के नुकसान व सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने पर चर्चा के लिये।

48. लोक निर्माण विभाग में अधूरे पड़े कार्यों में जनता में फैले असंतोष एवं ठेकेदारों की मिली-भगत से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

49. अभियन्ताओं द्वारा लिए जाने वाले कमीशन व फैलने वाले भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

50. अधिक्षण अभियन्ता पाली कार्यालय को जोधपुर से पाली स्थानान्तरण करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

51. रियाँ बड़ी (नागौर) एक बड़ा कस्बा होने तथा वहां अन्य कई विभागों के कार्यालय होने पर भी विभागीय डाक बंगला नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री सूरालाल (गोगुन्दा)

52. गोगुन्दा में कन्या सैकण्डरी विद्यालय भवन की स्वीकृति के बाद भी निर्माण न होने पर चर्चा के लिये।

53. दादीया कन्या मिडिल विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. गोगुन्दा में छात्रावास भवन के निर्माण के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

55. गोगुन्दा डिस्पेन्सरी भवन शीघ्र पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

56. गोगुन्दा पशु अस्पताल भवन का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़)

57. दलोढ़ कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र चालू कराने बाबत चर्चा के लिये।

58. प्रतापगढ़ अस्पताल भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये।

59. प्रतापगढ़ अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय भवन की स्वीकृति के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

60 राजकीय कुपिल चिकित्सालय नीमकाथाना के भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हस्तान्तरित नहीं करना तथा उक्त भवन मरम्मत व नया निर्माण न होने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

61. नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में रख-रखाव व मरम्मत हेतु प्रदत्त राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. वर्तमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने जोधपुर पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता के पद पर रहते हुए 10 हजार बोरी सीमेन्ट को अवैध रूप से निजी कार्य हेतु व बाजार में बेच कर फैलाये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

63. रेफरल हास्पिटल परबतसर के अधूरे भवन को पूर्ण कराने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

64. तहसील दीगोद कोटा के स्वीकृत शुदा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

65. श्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

66. बस्सी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

(श्री फूलचन्द मीणा)

पर भवन निर्माण करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

67. रेफरल हास्पिटल परबतसर के भवन की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

श्री मदन दिलावर (अटरू)

68. जनाना अस्पताल के समस्त बाथरूम को पुन: बनाऐ जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. मोती कटला डिस्पेन्सरी के टूटे हुए भाग की तत्काल मरम्मत कराऐ जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रस्तावित 18 काटेज वार्डों के तुरन्त निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के समर्थन में अपनी बात कहने खड़ा हुआ हूं। आज इस मांग की चर्चा इस सदन में हो रही है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जन-कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वह माननीय दृष्टिकोण से जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाये। उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या और चिकित्सालयों के अनुपात में हमारा प्रदेश काफी पीछे है। हमारा स्थान देश में 12वें स्थान पर है। प्रदेश के अन्दर चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थाओं, दोनों की संख्या अत्यन्त कम है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ ऐसी है कि ग्रामीण अंचलों में जहां दूरदराज गांव दूर-दूर बसे रहते हैं वहां भी हम समुचित चिकित्सा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। 43 साल की लम्बी आजादी के बाद आज भी इस प्रदेश के अन्दर गांवों के अन्दर चिकित्सा और चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में जो सवाल खड़े किये जाते हैं वह अपने आप में विचारणीय हैं। इस बार बजट के अन्दर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री चिकित्सा कोष की स्थापना की बात कही है वह स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं, इससे एक इस तरह की भावना पनपेगी कि लोग जन सहयोग से आदान-प्रदान देकर चिकित्सालयों का निर्माण करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु आज जो राजकीय चिकित्सालयों की स्थिति है वह अत्यन्त शोचनीय है। आज क्रेडिटिबिलिटी इन चिकित्सालयों की समाप्त हो गई और जो सेवा का संकल्प चिकित्सकों का होना चाहिये, जो नर और नारी की सेवा का संकल्प होना चाहिये उसकी जगह नकद नारायण की सेवा करने का संकल्प ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज यह देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाने को मजबूर है। मैं जिला, गांव और तहसील के अस्पतालो की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करूं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, सवाई मानसिंह अस्पताल, उस सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर जो व्यवस्था है उसको कुव्यवस्था कहें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। उसको देखते हुए सर्वोदय नेता सिद्धराजजी ढड्ढा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। उस याचिका में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पूरे अस्पताल की कार्यपद्धति के लिये एक कमीशन बैठाया जाय। डाक्टर कासलीवाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठा। उस आयोग के प्रतिवेदन जो समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलते हैं उसको देखते हुए महसूस होता है कि जब राजस्थान की राजधानी, जहां हुकूमत रहती है, जहां सरकार रहती है उसकी नाक के नीचे इस तरह की अव्यवस्था है तो आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं दूरदराज के गांवों के अन्दर किस तरह की अव्यवस्था होगी। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने अभी एक माह पूर्व एक आदेश जारी किया था, दवाओं की खरीद-फरोख्त और उपकरणों की खरीद फरोख्त के अन्दर जो धांधलीबाजी और भ्रष्टाचार का तरीका अपनाया है उसकी ए. सी. डी. से जांच करायेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके इस निर्णय का और यह महसूस भी करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में इन संस्थानों के अन्दर, इनकी कार्यपद्धति में बदलाव आये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अस्पताल में 1988-89 में दवाइयां खरीदने के लिये, गरीब मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलें इसके लिये जो बजट का प्रावधान रखा गया था उसका मात्र 39 प्रतिशत पैसे की, बजट के हिस्से की दवाएं खरीदी गई। बाकी सारा पैसा प्रशासनिक व्यय में खर्च कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी गम्भीर और दुखदायी बात यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल के अन्दर जो दवाएं मुहैया कराई गई वह एक्सपाइरी डेट की थी, उनकी तारीख निकल चुकी थी। यह बात मैं नहीं कहता, यह बात कासलीवाल कमीशन के प्रतिवेदन में है। इलाज कराने कोई जाय और बदले में उसको मिले इस तरह की दवाएं, जिनको लेने से उसके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़े। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कि इस प्रकरण की भी जांच करायें और किसी भी हालत में, मानवीय दृष्टिकोण अपना कर, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाय, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर, जब दुर्घटना हो जाती है तो परिवारजन किसी दुर्घटनावंश किसी की मृत्यु होने के पश्चात् शव गृह में शव को पहचानने के लिये जाते हैं तो वहां पर भी रिश्वत ली जाती है। इस तरह की शिकायतें माननीय मुख्य मंत्रीजी को लोगों ने पत्र लिख कर भी की हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रकरण के अन्दर भी जांच करवायें।

इसके अलावा इस अस्पताल के अन्दर एक कोबाल्ट थिरेपी की मशीन खरीदी गई। लाखों रुपये की मशीन है और काफी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महीनों से बेकार पड़ी है। सबसे पहले तो कमीशन खाया गया मशीन को खरीदने में, फिर कमीशन खाया गया मशीन को लगाने में, मशीन को इंस्टाल करने में। अब उस सारे कमीशन के बावजूद भी मशीन बन्द पड़ी है। इसके अलावा पूर्व में इस अस्पताल के अन्दर गरीब लोगों को ग्लूकोज जैसी चीज मुफ्त में मिले इसके लिये फार्माच्युटिकल लैब हुआ करती थी। लैब अभी भी विद्यमान है। पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशीजी के सुपुत्र ने डाक्टर एस. आर. मेहता के साथ मिल कर एक दवाओं की फैक्ट्री डाली उस फैक्ट्री ने जब ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया तो सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर जो लैब थी उसका उत्पादन जान बूझकर बंद करा दिया गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज कल पूरे राजस्थान के अन्दर दवाओं के नाम पर अल्कोहल बिकता है, शराब बिकती है दवाओं के नाम पर, जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की दवाएं जो स्वास्थ्य के लिये उपयोगी नहीं होती हैं, जिनको किसी मर्ज के अन्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते परन्तु इस तरह की दवाएं जो लोग अल्कोहल के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर को काफी नुकसान होता है, इन पर प्रतिबन्द लगाया जाय और इन दवाओं का निर्माण करने वाली जो फैक्ट्री हैं उनका लाइसेन्स रद्द किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के अन्दर चिकित्सालयों के अन्दर जो स्टाफ की नियुक्ति होती है, आल इंडिया नर्सिंग कौंसिल ने एक मापदंड तय किया। हमारे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के कारण उस मापदण्ड को लागू नहीं कर सके परन्तु उसके बाद हमारे प्रदेश में ही 1961 में चिकित्सालयों में कितनी संख्या में कितने बेड पर चिकित्सक हों या पैरा मेडिकल स्टाफ हो, इस सारे के लिये स्टाफ पैटर्न किस तरह का हो, एक मुकर्जी समिति बनी, 1978 में डाक्टर जी. सी. शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनी, 86–87 में वीरसिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी परन्तु इस समिति ने जो सिफारिशें कीं उनको आज तक लागू नहीं किया गया। मेरा क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया, गरीब इलाका है, मरुस्थल इलाका है। उसके अन्दर दानदाता ने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया और इस उम्मीद से अस्पताल बनाया कि उस अस्पताल के जरिये गरीबों की सेवा होगी और उनके पुरखों का नाम होगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि आज निर्धारित मापदड के अनुसार चूरू के भरतिया अस्पताल में 181 पद रिक्त हैं। आप अन्दाजा लगाइये, जिला मुख्यालय है और उस अस्पताल के अन्दर 181 पद अगर रिक्त हों तो किस तरह का काम होगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर एक निश्चित मापदण्ड अपनायें। उस निश्चित मापदण्ड के अन्तर्गत जितनी भी पोस्ट खाली हैं, पोस्ट वेकेन्ट हैं, उसको तत्काल भरने का काम करें। एक तरफ तो हमें यह सुनने को मिलता है कि चिकित्सकों की कमी है इसलिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सक अस्पतालों मे लगाये नहीं जाते दूसरी तरफ जिस तरह सुबह चर्चा हो रही थी और माननीय मंत्री जी खुद माना कि कुछ चिकित्सकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और यह कहा कि हम नौकरी करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। चिकित्सकों पर, हमारी सरकार लाखों रुपये खर्च करती है। एक-एक चिकित्सक स्नातक स्तर की अपनी पढ़ाई करके बाहर आये, उस पर सरकार का शायद दो लाख से अधिक रुपया खर्च होता है। एक तरफ वे न्यायालय मे जाकर यह कहें कि हमें नौकरी चाहिये और दूसरी तरफ हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर विभिन्न जिलों के अन्दर सारे के सारे स्थान चिकित्सालय में रिक्त रहें, यह बहुत चिन्ताजनक बात है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, उन्होंने खुद आज उच्च न्यायालय के अन्दर सरकार का सुझाव था, यह माना 408 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब पद रिक्त हैं. उन को तुरन्त भरने की उम्मीद है। जिस तरह आपने सुबह कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के फैसले के बाद तुरन्त इनका पदस्थापन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं शायद आप इस कार्य को पूरा कर राजस्थान की जनता को राहत देंगे।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7 जून को हमारे चिकित्सा मंत्री ने जोधपुर में अखबार वालों को यह कहा था कि नई सरकार ग्रामीण चिकित्सा की तरफ ध्यान देगी और आपने शायद घोषणा भी की थी कि गांवों के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं बाअदब आपसे कि गांवों के अन्दर जो स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, वे अपने आप में एक मजाक बन गये हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर एक मेल नर्स या फीमेल नर्स लगा देते हैं। इनके पास दवाओं का कोई बजट नहीं। मेरे चूरू क्षेत्र में चूरू जिले के अन्दर 184 स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उसके अन्दर 100 स्वास्थ्य केन्द्र तो रिक्त पड़े हैं सरकार के कागजों के अनुसार और 84 स्वास्थ्य केन्द्रों में मेल नर्स कार्यरत हैं और या कहीं-कहीं फीमेल नर्स। और 84 के अन्दर से भी 54 के आसपास फैमिली प्लानिंग के चिकित्सा केन्द्र हैं। फैमिली प्लानिंग का कन्सेप्ट अब राजस्थान की जनता समझ चुकी है और इसको अपने आप अंगीकार कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस कार्यक्रम को तो जारी रखें और प्रत्येक गांव के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर जब आप कम्पाउण्डर या नर्स लगायें तो उसके साथ-साथ निश्चित बजट भी होना चाहिये दवाइयों का। गांव के लोग जाते हैं, जाकर सोचते हैं हमारे गांव के अन्दर हमारे दुःखदर्द में, हमारी तकलीफ में देखने वाला कम्पाण्डर आ गया, हमारी हारी-बीमारी को देखने वाला कम्पाउण्डर आ गया। जाकर जब उसको कहते हैं कि देखो, दवा दो, लेकिन दवाई के नाम पर कुछ होता नहीं। गांवों के अन्दर दूर दराज जिस तरह हमारा क्षेत्र है, सड़कें नहीं हैं, आने-जाने का साधन नहीं है, उस पर सरकार अपना इस तरह से पैसा लगाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों, जो गांवों में खोले जा रहे हैं. के लिए आपको निश्चित बजट का प्रावधान भी रखना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्षेत्र के रतननगर के अन्दर रैफरल अस्पताल 4 माह पहले स्वीकृत हुआ था, स्वीकृति निकल गई परन्तु आज तक मात्र एक कागज के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह मेरे क्षेत्र के बीनासर के अन्दर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 9.1.1990 को स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक वह भी चालू नहीं किया गया है। चूरू के अन्दर दानदाताओं ने एक मात्र शिशु कल्याण केन्द्र शुरू किया। 18 लाख रुपये लगाये उन्होंने और सरकार ने उनको कहा कि आप बिल्डिंग बनाओ, हम आपको चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। परन्तु जो अब वहां स्टाफ नियुक्त किया गया है, वह कम है। काफी लम्बे समय से एक चिकित्सक और दो नर्सों की स्वीकृति जरूर जारी कर दी गई है। परन्तु आज तक वे कहां हैं? हमें तो मिले नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जिस तरह पुरानी सरकार थोथी बातें किया करती थी, मंत्रीजी अपने को उन बातों में नहीं जाना, यथार्थ में रहना है। उसी काम की कृपया घोषणा करें जिस काम को आप पूरा कर सको। मुझे उम्मीद है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके नेतृत्व में आपका विभाग आगे बढ़ेगा।

इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर जो ब्लड बैंक हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी शोचनीय है। प्रदेश में मात्र 18 ब्लड बैंक काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से आप परिचित हैं किन्तु पूरे प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। जहां ब्लड बैंक जैसी चीज नहीं है तो यह अत्यन्त चिन्ताजनक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कम से कम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ब्लड बैंक हो, इसका आप पूरा प्रयास करें। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करूंगा कि बेसिक जो स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें हैं, उनको हमें हमारी जो एजुकेशन है, इसमें भी सम्मिलित करना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चिकित्सा सम्बन्धी बेसिक जानकारी भी हमें प्राइमरी एजुकेशन से ही लोगों को देने की कोशिश करनी चाहिये। आप लोगों ने आज मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम चिकित्सा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा प्रदेश है जिसमें ग्रामीण एजेन्सियों पर ग्रामीण इलाके आधारित हैं और चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, प्राकृतिक, यूनानी इस तरह की प्रणालियों के अन्तर्गत जितनी सुविधाएं हैं, राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। लेकिन एलोपैथी की दृष्टि से जहां तक सर्जरी का मुकाबला है, वह और कोई चिकित्सा में नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा का अपना एक महत्व है लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आपस में कोई क्लेश नहीं हो। आज भी राजस्थान में कई दवाइयां इस तरह की हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से लाभदायक हैं। यह एलोपैथी में मेरे ख्याल से नहीं है। जैसे एसिडिटी का मामला है तो उनके पास मुकेन है, डाइबोला

(श्री बंशीलाल पटवा)

है या इस तरह की मेडिसीन और भी जो इसके भाईबन्द हैं उसका उपयोग करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। आयुर्वेद में कई इस तरह की दवाइयां हैं जिसका लाभ मिल सकता है। जो चिकित्सा पद्धति एलोपैथी की है, उसके अन्तर्गत कुछ ऐसी सर्जरी के अतिरिक्त उपचार में आयुर्वेद की दृष्टि से आज भी कई मेडिसीन उपयोगी हैं। हम उसका अधिकाधिक उपयोग करें तो मेरे ख्याल से और भी आयुर्वेद ज्यादा पापुलर हो सकती है। और आज कल तो डाक्टर्स लिखने भी लगे हैं। चिकित्सा की दृष्टि से जितने भी इसके अलग-अलग दृष्टि से सेटेलाइट हैं, रैफरल हैं या और कोई ए-क्लास, बी-क्लास इस तरह के अस्पताल या डिस्पेंसरीज, एड पोस्ट खोल रखे हैं। हालात यह है कि कोई भी डाक्टर गांव में रहना नही चाहता, ए. एन. एम. है वह गांव में रहना नही चाहती, इसी तरह से अध्यापकों और हर क्षेत्र का यही हाल है तो इस दृष्टि से कोई भी रहना नहीं चाहता है, हमको कहीं न कहीं गम्भीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ कुछ इस तरह कीं व्यवस्था है उसमें सुधार करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि सारे डाक्टर्स खराब है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे-बुरे मिला कर दुनिया बनी है लेकिन कहीं न कहीं हम को इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा और कई बार इस तरह की स्थितियां होती है कि रात में बेचारा गरीब गया, डाक्टर सोया हुआ है, उठेगा नहीं। हालत खराब है, उसको ब्लड की जरूरत है तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा कार्यकर्ता रात में उठकर जाता है, फिर सी. एम. एच. ओ. को पता नहीं कहां-कहां खटखटाता है तो यह एक सारी स्थिति है और इसके साथ-साथ राजस्थान में जो ग्रामीण इलाके में आज जितनी पद्धति या जो भी इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, उस पर भी हमको सुधार करना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग की दृष्टि से हमने गांव में ए.एन.एम. तो बैठा रखी है लेकिन वह वहां टिकती नहीं है। उसके पास दवा नहीं, इंजेक्शन लगाने के लिए साधन नहीं तो यह व्यवस्था है तो हमको थोड़ा सा सुदृढ़ करना पड़ेगा और यह नहीं कहें कि पिछले वर्ष में कुछ नहीं हुआ, हुआ है लेकिन कम्पीटेन्ट की व्यवस्था चिकित्सा में होनी चाहिये, वह हुई नहीं और उसका दुष्परिणाम यह रहा है कि आज इस तरह की जो व्यवस्था है कोई भी आदमी ग्रामीण इलाके में टिकना नहीं चाहता, 3 वर्ष पूरे किये, 4 वर्ष पूरे किये, सारे शहर में हैं, वे एडजस्ट होना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह के जूनियर स्पेशलिस्ट्स गांव में जाना नहीं चाहते हैं, दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह साल से। यह एस.एम एस. हास्पिटल ले लीजिये, मेरे ख्याल से जो डाक्टर्स लगे हैं उनकी जिन्दगियां शायद वहीं पूरी हो गई हैं। उनकी क्षमता का उपयोग ग्रामीण इलाकों में हो नहीं पा रहा है। मान लो एक स्पेशलिस्ट 10-15 वर्ष से गांव में टिका हुआ है और यदि शहर में उसकी क्षमता का उपयोग होना चाहिये तो हो नहीं पा रहा है।

माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं और व्यवस्था भी कर रहे हैं लेकिन मैं सोचता हूं इसमें और भी जाइण्ट रेसपांसिबिलिटी से काम करने की आवश्यकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह

(श्री बंशीलाल पटवा)

से थोड़े खर्चे में अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हम चिकित्सा का लाभ पहुंचा सकते हैं इस दृष्टि से ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार जितनी भी छोटी-मोटी चिकित्साओं की व्यवस्था की गई उसमें डिसक्रिमीनेशन बरता गया। हमने विचार नहीं किया कि पंचायतें हैं, दस हैं, पांच हैं और सेन्टर पाइन्ट पर इस तरह का कोई सेन्टर खोल दें जिसके कारण आसपास के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। जैसे आयुर्वेदिक अस्पताल खुल गये हैं तो वहां वैद्य नहीं और जितना वैद्य और कर्मचारी तनख्वाह प्राप्त करते हैं उतनी दवाइयां भी हम मुहैया नहीं करा पाते हैं, उसका मेरे ख्याल से दस पर्सेण्ट या पांच पर्सेण्ट भी हम दवाई मुहैया नहीं करा पाते। क्षय रोग की दृष्टि से ले लीजिये, कुष्ठ रोग की दृष्टि से ले लीजिये। और भी इस तरह के कई गम्भीर रोग हैं जहां पर क्षय रोग की दृष्टि से टी. बी. अस्पताल खुले हुए हैं, ऐसे-ऐसे डाक्टर्स लगे हुए हैं जो मेरे ख्याल से वहां सरकार की तनख्वाह तो अलग लेते हैं लेकिन इसके साथ एक गरीब जो क्षय रोग से पहले ही पीड़ित है और पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण या फैक्टरियों में काम करता है इस कारण जर्जरित अवस्था में है उनसे भी वह डाक्टर 100 रुपये, 50 रुपये हर पेशेंट से लेने के बाद ऐसी सस्ती दवाइयां जिससे कमीशन मिलता है, वह दवाइयां लिखते हैं। इस तरह के डाक्टर्स निगाह में हैं, उनके खिलाफ इन्क्वायरीज हुई हैं। उसके बाद भी जिला केन्द्रों पर लगे हुए हैं। जहां क्षय रोग का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है तो मैं समझता हूं ऐसी पोस्टें वेकेंट पड़ी रहें, दूसरे डाक्टर्स कर लेंगे लेकिन कम से कम जो दुराचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्ट तरीके अपना रखे हैं क्षय अस्पतालों में, उनको बदला जाना चाहिये। बाड़मेर में एक डाक्टर है जो क्षय रोग में लगे हुए थे। ट्रांसफर हुआ, उनके बिस्तर से दवाइयां निकाली गई। क्षय रोग की दृष्टि से और सरकार और विभाग उनको दवाइयां मुहैया करवाता है लेकिन वह गरीब तक दवा नहीं पहुंचती। उसका पैसा वसूल किया जाता है। यह इस तरह की स्थिति है। गरीब की दृष्टि से हम किस तरह से कर सकते हैं? हम काम्पीटेंट डाक्टर्स लगायें और यदि काम्पीटेंट नहीं हों तो यदि कोई अहसास करने वाला है जो दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझने वाला है ऐसे डाक्टर्स लगा दें। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो ज्यादा समझता है वह ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अक्ल तो भगवान देता है। पढ़ने-लिखने से भी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। किसी डाक्टर को मानलो पढ़ाया है लिखाया है वह घर पर फीस ले, लेकिन एक बार यदि वह एक रोग के निदान के लिए घर पर देखता है, एक बार फीस ले दुबारा नहीं ले, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। या इनकी तनख्वाहें बढ़ानी हैं तो बढ़ा दें लेकिन यह प्राइवेट प्रेक्टिस करना बन्द कर दें। अस्पतालों में आपरेशन तब होगा जब टेबल पर पैसा रखेंगे। यह इस प्रकार का तरीका भ्रष्टाचार के आचरण में आता है और इस तरह से ढूंढ कर हमको व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा।

इस साथ ए. एन. एम. के ट्रांसफर्स जो मेडिकल डाइरेक्टेट से होते हैं उनको तत्काल बन्द कर देना चाहिये। ए. एन. एम. का ट्रांसफर करो रोज रोज लोग जाएं। मैंने

(श्री बंशीलाल पटवा)

पिछले दिनों देखा, यहां से ट्रांसफर कर देंगे बाबू लिख देगा कि लांग स्टे वाली को हटाया जाय, फिर लाइन लगती जायेगी। लोकल स्तर पर जो एम.एम.ओ. की पोस्ट हैं या सी. एस. की पोस्ट हैं जिसको नहीं हटाना है उसको सी एस. बना देंगे और जिस को हटाना है उसको एस.एम ओ. बना देंगे। यह इस तरह की अव्यवस्थायें जिला केन्द्रों पर चल रही हैं, सी.एम.एच.ओ. कर रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं को हमको रोकना पड़ेगा। इसके साथ जितने ए. एन. एम. के ट्रांसफर्स यह सरकार बनने के बाद मेडिकल डाइरेक्टर के यहां से आयें उसकी सूची मांगी जानी चाहिये कि आखिर में किस वजह से किये गये हैं और किस आधार पर किये गये हैं। शायद मेरे जैसे आदमी ने एप्रोच भी की होगी कि क्यों किये गये हैं रुकवाने की दृष्टि से, लेकिन करवाने की दृष्टि से नहीं किये गये। चिकित्सा में यदि हम ए.एन.एम. के ट्रांसफर्स को लेकर चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ग्रामीण इलाके में सेवा नहीं हो सकेगी। इस मामले में गम्भीरता से विचार करें। मैं मेडिकल डिपार्टमेण्ट में गया तो वहां हालात इस तरह के हैं कि सीधे मुंह बात नहीं होती। हालात बदल चुके हैं, सरकार बदल चुकी है उस प्रकार उनका मानस बदलना चाहिये लेकिन अभी तक बदला नहीं है। सीधे मुंह बात करना शायद उनको अच्छा नहीं लगता यह करप्ट प्रेक्टिस है जो ए. एन. एम. के ट्रांसफर्स को लेकर किया जा रहा है। कुछ तो हम व्यवस्थायें इस प्रकार की करें ताकि रोकथाम लगे। गांव में अगर दस वर्ष के लिये डाक्टर रहना है तो रहेगा और यदि यह काम करना है तो करेगा। फिर से चिकित्सा के क्षेत्र में हमको समीक्षा करनी चाहिये। आयुर्वेदिक पद्धति की जितनी अच्छी दवाइयां हैं जो आजकल डाक्टर्स लिख भी रहे हैं मेरे ख्याल से उसका लाभ मिलेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

तो मेरा निवेदन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार की दृष्टि से कुछ प्रयत्न करें और क्षय रोग और कुष्ट रोग जो इस तरह के रोग हैं इसके बारे में कम से कम जितने भी टी बी. अस्पताल हैं उनकी विशेष रूप से देखभाल करें क्योंकि उनको जिन्दगी भर दवा लेनी पड़ती है गरीब हैं वह मेरे ख्याल से बीबी के जेवर बेच देता है बर्तन बेच देता है और तब तक वह उस रोग से उऋण नहीं होता है। चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से जो जिला केन्द्रों पर अस्पताल हैं, सेटेलाइट अस्पताल हैं और रैफरल अस्पताल हैं वहां पर मेडिसिन्स की कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करें जहां एन्टी-बायटिक के सस्ते इंजेक्शन लगा सकते हैं और गांव का आदमी थोड़ी दवा में ठीक हो सकता है। छोटी कीमत की दवाइयां उनको मुहैया हो सकें।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण के बारे में मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा पी.डब्ल्यू. डी. का संबंध व्यापक है। उसके ए.ई.एन्ज. म्यूनिसिपल काऊंसिल में लगते, नगर विकास न्यास में लगते हैं, कृषि विभाग या कृषि विपणन बोर्ड में लगते हैं। उनका दायित्व सड़कें बनाना, पुलिया बनाना है। लेकिन

(श्री बंसीलाल पटवा)

वह वहां जाने के बाद किस तरह की स्थितियां निर्माण करते हैं सड़कें देखी होंगी। यह अमानी शाह का नाला जिस पर सड़क बनाई हैं। यह 83 में बनी है। इतनी ऊंची पुलिया बनाने की आवश्यकता नहीं थी। टैक्नीकल हैण्ड तो मैं नहीं हूं लेकिन तकनीकी दृष्टि से आप टोंक के रास्ते पर चले जाओ बनास नदी पर पुलिया नीची है जहां पानी का बहाव ज्यादा है। इसमें पानी इतना आता नहीं। मेरे ख्याल से यह ब्रिज कारपोरेशन द्वारा बनाया गया जो ऐसे टैक्नीशियन्स हैं जो खर्चा ज्यादा करते हैं। आमदनी का पर्सेन्टेज कैसे ज्यादा हो सकता है उसके लिये यह सारे प्रयत्न किये जाते हैं। आज नगर विकास न्यास को ले लीजिये, जे.डी.ए. मे ले लीजिये और नगरपालिकाओं में ले लीजिये जो ए.ई.एन्स और एक्स.ई. एन्स जाते हैं वह अपने आपको ज्यादा होशियार समझते हैं। एक बस्ती में यदि 6 इंच की वी शेप की नाली बनाकर के पानी निकाल सकते हैं और मान लो जहां डिस्चार्ज ज्यादा है तो वहां पर बड़ी नाली बनाई जा सकती है यू शेप की 9 इंच की नाली में काम चल सकता है लेकिन उन्होंने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है, दो-दो फिट की बड़ी-बड़ी नालियां बना दीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और सड़कों पर भी जो बेस खड़ा किया जाता है सोलिंग लगाने की आवश्यकता नहीं, गिट्टी रोड बनाई जा सकती है लेकिन सड़कों को ऊंची करते जायेंगे और ईंट गिट्टी ऊपर से ऊपर 6 इंच की देते जायेंगे और वह सड़कें जर्जरित होंगी।

इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में माननीय विश्नोई साहब की बात को रिपीट करता हूं कि गांव-गांव में ग्रेवल डाल दें, रोड रोलर घुमा दें तो गांव से पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी हो सकती हैं और इसी तरह से शहर में भी जहां आम तौर पर ज्यादा ट्रेफिक नहीं है वहां ग्रेवल रोड्स के लिए ए.ई.एन. या जो अधिकारी जाते हैं उनको इस प्रकार की सलाह दें कि कम खर्चीली सड़कें और पुलिया किस प्रकार से बन सकती है। जहां कॉज-वे से काम चल सकता है तो उससे चलायें।

पी.डब्ल्यू.डी. में भवन निर्माण के बारे में जो चेंजेज किया है मंत्री महोदय, उसका मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने अपनी मर्जी से मापदण्ड के आधार पर जो स्थानान्तरण किये वह स्वागत योग्य बात है और सुधार की दृष्टि से प्रयत्न होना चाहिए चाहे ए.ई.एन., एक्स.ई.एन. कोई भी लगे लेकिन काम्पीटेंट व्यवस्था हो और कम खर्चे में सड़कें बनें।

कृषि विभाग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करें। कृषि विभाग सड़क तो बना देगा लेकिन उसे मेन्टिनेंस में नहीं लेगा। इसी तरह से डामर की सड़कें, सरकारी स्कूलों के भवन और कॉलेज मेन्टिनेंस में नहीं लिये जाते। इस बारे में हम कोई मापदण्ड तय करें और उनकी पूरे तौर पर समीक्षा करें। इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे करप्ट प्रेक्टिस भी रुके और पैसा भी बचे और काम भी अधिक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, वह सनाढ्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई एतराज थोड़े ही है उनको इसमें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्या एतराज हो सकता है धनाढ्य होने में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का और स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान खास करके इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, पिछली बार, उन्हें याद होगा कि राजस्थान मेडिकल कालेजेज में पढ़ाने वाले डाक्टरों की हड़ताल 47–48 दिन तक चली और इसके कारण यहां चिकित्सा कराने वाले गरीब लोगों को त्रासदी भोगनी पड़ी। इसका कारण यह था कि 1986 में जब वेतनमान चेंज हुए तो यू.जी.सी. के ग्रेड जो अन्य कॉलेजों में लागू हुए उनकी तुलना में इन मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, डिमांस्ट्रेटर, इनको वेतन का पैसा कम मिलने लगा और इनके मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ। इनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है और जो डाइरेक्ट कॉलेज में लेक्चरार बनते हैं उनको कम समय लगाना पड़ता है। हायर सैकण्डरी और पी. एम. टी. करने के बाद 5 साल एम.बी.बी.एस. और 2 साल एम. डी. करने के लिए समय चाहिए और यहां केवल यदि बी.ए. पास करने के बाद कोई आर.ए.एस., आर.जे.एस., आर.पी.एस., आई.ए.एस., आई.पी.एस. में बैठ जाय और उसका भाग्य और आज की जिस तरह की व्यवस्था है उसमें उसकी सिफारिश बैठ जाय तो वह इन लोगों के ऊपर बॉस होकर बैठ सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी सर्विसेज में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। आप इन सारी बातों पर मेहरबानी करके विचार कीजिएगा ताकि आने वाली हड़तालों के कारण से राजस्थान की जनता को, जिसने आपको विश्वास करके चुना है, इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इन मेडिकल कॉलेजेज में जो कौंसिल ऑफ इण्डिया है उसे यह बाइबिल मानते हैं। लेकिन उसके नार्म्स के हिसाब से राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेज में कितने यूनिट होने चाहिए सर्जिकल के और अन्य, तथा कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके अनुपात में कितना स्टाफ होना चाहिए, इन सारे नार्म्स को तोड़ने के बाद यहां पर जो प्रोफेसर, रीडर्स के पद सृजित किये गये हैं वह केवल व्यक्तियों को देख करके सृजित किये गये हैं, इनको देख करके नहीं। आज 6 पद यदि किसी प्रोफेसर के हैं तो आउट डोर के तो 6 दिन ही होते हैं। एक विशेषज्ञ केवल आउट डोर में एक दिन बैठेगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं माननीय सिद्धराज ढड्ढा जैसे व्यक्ति की, स्वतंत्रता सेनानी की जिनकी त्याग और तपस्या में कहीं कोई अविश्वास नही किया जा सकता, पुकार के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने नहीं सुना और उस तपस्वी को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट के माध्यम से कमेटी बैठी। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया है। उस कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यदि देखें आउट डोर जब वहां लग गया तो एक भी वरिष्ठ विशेषज्ञ उनको प्राप्त नहीं हुआ, न मेडिकल का न शल्य चिकित्सा का। तो आखिर इन पदों का

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उपयोग क्या है ? मेडिकल कॉलेजेज में यदि जनता की चिकित्सा के लिए आवश्यकता है तो सर्विसेज डाक्टर्स रखे जा सकते हैं जिस तरीके से अन्य हॉस्पिटल में है, लेकिन इस तरह के पद सृजित करके केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए, मैं चाहता हूं आप नार्म्स के हिसाब से भी इनको देखें और पैसा बचायें।

इसके साथ-साथ आपके जो निदेशालय और सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो तकनीशियन होते हैं चिकित्सा के, मेडिसिन के या जो वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रशासकीय सेवा में मत लगाइये। यह जनता की सेवा करने के लिए डाक्टर बने हैं। आप देखें कि क्या प्रशासन अन्य लोगों के माध्यम से चल सकता है या नहीं, ताकि इन लोगों की सेवाएं राजस्थान की जनता को उपलब्ध हो सकें।

आज अस्पतालों की अव्यवस्था के बारे में अखबारों में आये दिन छपता रहता है। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में जो अखबार में छपा, मैं बधाई देना चाहता हूं कि वे इन मरीजों के पास गये और उनका सर्वे किया। तो केवल 4% लोगों को दवाएं दी जाती हैं जबकि लाखों रुपये की दवाएं खरीदी जाती हैं एस.एम.एस. हॉस्पिटल में। उन्होंने सर्वे करके रिपोर्ट दी, उन्होंने विभिन्न विभागों को जाकर देखा। उसके बाद केवल दो डाक्टर्स की उन्होंने सराहना की है, एक डा. थारकर और एक मि. सेंट करके कोई हैं। आप इस बात की जांच कीजिएगा कि आखिर इन वरिष्ठ लोगों की सेवाएं उन गरीबों को क्यों नहीं उपलब्ध हो पातीं जिन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मैं नवीं प्राक्कलन समिति की सिफारिश नं. 45 का जिक्र करना चाहता हूं कि जो सरकारी नौकर हैं उनको तो केवल इतवार को समय मिलता है और इनको भी ऑफ मिलता है। यह ऑफ किसी भी दिन ले सकते हैं। उनके लिए सण्डे आवश्यक नहीं, 7 दिन में किसी भी दिन लिया जा सकता है। सण्डे को आधा दिन होता है उस आधे दिन को किसी और दिन कर दीजिएगा। लेकिन रविवार के दिन कम से कम हॉस्पिटल में आने के लिए इनको बाध्य कीजिएगा, ताकि जो सरकारी आदमी है, जो इस कारणवश छुट्टी पाते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, जिनको वर्किंग डेज में जाने की सुविधा नहीं मिलती वह अपने बच्चों को ले जाकर के डॉक्टर्स को दिखा सकें और उस दिन खास कर जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको कम से कम उनकी सुविधायें उपलब्ध हों।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य ने इस बात का भी जिक्र किया था कि कोबाल्ट मशीन यहां की खराब क्यों है। उन्होंने बताया कि इसमें कमीशन खाया गया। 35 लाख रुपये की 25 लाख रुपये में आई। यह केवल यहीं स्थिति नहीं है, आज तो अखबार भरे पड़े हुए हैं, उन सारे राजस्थान के अखबारों को संग्रह करके यदि एनेलिसिस करवा कर देखें तो ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण चिकित्सा विभाग सारा गर्त में दबकर रह गया है। यहां के लोग गये और उन्होंने देखा तो गामा कैमरा, कोबाल्ट मशीन, फोटो एनेलाइजर, क्लोरोटोमीटर, कोलिग्राम मशीन, एक्स-रे मशीन, ये सारी की सारी खराब पाई हैं। इनको खरीदने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मान्यवर, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो उसके साथ-साथ मशीन को खरीदा जाये। लाखों, करोड़ों रुपये की जो मशीनें खरीदी जाती हैं इस गरीब मुल्क के लोगों के टैक्सेज के पैसे से धन खर्च किया जाता है। यह मेडिकल कॉलेज का प्रिंसीपल या सुपरिन्टेन्डेन्ट कमेटी बना लेते हैं सामान खरीदने के लिए और दूसरे दिन दूसरी कमेटी का निर्माण कर देते हैं। यह लाखों रुपयों की खरीद होती है, इसकी जो प्रोजेक्टर रिपोर्ट बनाये इसमें जो टेक्निशियन्स हैं, उनकी राय ली जाए, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह लिखा जाए कि इन मशीनों का रखरखाव कैसे होगा, इनकी दुरुस्ती कैसे होगी। जिन लोगों से खरीदी जाए उन लोगों के साथ में एक कण्डिशन भी है, उन लोगों के साथ में इस कण्डिशन को भी लिखा जाए कि इन मशीनों का रखरखाव किया जाएगा। मैं इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

(2.55 म.प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

कि आज हॉस्पिटल में यह स्थिति है। जो पन्द्रह रुपये में एक्स-रे हॉस्पिटल में हो सकता है वही एक्स-रे बाहर साठ रुपये में होता है। लेकिन हॉस्पिटल की एक्स-रे मशीन खराब रहती है, फिल्म तो है लेकिन एक्स-रे की मशीन खराब है। तीन-तीन साल से खराब पड़ी हुई है। ब्लड बैंक की बात अभी कही गई, लेकिन यह जो प्रयोगशालाओं में खून की, पेशाब की, टट्टी की, जो जांच होती है वह जांच भी बाहर से करवा कर लानी पड़ती है। इसलिए करवानी पड़ती है कि वहां की मशीन खराब है, वहां विशेषज्ञ नहीं है। वही विशेषज्ञ बाहर जाते हैं उन क्लिनिक्स में, जिनके लिए बाध्य किया जाता है मरीजों को कि वहां से जाकर के आप इसकी जांच करवा कर लाओ। ब्लड 10–12 है केवल शुगर देना है, वे शुगर को ठीक कर देंगे। लेकिन उसकी जो बारह क्वालिटीज हैं उनके पैसे लिए जायेंगे। जो काम दस रुपये में हो सकता था उसमें एक सौ बीस रुपये का क्या होता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। अखबार भरे पड़े हैं। जो प्रयोजनायें हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग होना चाहिये। इस बात की समीक्षा की जानी चाहिये कि उनका पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है।

मैं इसी के साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एस.एम.एस. हॉस्पिटल है, इनके संदर्भ में 1983–84 में हम लोगों ने एक गहन इकाई बनाई। कितने लाख रुपये उस पर खर्च हुए, जिसके अन्दर करोड़ों रुपयों के उपकरण हैं। उस गहन इकाई में जब वे लोग गए और उन्होंने उस इकाई को देखा तो जो सैन्ट्रल मॉनिटर है वे सैन्ट्रल मॉनिटर भी काम नहीं कर रहे हैं। गहन इकाई को बनाने के लिए जो रुपया खर्च किया गया, उसमें जो मशीनें लाई गई, उनका उपयोग क्या होगा? आपातकालीन सेवाओं के संदर्भ में यह सरकार के लिए शर्म की बात है और मेडिकल डिपार्टमेन्ट के लिए शर्म की बात है कि श्री रमाकान्त व्यास, कलक्टर, उदयपुर उनकी दूदू के पास में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लेकिन इस मेडिकल हॉस्पिटल के अन्दर एम्बुलेंस नहीं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

थी, जो उनकी लाश को यहां ला सकती थी, उनके बच्चों को ला सकती थी। ई. एस. आई. की एम्बुलेंस भेजी गई। मैं, मान्यवर, कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी, 1990 को उदयपुर में एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के अन्दर प्रोफेसर कामले की पत्नी को अहमदाबाद ले जाने के लिए एम्बुलेंस बोहरा यूथ से लेनी पड़ी, लेकिन मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। इसका क्या कारण है कि ये जो 6-6, 7 7 एम्बुलेंस हैं ...

श्री हरिकुमार औदिच्य : दूसरी जगह गई होगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दूसरी जगह नहीं गई। खराब पड़ी हुई थी। और विश्लेषण करके देख लीजिएगा कि उनकी यह स्थिति है या नहीं कि जो शहर के बाहर जा सकी हैं। मैं केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। यह आवश्यकता है उन लोगों की, जो गरीब लोग हैं। जो कोई भी बड़े आदमी हैं, वे कहीं से भी मैटाडोर भी मंगवा लेंगे, गाड़ी भी मंगवा लेंगे। लेकिन हम जो कल्याणकारी राज की बात कर रहे हैं तो कल्याणकारी राज की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ साथ मैं माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी को भी बधाई देता हूं। मैंने उस अखबार को पढ़ा था कि हाईकोर्ट में आने के बाद भी उन्होंने यह आश्वासन दिलवाया है कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और जो अनियमिततायें पाई गई हैं, उसकी जांच करेंगे। मैं उसी के साथ-साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो मुद्दे आज सदन में उठाये जाएं और जो अखबारों में आये हैं, इनका भी विश्लेषण करवाइयेगा किसी कमेटी के मार्फत से। जो हॉस्पिटल है, जो टी बी. का हॉस्पिटल उदयपुर में है, उस टी.बी. हॉस्पिटल में किस तरीके से अनियमिततायें हुई? जो उन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। क्योंकि हमारे जो वनवासी क्षेत्र हैं, जो जनजाति क्षेत्र है उस जनजाति क्षेत्र से आने वाले सारे के सारे आदिवासियों को जब टी.बी. होती है तो उनसे पैसे ले लेकर उनको भर्ती किया जाता है। यह बहुत गम्भीर बात और शर्म की बात है। मैं चाहूंगा कि ऐसी जगहों की जांच कीजिएगा। ऐसे हॉस्पिटलों की जांच कीजिएगा। हमको यह कहा गया है कि यहां पर पैसा लिया जाता है। एक दफा पैसा ले लें। हमको इन सारे नॉर्मस को बदलना होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ ही साथ कि ये जो आपातकालीन कक्ष हैं, इन आपातकालीन कक्षों में जब कोई तड़फता हुआ आदमी आता है कोई किसी एक्सीडेंट से आता है तो उसके परिवार के लोग उसके साथ होते हैं, उनके मन और मस्तिष्क की दशा भी ठीक नहीं होती है, जब वे बहता हुआ खून देखते हैं। लेकिन आपके डाक्टर और आपके वहां पर रहने वाले लोग हैं; उनके साथ में केवल यह करते हैं कि पर्चा बनाया, भर्ती कर लिया, इनकी ओर से वार्ड में जितनी जल्दी धक्के लगा सकते हैं, उतनी जल्दी धकेलने की प्रक्रियायें करते हैं। क्योंकि वार्ड में जाने के बाद ही

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उस आदमी को चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आपातकालीन कक्षों में, जिनमें दवाइयां नहीं होती हैं, जिनमें उपकरण नहीं होते हैं इन आपातकालीन कक्षों को सचमुच में आपातकालीन कक्ष बनाइएगा। जो तड़फते हुए आदमी आते हैं, जब तक वे नार्मल नहीं हो जाएं वहीं पर रखें। वरिष्ठ चिकित्सकों की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उन्हें दिखाया जा सके, गम्भीरता के साथ में। उसके बाद में उसे वार्ड में भेजा जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ये जो कॉटेज वार्ड हैं, इन कॉटेज वार्ड का सब बड़े-बड़े लोग उपयोग करते हैं। इन कॉटेज वार्डो के संदर्भ में सुबह आठ बजे लाइन लगती है, एक लम्बी क्यू लगती है और जिन लोगों की सिफारिश हो जाती है और जिनके पास पैसा है उनको वार्ड उपलब्ध हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनके नोर्म्स बनाये जायं, इनके नियम बनाये जाय और उन नियमों के आधार पर ही उनका आवंटन किया जाए। दिनांक 29.9.1969 को एक आदेश निकला और उस आदेश के अन्तर्गत जो अधीक्षक थे प्रिंसीपल थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात थी। वह कमेटी प्रत्येक बड़े अस्पतालों में बने, वह कमेटी बने बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेज में और वह कमेटी कम से कम महीने में दो बार नहीं तो एक बार बैठ कर सम्पूर्ण चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को देखें। प्रोफेसर्स बढ़ गये, रीडर्स बढ़ गये, लेक्चरर्स बढ़ गये लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ा। नर्सिंग स्टाफ नहीं बढ़ा, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट नहीं बढ़े, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं बढ़ा। केवल इन पदों को बढ़ा देने की वजह से आज यह गम्भीर समस्या आ गई है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। प्रसव की वेदना से तड़पती हुई महिला आती है तो उसे भर्ती नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर बिस्तर उपलब्ध नहीं है, बैड उपलब्ध नहीं है। इस तरीके के जो जघन्य अपराध हैं उन जघन्य अपराधों को रोका जाना चाहिए। खास कर जो मेडिकल जूरिस्ट हैं, जब वह पोस्टमार्टम करते हैं, किसी भी जगह पर पोस्टमार्टम होने के पहले इधर तो उस परिवार का बच्चा चला जाता है और लाश देने के पहले यह कहा जाय कि इतना पैसा देना पड़ेगा तब लाश मिलेगी। इस सदन में कई बार चर्चा की गई है कि खास कर जब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है, इसकी व्यवस्था कीजियेगा, इसे देखियेगा। कोई न कोई मार्ग निकलेगा कि इन बेईमानी को रोका जा सकता है, यदि हमारा संकल्प हो।

श्री सभापति : अब समाप्त करें,

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय, मैं बस समाप्त करने की दिशा में जा रहा हूं।

श्री सभापति : 22 मिनट हो चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं समाप्त करने की तरफ ही जा रहा हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांवों के अन्दर काम करने वाली महिलाएं हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजियेगा। आये दिन, जिस तरह की बातें, जिस तरह की घटनायें घटित होती हैं, आवश्यकता है सुरक्षा करने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

की। हम यह तो चाहते हैं कि हमारी डिसपेन्सरीज में, हमारे सामुदायिक केन्द्रों में, चिकित्सालयों में डाक्टर्स उपलब्ध हों, महिला डॉक्टर्स उपलब्ध हों, नर्सेज उपलब्ध हों, मैं समाज से भी और सरकार से भी इस बात की अपील करता हूं कि इन लोगों को विशेष सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में एक महिला थाने का प्रबन्ध किया गया है, उसमें जाकर नारी अपने उत्पीड़न की बात कह सकती है। इन महिलाओं को विशेष सुविधा दीजियेगा। यह जो साधारण कानून है, जो अंग्रेजों के बनाये हुए कानून आपके आज तक चल रहे हैं, आई. पी. सी. 1935 में आज तक कोई परिवर्तन नहीं, जो कानून अंग्रेजों के जमाने में पुलिस के लिए बनाये गये थे उन्हीं कानूनों के अन्तर्गत यह हिन्दुस्तान आज भी चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जो महिला कर्मचारी गांवों में काम करती हैं उनके साथ यदि कोई घटना घटती है उनको सुरक्षा प्रदान की जाय और उसके लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं पी. डब्लू डी. के संदर्भ में केवल एक बात कह कर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। यह जो पुरानी इमारते हैं, इन पुरानी इमारतों में स्कूल चल रहे हैं, इन पुरानी इमारतों में आपके दवाखाने चल रहे हैं। इन पुरानी इमारतों की मरम्मत के लिए पी. डब्लू. डी. पैसा नहीं निकालती। यह लाखों करोड़ों रुपयों की जो सम्पत्ति है, जो भवन हैं, पी. डब्लू. डी. की तरफ से यह नोटिस आ जाता है कि यह भवन गिरने वाला है लेकिन वह प्रधानाध्यापक उन बच्चों को लेकर कहां जायेगा? वह महिला अध्यापिका उन लड़कियों को लेकर कहां जायेगी? आप अपने रूल्स में परिवर्तन कीजियेगा और जो भवन ऐसे हैं जिनकी मरम्मत करने के बाद काम चल सकता है, मेहरबानी करके उनकी मरम्मत कीजियेगा क्योंकि आप नये भवन सब लोगों के लिए मुहैया नहीं करा सकते। जिन मन्दिरों में स्कूल चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन मन्दिरों के भवनों की भी इसी तरीके से मरम्मत करायें। इसी तरीके से जो आपकी चल राज्य इकाईयां हैं, जो जगह-जगह काम कर रही है, वह पुनः चालू होनी चाहिए। जब यह प्रारम्भ की गई थी तो जनता ने स्वागत किया था। गांवों में कैम्प्स लगे थे, स्वयं सेवी संस्थाए आगे आई थीं, उन्होंने भोजन, कम्बलों और स्थान का प्रबन्ध किया था। मान्यवर, जो गरीब क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए यह शल्य चिकित्सालय जनजातिय क्षेत्रों के अन्दर जा सके, ऐसी व्यवस्था कीजियेगा। हमारे यहां तो दिल्ली से करोड़ों रुपये आये हैं लेकिन उन जनजातिय क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन सकीं। मैं चाहूंगा कि उन जनजातिय क्षेत्रों के लिए विशेष उल्लेखनीय धन का प्रबन्ध करें आप। जिस तरीके से आज माननीय मंत्रीजी ने मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कही थी, यह आवश्यक है। जनजातीय क्षेत्रों में आप वह प्रबन्ध भी कीजियेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बिल्डिंग्स की दशा है; इन्हें बनाने के लिए जो यू. आई. टी. और म्यूनिसिपल्टीज हैं, अगर इनके पास पैसा हो तो कानून में परिवर्तन कीजियेगा। यह भवन बन जायेंगे, यह बाग सज जायेंगे लेकिन उन बच्चों के लिए, जिनकी आवश्य-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कता है इस बात की, आज छोटे-छोटे मकानों के अन्दर जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों से काम चलने वाला नहीं है। इस देश की जो भावी पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी की चिन्ता किजियेगा। यू. आई. टी. में प्रोविजन कीजियेगा कि यह दस-पन्द्रह-बीस प्रतिशत अपना पैसा निकालने के बाद में विद्यालयों और अस्पतालों के भवन बनाये। कोई भी थाना आज किराये की बिल्डिंग में नहीं चलता, कोई तहसील नहीं चलती, कोई कलक्ट्रेट नहीं चलती लेकिन सारे विद्यालय और यह छोटी-छोटी इकाइयां सारी की सारी किराये के मकानों में चलती हैं। मैं चाहता हूं कि पी. डब्लू. डी. द्वारा प्रोविजन किया जाय और स्कूल भवन बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाय ताकि बच्चों की शिक्षा हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : सभापतिजी, आपने मेरे को मेडिकल डिमाण्ड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि इस घंटी वाले मामले में जरा तसल्लीपूर्ण रहियेगा। चिकित्सा के मामले में मूलभूत सिद्धान्त चिकित्सक, चिकित्सा करने की सुविधाएं और मरीज यह तीन चीजें हैं कि डाक्टर हों काम्पीटेन्ट ईलाज करने के लिए और उसको ईलाज करने की सुविधाएं हों और मरीज की तो कमी है ही नहीं, दुनियां में कहीं भी नहीं है, हिन्दुस्तान में तो क्या। हमारे यहां सारी समस्या यह है कि दवाखाने खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं, लेकिन जो दूसरी सुविधाएं हैं वह साथ-साथ नहीं जुटाते। एन्सिलियरी सर्विसेज जिसको कहते हैं। डाक्टर कितना ही अक्लवान हो, कितना ही बड़ा ऑपरेशन कर सकता हो लेकिन वह खेजड़ी के नीचे नहीं कर सकता है। जो पुराने कन्सेप्ट हैं वह लागू नहीं होते। बड़े-बड़े अस्पतालों में, जैसे एस. एम. एस. की बात आई, अव्यवस्था के कई कारण हैं। मैं डाक्टरों की पैरवी नहीं करता क्योंकि इस वक्त मैं डाक्टर के रूप में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन तथ्यों से तो अवगत करवाना जरूरी है। आप देखिये कि वहां पर मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। डाक्टर चल नहीं सकता एक मरीज से दूसरे मरीज को देखने के लिए। फिर एक्स-रे करवाने के लिए दस दिन पड़ा रहता है और जांच करवाने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी बीमार हो, उसकी जब तक पूरी तरह जांच नहीं की जाय, सही ढंग से ईलाज नहीं हो सकता। एक आदमी आज आया और कल उसका ईलाज या आपरेशन करवाकर चला गया वह 10 दिन ईलाज के लिए पड़ा रहता है। इससे जो बैड की केपेसिटी है-एक बैड पर 10 आदमियों का ईलाज एक महीने में होना चाहिए उसके कारण दो आदमियों का एक बैड पर ईलाज होता है। यह सब बात देखनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ मेडिकल एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी। जैसे यहां केट्स केन आया तो उसके लिए अलग से एक इमर्जेन्सी है तो आपको उस ब्रेन का केट्स केन करने के लिए 10 दिन का इन्तजार करना पड़ेगा। 10 दिन तक तो उसका कोई उपचार चालू ही नहीं हो सकता है तो एन्सिलियरी सर्विसेज को जब तक स्ट्रोंग, नहीं किया जायेगा एफीसियरण्ट भी तब तक किसी भी बड़े से बड़े इन्स्टीट्यूट

(श्री हरिसिंह)

में इलाज नहीं हो सकता है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एन्सिलियरी सर्विसेज को सारी जगह जहां मेडिकल कॉलेजेज हैं या जिले के अस्पताल है वहां पर उनको स्ट्रेन्थन कीजिए और फिर इन डाक्टरों की एफीसियेन्सी को आह्वान कीजिए। फिर जाकर नतीजे आयेंगे।

मैं मेरे मित्र को लेकर गंगानगर जा रहा था किसी काम से तो उसकी ड्रेसिंग करनी थी रास्ते में मैंने सोचा कि चूरू जिला अस्पताल रास्ते में आयेगा तो वहां पर कर दूंगा तो चूरू जिला अस्पताल में स्टरबाइज्ड गाज मेरे को नहीं मिली। आप डिस्पेंसरी खोल देते हैं, डाक्टर भेज देते हैं, एम. बी. बी. एस. पास होता है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होती है पर कोई वहां उसके लिए एजुकेशन की फैसेलिटी नहीं है। फलत: 10 साल के बाद जाकर कम्पाउण्डर जितनी उसमें अक्ल रह जाती है और आप सोचते है कि इलाज हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में चिकित्सा के मामले में आमूल-चूल परिवर्तन के बारे में सोचना होगा। तीन मील पर डिस्पेंसरी, 10 मील पर भी डिस्पेंसरी कर दें तो इलाज नहीं होगा जब तक वहां इलाज की फैसिलिटी नहीं होगी, तब तक इलाज नहीं होगा। तो मेरा इसमें सुझाव है कि एरिया वाइज एफीशियंट हॉस्पिटल जिसको चाहे आप रेफरल हॉस्पिटल कहें या किसी नाम से कहिए वहां सब तरह के डाक्टर्स हों, हर बीस या दस किलोमीटर पर और सब तरह की एन्सिलियरी सर्विसेज मौजूद हों, एम्बूलेंस के साधन हों ट्रांसपोर्ट के।

बहुत से लोग 100 किलोमीटर से जयपुर इलाज के लिए आते हैं तो इसलिए आते है कि वहां जिला अस्पताल में सब तरह के इलाज की व्यवस्था नहीं है। एस. एम एस. हॉस्पिटल में जिसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं। फोड़े का भी इलाज होता है, फुंसी का भी इलाज होता है और गम्भीर बीमारियों का भी इलाज होता है। ऐसी संस्थाओं को उन्हीं चीजों के लिए रखना चाहिए जो कि दूसरी आम जगहों पर उपलब्ध न हो, आम जगहों पर इलाज नहीं होता हो तो यहां बेड एफीशियंसी भी ज्यादा यूटिलाइज हो सकेगी और डाक्टर्स से भी यह आशा की जा सकती है कि वह ढंग से काम करें। एक छोटी सी बीमारी का भी और बड़ी बीमारी का भी इलाज हो तो डिसक्रिमिनेशन नाम की चीज नहीं है, तो एक तो यह सुझाव देना चाहूंगा। एरिया हास्पिटल और एरिया मेनेजमेण्ट- ब्रिटिश मेडिकल सर्विसेज के बारे में कहूं कि वहां नेशनलाइज्ड हैल्थ सर्विसेज हैं, फ्री इलाज होता है लेकिन वहां एफीसियंसी ट्रान्सपोर्ट की ज्यादा है। 10-5 किलोमीटर खास बात नहीं है, पर पास में इलाज की सुविधा है।

आज हमारा जो कोन्सेप्ट हैं। मैं गांव में बैठा हूं सब इलाज वहां हो जाय। गांवों में डाक्टर या वैद्य भेजने से इलाज थोड़े ही हो जाता है मैं आयुर्वेद के लिए तो बाद में आऊंगा। इसलिए मेरा इस पर सुझाव है कि 10-20 किलोमीटर पर जो जिलों में पापुलेशन है उसके हिसाब से ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जहां सब चीजें उपलब्ध हों, करीब-करीब सारी, मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत हाई लेबल की हों पर

(श्री हरिसिंह)

90 प्रतिशत लोगों का इलाज वहां हो जाय तो 100 किलोमीटर से चलकर एस. एम. एस. हास्पिटल नहीं आना पड़ेगा और एस. एम. एस. की सर्विसेज भी बैटर यूटिलाइज हो सकेगी।

दूसरा, एस. एम. एस. हास्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बारे में कहूंगा और दूसरे मेडिकल कॉलेजेज के बारे भी कहूंगा मेडिकल शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और यह मेडिकल कॉलेजों का स्टाफ भी मानता है और विद्यार्थी भी मानते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक तो इस मेडिकल शिक्षा में सुधार लाना चाहिए और वह सुधार कैसे लाया जा सके इसके बारे में तो कुछ लोग बैठकर राय मशविरा करके सुधार सकते है और एस. एम. एस. हास्पिटल के लिए कई समय से कई जगहों से डिमाण्ड है कि इसको इन्स्टीट्यूट के रूप में अप-ग्रेड करना चाहिए। उस पर भी बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए, होता क्या है कि हम अपोजिशन में बैठें तो आप से आशा करते हैं कि आप बनाइये और आप जब अपोजिशन में बैठते थे तो आप हम से आशा करते थे कि इन्स्टीट्यूट हम बनायें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी शुरुआत कर दें तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

सारी मेडिकल सर्विसेज हैं वह सरकारी हास्पिटल्स् के जरिये नहीं की जा सकती है जितने वित्तीय प्रावधान हम बजट में रखते हैं, जितनी सुविधा मिलती चाहिए उसके हिसाब से अगर हम रखें तो मेरे ख्याल से 90 प्रतिशत बजट यदि स्टेण्डर्ड मेडिकल सुविधा दी जाय तो कम पड़ेगा। राज्य सरकार का 90 प्रतिशत बजट भी कम पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट इलाज को प्रोत्साहन देना चाहिए उनको इन्सेंटिव देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप करें, सरकार करे और अच्छी तरह से इलाज के लिए सुविधा दे और लोगों को इलाज के लिए फैसिलिटी मिले लेकिन आज की तारीख में प्रेक्टिकल चीज है वह यह है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरे प्राइवेट हास्पिटल हैं, दुर्लभ जी का हास्पिटल है, वह पैसे भी लेते हैं इस तरह के दूसरे हास्पिटल्स हैं उनको आप फैसिलिटीज के लिए इन्सेंटिव दें, आपने उनको कार्मशियल बना रखा है। हास्पिटल बनायेगा तो कार्मशियल रेट देगा 500 रुपये गज की और इसी तरह से सबके लिए कार्मशियल रेट कर रखी है। चाहे जमीन खरीदनी हो, चाहे हास्पिटल खोलना हो इसके आपको इन्सेंटिव देना चाहिए क्योंकि वह प्राइवेट प्रेक्टिस करते हुए भी समाज की सेवा करते है, लोगों का इलाज करते हैं और आप इस मामले को नहीं कर सकते है। कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार नहीं कर सकती है कोई भी सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि आज की मौजूदा स्थिति वह सम्भव नहीं है। इसलिए इन सब मामलों में उनको इन्सेंटिव देना चाहिए और जो कार्मशियल रेट्स है वह कम करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। चाहे जमीन उपलब्ध करायें उनको सस्ती रेट्स पर। कई लोग मेरे पास आये जिन्होंने प्राइवेट मकानों में हास्पिटल खोल लिये वह तो चल रहे हैं लेकिन कोई आरगेनाइज्ड-वे में हास्पिटल बनाना चाहें, मेडिकल इन्स्टीट्यूशन बनाना चाहे तो उसके लिए उस 500 रुपये गज के कन्वर्शन चार्जेज देने पड़ेंगे।

(श्री हरिसिंह)

अब आप बताइये कोई भी आदमी जो प्राइवेट प्रेक्टिस करता है वह पब्लिक की सर्विस तो करता है। आप अनाज पैदा करता है किसान वह भी देश की सेवा करता है, जूते बनाने वाला भी देश की सेवा करता है, लकड़ी का काम करने वाला भी खुद का पेट भरने के साथ-साथ देश की सेवा भी करता है। डाक्टर चाहे खुद का क्लिनिक चलाये पर मरीज का इलाज तो कर ही रहा है, देश के लोगों को ठीक कर रहा है। माननीय श्री रामनारायण जी जानते हैं कि एस. एम. एस. हास्पिटल में उन्होंने अपने लड़के का आपरेशन नहीं कराया हमारे यहां कराया। यह तो उस समय डी.आई.जी. भी थे। डाक्टर्स पैसे ज्यादा लेते हैं या नहीं लेते हैं। इसको मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं। मैं तो प्रेक्टिस के हमेशा खिलाफ हूं लेकिन सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। एक दफा हमारे यहां एक आदमी आया उसको पांच सौ रुपये का बिल दे दिया उसका अपेन्डिक्स का आपरेशन हुआ था। उसमे हमारी मजाक उड़ाई। कहने लगा कि आप तो बहुत सस्ते हो। मैंने कहा पांच सौ कम नहीं है बहुत बड़ी बात है, कोई गरीब आदमी दे नहीं सकता है तो वह बोला पांच सौ रुपये तो पी.डब्ल्यू.डी. का बाबू फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक सरकाने का ले लेता है। आपका क्या स्टेट्स है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जस्टिफिकेशन जोरदार है।

श्री हरिसिंह : मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा फ्री ट्रीटमेण्ट होना चाहिए लेकिन जो सोशल सरकमटान्सेज हैं, समाज जैसे चलता है, जो स्टेण्डर्ड है, मेडिकल स्टैंडीज कितनी हार्ड है, प्रोफेशन कितना हार्ड है। 24 घंटे की ड्यूटी है, आप कह रहे थे कि रविवार को मिलना चाहिए। रविवार को डाक्टर्स और पुलिस की छुट्टी नहीं रहती है, इसमें भी छुट्टी होती है। 10 घंटे काम करने के बाद भी यह हार्ड प्रोफेशन है और संवेदनशील भी है। पुलिस से नाराजगी होती है क्योंकि हर सिपाही कांटेक्ट में आता है। डाक्टर्स से नाराजगी रहती है क्योंकि हर घर में बीमार पड़ते ही हैं तो हेरिटेशन होता ही है जो लोग पब्लिक के सम्पर्क में जितना ज्यादा आयेंगे उनसे पब्लिक की नाराजगी ज्यादा रहेगी। यह तो प्रोफेशन के बारे में पब्लिक की राजी और नाराजगी का हिस्सा है।

एक रेग्युलेशन आफ प्राइवेट प्रेक्टिस बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि मेरे को डाक्टरी का अनुभव है, इसका आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए उससे मुझ को आर. एम. पी. मिल जायेगा। उसको मैं मना करू तो ठीक नहीं रहेगा लेकिन एम.एल.ए. सर्टिफाई करके दे कि यह डाक्टरी करने लायक है तो यह उचित नहीं है। मैं तो कभी सर्टिफाई नहीं करता क्योंकि मैं एम.एल.ए. के साथ-साथ डाक्टर भी हूं। बी.कॉम. पास है और प्रेक्टिस कर रहा है, कहीं तो सोचना-विचारना चाहिए। जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं वह रेग्युलेट होना चाहिए। सिम्पल एम.एल.ए. के सर्टिफिकेट से I am not speaking against M.L.As. लेकिन एम.एल.ए. को क्या मालूम कि इलाज सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : सिवाय उनके जो एम.एल.ए. डाक्टर भी हैं, उनके ?

श्री हरिसिंह : यहां पर डाक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूं।

दूसरी आपकी एम्बुलेंस हैं। मैं मानता हूं कि चाहे वह प्राइवेट डाक्टर्स एम्बुलेंस रन करते हो या और कुछ करते हों, वह ह्यूमन सेवा में है, हास्पिटल में है तो एम्बुलेंस पर टैक्सेज हैं, रोड टैक्सेज वगैरह लगता है वह नहीं लगना चाहिए और इस को सब्सिडाइज करना चाहिए। चाहे कहीं भी हो, रूरल एरिया में एम्बूलेंस हो या शहरी एरिया में। सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट तो रियायत देती है लेकिन स्टेट को भी करनी चाहिए। आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्लड बैंक की। क्योंकि आज से तीस साल पहले जयपुर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई प्राइवेट संस्था सर्जरी कर सकता है या प्राइवेट इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। बाम्बे, कलकत्ता वहां पर तो है। अगर सरकार किसी चीज को करने में कोम्पीटेन्ट नहीं है, या उसकी क्षमता नहीं है, तो उसको दूसरे लोगों को करने के लिए लिबरल होना चाहिये। ब्लड बैंक के मामले में यह है कि एस. एम. एस. में ब्लड बैंक है। प्राइवेट एसोसियेशन, कई दफा डाक्टरों का एसोसियेशन, उन्होंने यह कोशिश की ब्लड बैंक की फैसेलिटीज सबको मिल जाये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड अवेलेबिल हो, लेकिन सरकार ने उस सम्बन्ध में हर वक्त मना किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन कर दीजिए। ब्लड का व्यापार नहीं होना चाहिये, यह कर दीजिए। लेकिन आज जो लोगों को ब्लड मिलने से या आपरेशन में ब्लड मिलने से महरूम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कानून कायदे के अन्दर जो गाइड लाइन्स है, उनके अन्दर अगर प्राइवेट हास्पिटल एसोसियेशन ब्लड बैंक बनाना चाहता है, चलाना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि अलाऊ कर देना चाहिये। क्योंकि दिल्ली में भी है, बोम्बे में भी है, जयपुर की स्थिति भी धीरे-धीरे, जैसा मैंने प्रेक्टिस की बात बताई, इलाज की बात बताई, जयपुर बड़ा शहर होने जा रहा है। किसी दिन शायद 3 लाख की आबादी थी, आजादी के वक्त में, सन् 47 में। आज शायद 15 लाख की आबादी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट ब्लड बैंक विदिन रूल अलाऊ कर देना चाहिये।

आयुर्वेद और दूसरी यूनानी इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। एक दफा मैं आयुर्वेद संस्थान में गया और बातचीत की तो यह जो आज का सोचना है, आयुर्वेद अलग है, ऐलोपैथी अलग है और यूनानी अलग है, इनका कोई मेलजोल नहीं है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी साइन्स इंडिपेन्डेंटली आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मेडिकल साइन्स है, उसको भी कैमेस्ट्री की, रेडियोलोजी की, एटोमिक पावर की और दूसरी फिजिक्स की इन सब की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाकर वह आगे बढ़ेगी। आयुर्वेद में सबसे बड़ी गिरावट क्या आयी है कि उसने दूसरी साइन्स से अपने आपको अलग कर लिया और इसमें थोड़े से प्रयास भी किये गये कि आयुर्वेद, ऐलोपैथी का कोम्बिनेशन हो। उसमें एक नयी डिग्री भी देने की बात की। मेरा सुझाव यह है कि जैसा चाइना में हुआ कि Chinese system of medicine was combined with Alopathic system

(श्री हरिसिंह)

of medicine. और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आये हैं, तो ऐलोपैथी का अलग से, आयुर्वेद का अलग से, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उनका आपस में आदान-प्रदान ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे आयुर्वेद की दवाइयां हैं, अब एक ऐलोपैथी का डाक्टर कैसे यूज करेगा उसको। जब तक आदान-प्रदान नहीं हो, नतीजे नहीं आयें, एक्सपेरिमेण्ट नहीं हो, तो इनका समन्वय स्थापित करने के लिए शुरूआत करनी चाहिये and I think it is a good think. श्री सनाढ्य साहब या किसी ने कहा, मेडिकल कॉलेज की स्ट्राइक हुई थी, यू.जी.सी. ग्रेड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया हार्ड ड्यूटी जॉब है और पुराने जमाने में तो इससे ऊपर था कि अगर आर. ए एस. की तनख्वाह 200 रुपये होती थी तो डाक्टर की 400 होती थी। धीरे-धीरे एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि काम उल्टा हो गया। और डाक्टर्स स्ट्राइक भी की थी, मेडिकल कॉलेज के लोगों ने भी की थी। आर्डिनरी कॉलेजेज में थे उनको तो यू.जी.सी. ग्रेड मिल गई, मेडिकल कॉलेज में जिसको कि मेरे मुंह से कहना अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन They are much better qualified टैक्नीकली, मेहनत के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से कहिए अगर उनको यू जी.सी. ग्रेड, शायद बात तो हुई थी लेकिन अभी लागू नहीं हुई है, तो मेहरबानी करके आप उनकी यू जी. सी. ग्रेड, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो आपके यहां है, 30, 32, 33 ग्रेड, उनकी ग्रेड हाइएस्ट ग्रेड होनी चाहिये। The Principal of a Medical College should be in the highest grade.

श्री प्रद्युम्न सिंह : चीफ सैक्रेटरी ?

श्री हरिसिंह : हां, चीफ सैक्रेटरी, उस ग्रेड में वह होनी चाहिये।

दूसरी जैसे अभी बात सामने आयी कि एडमिनिस्ट्रेशन में डाक्टर नहीं होने चाहिये। मैं तो यहां तक डिमाण्ड करूंगा, हैल्थ सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी, डाक्टर होने चाहिये This is my demand. क्योंकि हैल्थ सैक्रेटरी आई.ए.एस. आपके पी. डब्ल्यू. डी. में आपने किया है Engineer is a P.W.D. Secretary. इरिगेशन में, तो यह एक तरफ तो डाक्टर्स से यह आशा करते हो कि बहुत प्यार से बात करें, बहुत प्यार से देखें, और उनको उस सेज पर टांग दो कि यह तो भगवान बन कर काम करें। भई भगवान बन कर काम करे तो, लेकिन आप भी तो संवेदनशील इनके साथ हों, भगवान की पूजा तो करो। तो अगर किसी आदमी से आशा की जाती है, समाज आशा करता है, मैं जानता हूं। डाक्टर की एक ऐसी पोजिशन है कि मरीज आता है, दुःखी आता है तो वह आशा करता है कि बड़े आराम से देखे, बहुत प्यार से देखे, उसकी मदद करे और उसका इलाज करे, लेकिन एक तरफ से काम नहीं चलता है। मरीज को भी उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिये कि भई इसने मेरी सेवा की है और स्टेट को भी उसी दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिये, यही मैं चाहता हूं और यह मेरी डिमाण्ड है कि मेडिकल सैक्रेटरी सैक्रेटेरीएट में डिप्टी सैक्रेटरी वगैरह डाक्टर होने चाहिये। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है डाक्टर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। लेकिन there cannot be any better administrator than B.C. Ray, Dr. Jeevraj

(श्री हरिसिंह)

Mehta. तो ऐसी बात नहीं है। If a man is efficient in one profession, he can be efficient in any profession. यह तो आई.ए.एस. वालों का कहना है कि वह सब जगह बैठ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर की भी सलाह देते हैं, मैं आई. ए. एस. के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह जरूरी है कि एग्रीकल्चर का डाक्टर बन गया है, गेहूं और जौ के पत्ते का पता नहीं, एजूकेशन का बन गया, पालिसी का पता नहीं। दस जमा दो क्या है? यह पता नहीं है। तो मेरी यह डिमाण्ड है कि Jack of all trades and master of none.

श्री हेतराम बेनीवाल : 40 साल में बदल गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वक्त हर चीज को बदल देता है।

श्री हरिसिंह : माननीय श्री हेतरामजी आप तो वही बात कह रहे हैं। मेरे को तो कम से कम 40 साल से तो मत जोड़िये। क्योंकि 40 साल पहले शायद मैं चौथी, पांचवीं में पढ़ता था। नहीं, मैं पालिटिक्ली जुड़ना चाहता हूं लेकिन 40 साल वाली बात तो आप भेड़िये वाली बात कर रहे हैं आप कि आपने पालक गन्दा नहीं किया तो आपके दादा ने किया होगा, तो यह मत करिये, आप। एक मेडिकल एडवाइजर की पोस्ट क्रियेट की थी सैक्रेटेरिएट में, वह भी बन्द कर दी इस वक्त। यह सब कुछ सुझाव मैंने आपको दिये। अब मैं भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, जो समाज से ताल्लुकात रखता है और कई दफा ऐसा होता है कि फलानां डाक्टर ने भ्रष्टाचार कर दिया, पटवारी करता है; आई.ए.एस. करता है, तो यह सारा समाज करता है, तो डाक्टर को अलग से भगवान क्यों मानते हैं? वह भी समाज का एक प्राणी है। उसके मोरल स्टैण्डर्ड भी वही होंगे, जो बाकी के समाज के हैं। इस हिसाब से कुछ तो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में आपको कहूंगा। (व्यवधान) नहीं, मैं उसकी खिलाफत कर रहा हूं, इस कोबाल्ट वाले मामले में सदन में काफी चर्चा हुई है और सबसे पहले चर्चा हुई, जब यह मामला जांच करवाया गया थानवी साहब से, और थानवी साहब की रिपोर्ट आयी। उसके बाद में तेजकुमार जी का जिक्र आया, बीच में कि तेजकुमार जी से जांच करवाई जायेगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री, तब के अपोजिशन के लीडर श्री भैरोंसिंह शेखावत ने यह कहा है, उस मामले में, मैं आपको एक निवेदन कर देऊं आप जिस तरह से इस मामले को बास आउट करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। यह माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने अपोजिशन के नेता यहां बैठे थे, कोबाल्ट वाले मामले में कहा था। तब रामाकृष्ण कमेटी बैठी। रामाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट भी यहां नहीं आयी। अन्त में यह केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में गया तो एक कमेटी बैठी डाक्टर कासलीवाल की सदारत में। उस कमेटी की रिपोर्ट का आपरेटिव पार्ट यह है: "Some of the staff of S.M.S. Hospital & Medical College have helped the accused Shri K.S. Abbas in cheating the Government for which proper enquiry should be made by the Anti Corruption Department. It is surprinsing that

(श्री हरिसिंह)

even a domestic enquiry at Institutional level has not been conducted so far." इस रिपोर्ट में बेसिकली इररेगुलरिटीज मानी है। फिर शायद एण्टी करप्शन में भी यह केस रजिस्टर हुआ है। यह मामले हो गये, सोर्स नहीं आया, माडल "5" की जगह "सी-1" माडल ले लिया गया। आज हमारे पास कैंसर के पेशेण्ट आते हैं, हम कहते हैं बीकानेर जाओ। आप सोचिये कि एक आदमी बीकानेर जाय। आज एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज में, हास्पिटल में रेडियोथिरेपी की फैसिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कोबाल्ट वाले घपले के कारण नहीं है। उदयपुर भेजते हैं। दो-तीन कैंसर के पेशेण्ट तो ऐसी सीरियस स्टेज में थे कि गये ही नहीं, मर गये। मेरे पेशेण्ट थे। यह बड़ा गम्भीर मामला है। माननीय सुश्री पुष्पा जी ने बहुत आगे बढ़कर बात कही थी। उन्होंने, जो अब आपकी केबिनेट मंत्री हैं, यह कहा इसी सदन में, "मैं सीधा आरोप लगाना चाहती हूं, चूंकि रामाकृष्ण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि 26 लाख रुपये के घोटाले के इस आपराधिक षड्यन्त्र में मुख्य अपराधी हास्पिटल के प्राचार्य डाक्टर एस.आर. मेहता हैं...." यह आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है। मुख्य मंत्रीजी ने जो आरोप लगाया, आपको पढ़कर सुना दिया, प्रोसीडिंग्स सुना दी। मैं यह नहीं कहता कि डाक्टर एस. आर. मेहता इसमें अपराधी है। यह आप लोगों ने कहा है। पर मैं यह जरूर कहता हूं कि इस गबन-घोटाले को एक्सपोज करके इस सदन को अवगत करायें। यह चाहे किसी ने भी किया हो, क्योंकि इसमें शुरूआत से आप देखें कि थानवी जी ने इन्क्वायरी कर ली, फिर रामाकृष्ण कमेटी ने इन्क्वायरी कर ली, फिर हाई कोर्ट में यह मामला चला गया, फिर इस सदन में कितनी बार चर्चा हो गयी। इसके ऊपर एक बात बताऊं आप को कि इस प्रदेश की जनता, इस एरिया की जनता इलाज से महरूम रह गयी। आपकी इन्क्वायरी में आयेगा कि कोई चोर है या नहीं, खाया गया या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों को लेकर इस कोबाल्ट वाले मामले को लटका दिया गया और शायद दस साल में इस हास्पिटल में कोबाल्ट थिरेपी अवेलेबल नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इसको तो एक तरफ पटक दीजिए, जो चाहें करिये लेकिन कोबाल्ट की फैसिलिटी नये ढंग से क्रीयेट करिये। इस चीज को लेकर, इस प्रकरण को लेकर क्या दस साल तक कोबाल्ट की फैसिलिटी आप यहां नहीं देंगे? एक तो, माननीय मंत्रीजी, आप स्पष्ट कीजिए कि इस कोबाल्ट वाले मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर नयी कोबाल्ट की व्यवस्था की जरूरत हो तो वह नहीं करेंगे। या इसको चालू करें। गड़बड़-घोटालों की बात देखी जायेगी, दोषी हैं उनको सजा दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर इस इलाके की जनता को इस इलाज से महरूम रहना पड़े तो कितनी बुरी बात है। इस प्रकरण में कौन दोषी है कौन नहीं है, नयी कोबाल्ट खरीदें, सोर्स कहां से लायें, यह सब है। या तो इसको चालू कराइये, या नयी व्यवस्था मैं चाहता हूं। काफी टाइम हो गया, 6 महीने के अन्दर-अन्दर अगर आप उपलब्ध करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इस प्रकरण की जांच कब तक पूरी कर लेंगे, क्योंकि दो-तीन-चार साल हो

(श्री हरिसिंह)

गये। कब तक आप एक्सपोज कर देंगे इस सारे स्कैंडल को? प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स और ब्लड बैंक की बात मैंने कही। इस मामले में आप पाजिटिव रिप्लाई दें कृपा करके। सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने घण्टी नहीं बजायी और बिना घण्टी बजाये मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। आपकी कृपा है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय, डाक्टर श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 1990–91 के परिवर्तित आय-व्ययक में प्रस्तुत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सरकार को उनके इस स्वागत योग्य निर्णय के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री चिकित्सालय विकास कोष की स्थापना की। मेरा यह विश्वास है कि इस कोष की स्थापना से राजस्थान राज्य में चिकित्सालयों के निर्माण एवं विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। सरकार ने इस बजट में अपना दृष्टि-दर्शाया है कि वर्तमान चिकित्सा इकाइयों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ किया जायेगा। यह भी स्वागत योग्य है क्योंकि राजस्थान राज्य में चल रही चिकित्सा इकाइयां पूर्णतः दुर्व्यवस्था और बेकार हालत में फंक्शन कर रही हैं। वहां, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार का अभाव महसूस किया जा रहा है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष पश्चात् भी राजस्थान राज्य का चिकित्सा के विकास की दृष्टि से देश के दूसरे चौदह बड़े राज्यों में बारहवां स्थान है, इन राज्यों के मुकाबले आशानुकूल प्रगति नहीं हुई है। इस कारण मैं सरकार और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनका उत्तरदायित्व इस दिशा में बहुत बढ़ गया है। उनके लिए अब राजस्थान राज्य में चिकित्सा व्यवस्थाओं का तीव्र गति से विकास करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

राजस्थान में वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में। शहरों की व्यवस्था और विशेषकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत तौर पर चर्चा कर दी। मैं उस पर दुबारा प्रकाश डालकर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा, परन्तु सरकार से मेरा विनम्र निवेदन इस दिशा में अवश्य होगा कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर एस.एम.एस. अस्पताल को शीघ्रातिशीघ्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में क्रमोन्नत कर देना चाहिये यह मांग बहुत समय से चली आ रही है। मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि एस.एम.एस. अस्पताल में, क्योंकि इस अस्पताल से मैं स्वयं दस वर्षों तक जुड़ा रहा हूं, योग्य चिकित्सकों का बिल्कुल अभाव नहीं है। सरकार को अपनी दिशा दृष्टि में परिवर्तन लाना है, यह काम सम्पन्न हो जायेगा। इससे राजस्थान की जनता को अति विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सकेगा।

दूसरा मेरा आपके माध्यम से सरकार

(श्री जितेन्द्र सिंह)

से विनम्र निवेदन है कि चिकित्सा व्यवस्थाओं का केन्द्र बिन्दु चिकित्सक ही होता है। चिकित्सक के अभाव में चाहे आप चिकित्सालय भवन का निर्माण करवा दें, औषधियां उपलब्ध करवा दें, पैरा-मेडिकल स्टाफ रिक्रूट करवा दें, पर उसको प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि एक चिकित्सक बनने के लिए विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, जीवन में बहुत समय देना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अनेक चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, हरेक स्तर पर। उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाय। मेरे पास रिक्त पदों की एक विशिष्ट सूचना पड़ी है। मैं माननीय मंत्री महोदय को उसका वर्णन विस्तार से पेश करना चाहूंगा। अतिरिक्त निदेशक के सभी पद डी.पी.सी. द्वारा नहीं भरे गये हैं तथा कनिष्ठ व्यक्ति इन पदों पर लगा रखे हैं। संयुक्त निदेशक के सभी 24 पद रिक्त पड़े हैं। संयुक्त निदेशक, प्लान के पद पर वरिष्ठ विशेषज्ञ लगा रखा है, जबकि यह पद जनरल कैडर के डाक्टर का है। कंसलटेंट के 7 पद रिक्त पड़े हुए हैं, उप निदेशक स्तर के 135 पद वर्ष 1986 से डी.पी.सी द्वारा नहीं भरे गये हैं तथा करीब 80 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। कई स्थानों पर इन पदों के विरुद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ लगे हुए हैं जो एक अनियमितता है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 950 पद वर्ष 1986 में डाक्टरों की हड़ताल के समय सृजित किये गये थे। अप्रैल, 1989 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 200 नये पद स्वीकृत हुए थे लेकिन खेद की बात है कि आज भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के भी 350 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञों के 840 पदों में से 335 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। चिकित्सा अधिकारी के अप्रैल, 1989 से पूर्व 400 पद रिक्त पड़े हुए थे जिसके विरुद्ध करीब 400 डाक्टर तदर्थ नियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन 400 डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिये अप्रैल, 1989 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा और उसके आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 400 डाक्टरों का चयन किया। वे पद भी अभी तक भरे नहीं गये हैं। अप्रैल, 1989 के पश्चात् 448 डाक्टरों की पदोन्नति की गई जिसके कारण 448 चिकित्सा अधिकारियों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। दिसम्बर, 89 तथा उसके बाद के कुछ समय में लोक सभा चुनावों के उपरान्त सरकार ने प्रदेश में 160 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, 80 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 50 रेफरल अस्पताल, 3 सेटेलाइट अस्पताल कायम किये और इसके फलस्वरूप 550 नये डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस प्रकार कुल 1400 चिकित्सा अधिकारियों के राजस्थान में पद रिक्त हैं, 300 चिकित्सक विदेशों में कार्यरत हैं उनके पद भी भरे जा सकते हैं और 200 डाक्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज फालो कर रहे हैं उनके पद भी भरे जा सकते हैं। इस प्रकार आप करीब 1900 नये डाक्टरों को नियुक्ति दे सकते हैं और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जब हाइली क्वालिफाइड चिकित्सक उपलब्ध हैं तो सरकार उनकी अवहेलना क्यों कर रही है ?

आज की तारीख में मेरी जानकारी के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

अनुसार अति विशिष्ट विशेषज्ञ, डी.एम., एम.पी.एच., एम.डी., एम.एस. क्वालिफिकेशन के चिकित्सक बेरोजगार हैं वह चिकित्सक का पद ग्रहण करने के लिये राज्य सरकार में आने के लिये तैयार हैं। राज्य सरकार उनको कहीं भी पोस्टिंग दे वह जाने को तैयार हैं।

मेरा निवेदन है जो हाइली क्वालिफाइड, जैसे डी.एम. और एम.पी.एच. क्वालिफिकेशन के और एम.डी., एम.एस. क्वालिफिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनकी सरकार अवहेलना न करे। अगर वह आवेदन करें तो उन्हें अपाइन्टमेण्ट दिया जाय और सरकार उन्हें चाहे जहां, विशेषकर ग्रामीण अंचल में भेज दे तो वह जाने के लिये तत्पर हैं, उसमें वे लेशमात्र आनाकानी करने के लिये तैयार नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से इन रिक्त पदों की समस्या की ओर विशेष रूप से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। मैं जैसलमेर के सीमान्त जिले से आता हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। कोई चिकित्सक जाने के लिये तैयार नहीं है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय और स्वास्थ्य सचिव इन सबसे आग्रह किया है कि इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भर दिया जाय। जैसलमेर के श्री जवाहर हास्पिटल में और पोकरण के अस्पताल में कम से कम 8 कनिष्ठ चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनको सरकार ने अभी तक भरा नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इनको शीघ्रातिशीघ्र भर दिया जाय, क्योंकि आपथेमोलोजिस्ट, जैसे आंख का डाक्टर है, उस का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। सर्जरी में 3 एम.एस सर्जरी पोस्टेड हैं, परन्तु एनेस्थेसिस्ट एक भी उपलब्ध नहीं है। मेडिसिन में 3 फिजीशियन्स वहां एम.डी पोस्टेड हैं, परन्तु पेथोलोजिस्ट का सर्वथा अभाव है और एक ब्लड शुगर और ब्लड यूरिया जैसे मिनिमम बेसिक इन्वेस्टिगेशन्स भी उस अस्पताल में नहीं किये जा सकते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि कम से कम इन पदों को तत्काल भर दिया जाय ताकि इस सीमान्त जिले में किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव जनता नहीं करे। इसकी विशेष परिस्थिति है अगर छोटा-मोटा आंखों का चश्मा भी लेना होता है तो लोगों को 300 किलोमीटर के फासले पर जोधपुर आना पड़ता है जिससे एक साधारण आदमी के लिये इतना खर्च करना कदापि सम्भव नहीं है।

दूसरा, आपको एक निवेदन करूंगा कि जैसलमेर में जो ग्रामीण अंचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें अनेक पद रिक्त पड़े हैं। इस बारे में सरकार ने विशिष्ट शासन सचिव प्रभारी बनाये थे जैसलमेर जिले के वह भी स्थिति का अवलोकन करके गये हैं और उन्होंने इन सब आंकड़ों का संकलन किया है और सरकार को या मुख्य सचिव को उन्होंने भी प्रस्तुत किये होंगे। उनको भी मैंने जब स्थिति से अवगत कराया तो वह भी काफी विस्मित हुए कि इतने सारे पद इस सीमान्त जिले में रिक्त पड़े हुए हैं और इससे सरकार की जनकल्याण योजनाओं की क्रियान्विति नहीं की जा सकती है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

तीसरा, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा वो यह है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत जैसलमेर अस्पताल के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है और पोकरण चिकित्सालय के लिये 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, परन्तु इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं जब से चुनाव जीतकर आया हूं पिछले 4 महीनों से इसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि किसी प्रकार से इस धनराशि का सदुपयोग किया जाय ताकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत जो धनराशि इयर मार्क की गई है इसमें 7 लाख रुपये के 3 डीजल जनरेटिंग हास्पिटल की खरीद के लिये निर्धारित किये गये हैं। जिसमें एक डीजल जनरेटिंग सैट पोकरण में, एक जैसलमेर में और एक नाचना में कायम करने की उन्होंने अनुमति दी है और चिकित्सा अधिकारियों को, कलेक्टर को सबको यह कह दिया गया है कि आप हमको रिसीप्ट दीजिये हम इसका तत्काल भुगतान कर देंगे। मैं इस स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन कर चुका हूं. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी एक विस्तृत नोट बनाकर पेश कर चुका हूं और स्वास्थ्य सचिव और एडिशनल डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ को भी एक डिटेल्ड जानकारी दे चुका हूं।

जैसलमेर दूरस्थ इलाका होने के कारण वोल्टेज का, बिजली के वोल्टेज का सर्वथा अभाव रहता है और उसके कारण एक्स-रे मशीन फंक्शन नहीं करती है। अगर वोल्टेज उपयुक्त नहीं आता है तो मरीजों को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है उसके पहले एक जिला मुख्यालय पर एक्स-रे हो सकता है इसलिये यह नितांत आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र जनरेटिंग सैट परचेज किया जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा तो वह कहते हैं कि टेन्डर्स काल करने पड़ेंगे उसमें 2 महीने का समय लग जायेगा। तो मैंने जब डिस्ट्रिक्ट लेबल के ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही थी तो उनको सुझाव दिया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास जनरेटर्स पड़े हैं और वह देने के लिये तैयार हैं और यह इंटर डिपार्टमेन्टल ट्रांसफर है इसमें रेट टेप कट जायेगी, तत्काल भुगतान हो जायेगा और जनरेटर अस्पताल को मुहैया कर दिया जाय ताकि इस समस्या का निराकरण हो जाये। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेरे 4 महीने के प्रयास के बाद भी अभी तक मुझे सफलता इस दिशा में प्राप्त नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसके ऊपर गौर फरमाएं और इस समस्या का तत्काल समाधान करवाएं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं यह भी आपको सूचना देना चाहूंगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत जैसलमेर चिकित्सालय में टी.बी. वार्ड का निर्माण 2 साल से चल रहा है। यह निर्माण अभी तक सम्पूर्ण नहीं हुआ है और मंत्री महोदय का अगली बार जब जैसलमेर में पदार्पण होगा तो मैं स्वयं उन को टी.बी. वार्ड का निरीक्षण कराने ले जाऊंगा और उनको यह देख कर इतना विस्मय होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्ष उपरान्त भी किस प्रकार झोंपड़ों में क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। इस

(श्री जितेन्द्र सिंह)

पर आप गौर फरमायें इन सब कार्यक्रमों को आप तुरन्त क्रियान्वित करवायें और सौभाग्य से अभी सदन में माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्री पधार आए हैं जिनके अन्तर्गत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फण्डस की उपलब्धि है। मैंने आपको भी इस बारे में पूर्ण जानकारी दे रखी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरह से कहीं भी इसका कोई प्रभाव नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह : अंत में 2 और सुझाव है। क्योंकि चिकित्सा सम्बन्धी सुझाव हैं। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में कुछ दिनों पूर्व ही प्रति-बन्धित ड्रग्स के बारे में माननीय सदस्य जो नसीराबाद से निर्वाचित हैं, ने मुद्दा उठाया था। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में विस्तृत लिस्ट भी प्रस्तुत की थी कि प्रतिबन्धित औषधियों का प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता है। मैं इस सन्दर्भ में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि डी. एच. क्यू. जो एक प्रतिबन्धित ड्रग है और उसका नाम कोम्पलीकेशन पैरीफरल यूराइटिस और रीट्रोपरबल यूराइटिस है, उसका वितरण जैसलमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी भी किया जा रहा है। मैंने स्वयं फलसूंड और मोहनगढ़ पी. एच. सी. का निरीक्षण किया था तो मुझे वहां चिकित्साधिकारियों ने अवगत कराया कि इस ड्रग का वितरण किया जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि इस ड्रग को विथड्रा कर लिया जाय और आल्टरनेटिव ड्रग सरकार प्रदान कर सकती है।

अन्त में मेरा आपसे लोक निर्माण के सम्बन्ध में एक शब्द मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चुनावी मुद्दों में ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम थे, चुनावी मुद्दे का कार्यक्रम था। ग्रामीण विकास में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के अलावा सड़क निर्माण को महत्वपूर्ण विकास की योजना होती है। मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि सरकार ने इस वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान में केवल 1 रुपये का नवीन सड़क निर्माण के लिये बजट प्रावधान रखा है। यह प्रावधान तो सर्वथा असंगत है और न्याय संगत नहीं है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसलमेर के हिस्से में अगर 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में 3 लाख रुपये का व्यय होता है, 1 करोड़ रुपये से राजस्थान में 37.03 किलोमीटर निर्माण होगी तो जैसलमेर के कितने मीटर सड़क आ जायेगी ? मैं इसी की जानकारी चाहता हूं और इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुये मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शान्ति-लालजी।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : माननीय सभापतिजी, सदन में चिकित्सा और सार्व-जनिक निर्माण पर चर्चा हो रही है, चर्चा के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी को चन्द सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापतिजी, चिकित्सा का लोगों से सीधा सम्बन्ध रहता है और यदि चिकित्सा सेवा से जनता की भलाई होती है तो उसकी

(श्री शान्तिलाल)

भूरि-2 प्रशंसा होती है और चिकित्सा सेवा यदि सही नहीं हो पाती है तो उसी के अनुरूप बुराई भी होती है।

साथ ही साथ, सभापतिजी, इस सदन के माध्यम से चिकित्सों को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनने का अनुरोध करना चाहूंगा और अगर संवेदनशीलता में किसी प्रकार की कमी है तो मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह शासकीय सख्ती का पूरा प्रयोग करें, संवेदनशीलता चिकित्सकों में उत्पन्न करें। आज चिकित्सा की दृष्टि से गांवों की हालत अच्छी नहीं है। गांव में कोई भी चिकित्सक नौकरी करना नहीं चाहता है और ज्यों ही वहां पर पोस्टिंग होती है तो किसी तरह अवकाश लेकर कोशिश करता है कि मैं अपनी पोस्टिंग हुई है उसको निरस्त करा लूं। या तो माननीय मंत्रीजी के इर्द-गिर्द चक्कर लगायेंगे या चिकित्सा निदेशक से किसी तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश करेंगे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : विधायकों के पास आयेंगे ?

श्री शान्तिलाल : विधायक के पास नहीं, माध्यम वही होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसमें आपका सहयोग चाहूंगा।

श्री शान्तिलाल : वह सहयोग आपको मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह से वह चिकित्सक चाहेंगे कि गांवों में जो उनकी पोस्टिंग हुई है, उनकी पोस्टिंग निरस्त हो जाय और उनको किसी न किसी शहर की डिस्पेन्सरी में पोस्टिंग मिल जाय। अगर यही स्थिति रही तो गांव में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होना मुश्किल हो जायेगा, वहां के लोगों को चिकित्सा सेवा नहीं मिल पायेगी और वह किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे जिसका असर हमारे लोक हित राज्य के प्रति ठीक नहीं माना जा सकता है।

मैं एक सुझाव और माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेजेज में भी जिन व्याख्याताओं की नियुक्ति होती है उनको नियुक्ति देने के पहले कम से कम 5 साल का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का एक्सीपीरिएन्स हो और उस एक्सपीरिएन्स के बाद ही मेडिकल कालेजेज में उनको व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति दी जाय। तो मैं समझता हूं कि गांवों में जो चिकित्सकों के अभाव की जो समस्या है उसका समाधान हो जायेगा। इसी प्रकार से जो सी. ए. एस. डाक्टर्स हैं वह भी कम से कम 5 साल तक गांव में चिकित्सक के पद पर काम करें, चाहे वह स्पेशलिस्ट हो, सिम्पल एम. बी. बी. एस. डाक्टर्स हों, यदि वह गांव में काम करेंगे और इसको सरकार आवश्यक बना दे, पहले 5 वर्ष तक गांव में काम करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी समस्या का हल स्वतः ही हो जायेगा।

सभापति महोदय, गांव के अन्दर चिकित्सक क्यों नहीं जाते हैं, इसके बारे में मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद में कुछ गांवों को डिस्पेन्सरीज में रिसेन्टली डाक्टर्स की पोस्टिंग हुई। उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि रेलमगरा में

(श्री शान्तिलाल)

पिछले दिनों में दो डाक्टर्स की पोस्टिंग हुई, कुरजा में दो डाक्टर्स की पोस्टिंग हुई, इसी प्रकार पिपलिया आचार्यन में दो डाक्टर्स की पोस्टिंग हुई लेकिन वह डाक्टर्स वहां पर ज्वाइन करके वापस चले आए और यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका स्थानान्तरण निरस्त हो जाय। माननीय मंत्रीजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने उनका स्थानान्तरण निरस्तीकरण के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है। कहीं न कहीं, कोई न कोई माध्यम ढूंढ रहे होंगे चाहे तो चिकित्सा निदेशक के इर्द-गिर्द या फिर मंत्रीजी के यहां कोई प्रयास कर रहे होंगे लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनका स्थानान्तरण निरस्त नहीं करें। यह सिर्फ एक ही विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है। यह पूरे राजस्थान की समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिये मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि वह गांव में जो चिकित्सक काम करते हैं उन्हें कम से कम 500/- रुपये प्रति माह के हिसाब से ग्रामीण भत्ता दे दें तो उनका गांवों के प्रति रुझान होगा, गांव में वह काम कर सकेंगे, गांव के लोगों की सेवा करेंगे और इससे माननीय मंत्रीजी की समस्या, पूरे प्रदेश की समस्या और गांव वालों की समस्या हल हो जायेगी।

जहां तक चिकित्सा सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चिकित्सकों का प्रश्न है। उनके साथ काफी अन्याय हुआ है, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह उनके बारे में विचार करें। मैं यहां रोस्टर प्रणाली के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 1989 में कुछ सी. ए. एस. डाक्टर्स की सीनियर मेडिकल आफिसर के पद पर पदोन्नति के आदेश निकाले गये थे, इसके बाद 6-7 बार और आदेश निकाले गये लेकिन किसी भी अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति के चिकित्सक को रोस्टर प्रणाली के आधार पर पदोन्नति नहीं की गयी है। जब मैं इस सम्बन्ध में मेडिकल सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार जी से मिला, डिप्टी सेक्रेटरी से मिला, माननीय मंत्रीजी से भी मिला। माननीय मंत्रीजी ने तो यह कह दिया कि मैंने ऐसे आदेश कर दिये हैं लेकिन दुबारा जब मैं डिप्टी सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाने का कौन जिम्मेदार है? क्या वह गरीब डाक्टर जिम्मेदार है जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं? इसके लिये कोई न कोई अधिकारी जिम्मेदार है और सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाने के कारण यदि उनके हकों का हनन हुआ है तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें और ऐसी कार्यवाही करें कि अन्य विभाग वाले भी इस तरह के कानून-कायदों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करें।

सभापति महोदय, मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिन आदेशों में रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया है, पालना नहीं हुई है तो क्या रेट्रोस्पैक्टिव डेट से उन पात्र चिकित्सकों को इस बात का लाभ देंगे? यदि नहीं देंगे तो उनमें

(श्री शान्तिलाल)

बड़ा असंतोष फैलेगा और असंतोष फैलेगा तो सरकार पर भी बड़ा गलत असर पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करूं कि पिछली सरकार की कथनी और करनी में अन्तर होने के कारण वह आज सिकुड़ कर एक बेंच पर विराजे हुए हैं। और यदि हम भी ऐसा ही करेंगे, हमारी कथनी और करनी में अन्तर होगा तो हमारा हाल भी ऐसा ही हो सकता है। अगर आप थोड़े से संवेदनशील होंगे, इन लोगों के हक को नहीं मारेंगे, इनको जो अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करेंगे तो मैं समझता हूं अभी तो 54 सदस्य विराज रहे हैं लेकिन अगले आने वाले चुनाव में 10 सदस्य भी नहीं मिलेंगे। यदि हम लोग यह अहसास कर लेंगे कि हमारी सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शान्तिलाल : एक बात और माननीय मन्त्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज चिकित्सक सही मायने में जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। वह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चिकित्सा के बारे में अच्छे जानकार हैं वह तो राजकीय संस्थान को कार्मशियलाइज-वे में कन्वर्ट कर देते हैं और जो सामान्य ज्ञान के व्यक्ति होते हैं वह कमीशन की दवाइयां लिखते हैं और गरीब लोगों की खून-पसीने से कमाई हुई गाढ़ी कमाई को खोसते हैं। केमिस्ट 10 पैसे का एक कैप्स्यूल बनाते हैं और उससे उसके दो रुपए चार्ज करते हैं। उनसे भारी कमीशन वह चिकित्सक इस तरह की फर्जी दवाईयां प्रेस्क्राइब करके प्राप्त करते हैं जो स्वयं उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देने का एक बहुत बड़ा सूचक है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसी मेडिशन्स जो राजस्थान में प्रेस्क्राइब की जा रही हैं उनका एनैलाइसिस करवाएं। यदि वह गुणों के आधार पर अच्छे स्तर की नहीं पाई जाती हैं तो ऐसी मेडिशन्स पर बेन लगा दिया जाए। ताकि जनता के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ नहीं हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरीश झामनानी।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर-पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवम् लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। चिकित्सक का रूप आज समाज में ऐसा होना चाहिए कि भगवान के बाद यदि कोई दूसरा रूप होना चाहिए तो वह चिकित्सक का होना चाहिए। उसका दायित्व है समाज के प्रति इस प्रकार का होना चाहिए। इसके बदले में स्थिति यह देखी जाती है कि चिकित्सक अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरा दायित्व न निभाते हुए उसके विरुद्ध कई बार गलत आचरण करता हुआ पाया जाता है। कई अस्पतालों में इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है कि चिकित्सक सुबह अपने समय पर ड्यूटी पर तो आ जाते हैं लेकिन केवल दस्तखत करके वापस चाय-पान करने के लिए या प्राइवेट प्रेक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री जिस प्रकार से इस समय राजस्थान में कार्य कर रहे हैं, उनके आने से चिकित्सा विभाग में जिस तरह से कुछ अन्तर आया हुआ

(श्री हरीश झामनानी)

दीखता है, यदि वह थोड़ा और प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं उन डाक्टरों पर जो यह यह मनमानी कर रहे हैं उनमें कुछ अन्तर आयेगा।

डाक्टर आने के बाद में उनको जो सुविधा मिलनी चाहिये, उन सुविधाओं का अभाव होने के कारण से भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जो चार लिफ्टें लगी हुई हैं। चार लिफ्टों में से तीन लिफ्टें कई वर्षों से खराब पड़ी हुई हैं, मात्र एक लिफ्ट कार्य कर रही है। इस कारण से भी आपरेशन करने के लिये मरीजों को आपरेशन थियेटर में ले जाना पड़ता है उस समय भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपरेशन करने के बाद जब मरीज बेहोशी की हालत में होता है तो उनके रिश्तेदारों या पड़ोसियों को इकट्ठा करके या जो और दूसरे मरीजों के रिश्तेदार आये हुए होते हैं उनकी सहायता से कंधे पर से मरीज को सीढ़ियों पर से लाया जाता है। इसकी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। मुझे पता लगा है कि लगभग एक साल से नई लिफ्ट लगाने के लिये सरकार विचार कर रही है। लेकिन उसकी अभी कोई योजना या उसकी क्रियान्विती मुझे नहीं दीखती है। इसलिये मेरा सुझाव है मन्त्री महोदय को कृपा करके उन खराब पड़ी हुई तीन लिफ्टों को ठीक कराने की व्यवस्था करें और यदि उनके ठीक होने की सम्भावना नहीं हो तो नई लिफ्ट की कोई न कोई योजना तुरन्त प्रभाव में लाने की व्यवस्था करें।

ऐसे ही एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वहां पर 6 एम्बुलेंस हैं लेकिन 6 की 6 की स्थिति इस प्रकार की है जैसे कोई पुरानी गाड़ियां हों। मरीजों को लाते ले जाते हुए उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे खड़खड़ाती हुई रोडवेज की बसें हों। इस प्रकार की उनकी स्थिति है। कई बार तो शंका होती है कि उनमें जाते हुए मरीज समय पर अस्पताल में भर्ती करा भी पायेंगे या नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की खराब एम्बुलेंसेज को तुरन्त ही निकाल करके दूसरी नई एम्बुलेंसेज की व्यवस्था अजमेर शहर में करने की व्यवस्था करें।

अस्पताल में फैली हुई गन्दगी के बारे में भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मन्दिर का रूप ही अस्पताल का होना चाहिये। जहां रोगी जाते ही एक सुखमय अनुभव करे। उसकी जगह वहां जाते ही जो गन्दगी की स्थिति है उसको देखकर मन को बड़ा कष्ट होता है। कई बार जब इस सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये प्रयास किया तो पता लगा कि वहां पर पूरी संख्या में जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिये उतने नहीं हैं। सफाई कर्मचारियों को जो पर्याप्त सफाई की सामग्री मिलनी चाहिये उसका भी बड़ा अभाव है। मेरा निवेदन है कि इसकी पूरी व्यवस्था की जाये। माकूल सफाई कर्मचारी अस्पताल में हों और उनको उपयुक्त मात्रा में सामान मिले ताकि सफाई की पूरी व्यवस्था की जा सके।

अस्पताल में शौचालय और मूत्रालय, उनकी इस प्रकार की स्थिति है कि देखते ही बड़ा कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गन्दी, सड़ी हुई बस्ती में मूत्रालय और शौचालय हैं। साधारण आदमी का

(श्री हरीश झामनानी)

वहां जाना बड़ा कठिन सा लगता है। मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति न हो इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था करें।

एक बात और वहां पर देखने को मिलती है। साधारणतया डाक्टर लोग वहां पर आये हुए रोगी को मल-मूत्र और खून टैस्ट कराने के लिये जिनका बाहर से सेटिंग होता है उनको वह प्रेरित करते हैं कि वह बाहर से जाकर के इसका टैस्ट कराए। जबकि अस्पताल में लाखों रुपयों के इन्वेस्टमेण्ट से वह सारे यंत्र पड़े रहते हैं जिनसे कि ये टैस्टिंग हो सकती है। पर क्योंकि डाक्टरों की बाहरी प्रयोगशाला से सेटिंग होती है इसलिये उनको बाध्य किया जाता है कि जाकर के बाहर से टैस्ट करवाये। मेरा निवेदन है कि इसकी कुछ न कुछ इस प्रकार की योजना बननी चाहिये कुछ आदेश होने चाहिये कि बिना किसी विशेष कारण के बाहर टैस्ट कराने के लिये कोई भी डाक्टर किसी भी मरीज को किसी भी हालत में भेजने की व्यवस्था न करे।

मेरा एक निवेदन और है। अभी कुछ दिन पहले पता लगा करीब 26 लाख रुपये के यंत्र-संयंत्र और मशीनरी अजमेर के अस्पताल में एक साल से अधिक समय से खराब पड़े हुए है। मेरा निवेदन है कि वह मशीनरी या वह यन्त्र-संयन्त्र 26 लाख रुपये के अनायास ही ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर इतना सरकारी धन लगा हुआ है। उनको या तो तुरन्त ठीक कराने की व्यवस्था की जाये या उसके बदले में और यन्त्र-संयन्त्र वहां पर उपलब्ध कराये जाये।

एक और सुझाव है। अस्पताल में भर्ती होने वाला कई बार स्वयं एक मरीज होता है या उसके साथ में कोई महिला होती है। जब डाक्टर कोई दवाई प्रेस्क्राइब करके लाने के लिये देते हैं तो कभी कभार दिन में या कभी रात्रि में उस दवाई को उस महिला को लाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। मेरा सुझाव है कि अस्पताल के अहाते में कोई न कोई ऐसी दुकान की व्यवस्था होनी चाहिये जहां 24 घण्टे दवाई की उपलब्धता मिल सके ताकि रोगी को या उसके साथी को तुरन्त दवाई मिल सके।

एक और सुझाव है। अजमेर शहर क्योंकि दिल्ली और अहमदाबाद के मुख्य मार्ग पर है। शहर भी बड़ा है। इसके कारण से क्या होता है कि कई बार कैजुअल्टी होती है। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं मेन रोड्स पर वह एक्सीडेंट युक्त व्यक्ति वहां भर्ती होने के लिये आते हैं। इस प्रकार की केजुअल्टीज के लिये केवल चार बैड्स ही उपलब्ध हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन बैड्स को बढ़ाने की व्यवस्था की जाये ताकि इस प्रकार की केजुअल्टीज में भर्ती होने के लिये जो मरीज आते हैं उनके भर्ती की कोई व्यवस्था हो सके। आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चोपड़ा (टोडारायसिंह): सभापति जी, मांग संख्या 19 व 26 पर मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मांग संख्या 19 व 26 लोक निर्माण कार्य एवं चिकित्सा की हैं। लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में माननीय मुख्य

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया था कि 60 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रखा है लेकिन मैंने जब लोक निर्माण बजट की तरफ ध्यान दिया। उससे मैंने महसूस किया कि ग्रामीण सड़कों के लिये 10 लाख रुपया है और शहरी सड़कों के लिये 200 लाख रुपया रखा है। गत वर्ष ग्रामीण सड़कों के लिये 18 प्वाइन्ट समथिंग था। मैं महसूस करता हूं 60 प्रतिशत बजट कहां गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई बजट नहीं रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस बजट में बढ़ोतरी करके ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बढ़ावा दिया जाये।

मैं ग्रामीण सड़कों की हालत आपके सामने पेश करूं, शहरी सड़कों के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत बड़ी जर्जर हो रही है। अगर खुदानखास्ता कोई डिलिवरी केस अपना लेकर शहर की ओर आये तो वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला या तो बीच में खुदा की प्यारी हो जायेगी अन्यथा वह प्रसव से मुक्त हो जायेगी और बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचेगी। वैसे हर सड़कें जो पुरानी सड़कें हैं, नई सड़कें नहीं बनीं जो तो नहीं बनीं लेकिन पुरानी सड़कों की हालत यह है कि हर कदम-कदम पर खड्डे पड़े हुए हैं। कोई मरम्मत नहीं है। विशेष तौर से मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की सड़कों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां जो आपकी नीति है हर पंचायत क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की है उसके अन्दर मुश्किल से 8 व 9 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा गया है और आगे का आपने कोई प्रोवीजन नहीं रखा है। क्या आप इसमें कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं? स्टेट टाइम की सड़कें बनी हुई हैं, जो पिछली सरकार ने सड़कें बनाई हैं उनकी हालत खराब चल रही है। उनके लिए विशेष तौर से ग्रामीण सड़कों पर ध्यान दें। वैसे पिछली सरकार ने हमारी तीन सड़कें स्वीकृत की थीं-टोडारायसिंह से गोगुन्दा, टोडारायसिंह से बरवास, बांसू से पवालिया। उनके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विशेष तौर से कोई बजट में प्रोवीजन रख कर उन सड़कों का निर्माण करवायें।

मैं आपका ध्यान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। टोडारायसिंह में गत वर्ष रेफरल अस्पताल स्वीकृत हुआ था। उसमें आपने अभी तक कोई डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ नहीं भेजा है। न कोई दवाइयां या अन्य उपकरण की व्यवस्था वहां हुई है। पी. एच. सी. मानोलाइ है, वह 15 साल पहले की पी.एच.सी. है लेकिन आज वहां 6 माह से अधिक कोई डाक्टर नहीं रहता है और वहां चार डाक्टर की पोस्टें हैं लेकिन कुल मिला कर हमेशा एक डाक्टर रहता है। वह भी अधिकतर जयपुर में रहता है और तनख्वाह वहां से उठाता है। न कोई नर्सिंग स्टाफ है और न दवाइयां हैं। उस गांव के आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने इलाज कराने के लिये या तो मालपुरा जाते हैं, 40-25 कि.मी. दूर या 35 कि.मी. दूर केकड़ी या 60 कि.मी. दूर टोंक जाना पड़ता है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सरकार ग्रामीणों के प्रति, गरीब किसानों के प्रति

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

संवेदनशील है। उसी के तहत मैं निवेदन करता हूं कि इन ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देवें। डिस्पेन्सरी खरेड़ा और डिस्पेन्सरी बरवास की हालत बदतर है वहां न डाक्टर है न नर्सिंग स्टाफ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां व्यवस्था करवायें। मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अभी एक मरीज को देखने के लिये सवाई मानसिंह अस्पताल में गया था। सवाई मानसिंह अस्पताल में जो लोग बाहर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं इलाज कराने। अस्पताल की हालत बड़ी बदतर है। उस दिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा मालूम हुआ कि एक कोई कमेटी विधान सभा की चैकिंग करने आ रही है। उस दिन बड़े धूम-धड़ाके से सफाई हो रही थी। उसके दूसरे दिन गया तो वही हालत खराब थी। जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि शौचालय और पेशाबघर की हालत बड़ी बदतर है। नाक भींच कर वहां से जाना पड़ता है। बड़ी हालत खराब है उस ओर विशेष तौर से सवाई मानसिंह अस्पताल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

टोडारायसिंह की सड़कों के लिये मैं निवेदन करूं कि उनकी हालत बिल्कुल खराब चल रही है। उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें। सभापति महोदय आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस स्वास्थ्य के लिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में जैसा कि हम मानते हैं उनके लिये एक कष्ट दे रहा हूं और वह कष्ट है कि आपके यहां दो लाख रुपये रिश्वत के लिये गये हैं। उन के नाम बता रहा हूं लेने वाले के, देने वाले और जहां से रुपये आये वह। इसलिये इसे बहुत ध्यान से सुनिये। अभी कोटपूतली के पावटा में चुनाव से ठीक पहले एक रेफरल अस्पताल खुला, पावटा के लिये उसके आर्डर हुये थे। एक माननीय सदस्य जिनको चुनाव लड़ना था जमवारामगढ़ से। वह एक चिरंजीलाल नरेठा वाला सेठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दो लाख रुपये दे दो मैं मैड अस्पताल करवा दूंगा। उस समय के जो मंत्री महोदय थे स्वास्थ्य के, उनके पास गये और जो पावटे के दो दिन पहले आर्डर हुए थे उनको बदलाने के लिये उन मंत्री महोदय को 70 हजार रुपये दिये। वह आर्डर मैड़ के लिये हुआ। एक लाख तीस हजार रुपये विभाग में बांटे गये यह माननीय श्री मुश्किलाल मोदीजी का अपना कथन है इसके अलावा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और है वह यह है कि कोई भी भवन खुद बना कर दे, कुछ पैसा भी दे, जैसा मेरे कोटपूतली में सरदार जनाना अस्पताल है, जब सरदार जनाना अस्पताल बनाया गया है उस समय उसके लिये भवन बनाकर दिया ठिकाने ने और रुपये भी जमा करवाये तब वह उसके नाम हुआ, उस समय एक सेठ जी का लेकिन वहां मैड़ में इस चिरंजीलाल नरेठा वाले ने न मकान बनाया और वह सार्वजनिक मकान है, उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन क्योंकि वह दो लाख रुपये न सरकार में आये और बांटे गये और बांटने के बावजूद उस अस्पताल का नाम चिरंजीलाल नरेठा वाला अस्पताल पड़ गया है। इस नाम की दूसरे दिन मंजूरी हुई है। यह ड्रामा आप जायजा लेने के लिये

(श्री रामकरण सिंह)

देख लेंगे तो आगे जो भी सज्जन हैं इसके बारे में, बहुत से माननीय सदस्य भी इस बारे में सतर्क होंगे। ऐसी चीज आपके सामने देना चाहता हूं। दो लाख रुपये सेठ चिरंजीलाल नरेठा वाले ने दिये और अस्पताल के आर्डर करवाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तारीख क्या थी कार्यवाही की?

श्री रामकरण सिंह : ठीक चुनाव के नोमिनेशन हो रहे थे उससे चार-पांच दिन पहले की बात है। उस समय के स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दो रोज पहले आर्डर पावटे का किया है और दो रोज बाद में 70 हजार रुपये लेकर यहां के कर दिये। जो रिकार्ड में मौजूद है। (व्यवधान) यह चिरंजीलाल नरेठा वाले हैं। मैं न तो आप लोगों को बख्शूंगा न उनको बख्शूंगा। अन्याय करोगे जिनका नाम लूंगा। यह बहुत साफ बात है। आप लोगों की भी कुछ बातें आई हुई हैं। वह बातें मैं बताऊंगा अगले बजट में बताऊंगा। इसके अलावा मंत्रीजी डिटेल्स आप चाहें....(व्यवधान) ट्रान्सफर की राजनीति मैं नहीं चलाता हूं। देखिये, ट्रान्सफर्स का जिक्र करते हैं तो मैंने....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आरोप लगा रहे हो तो बताओ।

श्री रामकरण सिंह : मैं बताऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी तो खुली किताब है, आपको ट्रांसफर कराने हों इसके लिये रोक रहे हो तो बात अलग है।

श्री रामकरण सिंह : ऐसा है, आप लोग बीच में टाइम बरबाद करने के लिये बताने से रोक रहे हो, ऐसा लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बताओ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कहने से क्या होता है?

श्री रामकरण सिंह : मैं सूचना इकट्ठी कर रहा हूं, बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कोटपूतली में डी. डी. एम. हास्पिटल है, वहां स्टाफ अधूरा पड़ा है वह तो पूरा हुआ ही नही लेकिन न जाने कौन पड़ौसी ने डिजायर देकर मेरे यहां से आदमी निकालना शुरू कर दिया। मेल नर्स वहां से दूसरी जगह भिजवा रहे हैं, क्या इण्टरेस्ट है, माननीय सदस्य जो बीच में बोल रहे थे वह सोचें। मेरे क्षेत्र में काम करने वाले डाक्टर्स और नर्सों को डिजायर देकर दूसरी जगह भेजने का क्या कोई सौदा करना है उनको, क्या बात है जो ऐसी चीज हो रही है? इसलिये यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा देहात के लिये मैं आपको एक जिक्र कर दूं। देहात में आपके अस्पताल बूचड़खानों से कम नहीं हैं। बूचड़खाने भी ऐसे हैं कि किसी चीज को कत्ल करके नदारद हो जाते हैं, न वहां पर चपरासी मिलता है न आपका कम्पाउण्डर मिलता है, न डाक्टर मिलता है। इसका जीता-जागता उदाहरण पांचोडाला, कल्याणपुरा, भवनावास, गोनेड़ा, नारेड़ा, ऐसी जगह हैं जहां डाक्टर्स नहीं हैं। डाक्टर्स की पोस्टिंग हैं,

(श्री रामकरण सिंह)

पैसे लेते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक, सभापति महोदय, कहना चाहूंगा, यदि आयन्दा मैं वहां गया और इस तरह से खाली अस्पताल मिले तो जनता के सामने ताला बन्द कराके आपको चाबी लाकर दे दूंगा। यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चाबी खोइये नहीं।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, आपको दे दूंगा। बन्द कराकर मैं आपको दे दूंगा।

दूसरा, निवेदन यह करना चाहता हूं कि जितने नेशनल हाइवेज हैं इन पर एक्सीडेन्ट रोजाना होते हैं, एक नहीं कई होते हैं। उनकी आपको विशेष व्यवस्था करनी है। नेशनल हाइवेज पर जितने भी हास्पिटल्स हैं वहां पर स्टाफ की और दवा की भी। यह आप स्पेशल व्यवस्था कीजियेगा। वर्ना वहां बड़ी मुश्किल है।

तीसरी चीज, मेरे यहां एक डाक्टर इन्चार्ज हैं। मैंने आपसे तबादले की बात नहीं कही। लेकिन अब यह कहता हूं कि उनका व्यवहार +++ है। माननीय चिकित्सा सचिव आये थे एग्जामिनेशन में उस समय मैंने +++ का जिक्र किया था तो वह हंसने लग गये। अब मैं कहना चाहता हूं कि वह ऐसे +++ हैं कि जो भी एक्सीडेन्टल होकर मरीज आते हैं, उन मरीजों को देखकर हमदर्दी होनी चाहिये, सहानुभूति दिखानी चाहिये लेकिन वह विजयसिंहजी, ऐसा टोंट कसते हैं, मेरे सिर माथे पर आ गये, मैं कहां तक क्या करूं, वह शेर बघेरे छोड़ देते हैं जैसे +++ घर में कोई मेहमान आ जाय उसके लिये बघेरे। ऐसे डाक्टर के लिये जहां इस तरह की हालत है, उसको आप चाहो तो बदल दो नहीं तो जैसा है हम काम ले रहे हैं और लेते रहेंगे। मेडिकल के बारे में तो इतना ही बहुत है, एक निवेदन और कर दूं। सड़क के बारे में....

श्री सम्पत सिंह : महिलाओं के लिये डेरोगेटरी है।

श्री रामकिशन : +++ निकलवाइये।

श्री सभापति : एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री रामकरण सिंह : महिलाओं की तरह कहा है। तरह शब्द कहा है, यह नहीं कहा कि होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण कार्यों के लिये जो अर्ज करना चाहता हूं। दो सड़कें मेरे यहां अण्डर कन्स्ट्रक्शन हैं। जिनमें एक सड़क जो कोटपूतली से राजनोता वाया नांगल पंडितपुरा बनाई जा रही है वह ऐसे साजिश से बनाई जा रही है, अगर आप देख लें तो बड़ा आश्चर्य होगा कि वह सड़क तीन किलोमीटर आगे चली गई दूर, वहां से वह राजनोता चली जाती लेकिन उस तीन किलोमीटर उल्ली तरफ से लेकर कुछ खड्डे खाइयां और नालों में होती हुई इसलिये बनाई गई है ताकि बनाने की जो टेक्निकल मन्जूरी होती है वह अधिक आदमी को

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामकरण सिंह)

मिट्टी गिराने में दी जाय। तो मिट्टी क्यों गिरा दी गई, वर्षा हो गई अब वह मिट्टी नालों में बह जायगी, अब दुबारा आपको वहां पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने कह दिया आपके एस. ई. साहब गये, एक्स. ईएन. साहब गये, वहां के ओवरसीयर ने उनकी परवाह ही नहीं की और कह दिया कि नहीं, नहीं, यह सड़क तो यों ही बनेगी। मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा एस. ई. साहब आप नहीं आते तो ठीक रहता। अगर उस समय मैं अकेला होता और यह इस तरह की बात कहता मैं बरदाश्त नहीं करता। आपके आफिसरों की यह हालत है कि एक जूनियर इन्जिनियर जो इस तरह की बात कह दे और उसको वह टाल जाय। उसके बाद में कोटपूतली से कासली वाली सड़क पर आइये। वहां गये तो उनसे बातचीत की, मैंने कहा रास्ते-रास्ते आनी चाहिए वर्ना इस रास्ते में पानी भरा रहेगा और यह जमीन किसानों की ओर ले ली जायगी। उस शख्श ने यह कहा कि मेरी तमाम की तमाम सड़क वह रास्ते के साथ साथ ही है। आखिर हम देखने गये, आपके एस. ई. साहब मौजूद थे, एक्स. ईएन. साहब मौजूद थे और यह ओवरसीयर महोदय भी मौजूद थे। मैंने कहा, यह बताइये कि कहीं एक जगह भी उस रास्ते से अलग वह सड़क, उस रास्ते में नहीं थी और सुन्दरपुरा गांव में ऐसे ढंग से वह सड़क बनी है, आपके एस. ई. साहब को और एक्स. ईएन. साहब को यह कहना पड़ा कि जो नाला पानी का आयेगा वह गांव को बहाकर ले जायगा। इसलिए यह बाड़ दूसरी जगह जा रही है, अब यह बाड़ आयेगी। यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा आपसे और निवेदन कर दूं कि मेरे यहां डाक बंगला नेशनल हाईवे पर है उसमें केवल दो कमरे हैं। भगवान ऐसा नहीं करे, लेकिन कभी इमर्जेन्सी हो जाय, वी. आई. पी. या दूसरे सज्जन जायें उनको ठहरने के लिए अगर दो फेमिली है तो भी उनके लिए कम है और तीसरा आ गया तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए उसमें दो कमरे और बढ़ा दो, ठीक रहेगा। टेली-फोन की और व्यवस्था करादो। क्योंकि एक दफा पी एम हाऊस के कुछ आदमी थे उनका एक्सीडेन्ट हुआ, उनको मैंने रोका। रोकने के बाद उनको कहीं बैठा नहीं सका। बाद में प्राईवेट मकान में एडजेस्टमेन्ट किया। वह लाइटनिंग कॉल करना चाहें लेकिन वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी इसलिए टेलिफोन की व्यवस्था हमारे इस रेस्ट हाउस में जो नेशनल हाइवे के ऊपर है कर दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, बड़े अदब के साथ आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकरण चौधरी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जो दोनों मांगों पर जो बहस हो रही है, यह दोनों ही आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के अलावा राजस्थान के ग्राम क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं माननीय मन्त्री महोदय को सदन के माध्यम से मेरे क्षेत्र के बारे में ही विशेष रूप से निवेदन

(श्री रामकरण चौधरी)

करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में मेड़तासिटी करीब पचास हजार जनसंख्या का शहर है। ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मीराजी का जन्म स्थान है और पांच मौजूदा सेशन्श और डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय मेड़ता सिटी में है, एक्स. ई. एन. के दफ्तर हैं, पी. एच. ई. डी. के हैं, आर. एस. ई. बी. के हैं, इरिगेशन के हैं। सारे विभाग हैं। अस्पताल जब से मैं पढ़ रहा था जिस हालत में था आज मैं इतनी अवस्था लेकर इस सदन में आया, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भूतपूर्व सरकार के मुख्य मंत्री भी आये सम्बन्धित मंत्री भी आये, अस्पताल के बारे में नागरिकों ने भी निवेदन किया था। पूरे आस-पास के इलाके के लोग इलाज के लिये मेड़ता सिटी आते हैं। उस अस्पताल में आज कम से कम 100 बेड्स की आवश्यकता है और बार-बार इसके लिये सरकार से निवेदन भी किया गया है। हमें आश्वासन भी दिये गये हैं। मौजूदा हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी जब पादू पधारे थे उस समय भी वहां के लोगों ने निवेदन भी किया था। इसलिये मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उस क्षेत्र में केवल मात्र एक मेड़ता का अस्पताल ही है बाकी आसपास सारी पी. एच. एस. सी. है। इस अस्पताल को तत्काल 100 बेड्स का अस्पताल करना बहुत जरूरी है। मौजूदा एक सर्जीकल की, एक गाइनिकी की साल भर से यह दोनों पोस्टें वेकेंट पड़ी है। दो दूसरे डाक्टर्स की पोस्ट वेकेन्ट पड़ी हैं। यह बात तो आपके मेड़ता की आई है। मेरे क्षेत्र में दो पंचायत समितियां लगती हैं एक रीयां और मेड़ता सिटी। पूर्व सरकार ने एक जनरल बात कही थी कि राजस्थान में हर पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर रैफरल अस्पताल खोले जायेंगे पता नहीं उस निर्णय का पालन कहां कहां हुआ है, मेरे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है। पंचायत समिति रीयां में अभी तक कोई रेफरल अस्पताल नहीं खोला गया है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि रीयां भी एक बहुत बड़ा कस्बा है, जिसकी 8-10 हजार की जनसंख्या है और मेड़ता से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां पर काफी अच्छी मण्डी है आसपास के कई लोग आते हैं। इसलिये इस अस्पताल का भी विकास करना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, गवारडी में गत वर्ष आपने एक अस्पताल खोला था अभी वहां कोई भी स्टाफ नहीं है। केवल एक मेल कम्पाउन्डर है। डाक्टर जो भी लगे हुए हैं उनका शायद प्रमोशन हो गया है दूसरे डाक्टर अभी तक लगाये नहीं है, लोग बार-बार शिकायत भी करते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि गवारडी अस्पताल को थोड़ा विशेष नोट कर लें और इसके लिये स्टाफ की व्यवस्था की जाये।

चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान को ले लीजिये और पश्चिमी राजस्थान में नागौर जिला। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य जिलों की तुलना में आज हमारे इस क्षेत्र में बहुत नये विकास की आवश्यकता है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में, इस पूरे सरकार के बजट का 60 प्रतिशत पैसा गांवों के विकास की ओर लगाने की बात कही है। मैं यह सुझाव

(श्री रामकरण चौधरी)

देना चाहता हूं कि गांवों का विकास चिकित्सा से है, गांवों का विकास सड़कों से है, गांवों का विकास शिक्षा से हैं, गांवों का का विकास खेतों को पानी और बिजली देने से होता है। पानी बिजली की जब बात आयेगी तब कहूंगा। आज सड़कों का और चिकित्सा के जो मुख्य मुद्दे हैं इस मामले में जब आप 60 प्रतिशत जब पैसा लगायेंगे तो मेरा निवेदन है कि मैंने बजट में यह बात देखी नहीं है कि किस क्षेत्र में क्या किया जायेगा कितने नये अस्पताल नये खोले जायेंगे, कितने अस्पतालों को अपग्रेड किया जायेगा कितनी सड़कें निर्माण की जायेंगी। इस प्रकार से 60 प्रतिशत बजट के हिसाब से नागौर जिले का जो हिस्सा आना चाहिये, जैसे पहले माननीय मंत्री महोदय ने 119 के नोटिस के जवाब में कहा था कि पश्चिमी राजस्थान के साथ डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें नागौर का नाम भी लिया था और सड़कों के बारे में उन्होंने नाप तोल बतायी थी। इस संबंध में मैं दूसरे मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं। आज अजमेर से लगा कर बीकानेर तक वाया मेड़ता और नागौर जो सड़क जाती है इतना अधिक ट्रेफिक है कि अभी मौजूदा बरसात के सीजन में ट्रैफिक को कन्ट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। स्टेट हाईवे हैं। शायद इसके जल्दी ही राष्ट्रीय मार्ग घोषित होने की भी संभावना है। इसलिये अजमेर से लगाकर मेड़ता, नागौर, बीकानेर तक की सड़क को जनहित में, राष्ट्रीयहित में, इस सड़क को डबल करना बहुत जरूरी है। मेड़ता सिटी बहुत बड़ी मण्डी है 100-50 ट्रक रोजाना रायड़ा के निकलते हैं। सड़कों के मामले में मेरा यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। निवेदन है कि अजमेर से लगाकर बीकानेर तक इस सड़क को डबल किया जाये ताकि सड़कों से हमारा रास्ता जुड़ा रहेगा।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कुछ इलाका रेतीला है, कुछ इलाका ऐसा है जहां काली मिट्टी है वहां अगर आज सड़कें नहीं है, पैदल भी कोई आदमी नहीं चल सकता है। रास्तों में पानी भरा हुआ है, मिट्टी बहुत चिकनी होती है लोग फिसल करके गिर जाते हैं। मेड़ता से कड़कवाल होता हुआ बगड़ को एक कच्ची सड़क जाती है। इस बरसात के मौसम में उस सड़क पर न तो कोई आदमी पैदल आ-जा सकता है न किसी प्रकार के कोई वाहन चल सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बजट में कम से कम अगर मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क ली जाये तो मेड़ता से कड़कवाल, मोररा होती हुई बगड़ तक तार रोड बना देते हैं तो आगे डेगाना भी पास हो जाती है। अजमेर भी आगे रास्ता मिल जाता है। इस सड़क के बिना कम से कम 20 गांव आज बहुत परेशानी में है। इसके अलावा मेरे पड़ौस के क्षेत्र डेगाना में यह हालत है कि अगर किसी मंत्री महोदय को वहां जाने का काम पड़ेगा, इस सीजन में आपके वाहन तो क्या पैदल आदमी नहीं निकल सकता। मुख्य मार्ग पर बस स्टेन्ड पर एक फीट कीचड़ पड़ा हुआ है। इसलिये डेगाना स्टेशन पर उन मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिये भी इस बारे में विशेष व्यवस्था की जाये। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवर लाल।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र सुजानगढ़ में एक जनाना अस्पताल है। सुजानगढ़ शहर की आबादी करीब 60 हजार के आसपास है। वहां पर जनाना अस्पताल में पिछले दो साल से महिला चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है। आज से करीब एक माह पूर्व माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का सुजानगढ़ में दौरा हुआ था और उस दौरे में वहां के लोगों ने और मैंने स्वयं ने भी उनसे निवेदन किया था कि चूंकि सुजानगढ़ शहर बहुत बड़ा शहर है और यहां के बड़े अस्पताल में भी किसी महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही जनाना अस्पताल में नियुक्ति की गई है। उन्होंने उल्टा महिला चिकित्सक के स्थान पर पुरुष चिकित्सक की नियुक्ति तो कर दी लेकिन महिला चिकित्सक जो बड़े अस्पताल में थीं उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज 60 हजार की आबादी के इतने बड़े कस्बे में महिलाओं के चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। महिलाओं को अपने रोग के उपचार के लिये सुजानगढ़ से लाडनूं या रतनगढ़ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल तथा जनाना अस्पताल दोनों में से किसी एक जगह पर तो निश्चित रूप से किसी महिला चिकित्सक की पोस्टिंग करेंगे। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि मेरे इस क्षेत्र में छापर एक कस्बा है जिसमें दो जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, वह भी जब से यह पोस्ट क्रिएट की हुई है, आज से एक साल पहले अब तक वहां पर किसी भी जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग नहीं की गई है। मैं इस आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि छापर के उस अस्पताल में आप निश्चित तौर पर जूनियर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की नियुक्ति कर वहां पर जनता को लाभ पहुंचायेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के क्षेत्र या चूरू जिले के अन्दर आज जहां 184 सब-सेन्टर गांवों में हैं, उन 184 सब सेन्टर में जिस प्रकार से सरकारी या मुझे जानकारी हासिल हुई है, उसके मुताबिक करीब 100 सब सेन्टर के ऊपर नर्स, कम्पाउण्डर की व्यवस्था है। बाकी 84 सब सेन्टर आज खाली पड़े हुए हैं। दूर दराज के इलाकों, रेगिस्तान के इलाकों, जहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, सब सेन्टर खोल दिये गये हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नर्स, कम्पाउण्डर्स के जहां-जहां पर स्थान रिक्त हैं, उनको भरा जावे। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र एक बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। वहां पर डिस्पेंसरीज या सब सेन्टर्स इस साल आपने बजट में खोलने का प्रावधान नहीं रखा है लेकिन जब भी आप अपने बजट में डिस्पेंसरीज खोलने का कोई प्रावधान करें, चूंकि 150 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में गांवों में किसी प्रकार की डिस्पेंसरीज नहीं है शहर के अलावा। इसलिए पश्चिम क्षेत्र जो सुजानगढ़ का है उसमें एक डिस्पेंसरी किसी भी गांव में खोलकर वहां की जनता को लाभ पहुचायेंगे।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन

(श्री भंवरलाल)

और करना चाहूंगा अस्पतालों के अन्दर एक्स-रे मशीन जैसी जो सुविधा होनी चाहिये। वह इतने बड़े शहर में आज एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं है। आज कोई भी एक्सरे वहां पर करवाना पड़ता है तो या तो गरीब आदमी को जो प्राइवेट क्लिनिक है, उनमें जाकर के करवाना पड़ता है या वहां से 50 किलोमीटर दूर रतनगढ़ जाकर के जहां एक्सरे की सुविधा है, वहां जाकर के करवाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि सरकार वहां कि एक्सरे मशीन जो पिछले दो साल से खराब पड़ी है, उसको ठीक कराने के लिये निश्चित तौर से कार्यवाही करेगी।

इसी तरीके से मैं दूसरी जो मांग है लोक निर्माण की उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सुजानगढ़ के कस्बे में बड़ी बिल्डिंग है, जो राजाजी की कोठी के नाम से वहां पर पुकारी जाती है और यह राजाजी की कोठी महाराज गंगासिंह जी के टाइम की बनी हुई है जिसकी आज अनुमानित लागत करीब एक करोड़ रुपये के आसपास है। पिछले काफी समय से जिस समय से वहां पर गवर्नमेन्ट कालेज चला करती थी आज से 10 साल पहले। उस गवर्नमेन्ट कालेज की बिल्डिंग अलग बन गई और 10 साल से वह जो बिल्डिंग है खाली पड़ी हुई है। वहां पर किसी प्रकार से उस बिल्डिंग का रख-रखाव नहीं है जिस के कारण से वहां पर वह बिल्डिंग आज दुर्दशा का शिकार हो रही है। वहां पर जितने भी किवाड़ हैं, जो भी लोग हैं उन किवाड़ों को तोड़ते हैं, खिड़कियों को तोड़ते हैं और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो नजुल प्रोपर्टी है या पी. डब्ल्यू. डी. की प्रोपर्टी है, उस बिल्डिंग के अन्दर जो सरकारी कार्यालय हैं सुजानगढ़ में दूसरे प्रकार के, जैसे सुजानगढ़ में तहसील भवन पहले था, वह जर्जर अवस्था में होने के कारण पिछले 5 साल से किराये की बिल्डिंग में चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किराये पर भवन चल रहा है, तहसील चल रही है उसका किराया लगभग 5000 रुपया प्रति माह के हिसाब से है। इसी तरीके से शीप एण्ड वूल का कार्यालय भी किराये पर चल रहा है, दूसरे और कार्यालय करीब 6-7 ऐसे कार्यालय हैं जो किराये पर चल रहे हैं। सरकार का पैसा भी इसमें खूब लग रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जिस प्रकार से घोषणा करती है कि हम खर्चों में कटौती करेंगे, आज जहां पर 10000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से किराये के पैसे लग रहे हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग आज सूनी पड़ी है और इतनी शानदार बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की मरम्मत करवाकर के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सरकारी कार्यालयों को उस राजाजी की कोठी के अन्दर स्थानान्तरित कर दिये जायें ताकि सारे कार्यालय एक जगह हो जायेंगे और उससे बाहर से आने वाली सभी जनता को, बाहर से आने वाले लोग एक जगह ही सारे काम अपने करवा सकेंगे। जिस प्रकार से तहसील कार्यालय है, ए.सी. एम. कार्यालय है, दूसरे कार्यालय हैं।

मैं दूसरा निवेदन और कर एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज सुजानगढ़ क्षेत्र और चूरू जिले की सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब हैं। माननीय सभापति महोदय, आप उधर से

(श्री भंवरलाल)

बहुत दफा निकलते हैं, सुजानगढ़ क्षेत्र के अन्दर एक सालासर में हनुमान जी का मन्दिर है, जहां हर पूर्णिमा व मंगलवार को मेला लगता है। काफी यात्री हरियाणा, पंजाब, गंगानगर, बीकानेर की तरफ से आते हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि आने-जाने के लिये काफी कठिनाई महसूस होती है। आज अगर सुजानगढ़ से रतनगढ़ के बीच में जो सड़क है उस सड़क पर चले जायें तो मैं समझता हूं कि चाहे अच्छी से अच्छी जीप या नई जीप हो उसके टायर भी उस 50 किलोमीटर में खराब हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि सुजानगढ़ से छापर, रतनगढ़ के बीच सड़क है, उस सड़क को चौड़ा कराकर मरम्मत कराकर और आम जनता को आप लाभ पहुंचाये। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के ऊपर विचार और पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से बैठक का समय मांग पारित होने पर बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 व 19 पर विचार

श्री सभापति : माननीय अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इससे पहले कि मांग संख्या 19 और 26 के विवरण के ऊपर अलग-अलग विषय पर जाऊं, मैं पहले कोटा के बारे में चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि यह हाड़ौती की राजधानी माना जाता है और दूसरा मैं जयपुर के ऊपर भी जो राजस्थान की राजधानी आज माना जाता है।

कोटा की अपनी एक राजनीतिक मान्यताएं रही हैं, मान्यवर, और उन मान्यताओं के आधार पर यह जिया है चाहे 1952 से लेकर आज 1990 तक। राजनीतिक दृष्टि से चाहे किसी प्रकार की कोई करवट ली हो इस राज्य ने किन्तु हाड़ौती का अंचल निश्चित रूप से एक विचारधारा के साथ हमेशा बंधा रहा और सजा रहा है। और मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से जितनी भी उपेक्षा कोटा की हो सकती थी, वह निश्चित तौर से सदन के माध्यम से होती रही। कोटा और हाड़ौती विशेषकर सदैव ही किसी भी दृष्टि से विचारा जाय तो उपेक्षा की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता रहा है। मैं छोटा सा निवेदन कर देना चाहूंगा कि 1980 से लेकर आज तक सदैव ही यह चर्चा का विषय रहा कि मेडिकल कालेज कोटा में बनाया जाये लेकिन वह नहीं बना।

(श्री अर्जुनदास मदान)

1985 में केबिनेट ने निर्णय लिया और उसके अनुरूप यह निर्णय लिया गया कि कोटा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी। 27 लाख रुपये का बजट भी उसके लिये निर्धारित कर दिया गया। डाक्टर पाटनी उसके प्रिंसिपल होंगे, यह बात भी निर्धारित हो गई, किन्तु 1985 से लेकर आज तक भी किसी प्रकार से कोटा में मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हो सकी।

मान्यवर, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आज जितने भी और अन्य 5 स्थान हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से किसी भी विचारधारा के रहे हों, किन्तु आबादी के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि चाहे वह बीकानेर हो या उदयपुर हो या और अन्य कोई स्थान हो, कोटा से पिछड़े हुए हैं आबादी के लिहाज से किन्तु क्या बजट फोरकास्टिंग कमेटी निश्चित रूप से उन पांचों स्थानों पर 50-50 लाख रुपये, 56–56 लाख रुपये अतिरिक्त बजट देती है। अगर 10 साल में 50–55 लाख रुपये बजट फोरकास्टिंग कमेटी के माध्यम से अजमेर को, बीकानेर को, उदयपुर को, जोधपुर को अतिरिक्त मिलते रहे तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि 10 करोड़ के लाभ से कोटा वंचित क्यों रहा? बजट फोरकास्टिंग कमेटी ने इसके लिये क्यों नहीं बजट का प्रारूप निर्धारित किया? कम से कम कोटा अस्पताल को तो इस बजट के माध्यम से कुछ सुविधा मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके बाद, मान्यवर, इन्सेन्टिव केयर यूनिट के नाम पर 50 लाख की योजना कोटा अस्पताल के लिये बनी। एक औद्योगिक घराने ने 25 लाख रुपये दे भी दिये, इससे सम्बन्धित उपकरण भी खरीदे गये, किन्तु आज भी उसके उपकरण एक डिब्बे में बन्द पड़े हैं। वह केवल मात्र धूल खा रहे हैं या बरसात के छींटे खा रहे हैं। उसमें से कुछ उपकरण तो यहां तक मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं सदन के माध्यम से कि अलग-अलग जगहों पर बंटते चले गये और बांसवाड़ा में भी कई उपकरण कोटा से उठा कर ले जाये गये और आज भी इन्सेन्टिव केयर यूनिट के नाम पर कोटा में किसी प्रकार की कोई रचना नहीं की गई है।

अगला पाइन्ट है, मान्यवर, मेरा कि आज कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से सम्बोधित किया जाता है और यह कहा जाता है कि कोटा में नये-नये प्रकार के उद्योग हैं किन्तु इस औद्योगिक नगर में एक्सीडेन्ट रिलीफ वार्ड के नाम से आज तक कोई स्थापना अस्पताल के माध्यम से नहीं की गई। आज इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं किन्तु कोई भी एक्सीडेन्ट रिलीफ का, मुझे याद आता है आज से लगभग थोड़े महीने पहले जब कि ये मेडिकल कालेज के डाक्टर्स लोग हड़ताल पर थे, एक दीगोद के अन्दर दुर्घटना हुई, 4 आदमी मर गये। चार आदमियों की दुर्घटना हुई, एक आदमी ने वहां पर दम तोड़ दिया और जब वहां पर आये तो अस्पताल के डाक्टर्स हड़ताल पर थे। उनमें से भी दो आदमी मर गये; एक आदमी बचा उसकी भी टांग काट दी गई, उसका भी इम्प्युटेशन हुआ। यह स्थिति आज कोटा नगर की है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मेरा ऐसा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मान्यवर, कुन्हारी चम्बल का दूसरा किनारा लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र में आता है।

(श्री अर्जुनदास मदान)

(4.50 म.प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज कुन्हारी है, सखतपुरा है कम से कम 22 हजार वोट हैं, 30 हजार की आबादी का वह क्षेत्र है। आज उस स्थान पर कोई अस्पताल नहीं है। इंदिरा गांधी नगर में जहां कम से कम 25-30 हजार लोग आकर बसते हैं, आज किसी प्रकार के अस्पताल की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। मैं तो जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं, तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा यदि किसी स्थान को मिली है, राजनीति की ठीक है हमारी अपनी मान्यता थी हम उस निष्ठा के आधार पर जीये और हमने आज भी अपनी निष्ठाओं को गिरवी नहीं रखा, इस सरकार से हमें अपेक्षा थी और यह भी मैं कह सकता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में 1985 से केबिनेट मंत्री स्तर पर जो निर्णय लिये जाते हैं कि वहां पर मेडिकल कालेज बने, जो कुछ भी राज्य सरकार देती है उसको प्राप्त करने के उपरान्त अपनी शक्ति का प्रयोग कर, अपने प्रभाव का उपयोग कर जो कुछ मिलता है वह मिले नहीं तो एक बार मदनमोहन मालवीया की तरह अलख जगा दें। जगह-जगह घूम कर मेडिकल कालेज की स्थापना कोटा में करनी पड़ती है तो हमें निश्चित रूप से करनी चाहिये, यह मेरी प्रार्थना और याचना है।

उसके बाद मैं आता हूं, मान्यवर, राजस्थान की इस नगरी जयपुर के अन्दर। मैं इससे पहले कि अपने विचार प्रस्तुत करूं, यह मेरे पास 21.3.88 की प्रोसिडिंग्स है इसी सदन की जिसके अन्दर केवल मात्र जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में विचार-विमर्श किया गया है उसके मुख्य वक्ता हैं सुश्री पुष्पा जी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय और उनके साथ-साथ तीसरे वक्ता ने इसका प्रत्युत्तर दिया, यहां पर जो जो प्रत्युत्तर मिलता चला गया, श्री रघुनाथ विश्नोई ने उसका प्रत्युत्तर दिया। दवाओं के मामले में, जितने भी संयंत्र खरीदे गये, जितने भी उपकरण खरीदे गये, सवाई मानसिंह अस्पताल में जितनी धांधली देखी गई यदि उसकी निश्चित रूप से कोई जांच पड़ताल की जाय तो जितने भी दोषी व्यक्ति हैं कोई भी उस गिरफ्त से बाहर नहीं जा पड़ेगा, मान्यवर।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, सिद्धराज ढड्ढा जैसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन केवल मात्र लोकोपचार में बिता दिया उस जैसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े, उन्होंने जाकर अपील की। उच्च न्यायालय ने उसके बाद फैक्ट फाइण्डिग कमीशन की नियुक्ति की। उसकी नियुक्ति के आधार पर आज उसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार के पास आ चुकी है। मैं यह कह सकता हूं कि जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी जांच-पड़ताल तो हो चुकी है किन्तु पता नहीं एक साल उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के उपरान्त भी आज तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार चुप्पी साधे हुए है? मैं उसकी तरफ ध्यान दिला कर, मान्यवर, निवेदन करना चाहूंगा, एक कोबाल्ट थैरेपी मशीन 83-84 में 26 लाख रुपये में आयातित की गई, मंगाई गई। इसका काम केवल इतना होता था कि केन्सर के रोगियों का इलाज इस मशीन के

(श्री अर्जुनदास मदान)

माध्यम से किया जा सके। मान्यवर, मैं निवेदन कर सकता हूं, 6 साल से यह मशीन आज तक डिब्बे में बंद पड़ी है और न जाने कितने लोगों की किस्मत उस डिब्बे में बंद पड़ी है। आज हजारों केन्सर से पीड़ित लोग जो स्थान-स्थान से यहां पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिये, उनके उपचार की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उस 26 लाख रुपये का जो उपयोग होना चाहिये था वह भी नहीं किया गया है। यह मशीन तोशीबा कम्पनी से जापान से मंगाई गई। सी-5 माडल का आर्डर दिया गया था कि सी-5 की मशीन मंगाई जाय जो उसकी एक क्वालिटी थी जो कोबाल्ट थैरेपी मशीन के नाम से सम्बोधित की जाती है। किन्तु, मान्यवर, उसके स्थान पर इस तोशीबा कम्पनी ने सी-1 माडल की मशीन को भेजा जो वहां पर बिल्कुल बेकार मान लिया जाता है, उसे उपचार में ही नहीं लगाया जाता। फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी ने यह भी निर्णय दिया था तोशीबा कम्पनी पर राज्य सरकार मुकदमा चलाये और यह 26 लाख रुपये वापस वसूल करे। किन्तु दुर्भाग्य है कि आज वह 26 लाख रुपये वापस प्राप्त हम को नहीं हो सके। यह जो कोबाल्ट थैरेपी मशीन थी उसका उपयोग भी नहीं हो सका। मान्यवर, क्या मैं पूछ सकता हूं फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी जिसकी रिपोर्ट एक वर्ष पहले आ गई है किन्तु उसके उपरान्त भी राज्य सरकार आज क्यों मौन है और तत्कालीन सरकार क्यों उस पर मौन साधे हुए थी ?

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक्सपाइरी डेट के बारे में। यह मेरे पास दो पेपर हैं, एक है राजस्थान पत्रिका 18 मार्च का, 26 मार्च का नवभारत टाइम्स भी मैं लाया हूं। जिसमें है इंजेक्शन की एक्सपाइरी डेट कौनसी थी। एक्सपाइरी डेट के उपरान्त इस सवाई मानसिंह अस्पताल में जिन इंजेक्शंस की, दवाइयों की अवधि समाप्त हो चुकी थी उनका उपयोग बराबर होता रहा और उसके ऊपर किसी ने भी किसी प्रकार की अड़चन और अंकुश नहीं लगाया। इसी विधान सभा में माननीय श्री भैरोंसिंह जी के सवाल पर श्री रघुनाथ विश्नोई ने यह स्वीकार किया था कि फैक्ट फाइण्डिग कमेटी की रिपोर्ट के अतिरिक्त हमने एन्टी करप्शन से भी इसकी जांच करा ली है। मान्यवर, मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया ? यदि दोषी पाये गये तो उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और मौन साधने का कारण क्या है उस तत्कालीन सरकार के लिये भी और वर्तमान सरकार के लिये भी ? जब कि दोनों प्रकार की रिपोर्ट हमारे हाथ में आ चुकी है।

इसके अतिरिक्त, माननीय महोदय, आज इस सवाई मानसिंह अस्पताल में मेरे क्षेत्र का धलाना नाम का कस्बा है वहां का एक घनश्याम नाम का छोटा सा मजदूर अपने शरीर के उपचार के लिये पड़ा हुआ है। उसके कोढ की बीमारी है। कोढ की बीमारी के लिये प्रावधान है कि राज्य सरकार सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के उपचार से ऐसे मरीजों को वंचित नहीं रखेगी। किन्तु मैं निवेदन करता हूं, मान्यवर, यह घनश्याम पिछले दो महीने से पड़ा हुआ है उस वार्ड की ऊपर वाली छांव में और अपनी जिन्दगी की आखिरी सांसें गिन रहा

(श्री अर्जुनदास मदान)

है। इस प्रकार की सारी चीजें हास्पिटल की तरफ से मिलने के उपरान्त भी आज वह कई चीजों के लिये वंचित रखा जाता है इस अस्पताल में। क्या है कोई पूछने वाला कि जब राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की सारी सुविधाएं ऐसे व्यक्ति विशेष को दिये जाने का प्रावधान है तो वह आदमी उनसे क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, एक गामा कैमरा मशीन यहां पर मंगाई गई और ट्रेनिंग के लिये उसके ऊपर एक लाख पचास हजार का खर्चा किया गया। माननीया माथुर उस की ट्रेनिंग लेने के लिये गई। कोई पूछ सकता है, इस गामा कैमरा मशीन का आज तक क्या उपयोग हुआ ? इसके अतिरिक्त मैं और भी निवेदन करता हूं, मान्यवर, 2 डी ई को कार्डियोलाजी मशीन जो 27 लाख रुपये में मंगाई गई थी, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 27 लाख रुपये की मशीन का इंस्टालेशन चार्ज, उसको लगाने के लिये दो लाख 67 हजार रुपये के बिल का राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 27 लाख की मशीन को लगाने के लिये पौने तीन लाख रुपया खर्चा होगा ? किन्तु वह पैसा किस की जेब में गया ? उसके ऊपर अंकुश रखने वाला कोई व्यक्ति है कि नहीं ? इस प्रकार का आज हम लोगों को विचार-विमर्श करने की जरूरत है, चिन्तन और मंथन करने की जरूरत है।

इसके उपरान्त एक इन्टेन्सिव केयर यूनिट का यहां पर आज है जिसके लिये, मैंने कोटा में निवेदन किया वह वहां तो नहीं है लेकिन यहां पर है। वहां पर एक सेन्ट्रल मोनो टानिक यूनिट जिसको 19 लाख रुपये में लगाया गया था, आप विश्वास कीजियेगा, इस पर साढ़े सात लाख रुपये के उपकरण खरीदे गये। यह माना गया कि यह साढ़े सात लाख रुपया इस मशीन को उपयोगी बनाने के लिये खर्चा किया जायेगा। किन्तु 19 लाख रुपया गया जो गया साढ़े सात लाख रुपये के उपकरण आने के पश्चात् भी यह आई.सी.यू. की मशीन जिसको सेन्ट्रल मोनो टानिक यूनिट के नाम से पुकारा जाता है, जो कि आई.सी.यू. का एक हृदय माना जाता है, एक हार्ट माना जाता है वह भी आज उपयोगी नहीं है। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं करता है कि इस सवाई मानसिंह अस्पताल में आखिर इतनी अनियमितताएं हो क्यों रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मेरा अगला सवाल है, मान्यवर। 12 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी गई। लोकल परचेजर से खरीदी गई। उसका कोई कोटेशन नहीं लिया गया। उसमें कोटेशन के उपरान्त भी किसी से यह नहीं पूछा गया कि यह दवाइयां किसके लिये खरीदी गई हैं। तीन लोकल परचेजर थे यहां जयपुर के जिनसे यह 12 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी गई और वह हास्पिटल में बांट दी गई। मैं यह आप को निवेदन कर रहा हूं, यह फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट मेरे हाथों में है यदि कोई सदन का आदमी पूछना चाहे तो मेरे पास है, मैं उसे रख सकता हूं। जो सी.आई.डी. की रिपोर्ट है उसमें यहां तक आई.जी. पुलिस ने कहा है कि जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिये। किन्तु आज

(श्री अर्जुनदास मदान)

भी राज्य सरकार उनके ऊपर मुकदमा चलाने में मौन है। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, और भी कई बातें हैं जिनको मैं यहां कह सकता था, माननीय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां जो प्रावधान है इसके अन्दर आप फेमिली प्लानिंग के लिये, परिवार कल्याण के लिये कोई निश्चित रूप से प्रावधान करें। मेरा प्रान्त एक ऐसा प्रान्त है, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार इसी सदन में निवेदन किया था कि सारे संसार में जितनी भी जनसंख्या है, एक देश ऐसा है जो हमसे आगे है वह है बांगला देश, वहां पर पापूलेशन, आबादी की दर हमारी दर से ज्यादा है दूसरे नम्बर पर यदि कोई विश्व में है तो भारत है और उस भारत में यदि किसी का प्रथम स्थान है तो वह राजस्थान है।

मान्यवर, इसी तरह यदि राजस्थान की आबादी बढ़ती चली गई तो हम योजनाओं का कितना ही आकलन कर लें किन्तु जब तक इसके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा यह अंगारा धधकता हुआ हम को दिखेगा नहीं और बढ़ती हुई आबादी राख की तरह उस अंगारे पर हमेशा चढ़ती रहेगी, हमको प्रगति नहीं दिखेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज आपको जो राजस्थान मिला है विशेषकर, आपके भाग मिले हैं, कल्पना कीजिएगा जहां पर दवाइयों के वितरण से लेकर शवों के परीक्षण तक रिश्वत ली जाती है, जहां पर एक-एक चीज पर सौदेबाजी होती है, यहां तक भी होता है हास्पिटल में कि एक आदमी को कहा जाता है 5-6 चीजों की जांच करवा कर आइये, ब्लड, ई.सी.जी. वगैर की जांच करवा कर आइये और डाक्टर एक बिन्दी लगा देता है जो बिन्दी यह प्रकट करती है, यह इशारा देती है कि सिर्फ इस चीज का परीक्षण करना है, बाकी पांच चीजें नार्मल-नार्मल कर देनी हैं, लो जिस पर बिन्दी लगाई जाती है, वास्तव में परीक्षण उसी चीज का होता है और चार्जेज छहों का ले लिया जाता है और डाक्टर को अपना हिस्सा मिल जाता है। इसी प्रकार दवाइयों के वितरण में भी हर डाक्टर का कोड नम्बर है। ए-1, ए-2, ए-15, ए-16। हर दवाई बेचने वाला यह जानता है कि यह कोड नम्बर किसका है। जो भी दवाई लेगा, दवाई का बिल बन जायगा और जिसका जितना पर्सेन्टेज है, ए-1 पर अगर मेरा नाम अर्जुनदास मदान है तो मुझे उसका कमीशन मिल जायगा। यदि उसमें माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी का नाम है तो उनको कमीशन मिल जायगा। इसलिए मैं केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक ऐसा राजस्थान आज, मंत्री महोदय, आपको मिला है कि वहां पर दवाइयों के वितरण से लेकर शवों के परीक्षण तक रिश्वत ली जाती हैं, जहां रोगी वाहन स्वयं रोगी पड़े हों वहां एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे रोगियों को वास्तविक रूप में इलाज मिल सके और वह महसूस कर सकें कि सत्ता में परिवर्तन आया है। जब हम एक स्कीम की बात करते हैं जिससे हम सोचते हैं कि एक स्वच्छ शासन मिलेगा और जो वातावरण हमें और समाज को मलीन कर रहा है उसको धो सकेंगे यह करें तो बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पी. डब्ल्यू. डी. चिकित्सा और स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही है। किसी भी प्रान्त का विकास, उसकी समृद्धि और वैभव, उसकी प्रगति या आर्थिक विकास, यह सारी बातें देखने के लिए उसकी सड़कों पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

सड़कों के निर्माण के आधार पर किसी प्रान्त की समृद्धि और वैभव निर्भर करता है। जिस प्रकार से शरीर में नाड़ियां, धमनियां और मांस पेशियां रक्त संचार के लिए आवश्यक है उसी प्रकार किसी देश और प्रान्त के विकास के लिए सड़कों की आवश्यकता हैं। यदि किसी प्रान्त के किसी भाग में सड़क नहीं हो तो उस हिस्से का विकास अवरूद्ध हो जाता है, उस क्षेत्र की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है और वह क्षेत्र सभी तरह से पिछड़ा रहता है। राजस्थान की इस दृष्टि से स्थिति ठीक नहीं है। सड़कों की दृष्टि से देश में राजस्थान का 13वां स्थान है। इस कारण इस प्रान्त को सड़कों की दृष्टि से देश में पिछड़ा हुआ प्रान्त कहा जा सकता है। पिछली सरकार ने प्रति वर्ष सड़क निर्माण पर जो पैसा खर्च किया जाता था वह किस प्रकार से खर्च किया? आज जिस प्रकार से सड़कों की हालत जर्जर और जीर्ण-शीर्ण है, उससे लगता है कि सड़कों के नाम पर जो राशि खर्च की गई उसका वास्तव में सही उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 89–90 में प्रान्त में कुल सड़कों की लम्बाई 56,956 कि.मी. थी जिसमें से 42,059 कि.मी. सड़क डामर की है, 4,415 कि.मी. सड़क डब्ल्यू. बी. एन. की हैं, 10,078 कि.मी. सड़कें ग्रेवल की है और 404 कि.मी. मौसमी सड़क है। वर्ष 89-90 में सड़कों के निर्माण पर 23.70 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो 90-91 में बढ़ाकर 38 करोड़ का किया गया जिससे 1700 कि.मी. नवीन सड़क बनाये जाने का प्रावधान है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हाड़ौती क्षेत्र में पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक उपेक्षा और भेदभाव के कारण सड़कों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जितनी भी सड़कें इस इलाके में हैं उनकी हालत इतनी जीर्ण-शीर्ण और रही है कि इन पर चलने में बड़ी कठिनाई आती है। नयी सरकार के माननीय मंत्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी भी उस क्षेत्र से आते हैं जिसकी सड़कों की हर दृष्टि से उपेक्षा रही। राजनैतिक दृष्टि से वह इलाका कांग्रेस की उपेक्षा के बावजूद भी बड़े धैर्य और साहस के साथ हमारे साथ बन्धा रहा। इस इलाके की जनता को इस बात का इन्तजार था कि कभी हमारी सरकार आयेगी और उस इलाके की जनता जिस लम्बे समय से दृढ़ता और धैर्य का परिचय देकर हमारे साथ बंधी रही....

श्री परसादी लाल मीणा : पहले आपकी सरकार आयी थी तब आपके यहां बहुत सड़कें बनायी थीं।

श्री हीरालाल आर्य : पहले आयी थी तो बहुत सड़कें बनायीं लेकिन उसके बाद जो सड़कें बनीं उनकी कांग्रेस सरकार ने मरम्मत तक नहीं की।

श्री परसादीलाल मीणा : कितने कि. मी. सड़कें बनायीं आपकी सरकार ने तीन साल में?

श्री हीरालाल आर्य : सड़कें सारी जीर्ण-शीर्ण हो गयीं जो बनी थीं। (व्यवधान) सड़कों की हालत यह हो गयी कि पुराने राजा-महाराजाओं के जमाने की जो सड़कें थीं वह सभी क्षतिग्रस्त हो गयीं उन सड़कों का कहीं नामो-निशान तक नहीं है।

कोटा जिले की जो मिट्टी है वह काली और चिकनी है। राजस्थान में और क्षेत्र तो रेगिस्तानी है लेकिन हाड़ौती की मिट्टी काली और चिकनी है जिसकी वजह से बरसात के दिनों में वहां पर हालत बड़ी खराब हो जाती है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और यहां तक कि इन दिनों में हालत नरक जैसी हो जाती है। नयी सरकार से आशा है कि वह इस हालत से इस इलाके को मुक्त करेगी। आश्चर्यजनक बात तो यह है, मेरा जो पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र है उसमें पिछली सरकार ने एक भी सड़क, जो बजट है उससे नहीं बनायी। कांग्रेस का वश चलता तो वह उस इलाके की जनता के साथ पता नहीं क्या सलूक करती लेकिन सौभाग्य से परमात्मा ने हमें चम्बल नदी दी है खास तौर से, मेरे इलाके में चम्बल सिंचित क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ सड़कें बनी थीं इसके अलावा स्टेट प्लान की कोई सड़क उस इलाके में नहीं बनी। इन सड़कों की मरम्मत किये जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चम्बल के सिंचित क्षेत्र में फर्स्ट फ़ेज पर जो सड़कें बनीं, उस इलाके का विकास हुआ और हाड़ौती की एक मात्र विकास परियोजना थी जिसको देख कर पिछले वर्ष कांग्रेस ने चम्बल सिंचित क्षेत्र के सैकिण्ड फेज की सड़कों को भी बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और सी. ए. डी. का सैकिण्ड फेज समाप्त कर दिया। फलस्वरूप उस इलाके में कोई नयी सड़क नहीं बनी....।

श्री रामस्वरूप मीणा : किस बात पर बोल रहे हैं आप ?

श्री हीरालाल आर्य : मेरा इलाका खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्र कृषि प्रधान है। इस इलाके में इतनी काली मिट्टी है। सब तरफ से मेरा इलाका नदियों से घिरा हुआ पड़ा है। बारिश के दिनों में नदियों में उफान आने की वजह से आवागमन के सारे रास्ते अवरूद्ध हो जाते है। कोटा से ग्वालियर वाया इटावा से जो मार्ग जाता है, उस पर बड़ोद के पास काली सिंध नदी पर कहीं भी पुल नहीं होने की वजह से सारा इलाका ब्लोक हो जाता है। इस इलाके के लोगों को, मरीजों को, अदालतों में न्याय प्राप्त करने जाने वाले लोगों को जिलों तक आने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, से मांग करना चाहूंगा कि उस इलाके में काली सिंध पर, उधर पार्वती खागोली के पास और स्टेट हाईवे जो नम्बर 19 है उस पर डेयरी चम्बल पर पुलियाओं का निर्माण करवायें।

मेरे इलाके में वैसे सरकार सडक निर्माण में स्टेट हाईवे को बड़ी प्राथमिकता से लेते है, इसलिए जब....।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : पिछली दफा जब हमारी सरकार आई थी, उस इलाके स्टेट हाइवे नम्बर 19 जो इन्द्रगढ़ से इटावा, मांगलोर, डग, चिड़ावा, झालावाड़ होते हुए

(श्री हीरालाल आर्य)

आगे आगरा तक मिलता था। लेकिन इटावा से इन्द्रगढ़ का जो रास्ता है, जो सड़क है वह कच्ची है। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि स्टेट हाईवे है इसलिए इस सड़क के निर्माण की शीघ्र आवश्यकता है। इसलिए उस पर पैसे खर्च करें। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत पन्द्रह सौ अधिक आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता से सड़कों से जोड़ने का सरकार का प्रावधान है। लेकिन मेरे क्षेत्र का लुआवा और बम्बोरी कलां जो पंचायत हैडक्वार्टर भी है और वहां की आबादी बम्बोरी कलां की करीब पांच हजार और लुआवा की तीन हजार है, अभी तक सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत उन दोनों गांवों को प्राथमिकता से सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था करें। मेरे इलाके में 42 पंचायतें हैं, जिनमें से मात्र 13 सड़क से जुड़ी हुई हैं। 29 पंचायतें अभी तक भी सड़कों जुड़ी हुई नहीं हैं। जिनमें 11 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी एक हजार की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत उन पंचायत क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ने की सरकार अविलम्ब व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा सरकार खर्च कर रही है, जिसमें धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बूंदी और कोटा जिला आता है। मेरा इलाका भी जो पार्वती और चम्बल के किनारे पर है। दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस मद में खर्चे से जो सड़कें बनाई जा रही हैं धौलपुर और सवाईमाधोपुर में बन रही है, लेकिन कोटा और बूंदी जिले में दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र होते हुए भी इस मद से कोई सड़क नहीं बनाई जा रही हैं। जबकि उस इलाके में हर साल चम्बल के रिवाइन्स होने की वजह से डाके पड़ते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। देखिए, मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है। 32 मेम्बर्स बोलने वाले हैं अभी 16 ही हुए हैं, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं। दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र का पैसा, जिनमें जो सड़कें निर्माण की जा रही हैं हमारे क्षेत्र में भी और कोटा जिले में भी दस्यु समस्याग्रस्त पैसा खर्च किया जाए। धार्मिक और पुरातत्व विभाग के जो स्थान है कमलेश्वर, जो बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है, बूंदी जिले में, प्रतिवर्ष कार्तिक माह में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों तीर्थ यात्री वहां पर प्रतिदिन पहुंचते हैं लेकिन सड़क से जुड़ा हुआ नहीं होने की वजह से यात्रियों को वहां पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि कमलेश्वर जो इस इलाके का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। इसके अलावा पूर्व में मेरे इलाके के विकास के लिए कुछ सड़कें प्राथमिकता से बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें खासतौर से इन्द्रगढ़, डिपरी, रिजोपा-डिपरी, इटावा से गेटा, गेटा से डिपरी....

Page No. 172

(172)

श्री उपाध्यक्ष : यह लिस्ट ही दे देना, आप मंत्री जी को।

श्री हीरालाल आर्य : वह लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है और वह लिस्ट मैं आपको उपलब्ध कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल मीणा। माननीय सदस्य, लिस्ट दे दीजिये। पढ़ा हुआ एक ही बात है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मैं इनको पढ़ तो दूं। अन्ता, मांगरोल, सुमेरगंज मण्डी से लुनापाक, करबर, खातौली, अयाना, बम्बोरीकला, डिपरी, अयाना, इन्द्रगढ़, कमलेश्वर, इटावा, बाडौली, झाडौली, मांगलोर, बम्बोरीकला, पीपल्दा, पुसोद, रणोदिया, जोरावरपुरा, बागली, निम्बोला, जटवाड़ा, जटवाड़ी, बालोदा, छावदा आदि लिंक रोड से जोड़े जाएं। इसके साथ ही....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : आजकल जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है पहले सड़क निर्माण करते वक्त नीचे पहले खड्डे खोदे जाते थे फिर उनकी कुटाई करके सड़कों का निर्माण किया जाता था। लेकिन आजकल जो मिट्टी की कुटाई करके जो ऊपर सड़क बनाई जाती है, जिससे सड़क आगे से बनती जाती है और पीछे से उखड़ती जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों के निर्माण में इस तरह की जो व्यवस्था है जो आगे तो बनती जाती है और पीछे से उखड़ती जाती है इस व्यवस्था को सुधारें। एक जब मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप की एक मिनट कितने सैकिण्ड की है।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे इलाके के जो बूंदी जिले का इन्द्रगढ़ है जिले से बहुत दूर पड़ता है वहां की जनता वहां पर और मांगलोर नगर में रेफरल अस्पताल खोलने की मांग वहां की जनता बार-बार करती रही है। मेरे इलाके के जो कई अस्पताल, सब सेन्टर्स और सेन्टर्स हैं, उन पर कर्मचारी और डॉक्टर नहीं हैं। डिपरी, पीपल्दा में ये पद रिक्त पड़े हुए हैं और कई सब सेन्टर्स में भी कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। उन पर नियुक्ति की जाए। दवाओं का भी वहां पर अभाव है, उनमे दवाएं उपलब्ध करवा कर नागरिकों का ध्यान रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : और समय का भी अभाव है, माननीय सदस्य। श्री मोतीलाल मीणा, (अनुपस्थित) श्री गोपीराम चौधरी (अनुपस्थित)

श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सा और निर्माण विभाग पर जो बहस कर रहे हैं और जो प्रस्ताव माननीय चिकित्सा मंत्री ने रखा है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो चिकित्सा व्यवस्था है और जिसकी सैम्पल सर्वे हमारे सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कालेज एस.एम एस. से हो चुकी है। इसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिला अस्पतालों पर इनकी स्थिति क्या होगी। वास्तव में नई सरकार ने जो वित्तीय बजट में प्रावधान किया है, मैं उन प्रावधानों में बड़े परिवर्तन की गुंजाइश तो नहीं समझता, अगर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सरकार की यह इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर से अपनी छवि बनाने के लिये इस चिकित्सा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये। कुछ इस तरह का परिवर्तन किया जाए कि लोग महसूस करें कि वाकई जो हैल्थ सर्विसेज है वह लोगों के काम आ सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने जिले के गांवों की व्यवस्था को देखूं और आपके सामने वर्णन करूं तो अस्पताल सिर्फ उस डाक्टर के लिए पर्ची लिखने की जगह है उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। वे एक स्लिप लिखते हैं और उस स्लिप से भी कमाता हैं कमीशन, इसके अलावा कोई व्यवस्था आज अस्पतालों में नहीं है। जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था पिछले सालों से जर्जर अवस्था में इतनी बिगड़ गई है, उसमें यदि हम उम्मीद करते हैं कुछ तो उसको सुधारा जाए। मेरा एक निवेदन है माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, जो डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं, मेरी समझ में सबसे बड़ी जड़ अगर इस व्यवस्था की है तो यह है। चूंकि मैं उनसे नहीं कहता। मैं उनको कहता हूं जिनको आप तनख्वाह देते हैं। आप पैसा देते हैं, जिनको तीन हजार, चार हजार रुपये तनख्वाह, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़े मकान और उस के बाद घर पर जो सिर्फ प्राइवेट ये पन्द्रह रुपये फीस और दस रुपये फीस है, सिर्फ फीस का दर्द नहीं है हम यह समझते हैं कि इस व्यवस्था ने सारे अस्पतालों को बिगाड़ दिया है। अस्पतालों के अन्दर कोई भी डाक्टर उन मरीजों को अपने घर पर ले जाने के लिये ही बैठता है। और कोई उस की इच्छा नहीं रहती। वह इस उम्मीद से ही, अगर नौ बजे का वक्त है तो साढ़े नौ बजे, दस बजे अस्पताल जायेगा। स्पेशलिस्ट तकरीबन अपने कमरों में नहीं बैठेंगे और यह कोशिश करेंगे कि वह मरीज उसके घर चले जायें। गंगानगर जिले की तो मैं कह सकता हूं, गंगानगर का जो बड़ा अस्पताल है, उसके सारे स्पेशलिस्ट डाक्टर्स के नर्सिंग होम हैं। अपने घरों पर डाक्टर भर्ती करते हैं, अपने घरों पर मरीज को रखते हैं और पूरी की पूरी पैरेलल चिकित्सा व्यवस्था उन्होंने चला रखी है। अगर यह व्यवस्था चलती रही तो निश्चित तौर से कोई गरीब आदमी, साधारण आदमी अस्पताल में कोई चिकित्सा नहीं करवा सकता। वहां तो वही पहुंचता है जिसको या तो मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा लेना हो या कोई ऐसी स्थिति हो जाये कि बहुत सीरियस ऑपरेशन, जो बाकी जगह नहीं हो सकता, करना हो। इसके सिवाय कोई नहीं जायेगा। मैं आपको कहूं, मुझे ताज्जुब है कि ज्यों ज्यों आपकी यह सेवाएं और डाक्टर्स सारे हैं, अस्पतालों के वार्ड खाली हो रहे हैं। अगर आप पूरे अस्पताल के इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या देखें तो पता लगेगा कि वह संख्या घट रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस सरकार की छवि बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि प्राइवेट प्रेक्टिस पूरी तरह बंद कर दें, जिससे कोई भी डाक्टर अपने घर पर किसी मरीज को नहीं देख सके, मजबूरन उसको अस्पताल में जाना पड़ेगा।

दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि अस्पताल में जितने भी परीक्षण के अपरेटस है वह सारे के सारे डिफेक्ट जानबूझ कर डाक्टर रखते हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था का इन्चार्ज

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कोई डाक्टर हो वही अपने घर पर एक्स-रे मशीन रखता है, वही अपने घर पर पैथोलॉजी रखता है। वही डाक्टर जब सारी व्यवस्था रखता है तो निश्चित तौर से अस्पताल में वह उन उपकरणों को चलायेगा नहीं। इसलिए दूसरी बात मुझे यह कहनी है।

एक बहुत बड़ी बीमारी, जो सारे देश में है हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है कि यह जो डाक्टर, जिनको मैं अनपढ़ डाक्टर कहूंगा, आर. एम. पी., खास तौर से छोटे-छोटे कस्बों और गांवों में पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था को यह लोग सम्भाले हुए हैं। जिनको न दवाई का पूरा पता है, जिन को न रोगी की स्थिति का पता है। वह इस तरह से पूरी चिकित्सा व्यवस्था में दखल देते हैं। उसने सारे प्रदेश के आम लोगों के स्वास्थ्य की यह हालत कर दी कि गलत दवाइयां देने से, गलत ट्रीटमेंट करने से बहुत से लोग, बहुत से परिवार बिछुड़ जाते हैं, बहुत से लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। क्या चिकित्सा मंत्रीजी यह व्यवस्था करेंगे कि इसकी सख्ती से जांच हो और ऐसे जो प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाये ?

मेरी तीसरी बात यह है और इसको मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी एक पत्र लिखा था, आज से महीना-डेढ़ महीना पहले। जब उन्होंने एक अभियान चलाया था कि लोग अपनी ड्यूटी पर रहें, चिकित्सा मंत्रीजी, आपका पूरा डिपार्टमेंट गांवों के अन्दर ड्यूटी पर नहीं रहता। अगर आप में कोई दम है तो कुछ करके दिखाइये। गांवों के अन्दर जो पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था है, विशेष तौर से मेरे एक साथी बैठे हैं जो गांव की रोज बकालत करते हैं, आज गांव के अन्दर आपने चाहे कोई डिस्पेन्सरी खोल दी हो, चाहे गांव के अन्दर कोई सब सेन्टर कायम कर दिया हो या गांव के अन्दर और भी चिकित्सा व्यवस्था कर दी हो, कोई भी मेडिकल पैराफेरी का आदमी, कोई भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कम्पाउण्डर अस्पताल में नहीं है। यहां तक है–मैं आप को सूचनाएं दूं–एक-एक महीने की हाजिरी जाकर लगाते हैं। पूरे के पूरे एक महीने अनुपस्थित रहेंगे और एक दिन हाजरी लगा कर सारी खानापूर्ति कर देंगे। तो गांव की हालत तो यह है कि हम तो सिर्फ यह महसूस करते हैं कि हमारे गांव में कुछ खुल गया, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए अगर नई सरकार गांवों में अपनी कोई छवि बनाना चाहती है तो यह व्यवस्था करे। चाहे वह इलाज नहीं करें, चाहे वह कुछ न करें, अगर गांव में रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ रहेगा तो कुछ न कुछ इमदाद गांव के लोगों को होगी। कुछ न कुछ उनको महसूस होगा कि हमारे गांव में अस्पताल है।

माननीय मंत्री महोदय, जो आपके निर्माण कार्य हैं, मैं समझता हूं कि आपने यह करिश्मा तो बहुत दिखाया है कि बहुत से इंजीनियर्स को सस्पैण्ड किया है, बहुत से इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही की है। यह जितने बड़े पैमाने पर कार्यवाही हुई है, मैं उसका स्वागत करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि आप यह महसूस करते होंगे, यह डिपार्टमेंट किस तरह का डिपार्टमेंट बन गया है। हमारे प्रदेश में जितने भी निर्माण कार्य

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इन इंजीनियर्स द्वारा होते हैं और सड़कों का निर्माण इन इंजीनियर्स के द्वारा होता है उसमें कितना बड़ा गबन है, कितनी बड़ी गड़बड़ी है, इसकी जांच तो आप कर ही रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सड़कों को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया हैं, गांव की अप्रोच रोड्स को या सिटी से मिलने वाली सड़कों को तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर सड़कें छोड़ रखी हैं और उसको आठ-आठ, दस-दस साल हो गये हैं। ऐसा मेरे क्षेत्र में है, जहां दस साल से दो किलोमीटर सड़क नहीं बनी, उससे पूरे का पूरा इलाका उस सुविधा से वंचित रह रहा है। दो साल हो गये उसको, हर बार टेण्डर होते हैं, टेण्डर टर्न डाउन हो जाते हैं और वापस टेण्डर होने की नौबत आती है तो नई रेट्स पड़ जाती है। हमारे सामने इन इंजीनियर्स का एक चैलेन्ज है कि यह कमीशन लिये बिना कोई काम नहीं करते। आज हाउस को यह मानना पड़ेगा कि कमीशन इंजीनियर्स की तनख्वाह है। क्या हमारे इस हाउस में बैठने वाला एक भी सदस्य कह सकता है, किसी भी इंजीनियर्स के लिए, उसको कोई सड़क पास करनी हो, कोई सड़क बनानी हो, ऊपर से लेकर, ताज्जुब करेंगे आप, चीफ इंजीनियर-जो जयपुर में बैठता है, एडीशनल चीफ इंजीनियर, जो बीकानेर में बैठता है, गंगानगर की बनने वाली सड़क का कमीशन वहीं बैठ कर लेता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जाता ही नहीं, सड़क देखता ही नहीं, कागज ही पता नहीं उसको कि किस जगह वह सड़क बन रही है, उसके बावजूद भी कमीशन उस के पास पहुंचता है। इतनी मजबूत व्यवस्था इनकी है कि इसको आज तक कोई तोड़ नहीं सका। चतुर्वेदीजी, अगर हिम्मत है तो वहां से तोड़िये। एक पर्सेन्ट भी अगर आप कमीशन कम करवा दें, दस की बजाय नौ, मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में हमारा नाम होगा कि हमने दस का नौ करवा दिया है। यह तो बारह करने जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इनको जो छोटे ठेकेदार मिलते हैं, बड़े ठेकेदार को तो कमीशन है दस पर्सेन्ट और जो गरीब ठेकेदार मिल गया, सी-क्लास या डी-क्लास का ठेकेदार मिल गया, उससे बारह, सोलह और अठारह पर्सेन्ट कमीशन लेते हैं। जिस सड़क में अठारह प्रतिशत कमीशन होगा, वह क्या सड़क बनेगी? क्या मैटीरियल वहां लगेगा? 18 पर्सेन्ट कमीशन और अठारह पर्सेन्ट ठेकेदार का मुनाफा, कुल 36 पर्सेन्ट, पूरा आधा पैसा ठेकेदारों और इन्जीनियर्स की जेब में जाता है, उस प्रदेश में सड़कों का निर्माण क्या होगा? हमारे जैसा गरीब प्रांत, जिसमें पैसे की दृष्टि से बहुत बुरी हालत है, इस मामले में हमारी वित्तीय स्थिति बड़ी कठिनाई में है, उसके बावजूद भी आप सड़कों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन इन्जीनियर्स की जांच को छोड़ दें, आप ठेकेदारों की एक मीटिंग बुलाइये और ठेकेदारों से ही यह पूछिये कि क्या स्थिति इन्होंने कर रखी है, कितना करते हैं? मैं समझता हूं मेरे जिले में, जो सीमान्त जिला है और ऐसा धन-धान पूर्ण जिला है जहां की पैदावार पूरे प्रदेश में आती है, पूरे प्रांतों में आती है, उसमें सड़कों की स्थिति यह है। हाड़ौती से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि कोटा उपेक्षित रहा, कोटा को सड़कें नहीं मिली। मुझे अब ऐसा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

महसूस होता है कि शायद अब कोटा वालों का नम्बर है, तो हम उपेक्षित रहेंगे ? हम को सड़क नही मिलेगी ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारे राजस्थान के मंत्री हैं और सारे राजस्थान को एक दृष्टि से देखेंगे, यह मैं महसूस करता हूं ।

श्री बृजराज मीणा : आपको शक कैसे हुआ ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे शक इसलिए हुआ, एक करोड़ रुपया रखा है। आपको क्या तकलीफ हुई ?

श्री अर्जुनदास मदान : वह सेवक हैं, साहब, आप बिल्कुल शक मत करो ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह मांग पैदा करना ही गलत है ।

श्री डूंगरराम पंवार : यह कोटे का मुंह खोटा, उतार दो पहले ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह कहता हूं कि किसी भी जगह से यह मांग उठती है कि उस वक्त हमारी नहीं चली क्योंकि कांग्रेस का राज था, उस वक्त हमारे क्षेत्र की नहीं चली कि कांग्रेसी जीते हुए थे, अब हम चलायेंगे, यह बहुत बुरी बात है और यह निश्चित तौर से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कहां से लगा दिया आपने कि हम अपनी चलायेंगे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए कह रहा हूं, माननीय मंत्रीजी कि बार-बार आपकी तरफ इशारा कर रहे थे वह और मुझे यह चिन्ता है.... (व्यवधान) मैं तो इशारा इसलिए कर रहा हूं कि मैं उन लोगों में से हूं....

श्री बृजराज मीणा : वह तो पीछे से कर रहे थे, आप आगे से कर रहे हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह व्यवधान नहीं डालें, यह समय उनका जा रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : सारे राजस्थान के साथ-साथ हाड़ौती इलाके का विकास करना उचित है माननीय सदस्य ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा यह इल्जाम नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का ही टाइम खराब हो रहा है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री महोदय, मुझे अन्त में एक ही बात कहनी है कांग्रेस ने इस प्रदेश में ऐसी परम्परायें डाली हैं। राजनैतिक हस्तक्षेप करके हमारे विकास को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि सारे प्रदेश का नुकसान किया है । हमें चाहिए कि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि आइन्दा से राजनैतिक हस्तक्षेप हमारी सड़कों के निर्माण में और हमारे कॉलेजों के निर्माण में और हमारी चिकित्सा विभाग की व्यवस्था में आड़े नहीं आये। निश्चित रूप से हास्पिटल में कोई स्पेशलाइजेशन हो, हास्पिटल में कोई व्यवस्था पैदा करनी हो, किसी क्षेत्र में विशेष सड़क बनानी हो तो हमेशा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

राजनीति का इस्तेमाल होता है। मैं निवेदन करता हूं नयी सरकार से कि आप....

श्री मदनलाल सैनी : वास्तव में राजस्थान में सबसे अधिक सड़कें गंगानगर जिले में हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपको पता नहीं है माननीय सदस्य गंगानगर में पी. डब्ल्यू. डी की सड़कें नहीं हैं। गंगानगर में सड़कें हैं केन्द्रीय सरकार की और वह भी इसलिए कि हम बोर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान से सात किलोमीटर पर डेढ़ सौ किलोमीटर तक के जो लाखों निवासी हैं वे पाकिस्तान की बन्दूकें और तोपों के सामने अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने वहां सड़कें बनायी हैं राजस्थान सरकार ने नहीं बनायी हैं। इसलिए राजस्थान सरकार कहे कि उसने सड़कें बना दीं वह गलत है। पिछले 10 साल के अन्दर गंगानगर जिले के अन्दर 15–16 किलोमीटर के अलावा सड़क नहीं बनी है।

आपकी भी यही नीति हो तो मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छी नीति है। मैं आपको राय भी नहीं दूंगा इस तरह की नीति प्रदेश में अपनायी जाय। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने प्रान्त के अन्दर ऐसी नीति नहीं अपनायें। जो नयी सरकार बनी है वह ऐसी फिजां पैदा करे जिससे कि सारे राजस्थान का विकास हो किसी के प्रति पक्षपात न हो।

मुझे आपसे यही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : राजस्थान में चिकित्सा सुविधा की जो बदतर हालत हमें पिछली सरकार से विरासत में मिली है उसकी लम्बी चर्चा में न जाकर मैं केवल यही कहूंगी कि इसको सुधारने की दृष्टि से हमारी सरकार को कुछ आवश्यक प्राथमिकताएं तय करके चलना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात राजधानी के सबसे बड़े हास्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल से प्रारम्भ करती हूं। सवाई मानसिंह अस्पताल को पिछले लम्बे समय से आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा देने की बात चल रही है लेकिन पिछली सरकार ने सिवाय आश्वासनों के इस दिशा में कोई काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस हास्पिटल ने हमें ऐसे-ऐसे डाक्टर दिये हैं जिनकी ख्याति आज देश भर में है। आज आवश्यकता है उन प्रतिभाओं का सही उपयोग करने की, आज आवश्यकता है चिकित्सा सुविधाओं का विकास करने की, आज आवश्यकता है चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण करने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सवाई मानसिंह अस्पताल को आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस हास्पिटल की जहां बहुत सारी खासियत हैं वहां बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। अस्पताल के डाक्टरों की राजनीति और गुटबाजी के कारण जो खामियाजा हास्पिटल में आने वाले गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, वह अक्षम्य है। उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कमेटियां गठित करने

(श्रीमती तारा भण्डारी)

की बात की, जांच कमेटियों की रिपोर्ट्स की बात की, जांच कमेटी की रिपोर्ट्स आपके सामने भी आयी हैं लेकिन आज आवश्यकता है कि चिकित्सा सुविधाओं को संवेदनशील बनाया जाय और इसके लिए मैं सरकार से अपील करूंगी कि इसमें एक कदम उठाकर सरकार उन जांच रिपोर्टों के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करना चाहेगी। मैं यह जानना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग के अफसरों की लम्बी चौड़ी फौज होने के बावजूद प्रशासनिक ढांचे और कार्य प्रणाली में कोई खास सुधार नहीं आया है। यहां तक कि सेवारत डाक्टरो के सेवा रिकार्ड और वरिष्ठता सूची तक व्यवस्थित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अकर्मण्यता के कारण राज्य के तीन हजार चिकित्सक बेरोजगार घूम रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है मैं कहना चाहूंगी कि चिकित्सा विभाग में लगभग 2 हजार पद चिकित्सकों के रिक्त पड़े हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि एक स्पष्ट और कड़ी नीति बनाकर इन रिक्त पदों को भरना चाहिए। महोदय, राज्य में आबादी का निरन्तर विस्तार हो रहा है और आबादी के विस्तार के अनुपात में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की संख्या बहुत कम है। अस्पतालों में जो निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं उनका मापदण्ड भी बहुत पुराना हो चुका है। आज उन मापदण्डों को बदलना नितांत आवश्यक है। प्रदेश में निरन्तर बढ़ती जा रही आबादी और अकाल के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और आज हमारे अस्पतालों की हालत यह है कि दवाई तो दूर उन्हें पट्टी तक बाजार से लाने के लिए कहा जाता है। इस सम्बन्ध में मेरे भाइयों ने काफी चर्चा भी की है और कई प्रकार की बातें भी की हैं कि जांच बाहर से करायी जाती है, कमीशनखोरी होती है, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि कई डाक्टरों ने अपनी कमीशनखोरी के लिए अपने निकट के लोगों को दवाई कम्पनियों और निदान केन्द्र खुलवा रखे हैं और मरीज को उन्हीं दवाई कम्पनियों की दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है साथ ही जो कमीशन देते हैं उन्हीं निदान केन्द्रों से जांच करायी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इस प्रकार की बात तो हम खूब करते हैं लेकिन अगर इसमें सुधार लाना है तो हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। अस्पतालों में कौन-कौन सी जांच सुविधा उपलब्ध है और कौन सी जांच बाहर से करायी जा रही है। इस प्रकार का रिकार्ड अस्पताल में बनाया जाय उसके बाद जांच की जाय कि अस्पताल में सुविधाओं के रहते कितनी जांच बाहर से करायी गयी और क्यों? अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो गयी तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूं कि इस कमीशनखोरी पर रोक लगेगी और इस प्रवृत्ति को रोकने में हम सफल होंगे। पिछली सरकार ने इस कमीशनखोरी को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया बल्कि बढ़ावा ही दिया है। कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती रही हैं। जीवन रक्षक दवाइयां जान लेवा सिद्ध हुई हैं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि नयी सरकार अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण देते हुए इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगायेगी।

कुछ बंधुओं ने अस्पताल में चिकित्सा उपकरण में घोटालों की बात कही। खास तौर से सवाई मानसिंह अस्पताल में जो उपकरण खरीदे उनमें जबरदस्त घोटाले हुए, उनकी जांच हुई और जांच रिपोर्ट भी सामने आयी लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सरकारी धन और देश की जनता के साथ धोखा किया है उन दोषी लोगों में से किसी एक को भी दण्डित नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूं कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ, चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो कार्यवाही की जाय और उन्हें जेल के सीखचों के पीछे भेजा जाना चाहिए।

महोदय, चिकित्सा सुविधा और सेवाओं का ढांचा आज बहुत कमजोर और लचर हो गया है। इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की आज आवश्यकता है। इसमें मेरा सुझाव है कि राजस्थान की चिकित्सा सुविधाओं के लिए एकीकृत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की स्थापना की जाय।

अन्त में ज्यादा लम्बी चौड़ी बातें न कह कर मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही मुख्यालय पर स्थित अस्पताल एवं उसके आस पास के अन्य अस्पतालों में आज वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की कमी, या रिक्त स्थान बहुत लम्बे समय से चले आ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी दो बार सिरोही जिले के दौरे पर गये और जैसा मेरे ध्यान में है वहां की जनता ने स्टाफ की कमी के कारण हास्पिटल में आयी निष्क्रियता की शिकायत ही बार-बार की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो जनता इतनी तकलीफों को देख रही है, वह हमारी क्या गत बनायेगी। जरा विचार करें इस बात पर। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत ही विनम्र शब्दों में आग्रह करती हूं कि वे हमारी जनता की तकलीफों को ध्यान में रख कर अतिशीघ्र जो भी पद खाली हैं, जहां स्टाफ की कमी है, जहां भवन की कमी है, या जो भवन मरम्मत के योग्य हो गये हैं, उनकी पूर्ति करें। संयोग से पी.डब्ल्यू.डी. भी साथ है और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी भी आप ही हैं। तो इस अस्पताल की दुर्दशा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकती। वहां के शौचालय की यह दशा है कि हम लोग जो बिना काम के भी किसी मरीज को अस्पताल में दिखाने जाते हैं तो भर्ती होने की तो और बात है, वहां के शौचालय की दुर्गन्ध के कारण हमको नाक पर रूमाल लेकर चलना पड़ता है। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि अभी शौचालय एवं स्नानागृह का जो सुलभ काम्पलेक्स बनता है, सिरोही अस्पताल के प्रांगण में सुलभ काम्पलेक्स बनाने की आज्ञा फरमावें और तो यहां के जयपुर के अस्पताल की भी थोड़ी पीड़ा मैंने भोगी है। तो मैं यह कहना चाहूंगी, जनाना अस्पताल में भी पिछले दिनों मुझे रहना

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पड़ा। मेरा आपरेशन हुआ। वहां कई लोगों के आपरेशन होते हैं। महिलाओं के सिजेरियन भी होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस आपरेशन को तो सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन तीन बार टांकों में वहां के इनफैक्शन के कारण पस पड़ गया। यह वहां की गन्दगी का नमूना है। उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के बारे में ज्यादा नहीं कहकर के मेरे भाई बंधु जो अपने-अपने क्षेत्र की बातें कह रहे थे, मैं राजस्थान की बात करती हूं। सिरोही गुजरात से लगता हुआ है और जब गुजरात से लोग राजस्थान आते हैं तो एक कहावत है कि सोता सोता गयूं, मैं ठोकर खाता राजस्थान आयूं। इसी प्रकार माननीय मंत्रीजी समझ जायेंगे कि हमारे इलाके की सड़कों का क्या हाल है। हम जब गुजरात से अपने प्रदेश में आते हैं तो एक ही झटके में नींद खुल जाती है और सायरन हो जाता है कि राजस्थान आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर आबू से सिरोही एक सड़क बन रही है। 20-25 वर्ष हो गये उस सड़क को बनते और मेरी समझ में एक करोड़ रुपये से अधिक इन सड़कों पर खर्च हो चुका है। वह सड़क जो सिरोही से आबू जाती है, सिरोही से आबू का मार्ग अधिक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिरोही से आबू 85 किलोमीटर है, जबकि इस सिरोही, आबू सड़क से जाने पर सिरोही आबू का मार्ग 36 किलोमीटर है। इस पर राजस्थान सरकार का अधिकतम रुपया, धनराशि व्यय हो चुकी है। मेरी तो इतनी सी मांग है कि आबू पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक सुन्दरता की दृष्टि से, कलाकृति की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। आबू के देलवाडा टैम्पल्स और आबू की छटा देखने वहां पूरे हिन्दुस्तान से और हिन्दुस्तान के बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं। सिरोही में हवाई अड्डे का भी निर्माण हुआ है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे राजस्थान को इसमें सम्मिलित करते हुए कहना चाहती हूं कि यह सिरोही का काम नहीं है, राजस्थान और देश भर के रहने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उसके शोर्ट कट को ध्यान में रखते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : इस सड़क को पुन: निर्माण की आज्ञा प्रदान करें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी बात....

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26 और मांग संख्या 19, जो आज सदन में चर्चा के लिए रखी गई हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वस्थ नागरिक ही इस राष्ट्र का निर्माता है। एक लाइन और इसमें लिखी हुई है। आज के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ-साथ दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यह विभाग सतत् प्रयत्नशील है। उपाध्यक्ष महोदय, शहरी लोगों के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को भी यह विभाग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। मैं माननीय मंत्रीजी को इन सब बातों

(श्री परसादी लाल मीणा)

के लिए कोई दोष नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि इस दोष के लिए जिम्मेदार शहर के रहने वाले लोग हैं, जो इस विभाग को चलाते हैं और गांवों में चाहे डाक्टर हो, ए. एन. एम. हो, कम्पाउण्डर हो, कोई भी ऐसा पद हो, चिकित्सा विभाग में, जब कहीं शहर में सरप्लस हो जायेगा तो उसको गांव में लगा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज शहर के किसी भी अस्पताल में यह बता दें, मंत्रीजी, कहीं वेकेन्ट पोस्ट है, डाक्टर की या, कम्पाउण्डर की, या ए. एन. एम. की। आपको कहीं भी राजस्थान में किसी भी शहर में वेकेन्ट पोस्ट नहीं मिलेगी और एक पोस्ट हो भी जायेगी तो इतने डाक्टर उसका ध्यान रखेंगे, तो तुरन्त मंत्रीजी या विभाग के अधिकारी, जो इस काम को देखते हैं, तुरन्त उसको गांव से उठाकर शहर में लाकर रख देंगे, इन सब बातों के लिए। आज वहां किस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जाते हैं, सब सेण्टर खोल दिये जाते हैं, एडपोस्ट खोल दी जाती हैं, औषधालय खोल दिये जाते हैं, परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का कि उनमें डाक्टर और स्टाफ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया है। मेरा माननीय मंत्रीजी से हार्दिक निवेदन है कि आप रहने वाले तो शहर के हैं, पर आपका ग्रामीण लोगों से भी अधिक सम्पर्क है। आज गांवों में सारे राजस्थान में गांवों में हजारों डाक्टरों के पद रिक्त हैं, पर आज उनको बिल्कुल भी नहीं भरा जाता है। मंत्रीजी ने जो ट्रांसफर किये, अब उनमें क्या किया कि शहर में कोई खाली जगह हो गयी या किसी का प्रमोशन हो गया तो गांव से लाकर शहर में रख दिया। इस प्रकार सैंकड़ों ट्रांसफर इन दिनों हुए हैं और गांवों में यह हालत हो गई है आज कि वहां पर डाक्टर, कम्पाउण्डर या नर्स के सारे पद रिक्त होते चले जा रहे हैं। न विभाग देखता है, विभाग के अधिकारी भी सारे शहर के रहने वाले हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनका सारा सम्पर्क शहर से है। गांव से किसी की सिफारिश आई, उठाकर गांव से ले आये तो मेरा तो यह सुझाव है इस सम्बन्ध में कि माननीय मंत्री जी आप मानें या न मानें कि शहर और ग्रामीण इलाके का एक-एक अलग से निदेशालय बना दें और शहर की सर्विस शहर में रखें और गांव में जिनकी नियुक्ति हो, उनको हमेशा गांव में रखें, जिससे वह लोग यह कोशिश नहीं कर सकें कि हम जयपुर आ जायें। उनको इस शर्त पर नौकरी दी जाये कि उनको देहाती इलाके में ही रहना पड़ेगा। कई डाक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर ऐसे बैठे हैं, शहरों में जिन्होंने गांव कभी देखे ही नहीं, उन्होंने गांव के कभी दर्शन ही नहीं किये। ट्रांसफर हो गये साल भर की छुट्टी ले ली, उन्होंने। सी. एम. एच. ओ. के पीछे, डायरेक्टर के पीछे, मंत्री के पीछे और हमारे साथी एम. एल. ए. के पीछे लग लगाकर कैसे भी उसको करवा लेते हैं परन्तु गांवों में कोई नहीं जाना चाहता है, आज के दिन! सब सेण्टर खोल दिये, ए. एन. एम. नहीं जाती है। किसी ए. एन. एम. का पोस्टिंग कहीं सी. एम. एच. ओ. करता है या डायरेक्टर करता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं 80 प्रतिशत पोस्टिंग किये जाते हैं, वह आर्डर कैन्सिल होकर वापस शहर के नजदीक या शहर में आ जाते हैं। गांवों में आज कोई नहीं जाता है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात बताऊं कि वहां जो लालसोट में ए.

(श्री परसादी लाल मीणा)

एन. सी. डब्ल्यू. सी. सेण्टर है, 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि वहां एक डाक्टर है, जबकि वहां एक जूनियर स्पेशलिस्ट होना जरूरी है और एक नर्स होना जरूरी है। किस प्रकार रेफरल होस्पिटल में हमने मुश्किल से 2 डाक्टर लगवाये थे, जबकि वहां पर 4 डाक्टर होने चाहिये थे। पर पता नहीं मंत्रीजी और साथ ही मेरे जिले के बहुत बड़े नेता और विधानसभा मुख्य सचेतक जी ने की पता नहीं हमारे ऊपर मेहरबानी क्यों नहीं है, उस डाक्टर को भी वहां से हटा दिया और रेफरल अस्पताल में केवल मात्र एक पी.एस. जिसके भरोसे आज 20 हजार की आबादी के कस्बे लालसोट को छोड़ रखा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आप ट्रांसफर कीजिए, आपका अधिकार है, आपकी सरकार है, परन्तु आप ट्रांसफर से पहले देख लीजिए कि जिस जगह से इस डाक्टर को हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर दूसरा डाक्टर नियुक्त हो। उस डाक्टर को तभी रिलीव किया जाय जब दूसरा डाक्टर, जिसका ट्रांसफर उसकी जगह कर रहे हैं, जाकर वहां ज्योइन कर ले। यह सरकार का आदेश होना चाहिए। आज क्या होता है कि ट्रांसफर तो कर दिया जाता है पर कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। कोई डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहता है कोर्ट से जीतकर या कैसे भी कर कराकर। शहर में दोनों डाक्टर एक जगह बैठ जाते हैं और वहां से तनख्वाह उठाते रहते हैं। गांव में कोई इस बात को देखने वाला नहीं है कि यहां डाक्टर है या नहीं है। गांवों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आपने पिछले साल खोले, आपने विधान सभा के मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शीघ्र चालू कर देंगे। पर मुझे बड़ा दुःख है कि मंत्री जी ने आज वहां पर डाक्टर लगाये, न कम्पाउण्डर लगाया। मेरे यहां के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक को भी चालू करने की स्थिति में आज सरकार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक भेदभाव, मंत्री जी, आप कर रहे हैं। आपके लोग आपको आकर कहते हैं तो आप सबसे पहले उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान भिजवाते हैं, डाक्टर भिजवाते हैं और जहां पर आपकी पार्टी का कोई एम. एल. ए. नहीं है वहां पर कभी चालू करने के लिए नाम भी नहीं लेते। इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव है। आप कहते थे कि सरकार सारा काम राजनीतिक भेदभाव से करती है, पर आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी वही काम कर रहे है जिसके खिलाफ आप इधर बैठकर कहते थे। हमारे साथ तो पहले भी भेदभाव होता था। माननीय मंत्रीजी, आप भी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?

श्रीमती तारा भण्डारी : अब नहीं हो रहा।

श्री परसादीलाल मीणा : हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज गांवों में पांच रुपए की दवाई को, जिस पर मार्किंग होता है उन्नीस रुपए पचास पैसे, उसको भी दस पर्सेण्ट एक्स्ट्रा कमीशन लेकर बेचा जाता है। ऐसी लोकल दवाइयों को न आपका सी. एम. एच. ओ. देखता है, न कोई अधिकारी जाकर चेक करता है। आज गांवों में बैठे

(श्री परसादी लाल मीणा)

डाक्टर मनमाने तरीके लूट रहे हैं, मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। इन बातों को रोकना होगा। दवाइयों की जो रेट आप प्रिण्ट करते हैं उनको आपको देखना होगा कि जो रेट इस पर प्रिण्ट है उतनी कीमत की यह दवाई है या नहीं। इस बात का आज कोई प्रमाण नहीं है। बस, जो दुकानदार ने मांग लिया। जो प्रिण्ट है उसके ऊपर भी दस पर्सेण्ट एक्स्ट्रा लगाकर दवाइयों का पैसा वसूल किया जाता है।

माननीय मंत्रीजी, लालसोट में रेफरल हास्पिटल तो कर दिया लेकिन उस रेफरल हास्पिटल में वही सुविधा है जो दो साल या पांच साल पहले थी। न आपने एक्स-रे मशीन भेजी, न कोई स्पेशल लेबोरेटरी का सामान भेजा। आपने कुछ भी नहीं भेजा। पता नहीं, जो बजट आप हर साल पास करवाते हो उस बजट का क्या होता है। पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय के रेफरल हास्पिटल पर अगर एक्स-रे मशीन नहीं होगी तो वहां पर दूसरे प्राइवेट मशीनें रखने वाले लोग पचास रुपए, साठ रुपए, सत्तर रुपए लेकर मनमाने तरीके से लोगों को लूटते हैं। इस कारण लोगों को कोई सुविधा अस्पतालों में आज मिल नहीं पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ए. एन. एम. नियुक्त करता है सी. एम. एच. ओ.। आप क्यों नहीं एक डिप्टी सी. एम. एच. ओ. नियुक्त कर दें हर जिले में, जो ए. एन. एम. की बातों को सुन सके, उनकी नियुक्ति कर सके। आपने एक सी. एम. एच. ओ. को पूरे जिले में पावरफुल बना रखा है, जो जब चाहे जिसका ट्रांसफर केन्सिल कर दे, जब चाहे जिसको जहां लगा दे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उसमें से केवल 12 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए. एन. एम. कार्यरत हैं। देख लीजिए, क्या हालत है। कोई भी ट्रांसफर कराके वहां ले जायं, दूसरे-तीसरे दिन आर्डर होकर वापस आ जायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विभाग की कमियों को और गांव के प्रति जो उपेक्षा बरती जा रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसको ठीक करने की ओर आप थोड़ा ध्यान दें।

मेरा दूसरा निवेदन आज की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं होगा, आप इसी में पूरा टाइम ले गये।

श्री परसादी लाल मीणा : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का 120 सैकण्ड हुआ।

श्री परसादी लाल मीणा : आज सड़क के काम अधूरे क्यों रह जाते हैं, माननीय मंत्रीजी ? यह बहुत गम्भीर विषय है। आज जब टेण्डर देते हैं तो उस डिवीजन के आपके इंजीनियर उसी ठेकेदार को टेण्डर की कापी भेजते हैं जिसको उनको ठेका देना होता है, जिनसे काम करवाना होता है, जिनसे कमीशन तय हो जाता है। जब 10 पर्सेण्ट 20 पर्सेण्ट कमीशन तय हो जायेगा, तो सड़क का काम कैसे होगा ? पिछले साल का आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, इसी

(श्री परसादी लाल मीणा)

प्रकार ठेके हुए। आज उसी का परिणाम है कि एक भी सड़क का काम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं चल रहा है, सारी सड़कों का काम अधूरा रह गया।

श्री मदनलाल सैनी : पिछले साल किसकी सरकार थी ?

श्री परसादी लाल मीणा : मैं यह बात नहीं कहता कि किसने किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : सड़कों का भट्ठा तो तत्कालीन सरकार ने ही बैठाया था।

एक माननीय सदस्य : आप पर चार्ज थोड़े ही है, आप सुन तो लो।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इंजीनियर हो क्या ? मैं तो इंजीनियरों की कह रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको दुःख क्यों होता है इंजीनियर की बात सुनकर ?

श्री मदन दिलावर : इंजीनियरों के कमीशन लेने की आदत आपकी डाली हुई है।

श्री डूंगरराम पंवार : यह परम्परा तो पुरानी चली आ रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य, आप इस परम्परा के समर्थक हैं क्या ? नहीं तोड़ी जाय ? समर्थक हैं, तो कहिये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

1984 में जो सड़कें मंजूर हुई, आज तक उन पर काम नहीं चलाया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस साल के बजट में 38 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए रखे हैं और 1770 किलोमीटर सड़क बनाना प्रस्तावित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका नहीं बनायें, भूमिका में टाइम चला जायेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय मंत्रीजी, आपको अब इतना ही कहूंगा कि जो ठेकेदार जिस सड़क का काम लेता है पहले उसी सड़क का काम करे। उसके बाद ही उसे उस डिवीजन या राजस्थान में दूसरा काम दिया जाय। यदि ठेकेदार एक बार किसी काम को अपने लाभ-हानि के आधार पर छोड़ देता है तो उस ठेकेदार को कभी विभाग में काम नहीं दिया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज इंजीनियरों का कमीशन तय है, जैसा माननीय हेतरामजी ने कहा, 10 पर्सेण्ट, 20 पर्सेण्ट। टेण्डर की कापी उसी ठेकेदार को दी जाती है जिसके साथ कमीशन तय हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप रिपिटीशन में टाइम ले रहे है, माननीय सदस्य। अपने क्षेत्र की बात कहनी हो तो एक मिनट में कह लीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : और एक मिनट में कह देता हूं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन सड़कों का काम अधूरा रह गया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आप उनको दिखवाइये कि क्यों

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं पुरा किया और उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करिये। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करिये जिन्होंने इस प्रकार गलत तरीके से ठेका देकर सड़कों का काम अधूरा रख दिया। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर कब आयेगा ? हम पिछड़े हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो समाज के अगुआ हैं, पिछड़ा क्यों समझ रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार ने ही समझ रखा है।

श्री सम्पतसिंह : पार्टी का ही मनोबल गिरा हुआ है, इनका कसूर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपका हम से भी ज्यादा गिरा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका इनके चेहरे पर तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आदमी के जीवन में चिकित्सा पद्धति का ठीक उतना ही महत्व है जितना शरीर के अंगों में हृदय का महत्व है। अगर हृदय काम करना बन्द कर दे तो आदमी का शरीर एक ढांचा बनकर रह जायेगा। इतनी महत्वपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पिछले शासन काल में इतनी पंगु और कमजोर हालत में हो गयी थी कि मैं आपको क्या अर्ज करूं। अस्पतालों की हालत यह थी कि वार्ड शौचालयों से भी ज्यादा गन्दे थे। चद्दरें अस्पतालों में इतनी गन्दी अवस्था में होती थी कि उनको देखकर आदमी का बैठने का या लेटने का भी मन नहीं करता था। दवाइयां खरीदी अवश्य जाती थीं परन्तु मरीजों को देने की बजाय पुनः दुकानों पर बेच दी जाती थी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सत्ता परिवर्तन के बाद चिकित्सा व्यवस्था में एक हद तक सुधार हुआ है लेकिन आज भी कुछ पेचीदगियां बनी हुई हैं। मैं मानता हूं कि इनकी बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने में समय अवश्य लगेगा लेकिन मुझे पुरा विश्वास है कि माननीय चिकित्सा मन्त्री जी इस व्यवस्था में सुधार करेंगे। कई अस्पतालों की स्थिति यह है कि डाक्टर गम्भीर रोगी का भी ऑपरेशन के बाद उसके अटेण्डेंस से पैसा मांगते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो हम वापस टांके नहीं लगाएंगे, स्टेचिंग नहीं करेंगे।

(समय : 6.01 सांय)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी स्थिति बनी। आज इस स्थिति में तो सुधार आया है लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, मैं इनकी तरफ से माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी झुंझुनू जिले

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

के दौरे पर आए तो पिछले 13 सालों की गंदगी एक दिन में साफ करने का काम वहां के चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सालय के कर्मचारियों ने किया अगर माननीय मंत्री जी साल में 3 बार, 4 बार हर जिले का दौरा करें तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था में ज्यादा सुधार हो सकेगा।

आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में काफी स्थान ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। कई गांवों में आज भी चिकित्सालय नहीं है। उनकी सूची यहां बताकर मैं सदन का समय गंवाना नहीं चाहता, वो माननीय मंत्री जी को दे दूंगा लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी को उसके जान-माल को बचाने के लिए, उसके जीवन-मरण के संघर्ष के समय हमको चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवा के बारे में यह समझा जा रहा था कि डाक्टर मरीज का इलाज दवाई से करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ उसका व्यवहार और आचरण एक अभिभावक की तरह होना चाहिए मरीज की आधी बीमारी तो डाक्टर यदि उससे सही स्थिति में बोल ले, सही तरीके से बात करके उसको देख लें, उसकी जांच-पड़ताल कर ले, उसको तसल्ली दे तो ही दूर हो जाती है। लेकिन देखने में यह आता है इससे ठीक उल्टा हो रहा है। डाक्टरों का व्यवहार पुलिस के व्यवहार की तरह हो गया है मरीज को देखते ही कहते हैं कि अगर इसका इलाज अमेरिका में भी जाकर कराया जाएगा तो भी यह नहीं बचेगा तो वह वहीं नर्वस हो जाता है।

आज चिकित्सा सेवा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार भी कांग्रेस के शासन काल में पनपा है। इस भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना होगा और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों चिकित्सालय ऐसे हैं जहां डाक्टर महिनों-महिनों भर तक नहीं जाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक-घन्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : समय किसी के लिए रूकता नहीं है। 5 मिनट तो हो गए आपको।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 5 मिनिट में तो नहीं कही जा सकती बात। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टरों की नियमित हाजरी का कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जिस तरह से अकाल राहत मन्त्री जी ने यह व्यवस्था की कि प्रतिदिन जिस जिले में जितने कर्मचारी काम करे उसकी एक रिपोर्ट मंत्री तक पहुंचे। इसी तरह से चाहे साप्ताहिक, चाहे 15 दिन की उपस्थिति रिपोर्ट चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और मंत्री के पास आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि महिने-महिने भर तक डाक्टर अपने कार्यस्थल पर नहीं जाय। दूसरी बात जो डाक्टरों की बड़ी भीड़ जयपुर में लगी हुई है। जिस डाक्टर का स्थानान्तरण

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है वह तुरन्त जो भी जरिया और माध्यम उसको उपलब्ध हो अपना स्थानान्तरण निरस्त करवाना चाहता है। इसका कारण यह है कि शहरों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस से पैसा कमाने की छुट और शहरों में कार्यरत डाक्टरों को हाउस रेन्ट की सुविधा और अन्य सुविधाएं हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों को सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए या ऐसा मानिटरी अवार्ड या प्रोविजन रखना चाहिए जिससे वे गांवों में जाने से नहीं घबराएं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का एक वर्ष की अवधि में एक स्थान से निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिन जिलों में बैठे हुए हैं जो चतुर डाक्टर हैं वो उनसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उनको तनख्वाह निश्चित समय पर मिलती रहती है और अपनी नियुक्ति की जगह पर नहीं जाते हैं।

झुंझुनू में ऐसा देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

दवाइयों की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन को भी नियमित किया जाना चाहिए और इसको लगातार चैक किया जाना चाहिए। यह सही है कि अस्पतालों में दवाइयां नाममात्र की नहीं मिलती है।

पिछले दिनों बिहार की एक कम्पनी ग्लूकोज की बोतलें बड़ी तादाद में यहां खरीदी गयी जिसमें गरम पानी के अलावा और कुछ मिला हुआ नहीं था, जिसकी जांच भी शायद चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक अनोखी चीज कांग्रेस शासन काल से चली आ रही है यूनानी विभाग और आयुर्वेदिक विभाग एक है। यूनानी हकीम की पढ़ाई उर्दू माध्यम से होती है और आयुर्वेद के वैद्य की पढ़ाई संस्कृत और हिन्दी में होती है। अनेक स्थानों पर ऐसी परेशानी है कि जो हकीम लगा हुआ है वो यूनानी शिक्षा प्राप्त करके लगा है और उनके पास जो उपवैद्य लगा रखे हैं वो आयुर्वेद सेवा के लगा रखे हैं। हकीम जी को हिन्दी नहीं आती और उपवैद्य जी को उर्दू नहीं आती। हकीम जी क्या लिखते हैं उसको उपवैद्य जी नहीं पढ़ पाते और उपवैद्य जी क्या कहना चाहते हैं उसको हकीम जी नहीं समझ पाते।

इसलिए आपसे यह कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक विभाग में एक अतिरिक्त निदेशक की पोस्ट जो आर. ए. एस. अधिकारी को लगा रखी है, निदेशक का पद 3 वर्षों से रिक्त पड़ा है। आज तक सरकार कटौती की बात कर रही है। उक्त अतिरिक्त निदेशक के पद को समाप्त किया जाना चाहिए और अतिरिक्त निदेशक यूनानी विभाग का बनाया जाना चाहिए। यूनानी विभाग को आयुर्वेदिक विभाग से पृथक किया जाना चाहिए।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय सिर्फ और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने एक बात कहने के लिए कहा है। एक बात खत्म हो गई आपकी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में इतना भारी संकट प्राइवेट चिकित्सकों का बना हुआ है। मैं खुद जिस मोहल्ले में रहता हूं, एक किलोमीटर की परिधि में 48 प्राइवेट डाक्टरों ने दवाखाने खोल रखे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गंगापुर सिटी में जो व्यक्ति सब्जी बेचने का काम करता था वो वहां उसकी दुकान ठप्प हुई, मकान मालिक ने खाली करा ली। वह जयपुर में आकर डाक्टर की दुकान खोले बैठा है और नीम हकीम का इलाज कर है। आज जयपुर में काफी उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने प्रथम....

(समय समाप्ति सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रखा है वो भी दवाखाना खोले बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्राकृतिक चिकित्सा में सुधार और विस्तार किया जाना चाहिए.......

श्री अध्यक्ष : आप कृपया विराजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बस एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष . नहीं, नहीं, अब नहीं। पूरा हो गया, प्लीज।

श्री बृजराज मीणा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लोक निर्माण के संबन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू के महिला वार्ड को झुंझुनू जिला मुख्यालय है उसको महिला चिकित्सालय बनाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर उसके मेरी बात.......

श्री अध्यक्ष : एक बात तो कहते-कहते 5 बात तो कह दी आपने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लोक निर्माण के बारे में.......

श्री अध्यक्ष : अब लोक निर्माण रहने दीजिए। 10 मिनट से ज्यादा ले ली आपने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ आधा मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : 25 आदमी बोलने वाले हैं.......

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इतनी देर में तो मैं मेरी बात कह देता माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा। बोलना शुरू कीजिए। इनका अंकित न करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य की मांगों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं निर्माण की ओर मेरे यहां हाड़ोती की सड़कों की जो दशा हो रही है उसकी ओर इस सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में सी. ए. डी. के द्वारा कुछ सड़कें बनायी गई थी, गिट्टी की और आज 13 वर्ष बाद भी उन पर डामर नहीं हुई है और उन सड़कों को कोई सम्भालने वाला नहीं है। जब 13 साल पहले सड़क बनाई गई थी, गिट्टी उस पर की गई थी, परन्तु पूर्व सरकार 13 वर्ष तक उन पर डामर नहीं करवा सकी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सी.ए.डी. के द्वारा जो सड़कें बनाई गई थी उन पर डामर करवायें।

इसके साथ-साथ हमारा कोटा जिला, मैं तो यह कहूंगा कि पूरा हाड़ोती क्षेत्र सड़कों के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ है। जो सड़कें पहले स्टेट के टाइम में बनी थीं उनकी भी मरम्मत नहीं हो रही है। मैं कोटा से सुल्तानपुर सड़क की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सड़क पर आज की तारीख में खाली वाहन भी नहीं चल सकता है, दो-दो, तीन-तीन फीट गड्ढे हो रहे हैं। मैं तीन महीने से लगातार सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहा हूं कि इसकी मरम्मत करा दी जाय मगर आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक ट्रक उस पर गिट्टी नहीं डाली गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य करवाये जाते हैं वह ठेकेदारों के द्वारा करवाये जाते हैं और ठेके ऐसे आदमियों को दिये जाते हैं जिनसे उनकी सांठ-गांठ होती है, साधारण आदमी ठेके नहीं ले सकता है ठेकेदारों से ठेके लिये जाते हैं तो कुछ मैटीरियल साइट पर डाल देते हैं, मैटीरियल बरसात में बह जाता है तो वह पार्ट पेमेन्ट ले लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाय। 10-10 साल से रोड्स के ठेके चल रहे हैं, 10 वर्ष से पूरे नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आप मेडिकल शुरू कर दीजिये। रोड हो गई आपकी।

श्री बृजराज मीणा : नहीं, साहब रोड तो एक ही हुई है। बहुत सारी है मेरे यहां।

श्री अध्यक्ष : रोड पर ही चलेंगे ?

श्री बृजराज मीणा : हमारे यहां बनी नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 ग्राम पंचायतें हैं केवल 10 ग्राम पंचायतें रोड से जुड़ी हुई हैं और 40 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आज भी रोड से जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इनको सड़कों से जोड़ा जाय।

दूसरा, चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधा है उसकी हालत इतनी खराब है, डाक्टर, कम्पाउण्डर वहां रहते नहीं हैं, डाक्टर 40

(श्री बृजराज मीणा)

किलोमीटर डेली अप-डाउन करते हैं, आते-जाते हैं, उनका सारा समय आने-जाने में ही खत्म हो जाता है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर आप पाबन्दी लगायें और पूरे टाइम वहां पर रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की स्थिति बड़ी खराब है। एक भी पंचायत समिति में रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, पंचायत समिति सुल्तानपुर, पंचायत समिति सांगोद में रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पंचायत समिति सुल्तानपुर और सांगोद में रेफरल हॉस्पिटल खोला जाय।

श्री अध्यक्ष : आपका तो घर का मामला है। घर में बैठ कर सैटल कर लेना।

श्री बृजराज मीणा : इसीलिये तो निवेदन कर रहा हूं। इसके अलावा जो गांवों की चिकित्सा सुविधा है, 25–25, 30–30 किलोमीटर में न डाक्टर डिस्पेंसरी है न कम्पाउण्डर डिस्पेंसरी हैं, कोटा में 8-8 किलोमीटर तक की दूरी में राजनीतिक कारणों से सरकारी अस्पताल खोल दिये गये पर दीगोद कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी डाक्टर डिस्पेंसरी नही खोली गई। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पीपलिया में डाक्टर डिस्पेंसरी की जल्दी से जल्दी घोषणा करें तथा आस-पास के बड़े-बड़े कस्बों में कम्पाउण्डर डिस्पेंसरी खोलें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री अचलाराम।

श्री बृजराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय आयुर्वेद के सम्बन्ध में लूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक बात कह दीजिये।

श्री बृजराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है, न वैद्य हैं ना कम्पाउण्डर हैं वह सिर्फ तनख्वाह लेने के लिये जाते हैं इसके अलावा न एक पैसे की दवाई देते हैं, न इन्जेक्शन देते हैं न गोली देते हैं तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि इस डिपार्टमेण्ट को तो खत्म ही कर दिया जाये तो अच्छा है। एक भी कोई न इलाज करने वाला है न कोई देखने वाला है उनको केवल तनख्वाह ही दी जाती है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : वह तो कह रहे हैं कि इस विभाग के गोली ठोक दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान लेंगे। धन्यवाद।

श्री बृजराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बार बार धन्यवाद।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बहुत से विद्वान सदस्यों ने बहुत अधिक सुझाव दे दिये हैं किन्तु कुछ छोटे से जो सुझाव रह गये हैं उन्हीं के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों की जो चिकित्सा

(श्री अचलाराम)

सुविधा है वह तो गांवों की बनिस्पत अच्छी है और आपके मंत्री बन जाने के बाद में उसमें और सुधार आया है। किन्तु गांवों में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा है वह आज भी ठीक नहीं है। अनेकों स्थानों पर स्टाफ के अभाव में हास्पिटल खाली पड़े हैं, हास्पिटल में स्टाफ है तो जहां पर हास्पिटल खुला है वहां पर मेडिकल स्टोर नहीं है। मेडिकल स्टोर नहीं होने की वजह से बीमार को 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर-दूर जाकर दवाई खरीदनी पड़ती है। तो जहां भी हास्पिटल खोला जाय वहां पर मेडिकल स्टोर के भी लाइसेंस दिये जायं ताकि डाक्टर्स लोग जो दवाइयां लिखते हैं उनको लाने के लिये मरीजों को दूर नहीं जाना पड़े और वहीं पर दवाइयां लेकर स्वस्थ हो सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बहुत पुरानी पद्धति है, आज बहुत सारे डाक्टर्स हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं किन्तु देशी दवाइयों से भी मरीज ठीक किये जाते हैं और आज भी बहुत सारे गांवों में ऐसे लोग हैं जो टूटी हुई हड्डी को ठीक कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिये आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दाई का काम करती हैं, डाक्टर नहीं पहुंचने तक प्राथमिक उपचार कर लेती हैं उनको क्या राहत देने जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा गौर करें। जैसा कि माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा ने देशी खेलों के प्रोत्साहन देने के लिये गांव के लोग हैं उनको राहत देने की घोषणा की है। इसलिये आपसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं जो हड्डी को पत्तों आदि से वापस जोड़ देते हैं ऐसी महिलाएं जो प्रसूति से पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाती हैं उनके लिये भी थोड़ा सा विचार करें, उन्हें भी राहत देवें। ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिल सके। क्योंकि हर जगह डाक्टर्स पहुंच नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर रेफरल हास्पिटल खोलते हैं वहां पर डाक्टर्स 8 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, सायंकाल 5 बजे आते हैं और 6 बजे वापस चले जाते हैं फिर वहां पर डाक्टर्स की इतनी भीड़ क्यों है? रेफरल हास्पिटल का अर्थ यह होता है कि दूर-दूर के छोटे-छोटे हास्पिटल से रेफर किये हुये मरीज आयें और हर समय अपना इलाज करवा सकें। एक रेफरल हास्पिटल में 7-7 डाक्टर्स की पोस्ट होती हैं तो क्यों नहीं 2-2 डाक्टर्स की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दी जाय ताकि 24 घण्टे इलाज करवा सकें और मरीजों को सुविधा मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण के बारे में एक शब्द ही नहीं बोला है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपके जल्दी बोलने के लिये कह रहा हूं। आपकी मर्जी है आप 1 घण्टे में एक ही बात बोलें।

श्री अचलाराम : अच्छा, एक मिनट में एक बात और बोल देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण में 1977 में हमारे क्षेत्र में कोई 10 किलोमीटर की सड़क नहीं थी लेकिन हमारी सरकार आने के बाद कुछ निर्माण हुआ था और थोड़ी सड़कें हैं लेकिन खास कर के

(श्री अचलाराम)

सादड़ी से साइला घाटा, देसूरी से चारभुजा घाटा, सादड़ी से परशुराम महादेव का घाटा, यहां पर आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और हास्पिटल में डाक्टर नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अतः वहां की सड़कें डबल बना दी जायें, चौड़ी बना दी जायें या तकनीकी दृष्टि से की जाय कि एक्सीडेंट्स नहीं हो ऐसी कोई व्यवस्था की जाय। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर फैमिन में सड़कें बनी हैं, उनको पहले निर्माण कर लिया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मा. श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ लोक महत्व के जो मुद्दे हैं चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के, उनके बारे में ज्यादा नहीं कह कर मेरे क्षेत्र की ही बात कहना चाहूंगा।

मैं मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र की बात यहां पर कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो मकराना विधान सभा क्षेत्र है, मकराना कस्बा है उसकी आबादी करीब 60 हजार से ऊपर है। यह एक औद्योगिक नगरी है। यह मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। मकराना का जो मार्बल है या मकराना का जो उद्योग है वह मैं समझता हूं कि नागौर जिले के अन्दर सरकार को सबसे ज्यादा आय देने वाला एक क्षेत्र है लेकिन उसके बाद भी मकराना की चिकित्सा स्थिति बहुत दयनीय है। मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिर्फ तीन अस्पताल हैं। पहला मकराना, उसके बाद मकराना के पास सात किलोमीटर बोरावड़ है जिसकी आबादी भी बीस हजार से ऊपर है और उसके बाद 6 किलोमीटर मनाना है उसके अन्दर एक डाक्टर है। पूरे मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है लेकिन यह जो बजट पेश हुआ है इससे जाहिर है हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि "पूत के पग पालने में दीखे" इस बजट से यह पता लग रहा है कि नये अस्पताल और नई सड़कों का कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पहले व्यवस्था की हुई है उनमें सुधार किया जाए। विशेष तौर से मकराना एक औद्योगिक नगर होने की वजह से वहां पर ज्यादातर मजदूर रहते हैं। गांवों के आस पास के मजदूर आते हैं। मकराना में भी बीस हजार के आस-पास मजदूर हैं जो खानों में काम करते हैं। हर रोज कम से कम पांच-छः दुर्घटनाएं छोटी-मोटी होती रहती हैं लेकिन उनको अस्पताल में लाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा सरकार से सबसे प्रथम निवेदन है कि मकराना अस्पताल के अन्दर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो तो उसको जाकर के अस्पताल में लाया जा सके। उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं खान में गिरने की, उसकी मशीनरी की होती रहती है मतलब वह ऐसी होती हैं कि मकराना अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सकता। मकराना के आस पास में कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। इसलिये उसको ले जाने की व्यवस्था करने के लिये एम्बुलेंस बहुत जरूरी है। पहले भी काफी निवेदन किया जा चुका है लेकिन एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है।

(श्री बिरदाराम चौधरी)

दूसरा मेरा कहना यह है कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है। वह दस किलोमीटर के आस-पास फैला हुआ है। एक औद्योगिक क्षेत्र बिजार है वहां पर किसी तरह की चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। मकराना के अन्दर खानों की व्यवस्था कर दी मगर फैक्ट्रीज की व्यवस्था के अन्दर जो मजदूर रहते हैं उस इकाई में मकराना के डाक्टर्स को लगा दिया जाए तो वह बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद में मकराना के पास में जो बोरावड़ कस्बा है वह बीस हजार से ज्यादा आबादी का है उसके अन्दर भी सिर्फ एक डाक्टर है उसमें हर रोज जो मरीजों की लाइन लगी रहती है और टाइम खत्म हो जाता है तो डाक्टर कहता है कि साहब टाइम खत्म हो गया। कई मरीजों का नम्बर भी नहीं आता है और उनको बाद में घर पर डाक्टर को जाकर फीस देकर दिखाना पड़ता है। इसलिये बोरावड़ के अन्दर महिला चिकित्सक की और कनिष्ठ चिकित्सक की व्यवस्था की जाय।

जो गांवों के अन्दर सब सेन्टर हैं, उनमें एक में भी आज तक मेल नर्स या फीमेल नर्स नहीं है इसलिये मेरा यह भी निवेदन है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो एड-पोस्ट है, सब-सेन्टर हैं उनमें स्टाफ लगाने की व्यवस्था की जाए।

दूसरा जो सड़कों के बारे में है। पश्चिमी राजस्थान सड़कों के बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में नागौर जिला और नागौर जिले के अन्दर जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है वह मेरे हिसाब से मकराना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर डामर की सड़क चालीस किलोमीटर से कहीं पर भी आज तक पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नहीं है। लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि सड़क तो अकाल पड़ेगा उसमें होगी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम अकाल से बड़े दुःखी हैं। हम यह नहीं चाहते कि अकाल पड़े। इसलिये मेरा यह कहना कि नई सड़क तो नहीं हो सकती लेकिन जो पहले गिट्टी की सड़कें बनी हुई हैं और जो मुड़ की सड़क अकाल की सैंक्शन हुई थी उनकी मरम्मत की जाए। इसमें विशेष तौर से कल्याणपुरा, रामसियागेहड़ा, बसेरोली सड़क, दूसरी मकराना जाखली सड़क, मनाना धानणवा, तोषाणा रानीगांव, खारडिया, सरनावड़ा, गच्छीपुरा सड़क, डोबडी गच्छीपुरा सड़क, मकराना बरबाला बूडसू, कुचामन से खाटू वाया बूडसू देवरी सड़क यह जो सड़कें हैं वह टूट गई हैं इसलिये आवागमन का साधन अब नहीं है। उनकी मरम्मत कराना अब बहुत ही जरूरी है। दूसरा मकराना के आस-पास से हर गांव से करीब दो-दो सौ तीन-तीन सौ मजदूर आते हैं और उन सड़कों के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में उनका आना बड़ा मुश्किल है और उनको दोहरा भार पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सड़कें मैंने बताई हैं इनकी मरम्मत की जाए। मरम्मत कराकर के हिसाब से सड़कों का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या–19 लोक निर्माण और मांग संख्या 26 चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं। चिकित्सा विभाग में कई बातों की चर्चा हुई और परिवार कल्याण के सम्बन्ध में, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। देश की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है। राजस्थान में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि एलीजेबल कपल्स की सर्वे करनी चाहिए और परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है इसके लिए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। मैं चिकित्सा विभाग जो पूर्व सरकार ने गत दो सालों में करीबन तीन हजार सब सेन्टर यानि स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले, वह खाली पड़े हैं। आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। जब मैं उच्चाधिकारियों से बात करता हूं तो यही जवाब मिलता है कि हमारे पास नर्सें नहीं हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि आप केरल से, मद्रास से लाकर के 60–60 छात्राओं को जो आप प्रशिक्षण देते हैं राजस्थान में भी काफी पढ़ी लिखी लड़कियां मिल सकती हैं। मेरा यह अनुमान है कि राजस्थान में कम से कम दो हजार से ज्यादा सब सेन्टर खाली पड़े हैं। गांवों में जो एक प्राथमिक उपचार और इन्जेक्शन देने वाली नर्सों की व्यवस्था की गई है। हम गांव वाले उसका लाभ नहीं ले सकते। तो यह सब सेन्टर राजस्थान की पढ़ी लिखी जो छात्राएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देकर के इन सब सेन्टरों को भर दिया जाए तो ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है मेरे को ग्रामीण क्षेत्र में जो भी डिस्पेन्सरीज हैं, प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनमें डाक्टर तो जाते ही नहीं हैं। कम्पाउण्डर भी नहीं रहते हैं। सब शहरों की तरफ जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि एक आर्डिनेंस जारी कर दिया जाए कि डाक्टरों की प्रथम नियुक्ति के ऊपर उनको दो साल के लिए ग्रामीण इलाकों में जाकर के उपचार करना चाहिए। उनको दो साल तो ग्रामीण डिस्पेन्सरी में रहना ही चाहिए।

शिक्षा विभाग के बारे में अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के मामले में जो आरक्षण नीति के सम्बन्ध में पालना नहीं की जा रही है, प्रमोशन सम्बन्धी मामले अटके हुए हैं, सरकार के मामले भी मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि डाक्टर्स के प्रमोशन में जो जान आँफ कन्सीड्रेशन लागू किया गया है उनकी पालना विभाग द्वारा नहीं की जाती है। विभाग द्वारा पालना करवायी जाये।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण, जो सड़कों का मामला है, पूर्व सरकार की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। इस व्यवस्था में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। 40 साल के शासन में जो भी सड़कें बनाई गयी हैं वह सड़कें राजनैतिक दबाव के कारण बनायी गयी है। सरकार का मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए कि कौनसी सड़क जनोपयोगी है, कौनसी सड़क जनोपयोगी नहीं है। ऐसी सड़कें आपको हाथ में लेनी चाहिए। राजनैतिक दबाव से जहां ऊंट द्वारा गाड़ियां चलती हैं वहां सड़कें बनायी जाती है। जो स्टेट हाइवे है वह सिंगल पड़े हैं। आज उदयपुर और अजमेर डिवीजन जो स्टेट

(श्री मोहनलाल चौहान)

हाइवे है वह डबल रोड है और हमारे नागौर जिला जोधपुर डिवीजन में जो स्टेट हाइवे है वह सिंगल रोड है। आपको इस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। सड़कों का मास्टर प्लान जब तक सरकार की तरफ से तैयार नहीं करेंगे और कौनसी सड़कें जनोपयोगी है उन सड़कों को अपने हाथ में नहीं लेंगे, राजनैतिक दबाव से जो सड़कें बनाई हैं पूर्व सरकार ने, वह कोई उपयोगी नहीं है। सड़कों का मास्टर प्लान तैयार करके सरकार को हाथ में लेना चाहिए। इस व्यवस्था को चेन्ज करना चाहिए। मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें जो औद्योगिक क्षेत्र है इण्डस्ट्रियल एरिया को हैं, मैं कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। जो सड़कें नौ कि.मी. की है किसीया से विजार हजारों मजदूर सुबह शाम जाते हैं, व्यापारी परबतसर शहर के व्यापारी, गांव के आस पास के मजदूर जाते हैं वह सड़क एक कि.मी. नहीं बनी। यह पी.डब्ल्यू.डी. ऐसी जनोपयोगी सड़कों को नहीं बना सका। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसीया से विजार इण्डस्ट्रियल एरिया है। 9 कि.मी. की सड़क सबसे पहले प्रायोरिटी से बनानी चाहिए। दूसरी सड़क मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो जोधपुर से बेहरून्दा, बावंजा से पीपला, किशनगढ़ रोड को जोड़ने वाली सड़क है। जो जोधपुर के लिए सीधा मार्ग होने वाली सड़कें हैं। यह सड़क खुनियासा घाटा से लेकर अडारास का जो भभायचा को जोड़ने वाली, जो अजमेर लिंक रोड से जोड़ने वाली है यह महत्वपूर्ण सड़कें हैं। अगर जोधपुर और नागौर में जितनी सड़कें हैं और जो थांवला से अजमेर जाती है, घाटी पर चढ़ना पड़ता है। यह सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है इस सड़क का उपयोग होना चाहिए। यह दोनों सड़कें मेरे क्षेत्र की हैं इसलिए मैं मांग करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैं महसूस कर रहा हूं, यह बड़ा लम्बा चौड़ा विभाग है। मंत्रालयिक कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और कई यू.डी.सी., कई जे.ईएन. है, एक्स. ईएन. है लेकिन अनुसूचित जाति का जो आरक्षण व्यवस्था करी है, आज दिन तक बैकलोग भी इन्होंने नहीं भरा है। यह कहना टाल देते हैं। इस विभाग में जितना घपला है आरक्षण नीति की यह पालना नहीं करते हैं। आपके माध्यम से मैं प्रोटक्शन चाहता हूं। अनुसूचित जाति का जो कोटा खाली है किसी भी केडर का उनको भरना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में मांग संख्या 26 और 19 पर काफी समय से चर्चा हो रही है और मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने चिकित्सालयों में अव्यवस्था के बारे में, चिकित्सकों की लापरवाही के बारे में, उपकरणों की कमी के बारे में, रिश्वत के मामलों में, तबादलों की नीति और परिवार कल्याण के बारे में काफी चर्चा की है। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा इस समय नहीं करना चाहता। क्योंकि समय का अभाव है। सब से पहले तो मंत्री महोदय की कमी खटक

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

रही है सदन में चर्चा चल रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दीपक नीचे अंधेरा होता है।

श्री रामनारायण वर्मा : इण्डिपेण्डेंट नहीं दे रखा है इसलिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अपनी नाक के नीचे पता नहीं चलता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय तो बैठे हैं परन्तु नोट नहीं कर रहे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच-दस सालों में नई-नई बीमारियां पैदा हो गयी है। इन नई-नई बीमारियों का डाक्टरों को उसमें पता नहीं लगता है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी डाक्टर्स है जिनका इन बीमारियों का पता नहीं लगे। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि नये इन्स्टीट्यूट खोलें जिसमें विशेषज्ञ डाक्टरों की व्यवस्था हो और जूनियर्स जो वहां पर मरीज की बीमारी का पता नहीं लगा सके वह मरीज को लेकर जाये और उनकी जांच करके उन बीमारियों का पता लगायें। इससे नई बीमारियों की पुनरावृत्ति या नई पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो डॉक्टर्स सरकारी नौकरी में है उनके प्राइवेट डिस्पेन्सरीज खुली हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी डाक्टर्स सरकारी नौकरी में है उनको प्राइवेट डिस्पेन्सरीज को खोलने में पाबन्दी लगानी चाहिए क्योंकि वह प्राइवेट डिस्पेन्सरी में अपना समय ज्यादा देते हैं क्योंकि उनको आर्थिक लाभ ज्यादा होता है। वह सरकारी नौकरी में जाते हैं उस समय से लेकर जब वह रवाना होते हैं उस समय तक यह सोचते हैं कि कब घर पहुंचे, और कब घर वाले मरीजों को देखें और कब पैसे प्राप्त करूं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नये डाक्टर्स हैं या पुराने डाक्टर्स है जो सरकारी नौकरी में हैं उनको प्राइवेट डिस्पेंसरी खोलने पर पाबन्दी लगानी चाहिए। आज दूसरा मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि तरह-तरह की दवाइयां बनाई जाती है वह बाजार में बेची जाती है। जिनका डाक्टर्स को पता नहीं रहता कि वह दवाइयां कौन सी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी दवाइयां बनावें और जो दवाइयां बाजार में बेची जावें, जो डाक्टर्स हैं उनसे सलाह मशविरा करके उनको लाइसेंस दिये जावे तभी उनको बाजार में बेचे जाने की व्यवस्था की जावे।

चौथा मेरा सुझाव है कि आज अस्पतालों में मरीज को जो दवाइयां सरकार द्वारा भेजी जाती है उन दवाइयों का उपयोग मरीज को न देकर के डाक्टर्स अपनी डिस्पेन्सरीज में ले जाते हैं और वह मरीजों के इलाज हेतु दी जाती है इससे सरकार को आर्थिक हानि होती है और सरकार का पैसा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरा आप के माध्यम से निवेदन है कि जो भी दवाई यहां से जाये और अस्पताल के अन्दर ऐसे रजिस्टर मैन्टेन किये जावे जिसमें जो डाक्टर द्वारा पेशेन्ट को दवाई दी जाती है दो डाक्टर्स

(श्री मोहनलाल चौहान)

के और एक कम्पाउण्डर के हस्ताक्षर हों और जो पेशेन्ट हैं उनके पेरेन्ट्स हैं उनकी भी उसके अन्दर टिप्पणी की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अस्पताल जो पुराने खुले हुए हैं वह तो खुले हुए हैं ही नई स्वीकृतियां जो जारी की जावे उन स्वीकृतियों के जारी किये जाने से पहले जहां स्वीकृति दी जाती है उस गांव में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : घंटी इस बात की है कि आप सड़क पर आ जाओ।

श्री सुरेन्द्र गोयल : सदन में बैठे हैं सड़क पर बैठने की क्या जरूरत है। मेरा निवेदन है कि जहां जन सहयोग द्वारा भवन का निर्माण कर दिया जाता है पहले प्राथमिकता उस गांव को दी जानी चाहिए जहां सहयोग से अस्पताल के निर्माण की व्यवस्था कर दी हो। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को कि उसकी सेवाओं का उपयोग जिस प्रदेश के अन्दर उसने पढ़ाई की है उसी प्रदेश को उसकी सेवा मिलनी चाहिए। और वह अगर विशेषज्ञ बनता है और आर्थिक लाभ हेतु यहां से विदेश भागने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन डाक्टरों को जो विदेश जाने की सोचते हैं, उनके ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए।

छठा मेरा निवेदन है कि जो भी पेशेन्ट मारपीट होकर पुलिस केस के अन्दर एम. एल. सी. लेने के लिए हास्पिटल के अन्दर आते हैं तो हास्पिटल के अन्दर जो भी डाक्टर लगे हुए हैं कोई भी डाक्टर एम. एल. सी. कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो डाक्टर एम. एल. सी. देता है वह एल. एल. बी. किया हुआ होना चाहिए।

एक मेरा अन्तिम निवेदन है कि जो डाक्टर एम. बी. बी. एस. करते हैं उनका मेरिट के आधार पर सलेक्शन होना चाहिए न कि कास्ट, कम्युनिटी या लिस्ट के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान गांवों के अन्दर चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले चालीस वर्षों में गांव के साथ क्या भेदभाव किये गये हैं यह हमसे छिपा हुआ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मण्डावरी काण्ड।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : बिल्कुल मण्डावरी काण्ड है।

आज तक ऐसे गांव भी बच रहे हैं जहां पर पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस किलोमीटर तक उन गांवों में न कोई नर्स की व्यवस्था है, न कोई डाक्टर की व्यवस्था है। ऐसे गांव भी हैं जहां पांच-पांच किलोमीटर के ऊपर डाक्टर लगा दिये गये हैं जबकि उसके पास रेफरल अस्पताल भी है। कुछ महाशय यह कह रहे थे इस सरकार पर, यह चार महीने की सरकार है, चालीस साल राज करने वाले आरोप लगा रहे थे कि यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। यह कोई जादू मन्तर से नहीं, हमारी सरकार इसके अन्दर प्रयत्नशील है और पिछली जो कमियां हैं वह

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

अवश्य पूरी करेगी। कुछ जगह जो आदिवासी क्षेत्र हैं. जावदा पंचायत में, भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में, बस्सी, अबांडाकुड़ी जो एम. पी. की सीमा से लगे हुए हैं, 18 किलोमीटर दूर जावदा से है वहां न कोई दाई सेन्टर है, न कोई सड़क, न आंगनबाड़ी, न प्रौढ़ शिक्षा, न कोई एनिकट। आज की तारीख में भी, चालीस-बयालीस साल भारत को आजाद हुए हो गए लेकिन उन्हें कोई महसूस नहीं हुआ कि हम आजाद हुए हैं क्या। इतना पिछड़ापन मेरे इलाके में है। भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में जो रावतभाटा है उसकी आबादी करीब चालीस हजार है। वहां भी डाक्टरों की बड़ी कमी है और राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि वहां आर.ए.पी.पी. अस्पताल अपने खर्चे से बनाने को तैयार है अगर यहां से स्वीकृति हो जाय। इससे उन लोगों को यह सुविधा मिल सकेगी। साथ ही यह भी मैं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आर.ए.पी.पी. के कुछ अधिकारियों से, जब तक हम कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना दें तब तक, हमारे जो मरीज हैं जो इमर्जेन्सी में आते हैं उनको वहां आर. ए. पी. पी. के अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी तक वहां पर एक भेदभाव जो चल रहा है कि जो आर.ए.पी पी. के लोग हैं उन्हीं का इलाज होता है और बाकी लोगों का इलाज वहां बहुत मुश्किल से हो पाता है। बल्कि नहीं होता है। साथ ही जो गांव रावत भाटा, राणा प्रताप सागर के अन्दर डूब में आए हैं उन लोगों को अभी तक भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। न वहां कोई लिंक रोड़ है। मान लीजिये आगे-पीछे कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई और एकदम गांव में सूचना देनी पड़े तो कोई साधन उन गांवों तक पहुंचने के लिए आज तक उपलब्ध नहीं है। कुण्डाल के अन्दर एक गांव है लाडपुरा, वहां अस्पताल तो है लेकिन डाक्टर महीने में एक बार जाता है और तनख्वाह लेकर आ जाता है बाकी सूना पड़ा रहता है। न कोई नर्स है न कोई अन्य व्यवस्था। यह ढर्रा आज का नहीं है, काफी वर्षों से पुराना चलता आ रहा है, इसका हमें सुधार करना है। बडौदिया में वैद्य छः महीने से नहीं है और आयुर्वेद अस्पतालों की हालत यह है कि वहां न कोई गोली मिलती है, न कोई पट्टी या मरहम मिलता है। यह बता देते हैं कि बाजार से ले आओ और दवाई बना लो। इस व्यवस्था को भी सुधारा जाना चाहिए। बेगूं में जो बड़ा अस्पताल है उसमें चार जूनियर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक डा. श्रीमती सिंह का पोस्टिंग हुआ है, केवल ज्वाइन करके वापिस चित्तौड़ पहुंच गई। मैं यह चाहता हूं कि जिनका भी पोस्टिंग हो जाय उनका वापिस केन्सिल नहीं किया जाय ताकि वह गांव में काम कर सके। वहां पर रोगी वाहन नहीं है और गांव की आस पास की घनी आबादी को देखते हुए 30 शैय्यायें बहुत कम पड़ती हैं उनको पचास की जाय।

बेगूं इलाके में सड़कों की बहुत कमी है। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर काम होने से....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जुड़ सकती है, अप्रोच रोड हैं। कुछ रोड ऐसी हैं जैसे नंदबाई से बोरोघाटी, नंदबाई

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

से दरछाहूँ, इन रोड्स के जुड़ जाने से जो बेगूं से चित्तौड़ की दूरी है वह काफी कम हो जायेगी और बेगूं से निम्बाहेड़ा की दूरी भी काफी कम हो जायेगी। सातवीं जो पैराफर रोड आर.ए.पी.पी. को बनानी चाहिए थी आज इतने वर्ष हो गए, रावतभाटा बांध बनने के बाद भी वह लोग इसको नहीं बना पाये हैं। उस ओर भी हमें ध्यान देना है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। रामस्वरूप मीणा, इनसे प्रेरणा लीजिये आप।

एक माननीय सदस्य : माइक बन्द कर दो।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आप ही हो जायेंगे माइक बन्द आप चिन्ता मत करिये। जनता कर देगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्दगी और मौत से खेलने वाला यह प्रश्न जिसके ऊपर आज बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी के अन्दर सबसे बड़ा हमारा जो हास्पिटल है अगर इन हास्पिटल्स को राजनीति के हस्तक्षेप से बचाया जा सके तो चाहे वह कोई भी सरकार रही हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो चाहे वह आज की मिली जुली सरकार हो लेकिन जब तक इन स्थानों को राजनीति से दूर नहीं किया जायेगा। कल भी मैंने निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, आज पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है चाहे वह तबादले का मामला हो चाहे किसी अधिकारी को हटाने वाली बात हो, चाहे किसी डाक्टर को हटाने वाली बात हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एस. एम. एस. हास्पिटल के अन्दर, हमारे एक प्रोफेसर जिनके पैर नहीं थे, उनका पैर कट गया था, ऐसी हालत उनकी थी, बहुत अच्छे थे, करोड़ों रुपयों की मशीनरी, ट्रेनिंग शुदा थे, उसको चलाते थे, हास्पिटल को लाभ भी दिया था लेकिन ऐसे व्यक्ति का ट्रान्सफर जोधपुर कर दिया गया और उनकी जगह किसी एस. पी. साहब को बिठाया गया। चाहे कोई भी हो मेरा इससे लेना-देना नहीं है लेकिन इतने बड़े हास्पिटल के अन्दर एक ट्रेनिंग शुदा आदमी जिसकी बहुत आवश्यकता थी, उस व्यक्ति को हटा दिया गया।

इसके साथ-साथ दूसरा मैं आपको निवेदन करूं, माननीय मन्त्री महोदय, हमारे हाईकोर्ट की एक कमेटी बनी थी और सात दिन के अन्दर एक रिपोर्ट चाही गई थी। माननीय मन्त्री महोदय, वह रिपोर्ट पहुंची नहीं, क्यों रिपोर्ट को रोका गया यह भी पता नहीं। माननीय मन्त्रीजी शायद बद्रीनाथजी को चले गये थे इसलिए शायद उसमें टाइम ले लिया हो...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौनसी रिपोर्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : हाई कोर्ट की कमेटी रिपोर्ट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौनसी रिपोर्ट, जरा एक्सप्लेन करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो माननीय मन्त्री महोदय उसकी जानकारी लेंगे। जानकारी में जो बात आई, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके साथ-साथ एक दूसरी ओर है, जोधपुर हाई कोर्ट कमेटी बिठाई गई थी। उसकी भी रिपोर्ट आनी थी। उसका चेयरमैन काबरा साहब को बनाया गया था लेकिन शायद उनको भी बदल दिया गया है। इस प्रकार की बातें जो राजनैतिक दबाव के कारण या हस्तक्षेप के कारण होती हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, होती चली आयी हैं। इसके साथ-साथ एक बात एस. एम. एस. की जो मेरी नॉलेज में आई है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति की एज का सर्टिफिकेट मांगा। एज का सर्टिफिकेट देने के लिए शायद दांतों को देखकर या और तरीके से दिया जाता है, लेकिन हमारी कोई बहिन थी, आई और उसका एक्स-रे किया गया,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यहां तक पता लगा कि बदन के कपड़े भी उसमें उतरवाये गये। क्या इस प्रकार से सर्टिफिकेट दिये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये चाहे राज किसी का भी हो। इसके साथ-साथ इसी विभाग के अन्दर मैं मेरे क्षेत्र की ओर आता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में अस्पतालों की हालत बहुत खराब है न तो वहां दवाइयां है न दवाइयों को रखने के लिये वहां फ्रिज है और अगर फ्रिज वहां है भी तो वह खराब पड़ा हुआ है। गुढ़ाचन्द्र के अस्पताल में, जब मैं वहां गया तो देखा कि फ्रिज के अन्दर डॉक्टर साहब के जूते और कपड़े रखे हुए थे। यह हालत हमारे अस्पतालों की हो गई है। दवाइयां तक तो मिलती नहीं हैं बैंन्डेज वहां है नहीं, न नर्स हैं न डॉक्टर्स हैं। 10-10, 15-15 दिन हो गये तबादलों के चक्कर में घूम रहे हैं। कोई भी अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसकी जानकारी की जाये और जो उनके ट्रांसफर्स किये गये हैं उनसे पहले दूसरे डॉक्टरों को वहां बैठाया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सवाल रहा चिकित्सा का। इसके साथ दूसरा जो सवाल जुड़ा है वह सड़क का है। माननीय मंत्री जी आपके पास ही सड़क विभाग है। आप गांवों को सड़कों से जोड़िये आप कहते हैं कि डॉक्टर्स गांवों में नहीं जाते हैं। अगर आप गांवों का विकास करना चाहते हैं, डॉक्टर और नर्स को गांव में रखना चाहते हैं तो गांवों को सड़कों से जोड़ो। वहां पर उनके रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाइये, डॉक्टर लोग अपने आप गांवों की ओर मुड़ जायेंगे दोनों विभाग आपके पास मौजूद हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट लेना चाहूंगा। इसी के साथ-साथ जो महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है जैसे मेंहदीपुर बालाजी है। मैं तीर्थ स्थानों की बात इस लिये कर रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय धर्म में बहुत रुचि रखते हैं और तीर्थों में जाते रहते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र का आप दौरा ही बना लीजिये

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और क्षेत्र का नहीं बनाते हैं तो तीर्थ स्थानों का ही बना लीजिये। सबसे धार्मिक स्थान मेंहदीपुर-बालाजी का ही है। 6-6 घन्टे तक बसें रुकी रहती हैं, बाई पास पर बना बना दीजिये ताकि बसें वहां रुके नहीं। इसके साथ दूसरा स्थान वहां पर महावीर जी का है वहां सड़क बनवाइये। हिण्डोन में गोमती बाबा का स्थान है, वहां सड़क बनाइये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप गांवों को सड़कों से अवश्य जोड़ेंगे और चिकित्सा सुविधायें दिलायेंगे, यही मेरा निवेदन है। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलसुखराय चौधरी।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय फ्रिज में से जूते चप्पल तो निकलवाओ।

एक माननीय सदस्य : फ्रिज में जूते चप्पल क्यों रखे जाते हैं। जानकारी लो।

श्री अध्यक्ष : जिसके पास जो चीज है वही रखेगा।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो मांग संख्या 16 और मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है उसके बारे में मैं भी अपने सुझाव रखता हूं।

चिकित्सा के बारे में निवेदन है कि गांवों में चिकित्सा नाम की कोई चीज ही नहीं है। न वहां कोई डॉक्टर रहता है, न वहां कोई कम्पाउन्डर रहता है, न वहां कोई नर्स रहती है। जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है वह अगर जाते हैं, तो दो चार दिन के लिये चले जाते हैं, और हाजरी करके वापिस शहर में आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि गांवों में चिकित्सा सुविधा के लिये खास तौर से ध्यान दें। अपने-अपने इलाके की बात तो सब ने बता दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतहपुर में लक्ष्मणगढ़ सब डिविजन है। लक्ष्मणगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उसकी हालत यह है कि वहां पर 20-20 साल से कम्पाउन्डर बैठे हैं वह नहीं समझते कि अपनी कोई सरकारी ड्यूटी है। डॉक्टर भी यह नहीं समझते कि हम कोई सरकारी ड्यूटी पर हैं। अपने घर पर रहते हैं और वहीं मरीजों को देखते हैं। अस्पताल में एक दो दिन के लिये चले जाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें। एक जगह की बात नहीं, लक्ष्मणगढ़, फतहपुर और पूरे राजस्थान की यही हालत है। कहने को तो माननीय सदस्य इधर से भी कहते हैं और उधर से भी है परन्तु मारवाड़ी में एक कहावत है आ तो कुए में ही भांग पड़ी है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। गांवों में बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा लगाने की बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतहपुर में 28 पंचायत हैडक्वार्टस हैं और लक्ष्मणगढ़ में 44 पंचायत हैडक्वाटर्स हैं। 72 पंचायत हैडक्वाटर्स में से फतहपुर

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

में तो सिर्फ एक पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जुड़ा हुआ है और लक्ष्मणगढ़ में 4 हैडक्वार्टर्स सड़क से जुड़े हुए हैं। कोईनेशनल हाइवे कोई गांव के पास होकर जा रहा है वह अलग बात है। नगरपालिकाओं की स्थिति कमजोर होती है वह कहते हैं हमारे पास मजदूरों के पैसे देने के लिए नहीं हैं हम सड़क कहां से बनायें। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़कों का निर्माण कराया जाये जिससे शहर वालों को भी सुविधा हो सके।

श्री अध्यक्ष : रमाकांत शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सड़क ऐसा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके बारे में दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीसों वर्षों से ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि सड़कों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिये, उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। हमारे चाहे देश की सुरक्षा का प्रश्न हो केवल सेना सीमा पर नहीं लड़ती है सारा देश लड़ता है और देश के अन्दर यदि यातायात की व्यवस्था नहीं होती है तो हम उससे बहुत अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। व्यवसाय की बात हो तो सड़क चाहिये, उद्योग की बात हो तो सड़क चाहिये। उद्योगपति के पास तो आप्शन है अगर सड़क नहीं है तो वह अपना उद्योग वहां पर नहीं लगायेगा परन्तु गरीब किसान का क्या होगा उसके पास तो कोई विकल्प नहीं है। गरीब किसान जो सड़क के किनारे है वह अपना बाजरा 130 रुपये क्विंटल में बेच देता है और सड़क से कुल मिलाकर एक फर्लांग पीछे हैं उसका बाजरा 90 रुपये क्विंटल में बिकता है और लाखों रुपये का नुकसान होता है। अगर गांव-गांव में हमने सड़क नहीं पहुंचाई तो हम इस देश का आर्थिक विकास नहीं कर पायेंगे। किसी भी गांव में सड़क पहुंचाई जाती है तो उसको कस्बे का स्टेट मिल जाता है और उसमें आधुनिकता आ जाती है मानसिकता में परिवर्तन हो जाता है। सारे के सारे जो विकसित देश हैं उनका यदि आप आर्थिक इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन्होंने सड़कों को दी है परन्तु हमारे देश के अन्दर मुझको तो कुछ ऐसा लगता है कि जो इन्टरनेशनल कान्सीप्रेंसी है जो हमारी योजना बनाने वाले लोग हैं उनके दिमाग के अन्दर एक ऐसी बात घुसा दी गई है कि सड़कों को कोई बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने सड़कों का जाल बिछा दिया तो आपके राज्य की जो आय है जो आप आबकारी पर मुनस्सर करना चाहते हैं जो थोथी और गलत आय है, आप सड़क का, यातायात का जाल बिछाइये आपकी आय बहुत बढ़ जायेगी कि उस पर सारे का सारा किसान, व्यवसाय और उद्योग मुनस्सर करता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज दस वर्ष से मिनिमम नीड प्रोग्राम चल रहा है परन्तु मेरे क्षेत्र के अन्दर 12 पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जो कुल मिलाकर के यदि उनको कनेक्ट किया जाये तो एक दो किलोमीटर है परन्तु दस साल के अन्दर हम आज तक उनको कनेक्ट नहीं कर पाये हैं। आप जानते हैं चूंकि समय नहीं है।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अब मैं आपको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर ले जाना चाहता हूं। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर आज तीस हजार आबादी पर एक है उसमें एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर सब सेन्टर्स को देखेगा वह डॉक्टर नेशनल हैल्थ प्रोग्राम्स को देखेगा। (व्यवधान) आप सुनिये। आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रमाकान्त शर्मा : वह डॉक्टर नेशनल हैल्थ प्रोग्राम्स को देखेगा या वह आंखों के कैम्प लगवायेगा या उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उस पर रिएक्शन को देखेगा या वह रोगियों को देखेगा। तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर कम से कम दो डॉक्टर होने चाहिये यह अत्यंत आवश्यक है। इसी बात पर निवेदन करना चाहता हूं। गांव के बारे में सब लोग जो बात कर रहे हैं, सच बात यह है कि गांवों की बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई है रेफरल अस्पताल खोलते हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं होते हैं, रेफरल अस्पतालों के अन्दर कोई भी जो उपकरण हैं, वे उपकरण नहीं होते। नतीजा यह होता है कि रेफरल अस्पतालों से"

श्री रामप्रसाद लड्डा (वैर) : क्यों रहे? जब कोई भी सुधार नहीं कर पाये हैल्थ सेक्रेटरी भी रहे।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री रामप्रसाद लड्डा : उन्होंने जो किया है वही बता रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आप कहें तो हम सड़कों पर करें। कर ही दिया सड़क नापते फिरो।

श्री रमाकान्त शर्मा : वही बता रहा हूं मैं जो हैल्थ सेक्रेटरी कांड किया था। वही आज है वही आज बता रहा हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : सड़क पर तो हो ही, और घूमते फिरो। (व्यवधान) आपको पट्टा दे दिया है, नवीनीकरण कर दिया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं हैल्थ सेक्रेटरी के जमाने की बात बता दूं कि मैंने तो बहुत सी बातें कही थी इस समय कि शहर के अन्दर जो वहां पर बड़े-बड़े मेडिकल कालेजेज हैं, वहां पर यह सेटेलाइट अस्पताल क्यों बना रहे हैं इन सेटेलाइट अस्पतालों को गांवों के अन्दर बनाओ परन्तु हैल्थ सेक्रेटरी क्या कर सकता है। सारा का सारा जो नीतिगत प्रश्न है और नीतिगत प्रश्न तो सरकार तय करती है तो आज भी मैं आपको बता रहा हूं उस समय की जो सरकार है वो इस बात के लिए जिम्मेदार है। मैं जब हैल्थ सेक्रेटरी था तो मैंने यह बात कही थी कि जिले के अन्दर 3-3, 4-4 डिप्टी सी. एम. एच. ओ. हैं। एक नेशनल हैल्थ प्रोग्राम देखता है, एक मलेरिया का प्रोग्राम देखता है, एक फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम देखता है, एक हैल्थ का प्रोग्राम देखता है और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक पहुंच जाते हैं। इनको आप डिविजन में बांट दीजिये। जिलेवार आप चार हिस्सों में बांट दीजियेगा। एक-एक डिप्टी सी. एम. एच. ओ. को सारे के

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सारे प्रोग्राम दे दीजिये तो वह ज्यादा अच्छा सुपरविजन कर सकेगा परन्तु मुझे 5 वर्ष हो गये इस बात को कहते हुए और हैल्थ सैक्रेटरी के समय भी मैंने कहा है। नहीं ध्यान दिया गया इस बात पर। मैं हैल्थ सैक्रेटरी के समय में भी बता रहा हूं उस समय की सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि....(व्यवधान) हां, हां, ध्यान देंगे न इसलिए तो बता रहे हैं आपको। हमारी सरकार तो ध्यान दे रही है। (व्यवधान) बहुत जल्दी, रोज दे रही है, इन दिनों भी दिया है, अब भी दे रही है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो उन्होंने 3–4 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है परन्तु मैं उन के बारे में जिक्र नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्त्तव्य से विमुख होऊंगा। एक तो यह डेपुटेशन की जो बीमारी है गांव के अन्दर जिसकी पोस्टिंग है वह शहर में रहता है, इस बात को समाप्त होना चाहिये। इसी प्रकार अगेन्स्ट पोस्ट की बात है। आंख के डाक्टर की जरूरत है और वहां नाक का डाक्टर लगा दिया जाता है। संभवत: यह सोचकर कि आंख और नाक दोनों नजदीक हैं परन्तु आंख का डाक्टर नाक का इलाज नहीं कर सकता। जहां आंख की पोस्टिंग है वहां पर आंख का ही डाक्टर लगाना चाहिये। इसी प्रकार से रेफरल अस्पतालों के अन्दर देखने को मिलता है कि कहीं 3-3 सर्जन लगे हुए हैं तो कहीं पर 3-3 फिजीशियन लगे हुए हैं तो कहीं पर 3-3 गायनोकोलोजिस्ट लगे हुए हैं। इनके अन्दर जो स्पेशलिटीज है, उन स्पेशलिटीज का ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार जो प्राइवेट क्लिनिक खुल रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक का ध्यान रखा जावे। इसी प्रकार जो डाक्टर्स लोग हैं गांव गांव के अन्दर दवाइयों की दुकान खोल लेते हैं खुद की और वहां एक्सरे की मशीन लगा रखी है। इस बात पर जरा सा ध्यान दे दिया जाय। अब तो कम्पाउण्डर भी गांव-गांव में देखते हैं, अस्पताल के सामने उन्होंने एक्सरे की मशीन लगा रखी है।

मैं अन्त में परिवार कल्याण के बारे में और बोलना चाहूंगा कि परिवार कल्याण का जो प्रोग्राम है वह आज इन्सेंटिव के आधार पर चल रहा है मैंने इसी सदन में 2-3 बार बोल चुका हूं, इस बारे में इस इन्सेंटिव के आधार पर कोई भी कभी भी हमने उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। इसको हमको सारे का सारा प्रचार और प्रसार शिक्षा के माध्यम से देना होगा और इसलिए इस माध्यम से लेंगे तो शायद इसकी सही उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम, आप केवल हनुमानगढ़ की सड़क पर ही बोलना चाहते हैं ? आप उसी पर बोलिये, और किसी पर मैं अलाऊ नहीं करूंगा, बोलिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से चार जिलों को जोड़ने वाली 11 नम्बर रोड जो यहां से चौमूं, चौमूं से रींगस, सीकर और लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रतनगढ़, सरदारशहर, रावतसर, हनुमानगढ़, गंगानगर को जोड़ती है। यह एक राजधानी से सीधी रोड जाने वाली है। इसकी हालत सरदारशहर से रावतसर तक इतनी खराब है कि वो सिंगल रोड है, और

(श्री डूंगरराम पंवार)

रेतीला मैदान है जिसमें थोड़े से भारी वाहन ट्रक अगर घूमकर थोड़ा मिट्टी में चला गया तो उसके एक्सल टूट जाते हैं, ट्रक बीच में खड़ा रह जाता है, लाइन लग जाती है- सैकड़ों गाड़ी इधर और सैकड़ों गाड़ी उधर तो बीच में सारी गाड़ियां फंस जाती हैं रोडवेज की। इसमें पिछले दिनों यह हालत हुई कि छोटे-छोटे बच्चे तड़पने लगे प्यास से, गाड़ियां नहीं निकल सकीं शाम तक, यह जो ट्रक थे, ट्रकों के रेडिएटर से पानी निकाल कर हवा में ठंडा करके और बच्चों को पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। ऐसी हालत है इस रोड की। आये दिन इसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, साइड लेने के लिए जगह नहीं है, सिंगल रोड है, आज तक भी इस सड़क को पूरा नहीं किया गया है, चौड़ा नहीं कराया गया है, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है इतनी धीमी गति से चल रहा है जिसमें थोड़े-थोड़े से टुकड़े चौड़े किये गये हैं। वह भी 15 फुट की सड़क है। ऐसी सड़क नहीं है जो यहां से रतनगढ़ तक बड़ी रोड है, इतनी आगे नहीं है, वह बिल्कुल सिंगल है। इसलिए इस सड़क को युद्ध स्तर पर जल्दी से जल्दी चौड़ा किया जाय जिससे यातायात साधन आज चलता रहे जो 4 जिलों को राजधानी से जोड़ने वाली रोड है। इसके अलावा हमारे जिले में तो रोड का अभाव है। मेरे टीबी विधान सभा क्षेत्र में हनुमानगढ़ से टीबी, चाइया से टीबी, टीबी से सांमरिया, टीबी से तलवाड़ा झील और हनुमानगढ़ जंक्शन से सूडेवाला, ये सारी सड़कें टूट कर नष्ट हो गई। आप जाकर देखेंगे तो सड़क नाम का निशान नहीं है। इस तरह मालूम होता है कि इस जगह रास्ता नहीं, अब सड़क नहीं रही जो पक्की सड़क बनी हुई थी आज टूट-फूट कर नष्ट हो गई है। (व्यवधान) नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी हैं और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं थी, वे भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले ली हैं, वह मरम्मत इसका जिम्मा है पी. डब्ल्यू. डी.। तो सारे जिले में जो इतना बड़ा जिला है जो कृषि प्रधान जिला है, इस देश के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर, जिसकी हालत इतनी दयनीय है.... सड़कों से आप जाओ तो वहां सड़कों का नामोनिशान नहीं है। सड़कें ऐसी हैं कि जीर्ण-शीर्ण जिस पर वाहन ठीक से चल नहीं सकते। जहां 3 घण्टे का रास्ता है वहां 6 घण्टे लगते हैं, जहां 6 घण्टे का रास्ता है वहां 10 घण्टे लगते हैं और लोगों के पेट में पीड़ा होने लगती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। अब पीड़ा मत करो लोगों के पेट में, हो गया ठीक है।

श्री डूंगरराम पंवार : और पेट में पीड़ा इसलिए होती है कि उस जिले में विकास की तरफ....

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसादजी लड्ढा।

श्री डूंगरराम पंवार : तत्कालीन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। ये बोलेंगे। ये बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : उस जिले में विकास नाम की चीज नहीं है। तीन चीजों

(श्री डूंगरराम पंवार)

में इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको नरक बना दिया। शिक्षा, बिजली और सड़क। इनका नाम निशान नहीं है जिले में।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। धन्यवाद डूंगरराम जी बिराजें।

श्री डूंगरराम पंवार : मैंने कहा यह तत्कालीन सरकार की साजिश थी।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा बोले, बिराजें।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कह रहा हूं। एक बात सुन लीजिये मेरी। उस जिले को तत्कालीन सरकार ने क्या दिया, साजिश थी उनकी कि शराब की फर्स्ट क्लास डिस्टीलरी दी है सबसे बड़ी कि वे पीकर बेवकूफ रहे, इनका शोषण करते रहे, इनको कभी अक्ल नहीं आये, यह साजिश थी उनकी और हमारा कृषि प्रधान जिला 26 जिलों के अन्दर अकेला रेवेन्यू देने वाले जिले को नरक बना दिया।

श्री अध्यक्ष : बस हो गई बात आपकी श्री रामप्रसाद जी लड्ढा,.... (व्यवधान).... अब नहीं।

श्री डूंगरराम पंवार : दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि चिकित्सा का स्तर वहां पर घटता जा रहा है। चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। गांवों में जैसा माननीय सदस्यों ने मेरे से पूर्व में बोलने वालों ने बता दिया है मैं भी निवेदन कर रहा हूं गांवों में चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए वहां पर पूरा इन्तजाम किया जावे। जो डाक्टर्स, नर्सें गांवों में नहीं जाते हैं। उनको समझाओ कि गांव वाले भूत नहीं हैं, आदमी हैं, उन की भी सेवाएं की जायें। शहर में कोई इन्द्र भगवान का इन्द्रासन नहीं है जहां कि नर्तकी नृत्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। अब हो गया। श्री रामप्रसाद जी लड्ढा। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिए इनको गांवों में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : हो गई आपकी बात।

श्री डूंगरराम पंवार : आपने मेरे को समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आज जो डिबेट हो रही है वह किस पर हो रही है, पहले इसका नाम बता दें मेरे को, मैं नाम पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। लोक निर्माण, मेरे कहने का मतलब यह है कि लोक निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण पर यह डिबेट हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये कहा....

श्री डूंगरराम पंवार : डिबेट लोक निर्माण पर है, आप कर रहे हैं लोक नृत्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप इसी तरह से आपस में बोलते रहे तो लोक निर्माण हो जायेगा यहां। इसलिये आप सुनिये उनको।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात को नोट करें। हमारे भरतपुर जिले से जुड़े हुए तीन प्रान्त हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले से तीन प्रान्त जुड़े हुए हैं वहां की सड़कों को देखिये आप। कोई भी सड़क एक दफा बनने के बाद दुबारा मरम्मत नहीं होती है। चाहे सरकार हमारी रही हो, चाहे सरकार आप की रही हो, इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है। कोई भी माननीय मंत्री महोदय आये उन्होंने सड़क पर यह नहीं देखा, कहां खड्डे पड़ रहे हैं, कहां सड़क टूट रही है, कहां सड़क पर मरम्मत होनी है, कहां सड़क पर कोई काम होना है, कहां पुलिया टूट रही है, कहां किस तरह की घटना हो रही है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह नई सरकार आई है, सबसे पहले नई सरकार के अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा। एम. बी. होती है इतनी बड़ी किताब की, उसमें जे. ईएन. और ए. ईएन. उसको भर लेते हैं और थोड़ा सा कोलतार पोत कर सड़क की पूर्ति कर देते हैं। न कोई मंत्री देखता है, विधायकों की कोई सुनता नहीं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। चाहे मेरी सरकार कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, एम.बी. में भरा और ठेकेदार के कमीशन गये और सड़क की पूर्ति हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र वैर की तरफ जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में समराया, मुसावर दो कस्बे हैं। उनमें होकर बयाना से जो सड़क आ रही है छोंकरवाड़ा के लिये, जो महुआ भी जाती है उनमें दो बाईपास हैं। माननीय मंत्री महोदय, नोट करें, उन दो बाईपास को बनाया जाय। जितनी भी सड़कें हैं, माननीय मंत्री महोदय, यह राजस्थान सरकार का कानून भी है कि पंचायतों को जो सड़क है उनसे जोड़ा जाय। ऐसा नहीं हो माननीय मंत्री महोदय, नई सरकार जैसा हमारे लोगों ने कर लिया, किसी ने सड़कों को देखा नहीं और एम. बी. में दो पर्सेन्ट, पांच पर्सेन्ट जे. ईएन., ए. ईएन. और एक्स. ईएन. को पैसा पहुंचा और सड़क की पूर्ति हो गई। ऐसा नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें, मंत्री महोदय। आप ब्राह्मण हो।

दूसरी बात के ऊपर और जाना चाहता हूं। जितने भी अस्पताल हमारे बयाना, वैर, मुसावर, रूपवास में हैं, अगर आप उन अस्पतालों की स्थिति को देखोगे मंत्री महोदय, बयाना में भी अस्पताल है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैर, मुसावर के आगे क्या है वह ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अस्पतालों की बात कर रहा हूं मैं, माननीय मंत्री महोदय। मैं बयाना में रहता हूं। जो डाक्टर वहां रहते हैं, मंत्री महोदय, अगर एक मरीज दूसरे डाक्टर के पास चला गया तो फिर दूसरे दिन उसको नहीं देखेगा। दूसरे डाक्टर के पास चला गया मरीज तो वह यह कहेगा पहले उसी को दिखा। बाहर से जो गांव के लोग आते हैं उनके सामने जो समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। अगर घर पर उन्होंने फीस ले ली तो उनको देख लेगा, मतलब उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा। अगर उन्होंने घर पर फीस नहीं दी तो उसको कह देगा, भाई, उस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

डाक्टर को दिखा, उस डाक्टर से बात करिये। एक तो इसमें सुधार लाइये, मंत्री महोदय। दूसरी बात यह है कि गांवों में जो हैल्थ सेन्टर बनाये हैं उनमें कोई भी आदमी नहीं रहता है। आपकी न तो नर्से रहती हैं, न आपके कोई कम्पाउण्डर रहते हैं, न जो डिस्पेन्सरी हैं उनमें कोई डाक्टर रहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थिति है। भाषण तो हमारे बड़े बड़े नेता और बड़े-बड़े एम.एल.ए. मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सदन में दे चुके हैं पर इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि गांवों की स्थिति है क्या हम करना क्या चाहते हैं। न तो हमारी सरकार ने कुछ किया, न यह सरकार कुछ करने वाली है। मैं तो यह कह सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन बातों पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी थोड़ी सी बात रह गई है, मैं पहले ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, कह दो आप अपनी बात कह दो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, अगर ऐसी बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर डाक्टर और कम्पाउण्डर्स पर ध्यान नहीं दिया, ए. ईएन. और जे. ईएन पर ध्यान नहीं दिया तो जैसी हमारी स्थिति हुई है वैसी आपकी स्थिति हो जायगी। आप यह देख लीजिये, आपको भी इधर बैठना पड़ेगा, जैसे हमको बैठना पड़ा है। आपको मैं बता रहा हूं, जनता आपको भी बख्शेगी नहीं। तो इस बात के लिए मंत्री महोदय ध्यान दें कि इस तरह का नहीं हो, थोड़ा सा कोलतार पोता और गड्ढा भर दिया और पेमेन्ट हो गया। पांच पर्सेन्ट एक्स.ईएन. को पहुंच गया, 10 पर्सेन्ट ए. ईएन. को पहुंच गया और जे. ईएन. को पहुंच गया और काम हो गया।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, चलिये बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री मनीराम।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मेरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के बारे में मांग संख्या 19 पर मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र को कल्ला पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। क्योंकि कांग्रेस शासन में तत्कालीन मंत्री माननीय बीकानेर से आने वाले विधायक थे। उन्होंने गांवों की सड़कों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देकर के बीकानेर शहर में अपने आंगण तक कोलतार पहुंचा दिया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले की

(श्री मनीराम)

ओर इशारा करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे क्षेत्र में एक 30 किलोमीटर की सड़क दी जो इनका जिला परिषद के चुनाव में चुनावी वायदा था। उसको आपने यदाकदा पूरा किया। उसका बजट आपने लगभग 57 लाख दिया। 30 किलोमीटर सड़क का बजट 57 लाख रुपया दिया जो अभी बन रही है। महाजन से ढूंढी वाया शेरपुरा और ढाणी गिल्लां। तो मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्या कोई कोलतार की सड़क 30 किलोमीटर 57 लाख में बन सकती है? मैं आपकी उस वक्त की कारगुजारी से आगाह करना चाहता हूं कि यह मेरा इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो राजस्थान में दूसरे नम्बर का विधान सभा क्षेत्र है, पहला जैसलमेर दूसरा लूणकरणसर है, जो पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 340 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 325 किलोमीटर में फैला हुआ है। सड़क इसमें नाममात्र की है। यह बार्डर एरिया है। इसमें 80 किलोमीटर लम्बाई में बार्डर एरिया में केन्द्र सरकार के बजट से सड़कें बनी है बाकी राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई इसमें खर्चा नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जो पुराने समय से सरदारशहर से लूणकरणसर सड़क बनी है, सरदारशहर की तहसील की सीमा पर लगभग 10 वर्षों से ऊपर से काफी मैटीरियल है, रणधीसर में कंकरीट पड़ी है जिसका अभी तक पता नहीं, वह किस उपयोग में लाई जायगी। यह पूरा का पूरा दो मुरब्बा के क्षेत्रफल में भरा पड़ा है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैटीरियल का सदुपयोग किया जाय।

मैं अब आपका ध्यान मेरे लूणकरणसर कस्बे की ओर लाना चाहता हूं। यह कस्बा सड़क से बिल्कुल वंचित रहा है। इसमें हमेशा राजनैतिक दखलन्दाजी रही है। इसमें न वर्षा के टाइम में पानी निकासी की व्यवस्था है। हरदम कीचड़ बना रहता है। सड़क बिल्कुल नहीं बनी है। कृषि मंडी क्षेत्र होते हुए भी कृषि सड़क बाहर लूणकरणसर के किनारे ओल्ड में बनाई जा रही है, पुराना बाजार और जितना भी कस्बा है वह सारा का सारा कीचड़ से भरा पड़ा है। अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस कीचड़ से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

अब मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। लूणकरणसर में एक रेफरल हॉस्पिटल दो वर्ष से खुला हुआ है। उसमें आज तक एक से ज्यादा डाक्टर नहीं लगाया गया। सिर्फ दो डाक्टर पहले डेपुटेशन पर लगाये थे उन्होंने अपनी बदली अब करवा ली है। माननीय मंत्रीजी, एक डाक्टर से अस्पताल चल रहा है। उस अस्पताल की यह हालत है कि वहां एक्स-रे मशीन काफी समय से बेकार पड़ी थी, लगाई नहीं गई थी, काफी प्रयत्न के बाद लगाई वह भी चालू नहीं की गई। वहां के डाक्टरों ने अपनी व्यक्तिगत क्लिनिक लगाई हुई है और आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह सरकारी मशीनरी का उपयोग करे। वहां रेफ्रिजरेटर आदि कोई दवाई रखने की व्यवस्था नहीं है। महाजन का अस्पताल डाक्टर के अभाव में बन्द पड़ा है न वहां

(श्री मनीराम)

बिल्डिंग बनी है पुराने पंचायत घर में चालू किया जा रहा है।

अब मैं आयुर्वेद विभाग पर भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। आयुर्वेद के जितने भी वैद्य हैं वह आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज न करके एलोपैथिक दवाएं काम में ले रहे हैं। मैं ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण न करके मेरे क्षेत्र में जो एड-पोस्ट और स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं उनमें कोई पोस्टिंग नहीं है। सारे केन्द्र खाली पड़े हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीकिशनगोपाल कोगटा। आप बहुत देर से अनुपस्थित हैं। बैठिये अब लास्ट में आपका देखेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में कुछ निवेदन करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी यहां से गई थी। मुझे अवगत नहीं था कि मेरा नाम कौन से नम्बर पर है। मैं क्षमा चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि इनके बाद मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद नहीं मिलेगा। विराजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तत्काल मेरा नाम सुनते ही आ गई थी।

श्री अध्यक्ष : आपकी सारी विधान सभा में आदमी भेज कर ढुंढवा लिया था, आपका पता ही नहीं था।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पिछले काफी समय से पी. डब्ल्यू. डी. का कोई कार्य नहीं हुआ। न कोई सड़कें बनी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 पंचायतें हैं जिनमें आज भी 20 पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें चूंकि विजयनगर मण्डी राजस्थान की 3-4 मण्डियों में से एक है जिसमें कृषि उपज का माल बिकने आता है। उसके लिए आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. की बने। राताकोट से शेरगढ़, तथाणा, इन्द्रगढ़, विजयनगर, नन्दवाड़ा से केलू होते हुए लोडियाना, सरवा से किरप रोड और विजयनगर से ब्यावर रोड यह कुछ सड़कें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर यह बनेगी तो कृषि उपज मण्डी की भी आवक बढ़ेगी और किसानों को भी सुविधा मिलेगी और सरकार की भी आय बढ़ेगी।

एक मेरा निवेदन है कि ब्यावर और विजयनगर सड़क जो काफी समय से क्षतिग्रस्त हैं उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय भी एक बार उस सड़क से निकले थे। मेरा आग्रह है कि उस सड़क को ठीक करवाया जाय और कुछ किलोमीटर तो डबल बना दी और कुछ सिंगल है, उसको भी पूरा किया जाय।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में मेरा निवेदन यह है कि पिछली सरकार ने जो डिस्पेंसरीज, हैल्थ सेन्टर खोले उनमें पक्षपात किया गया। कहीं-कहीं तो 2-2, 3-3 कि.मी. पर खोल दीं और कहीं-कहीं 10-10, 15-15, कि.मी. की दूरी पर भी नहीं हैं और न कोई जनसंख्या के आधार पर खोला गया। केवल राजनैतिक आधार पर खोले गये इसलिए अब जो खुलें उनको

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

मेरे क्षेत्र में सन्तुलित करें। ब्यावर क्षेत्र में जवाजा पंचायत में 3-3 कि.मी. पर डिस्पेंसरीज खोली हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : अब तो खोल ही नहीं रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : परन्तु आपका ही तो बता रहा हूं कि 3-4 कि.मी. पर एक खोल दी और किसी क्षेत्र में 15 कि.मी. पर भी नहीं है। इसी अव्यवस्था की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

दूसरा मेरा सुझाव है कि पिछली सरकार ने जो डिस्पेंसरीज और हैल्थ सेंटर खोले हैं....

श्री अध्यक्ष : पहले ही उनको कम समय मिला है। आप और व्यवधान कर रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वहां मेडीसन अवेलेबल हो इसके बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं लेकिन वहां दवाइयों की दूकान नहीं है। न उसका लाइसेंस मिलता है। वैसे तो यह केन्द्र सरकार की नीति का है लेकिन मेरा सुझाव है कि महाराष्ट्र सरकार की तरह ही राजस्थान में भी कुछ ऐसे लाइसेंस देने की योजना बनावें। पांच हजार से कम की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं पास लड़कों को लाइसेंस देने की प्रथा शुरू की जाय जिससे जो डाक्टर दवा लिखे वह ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हो। नहीं तो आज कल यह स्थिति है कि या तो वैद्य, कम्पाउण्डर लोग दवा रख कर बेचते हैं या फिर अवैध रूप से अन्य दूकानदार, जनरल स्टोर रखते हैं। मेरा अनुरोध है कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस शुरू किये हैं वैसे ही राजस्थान में भी होने चाहिए।

मेरे क्षेत्र विजयनगर के लिए निवेदन करूंगा कि यह 25 हजार की आबादी वाला कस्बा है जिसके आसपास 75 कि.मी. तक कोई हॉस्पीटल नहीं है। कृपया उस 30 बैड वाले हॉस्पीटल को 50 बैड का घोषित करें। साथ ही वहां एम्बुलेन्स की सख्त आवश्यकता है। 40-50 गांव उस क्षेत्र में पड़ते हैं। एम्बुलेन्स के लिए भी आप स्वीकृति प्रदान करें। वहां 3 डाक्टरों के पद रिक्त हैं और अभी जो आदेश दिये वह भी आने के लिए तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए जो डाक्टरों के आदेश दिये उनको निरस्त न करें। वह वहां ज्वाइन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्रीलाल

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 26 का समर्थन करते हुए मैं सरकार के इस कथन से सहमत हूं कि गत वर्ष जो ज्यादा चिकित्सालय खोल दिये गये उनके रख-रखाव के लिए जो भी विशेष ध्यान दिया उसका धन्यवाद करता हूं। खोल करके मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में जो मेचिंग ग्रान्ट रखी है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं बिलाड़ा में जो 25लाख का रेफरल अस्पताल जन सहयोग से बन रहा है उसके लिए सरकार से मांग करूंगा कि मेचिंग ग्रान्ट दिलवावें और उसके साथ

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

ही पीपाड़ रेफरल हॉस्पीटल जो अप-ग्रेड हुआ है उसके रख-रखाव के लिए वहां की पी. एच. सी. को खेजड़ला स्थानान्तरित किया जाय ताकि उसके कारण रेफरल हॉस्पीटल भी अपने हिसाब से काम कर सके।

पीपाड़ अस्पताल में काफी डाक्टर ट्रांसफर हो चुके हैं या प्रमोट होकर बाहर चले गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके स्थान तुरन्त भरें ताकि वहां की जनता को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के रहने की किसी प्रकार की सुविधा न होने के कारण वह शहरों की ओर भागते हैं। उनको वहां रहने के लिए बाध्य किया जाय या सुविधा दी जाय ताकि वह 4–5 साल तक बराबर गांव के लोगों की सेवा कर सके। पीपाड़ में एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खुला था पर अब वह किसी कारण से जोधपुर में रन कर रहा है तीन साल से, अगर उसको पीपाड़ में ही लागू किया जाय तो वहां के स्थानीय लड़के और लड़कियां वहां शिक्षा पाकर गांव के लोगों की सेवा कर सकेंगे।

बिलाड़ा और पीपाड़ के रेफरल अस्पतालों में एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जाय। सब सेन्टरों में नर्सिंग कम्पाउण्डरों के 80% पद रिक्त पड़े हैं। उन पर नियुक्ति की जाय और उनको वहां रहने के लिए बाउण्ड किया जाय ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

जहां सब सेन्टर खोल दिये गये हैं परन्तु भवनों की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके भवनों की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, आज के सरकारी अस्पतालों की जो हालत है उसका अनुमान प्राइवेट अस्पतालों के वैभव को देख कर लगाया जा सकता है। आज हर पेशेन्ट का सरकारी अस्पताल से थोड़ा बहुत विश्वास उठता जा रहा है और जिनके पास पैसा है वह प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधायें उपलब्ध करायें जो आवश्यक दवाइयां हैं वे सरकार के लेबल पर मरीजों को दी जाए। ताकि उनमें विश्वास जम सकें।

एक बड़ी बात जो पहले भी उठ चुकी है कि आयुर्वेद में निदेशक का पद काफी समय से खाली पड़ा है और एक अतिरिक्त निदेशक के पद पर आर. ए. एस. ऑफिसर है जो दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके पद को भी खाली किया जाए और वहां पर भी कोई आयुर्वेद ट्रेण्ड को निदेशक लगाया जाए।

इसके साथ ही मैं मांग करूंगा कि सड़कों के निर्माण के लिए बिलाड़ा में खासकर के कई सड़कें बीच में रूकी हुई हैं। खातेदारी की जमीनों से सड़कें निकल रही हैं। परन्तु उनको मुआवजा नहीं देने के कारण सड़कें रोक रखी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खारिया और उदलीयावास के बीच में जो सड़कें इस कारण से रूकी हुई है, आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, जो उनको दिया जाए। पंचायतों से पंचायतें जोड़ने के लिए

(श्री मिश्री लाल चौधरी)

भी हमारे बिलाड़ा से जाटिवास और कालोना से उदलीयावास की सड़कें भी बनाई जाए ताकि इनको पंचायतों मुख्यालय से जोड़ा जा सकें। कालोना से खेजड़ला भी जो सेन्टर प्लेस पड़ता है वह भी सड़क डामर से बनाई जाए। जहां नगर पालिका की हालत खास कर बिलाड़ा में दो नगर पालिकायें हैं बिलाड़ा और पीपाड उन दोनों की हालत ऐसी है कि अगर आए दिन हरिजन हड़ताल पर रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है। तथा विकास के लिए पैसा उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी हालत में सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वह पी. डब्ल्यू डी. के माध्यम से शहरों में भी सड़कें बनाये ताकि उन गांवों में जो सड़कों के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़े। इसके साथ ही धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी ;

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन के बारे में....

श्री रामकिशन : परिवार नियोजन के बारे में क्या बोलेंगे ? आप क्या जाने परिवार नियोजन के बारे में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो काफी सीख लिया है मैंने आप से।

श्री अध्यक्ष : पण्डित जी आपको उपदेश दे रहे हैं वे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर काफी चर्चा हुई लेकिन परिवार नियोजन के बारे में काफी कम चर्चा हुई है। जो आज देश के लिए ही नहीं राजस्थान के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिसके ऊपर निश्चित रूप से यहां पर कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि जिस गति से राजस्थान के अन्दर आबादी बढ़ी है वह अपने आप में और प्रांतों के मुकाबले में, एक चिन्ता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे जब आप उत्तर देंगें तो सरकार की भविष्य के लिए क्या रूपरेखा है ? आज दिन तक जो इसके बारे में भी प्रयत्न किये गए उसके वांछित परिणाम हमारे सामने नहीं आए। अब मैं उसकी भूमिका में जाऊं अध्यक्ष महोदय ये सारी समस्यायें चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे अस्पतालों की कमी की समस्या हो, शहरों के अन्दर भीड़ की समस्या हो। इस परिवार के, इस आबादी के बढ़ने के कारण से आज सारी समस्यायें इससे जुड़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय अब तक आपने जितने भी इन्सेंटिव प्रोग्राम, इन्सेंटिव के जरिए इस प्रोग्राम को आपने आगे बढ़ाने की बात की। जोर जबर्दस्ती भी कम हुई इसके अन्दर, उसका परिणाम भी हमारे सामने है। 77 के अन्दर कांग्रेस की हार का, हमारी पार्टी की हार का मुख्य कारण ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अन्दर जो जोर जबर्दस्ती हुई, उसी का कारण कांग्रेस की हार का मुख्य कारण रहा और इसको स्वीकार भी हमारी पार्टी ने किया और उसके बाद से इस कार्य के अन्दर कहीं सरकार की तरफ से ना कोई जोर है, ना जबर्दस्ती है। इन्सेंटिव दिए गए और जितना आप लोभ बढ़ाते गए तो लोगों की उतनी ही आशा और बढ़ती गई कि इस कार्यक्रम के अन्दर और रुको और ज्यादा मिलेगा। अब इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम के अन्दर कैसे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सफलता प्राप्त की जाए। कुछ प्रांतों के अन्दर खासतौर से महाराष्ट्र के अन्दर और गुजरात के अन्दर इस कार्य क्रम ने बहुत सफलता प्राप्त की। क्या कारण है कि राजस्थान के अन्दर इस कार्यक्रम के अन्दर जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी वह काफी बिलो (कम) है कभी भी हम 40 और 50 के बीच में ही हमेशा टिके रहे, कभी 50 पर्सेन्ट से ऊपर निकले ही नहीं परिवार कल्याण के कार्यक्रम के अन्दर। इसके बारे में हमको निश्चित.......।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरे समय में 98 पर्सेन्ट अचिवमेंट था.......।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या आप आंकड़े दे रहे हैं स्वास्थ्य सचिव महोदय कि मेरे समय में 98 परसेन्ट अचिवमेंट था, कहां का अचिटमेंट था 98 परसेंट।

श्री रमाकान्त शर्मा : जी हां...।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप स्वास्थ्य सचिव रहे हैं राजस्थान के अन्दर किसी साल में 98 परसेंट रहा हो तो ....।

श्री रमाकान्त शर्मा : 98 पर्सेन्ट था और एक करोड़ रुपये की इनाम मिली थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जो हैं, मैं इस बात को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं पता नहीं कौनसे जिले के अन्दर इन्होंने 98 पर्सेन्ट अचिव कर लिया और माननीय मन्त्री महोदय, आपके सदस्य ने कहा जो पूर्व में स्वास्थ्य सचिव रहे हैं......।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, यह बड़ा उल्टा हो रहा है, वे किसी की प्रशंसा कर रहे हैं आप किसी की।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं.......

श्री अध्यक्ष : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर किसी साल में आपका 98 पर्सेन्ट अचिवमेंट हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय, आप साल तो बता दें। अगर 98 पर्सेन्ट अचिवमेंट है राजस्थान स्टेट के अन्दर तो आप वह साल बता दे, मैं अपने आपको I stand for correction. यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर गलत बात नहीं कह सकता हूं यह फैक्ट की बात है। आपके पास पूरा सचिवालय है, मंत्रालय है, आप उस साल को बतायें जिस साल में 98 प्रतिशत राजस्थान के अन्दर अचिवमेंट हुआ है, तो इसके अन्दर कहीं कोई बहस मुहासे की बात नहीं है.......।

श्री अध्यक्ष : आंकड़ों में हो सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है....। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में हो सकता है और मैं समझता हूं कि आंकड़ों में अगर यह बात थी तो फर्जी आंकड़े थे। मैं कहता हूं कि फर्जी आंकड़े थे। आप इसी के आंकड़े से अगर....... । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वे सही बात कह रहे हैं, आप उसको सुनें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर उसके अन्दर कोई शेखी बघारने की बात नहीं है कि आप

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्वास्थ्य सचिव थे तो 98 पर्सेन्ट था.... I challenge that statment. आपके 98 पर्सेन्ट थे। It was a fraud nothing but fraud and you are a party to fraud.

श्री रमाकान्त शर्मा : इसमें फ्राड हो नहीं सकता, इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रमाकांत जी यह डिबेट नहीं है। यह मेरा सुझाव है। चैलेंज किया है तो ...... हां आप बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब इसके लिए क्या कार्यक्रम हाथ में लिया जावें मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो परिवार जिस परिवार के लोग इस कार्यक्रम को अपनाते हैं अब इससे बहुत सारी समस्यायें जुड़ी हैं। कुछ राजनैतिक लोगों का दृष्टिकोण भी आया कि एक वर्ग विशेष के लोग इस कार्यक्रम को नहीं करवा रहे। कुछ जातियों के लोग इस कार्यक्रम को नहीं करवा रहे हैं। इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं। तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं और इस कारण से यह तो कार्यक्रम है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा है पर अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है इस मामले के अन्दर कि उन फेमेलिज को जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाती हैं उस फेमेलिज के लिए आपको एक कार्ड इश्यू करना पड़ेगा। जिससे कि उनको जो सुविधायें प्राप्त होती हैं उनको उनमें प्राथमिकता मिले। अगर यह आप जब तक कुछ नहीं करेंगे यहीं आपने पैसा देकर देख लिया। बर्तन देकर के देख लिए। कम्बल देकर के देख लिए। आपने सारा काम हाथ में लेकर कर लिया। कैम्प आपके लगते हैं, एक-एक कैम्प में आपका हजारों रूपया खर्च होता है। और ऑपरेशन के लिए आते हैं दो आदमी या चार आदमी या छः आदमी तो सरकार के ऊपर कितना भार पड़ रहा है आपको इनको दूसरे रूप में इन्सेंटिव देना पड़ेगा। सरकार जो सुविधायें प्राप्त हैं, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। क्योंकि इस सदन के अन्दर आज जो चर्चा हुई है....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी प्लीज, देखिए आप सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

श्री अध्यक्ष : आप जो सुझाव दे रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है माननीय मंत्री जी बताएंगे। आप बैठिए। Please do not disturb him.

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं मैं तो यह कह रहा हूं कि कानून बनाकर लागू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जवाब क्यों दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे आप व्यवधान डाल रहे हैं बीच में ...।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपके समाज कल्याण विभाग की जरूरत नहीं रहेगी, यदि कार्ड जारी हो जायेंगे तो लोग

(श्री अध्यक्ष)

अपने आप करवाते रहेंगे। जरूरत ही नहीं रहेगी इसकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है, यह मेरा निजी सुझाव है, यह मेरी पार्टी की तरफ से सुझाव नहीं है। मैं तो मांग करता हूं कि आप कानून बनाकर भी नहीं तो अदरवाइज आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। अगर बनाकर भी हमको परिवार को सीमित करना पड़े तो निश्चित रूप से हमको इसके लिए कानून बनाना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। अन्यथा ढोंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ करने वाली नहीं है। जमीन रही नहीं है और रहने को मकान नहीं हैं। कहां क्या होगा आखिर इस देश का क्या छोड़कर जायेंगे हम भविष्य के लिए अपनी संतान के लिए इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर कानून भी बनाना पड़े तो आप निश्चित रूप से कानून बना करके परिवार कल्याण कार्यक्रम को आपको हाथ में लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात और कहूंगा आपसे आज क्षेत्र की बात हुई। सभी अपने-क्षेत्रों की बात कही।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : इसका कानून होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने तो उम्र पूरी कर ली।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी मांग है, मैं एक बात को और कहना चाहता हूं क्योंकि समय आपने सीमित कर रखा है। मैंने कानून की बात कह दी, इन्सेन्टिव की बात कह दी, मैं तो कानून बनाने के पक्ष में हूं। अगर विधान सभा में कोई लेजिसलेचर लाना पड़े, राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाना पड़े तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए। क्योंकि अब ढोंग में कुछ नहीं रखा है। यह मेरी निजी मान्यता के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा जो मेरी निजी मान्यता है वह मैंने आपके सामने कही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और मांग है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को बैन किया जाना चाहिए। आप प्राइवेट प्रेक्टिस को निश्चित रूप से बैन कीजिए। हमारी जो मेडिकल सर्विसेज थी, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तों के मुकाबले में यहां पर डॉक्टर्स की भावना सेवा की थी लेकिन आज दूसरे प्रांतों को देखते हुए हमारे डॉक्टर्स के अन्दर भी पैसा कमाने की प्रवृति बहुत जोरों से बढ़ रही है। इसके लिए एकमात्र उपाय प्राइवेट प्रेक्टिस को बैन करना ही है। अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर देखता नहीं है, घरों पर मरीजों को बुलाते हैं। सन् 73-74 के अन्दर यहां पर एक दफा कानून बना था, स्टेट के अन्दर उस वक्त प्राइवेट प्रेक्टिस बैन की गई थी। उस वक्त भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था। होता क्या है कि किसी न किसी डॉक्टर का किसी बड़े राजनेता के ऊपर या किसी बड़े अधिकारी के ऊपर दबाव होता है। किसी के घर में कोई मरीज बीमार होता है, स्वयं बीमार होता है तो समझता है कि डॉक्टर ने बचा लिया वरना मैं सीधे ही स्वर्ग में पहुंच जाता। घर पर किसी सदस्य की डॉक्टर ने सेवा की है, उसके ऊपर जब जोर-दबाव पड़ता है तो मन न चाहते हुए भी कई दफा उनकी बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन इसके बदले में, मैं तो मांग करूंगा-जैसा फुलेरा से आने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा था। कि डॉक्टर को आप अधिक तनख्वाह दीजिए, स्पेशल पे दीजिए, लेकिन आपको इस बीमारी को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो, अस्पतालों में डॉक्टर देखते नहीं हैं और कई जगह तो अस्पताल में हाल यह है कि अस्पताल के अन्दर ही फीस ले ली जाती है। अस्पताल के आऊट डोर में ही डॉक्टर फीस वसूल लेता है। यह पुराने वक्त में भी था और आज भी चार महीने के अन्दर चालू है। मैं यह कहूं कि आज इस सदन में एक बात हो गई, कोई बात हुई तो कहते हैं कि ऐसा उस वक्त हुआ था। तो यह चार महीने में कहां बंद हो गई ? तब होती थी तो आज भी बंद नहीं हुई है। इसलिए इस को रोकने का एकमात्र उपाय यह है और यह मेरा सुझाव है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को आप बंद कर दीजिए। पे क्लिनिक अस्पताल के अन्दर चालू कर दीजिए। वहां आधा पैसा सरकार को मिलेगा। पूर्व में व्यवस्था थी उसको मैं एक्सप्लेन करके सदन का टाइम खराब नही करना चाहूंगा, यह मेरा सुझाव है।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज अस्पताल के अन्दर जो आप प्रति बैड खर्चा देते हो उससे अब काम चलता नहीं। आपने बहुत समय से उस रेट को रिवाइज नहीं किया। हालत यह हो गई है कि मरीज को न तो अच्छा भोजन मिलता है, न अच्छी दवाएं मिलती हैं। जैसे बी ग्रेड के अस्पताल हैं, 150 की आपने स्ट्रेन्थ फिक्स कर दी है और जब मरीज आ जाते हैं वहां पर, तो मानवीय दृष्टिकोण और उनकी बीमारी को देखते हुए अस्पताल से आप भगा नहीं सकते उसको। आप कहते हैं कि दाखिल तो करना ही पड़ेगा। आपके अस्पताल में क्या, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, जहां पर कि बड़ी गम्भीर बीमारियों का इलाज होता है, वहां मरीज चले जाते हैं। मैं संसद की कार्यवाही देख रहा था–तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे लिए संभव नहीं है कि अस्पताल के दरवाजे पर जो लोग आ जायें, हम उनको यहां से मना कर दें कि आप वापस चले जाइये। चाहे आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स की स्थापना भले ही गम्भीर बीमारियों के लिए की गई है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं या आपके अन्य अस्पताल हैं, वहां जब मरीज आ जाता है, खर्चा उतना ही, एक दफा भर्ती हो गया, जमीन के अन्दर पड़ा हुआ है, दवाइयों का अभाव है, तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा, जब उत्तर दें, कि सरकार इस साल के बजट के अन्दर या भविष्य के अन्दर प्रति बैड जो अब तक खर्चा था, उसका रिवीजन बहुत सालों से नहीं हुआ, उसकी जो रेट है उसको रिवाइज्ड करना पड़ेगा, उस खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा रोगियों को जो सुविधा उपलब्ध होती हैं वह हो नहीं रही हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के अन्दर हालत यह है कि पट्टियां भी नहीं हैं, वहां पर हालत इतनी खराब है, जब तक आप बजट को बढ़ायेंगे नहीं, प्रावधान नहीं करेंगे, इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द (अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपीराम।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं जब आपका नाम पुकारूं, तब बोलना आप। अभी मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आमेर विधान सभा क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले चालीस साल के अन्दर आमेर विधान सभा क्षेत्र से हमेशा विपक्ष का एम.एल ए. जीतता आया है और चालीस साल के काल में मात्र दो बार कांग्रेस का विधायक वहां से जीता है। गत बार के उप चुनाव में कांग्रेस का विधायक जीत कर आया था। आमेर की जनता ने इस आशा के साथ में उनको जिता कर भेजा था कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमेशा विपक्ष की सीट रहने की वजह से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। पिछले पांच सालों में इस क्षेत्र की सड़कों के ऊपर, नई बनने की बात तो दूर रही, लेकिन एक बार डामर भी नहीं हुई और यहां की सड़कों की दशा इतनी खराब है कि रोडवेज विभाग के अधिकारी अपनी बसें भी वहां नहीं चलाना चाहते। एक बार तो सड़क टूटने की वजह से बस उलट भी गई। हमारे क्षेत्र के अधिकांश मजदूर मजदूरी करने के लिए जयपुर शहर में आते हैं और आवागमन का मात्र साधन एक बसों का ही साधन है। सड़कों की हालत खराब होने की वजह से समय पर बसें नहीं पहुंच पाती और मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भी समय पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सड़कों की मरम्मत कराने का काम जल्दी से जल्दी कराया जाये। इसके साथ ही एक नेशनल हाइवे का बाई पास रोड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, अजमेर रोड से देहली रोड को जोड़ने का, सीकर रोड को जोड़ते हुए। किसानों को उसका पैसा भी नहीं दिया गया है। लेकिन उस सड़क का निर्माण नहीं होने की वजह से फिर से किसानों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो ट्रेफिक जयपुर बाई पास से निकलने वाला है वह दिन भर वहीं खड़ा रहता है। खास तौर से सीकर रोड को देहली रोड से जोड़ने वाली जो बाई पास रोड थी वह यदि जोड़ दी जाये तो हमारे क्षेत्र के लोगों का जो पैसा और समय बर्बाद होता है, उसकी भी बचत होगी और जो लोग जयपुर में दो घन्टे खराब कर तहसील मुख्यालय पर पहुंचते हैं, उनको पहुंचने में सुविधा होगी।

चिकित्सा के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आमेर क्षेत्र के अन्दर दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं-एक सिरसी में और दूसरा जाहोता में। वहां पर महिला चिकित्सक का पूर्ण अभाव है और देहाती क्षेत्र में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि महिला चिकित्सक के अभाव से वहां पर प्रसव काल के अन्दर महिलाओं को काफी वेदना और तकलीफ उठानी पड़ती है। इसी के साथ आमेर में एक रेफरल अस्पताल अभी कुछ समय पूर्व खुला है जिसमें भवन का भी पूर्णतया अभाव है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको करना है वह तो।

श्री गोपीराम जाट : वह तो हम बनायेंगे ही। लेकिन उसी के साथ-साथ जो

(श्री गोपीराम जाट)

डॉक्टर वहां लगे हुए हैं, उनके भी वहां पूर्ण काल में नहीं रहने की वजह से बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और महिला डॉक्टर का जहां सवाल है, उसकी तो काफी शिकायतें आती रहती हैं कि वह पूरे समय वहां रूकती भी नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय का जो काम है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर महिला डॉक्टर पूरे समय रहे और रात्रि में भी वहीं रहे जिससे लोगों को जो समस्या कई बार हो जाती है, उसका समाधान हो सके। इसी के साथ अभी एक डिस्पेन्सरी हमारे बेगस में खोली गई है जिसके अन्दर चतुर्थ श्रेणी और मेल नर्स, करीब नौ का स्टाफ वहां लगा हुआ है, पचास हजार की दवाइयां भी वहां चली गई हैं लेकिन डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होने की वजह से वहां पर लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर की पोस्टिंग हो ताकि वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। एक मुख्य बात जो देखने में आई है, एयरोड्रम जाते समय, आप में से अधिकांश बिराजे हुए लोग वहां जाते होंगे-जयपुर से सांगानेर जाते वक्त दुर्गापुरा के पास जो सड़क की हालत है वह बहुत ही दयनीय हालत है। देश-विदेश से आने वाले, एयरोड्रम से उतर कर जयपुर में आयेंगे तो दुर्गापुरा के पास सड़क की जो हालत खराब हो रखी है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए शोभा की बात नहीं है और विदेशी लोग, जो यहां पर घूमने के लिए आते हैं, वह सांगानेरी प्रिंट्स के कपड़े खरीदने के लिए सांगानेर भी जाते हैं तो वह भी हमारे यहां से क्या शोभा की चीज लेकर जायेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर बोलते हुए मैं पश्चिमी राजस्थान की सड़कों की हालत पर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश ग्रेवल सड़कें अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनायी गयी हैं और इन सड़कों के जरिये वहां लोगों को अकाल में पीने का पानी पहुंचाने में प्रशासन को ताकत मिली और लोगों को उससे लाभ मिला। दूसरा यह निवेदन है कि पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से अगर अकाल राहत के तहत उस रेगिस्तानी क्षेत्र में आवागमन के साधन नहीं बनाये होते तो मिनिमम नीड प्रोग्राम में और प्लान में वहां छोटी आबादी के गांव होने के कारण शायद सड़कें नहीं बनतीं। इस तरह वहां अकाल राहत में काफी ग्रेवल की सड़कें बनीं और वहां साइड पर ही ग्रेवल के मिलने से ट्रांसपोर्ट पर व्यय नहीं करना पड़ता है मजदूर ग्रेवल तोड़ कर और तगारी से साइड पर पहुंचा देता है। पर अब इन सड़कों पर एक तरफ बार-बार रेत आने से सड़कें खराब हो गयी हैं दूसरी तरफ सीमान्त एरिया होने के कारण वहां आर्मी का भी हर साल महीनों तक अभ्यास चलते रहने के कारण इन सड़कों पर तोड़-फोड़ हो जाती है और गड्ढे पड़ जाते हैं फिर भी फेमिन में जितनी भी सड़कें बनायी गयी हैं उनको विभाग की तरफ से कभी भी रिपेयर नहीं

(श्री अमीन खां)

किया गया है न रिपेयर किया जाता है जिस से कि वहां पर यातायात में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है।

इसके अलावा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ ठेकेदार लोगों ने वहां की जनता को जो करोड़ों रुपयों का लाभ मिल रहा था उससे वंचित रखा। जैसे पिछले सालों में भारत सरकार ने सीमा विकास प्रोग्राम के तहत कई सड़कों की सैंक्शन की और इन सड़कों के टेण्डर भी हो गये और टेण्डर पास भी हो गये लेकिन कई जगह ठेकेदारों को अच्छा मुनाफा नहीं मिला और उन्होंने डिले करके भी समय निकाल दिया उस वजह से भारत सरकार ने स्वीकृति को टाइम बार होने के कारण विथड्रा कर लिया। जिससे कि करोड़ों रुपयों का विकास होना था वहां के लोग उससे वंचित रह गये। इसलिए मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि सीमा विकास के तहत जो रोड्स का अमाउण्ट मिलना चाहिए उसके लिए आप प्रयास करें और वापस उन सड़कों को शुरू करायें। इसके तहत कई महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा की सड़कें हैं जिनके लिए आर्मी हैड-क्वार्टर से भी राज्य सरकार को निर्देश मिले हैं कि इन रोड्स को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बनाना जरूरी है। उनमें एक सड़क बाड़मेर-जैसलमेर के बीच में है जयसिन्दर से म्याजला जो करीब 56 किलोमीटर की है। दूसरी है गडरा रोड से केनो, तीसरी रोड है जैसलमेर से किषोनली। इन रोड्स को हर हालत में जो भारत सरकार के डिफेन्स के पाइन्ट से भी सही हैं और जिनमें से कई का सर्वे भी हो चुका है और एस्टीमेट भी बन चुके हैं, कई-कई सड़कों के तो कार्य भी चालू हो चुके हैं और एक आध सड़क का टेण्डर भी पास होने के बाद ठेकेदार की लापरवाही के कारण उस सड़क को 108 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उनको चेतावनी देनी चाहिए कि भारत सरकार विकास का पैसा देती है उससे स्टेट को लाभ लेना चाहिए।

अब रहा सवाल इसी सीमा विकास कार्यक्रम के तहत हमारे क्षेत्र में 6 जगह डिस्पेन्सरी बनी। उन डिस्पेन्सरीज में राज्य सरकार ने अपने मिनिमम नीड प्रोग्राम में या विभाग ने इतने मकान नहीं बनाये जितने वहां बने। लाखों रुपये खर्च हुए जिसमें डिस्पेन्सरी का पूरा भवन बन गया, पीने के पानी के टांके बन गये, डॉक्टर का क्वार्टर बन गया, नर्स और कम्पाउण्डर का क्वार्टर बन गया जिनको बने तीन-तीन साल का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से न कोई डाक्टर है न कोई नर्स है न कम्पाउण्डर वहां चारदीवारी में जानवर घूम रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय ऐसी डिस्पेन्सरीज में तत्काल इंतजाम करने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

दूसरा आपने पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि 16 अगस्त, 1990 तक जितने भी सब सेन्टर्स हैं, 166 बाड़मेर में जो खाली है उनको भरा जायेगा। मैं मंत्री महोदय को वायदे की याद दिलाना चाहता हूं कि मेहरबानी करके 16 अगस्त तक 166 सब सेन्टर्स जो खाली हैं उनको भर दें। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तफा। आपको एक ही विषय पर बोलना है।

श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं। टेक्निकल बातें हैं। एक बार राजस्थान के अन्दर पी.एम.टी. की परीक्षा होने के बाद एम.बी.बी.एस. के अन्दर विद्यार्थियों को भरते हैं और डोनेशन एम.बी.बी.एस. में नहीं होता है लेकिन एक तरीका बता रहा हूं जो दो तीन साल से चल रहा है और डोनेशन से अब भी भर्ती हो रही है। कुछ सीट ऐसी हैं दो-तीन जो रिजर्वेशन की होती हैं उनके अन्दर क्या होता है कि मेरिट में नहीं आने पर भी भर्ती कर लिया जाता है और पिछले तीन-चार वर्षों से हर साल हाई कोर्ट के आर्डर से दो-तीन लड़के भर्ती होते हैं तो जो लड़के उनके स्थान पर पहले भर्ती कर लिये जाते हैं वह हमेशा भर्ती ही रहते हैं। तो इसमें जो दूसरा तरीका है, इनडायरेक्ट वे में पिछले दरवाजे से अभी भी भर्ती चालू हैं और जिन अधिकारियों ने भर्ती किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लड़कों को पहले भर्ती किया गया है उनके बारे में छानबीन की जाय और आयंदा के लिए ऐसा एक्शन लिया जाय ताकि पिछले दरवाजे से भर्ती बंद हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब भी हो रही है, क्या ?

श्री गुलाम मुस्तफा खान : मैंने एक भतीजे को दो साल पहले भर्ती कराया है। पूर्व सरकार ने भर्ती किया था और हाई कोर्ट के आदेश से भर्ती कराया और उसकी जगह एक को भर्ती कर लिया था उसको निकाला नहीं यह दूसरा रास्ता है।

श्री नत्थी सिंह : इन चार महीनों में हुआ क्या ?

श्री गुलाम मुस्तफा खान : इन चार महीनों में नहीं हुआ। पहले दो सालों की बता रहा हूं। अभी तो पी.एम.टी. की परीक्षा चल रही है इसलिए आपको सचेत करना चाहता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अभी पी.एम.टी. चल रही है, फिर हो जायेगा।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : एक निवेदन मेरा यह है कि आपने अभी जो ट्रान्सफर नीति तय की है उसमें एक अन्याय हो रहा है महिला कर्मचारियों के साथ जो नर्सें हैं उनको आप गृह जिले में ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं, यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक मेल नर्स तो किसी भी जिले में जा सकता है लेकिन आपने एक प्रतिबंध लगा रखा है कि फीमेल नर्स अपने जिले में अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसमें सुधार किया जाय। गृह जिले में फीमेल नर्स को नहीं लगाना चाहते हैं यह उसके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं यह डिसक्रिमिनेशन है और संविधान के आर्टिकल 16 का वायलेशन है।

दूसरा निवेदन यह कर रहा था कि एक विभाग पूरा अछूता रह गया है। वह है यूनानी। राजस्थान के अन्दर एक यूनानी विभाग है उसके बारे में विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी यूनानी चिकित्सक को 1947 के बाद निदेशक या उप निदेशक या जिला लेबल पर कोई अधिकारी अपाइन्ट नहीं किया गया है। सारे आयुर्वेद अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। जबकि आयुर्वेद और यूनानी दोनों का स्टेण्डर्ड एक है, दोनों की क्वालीफिकेशन एक है।

(श्री गुलाम मुस्तफा खान)

दूसरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद के पांच कॉलेज सरकार की तरफ से चल रहे हैं जबकि यूनानी का कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। इसी प्रकार 6 आयुर्वेद के कॉलेज हैं जिनको 80 प्रतिशत एड दी जाती है जबकि यूनानी के तीन कॉलेज हैं जिनको कोई एड नहीं दी गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार जो भेदभाव हो रहा है उसको आप निर्देश द्वारा मिटायें।

राजस्थान के अन्दर जितने भी यूनानी औषधालय हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट अलाट होता है और दवाइयां वितरण के लिए बजट में अलाट की जाती हैं उनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत ही दवाइयां उनको दी जाती हैं बजट अलॉट होने के बाद भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम जो बजट अलाट हो रहा है वह तो पूरा दिया जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक विषय और है। राजस्थान के अन्दर जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आपने पी. डब्ल्यू. डी. को दिया है उसके तहत आपने जो वार्षिक रूपरेखा पेश की है उसमें 33 हजार 203 गांव बताए हैं। इस सम्बन्ध में इस वर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सिर्फ 230 गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान रखा है। यह बहुत कम है। 33 हजार 203 में से सिर्फ 230 गांव। इससे राजस्थान में क्या होगा। मैं मांग करूंगा कि मेरे नागौर जिले में और स्पेशली मेरे क्षेत्र में जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां से बड़े-बड़े मंत्री केन्द्र में बैठे हैं लेकिन उन्होंने कोई सड़क नहीं बनायी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 230 गांवों में से 120 गांव तो मेरे ही हैं, उन्हें भी जोड़ दिया जाये। इसके अलावा खनन विभाग में कुछ सड़कों का इस प्रकार से प्रावधान रखा गया है, खनिज विभाग हमारे बदवासी और मकराना के अन्दर यह जिप्सम और संगमरमर निकलता है, उसकी हालत यह है कि बदवासी से नागौर आने के लिए सड़क तक नहीं है, जबकि रोज के सैंकड़ों ट्रक नागौर आते हैं और रायल्टी सरकार को जमा कराते हैं। यह प्रावधान जो खनिज विभाग का, सड़कों का है, वह रायल्टी में से ही है। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम जो आप उनसे रायल्टी ले रहे हैं। कम से कम रोड तो वहां से बनायें। मकराने की हालत, शहर के अन्दर भी नहीं है, कोई सड़क नहीं है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : एक निवेदन और है। नागौर जिले के अन्दर नागौर, गंगानगर और यहां आसपास के गांवों के अन्दर पुलिया वगैरह भी टूट गई हैं, वहां आने-जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन पुलियाओं की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जावे। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दिलावर जी। केवल पांच मिनिट बोलेंगे आप।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे से पूर्व के वक्ता ने परिवार नियोजन के बारे में सुझाव

(श्री मदन दिलावर)

दिये थे उससे मैं सहमत हूं। मेरा भी इसमें एक सुझाव है कि परिवार निश्चित रूप से सीमित होना चाहिए। परिवार सीमित रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। मेरा उसमें यह सुझाव है कि समान रूप से सब पर पाबन्दी लगानी चाहिए कि कोई भी भारत का वासी एक पत्नी से ज्यादा नहीं रखेगा। कई लोग दो पत्नी रखते हैं कई तीन पत्नी रखते हैं आफिशियल रखते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि समान रूप से यह अधिकार होना चाहिए किसी को चार पत्नी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए और यदि कानून बनायें तो मेरा निवेदन है कि आदमी दो बच्चे पैदा करे परन्तु वह तर्क दे देता है कि मेरे चार पत्नियां हैं इसलिए आठ बच्चे पैदा होंगे। इसलिए इस पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि आपने पाबन्दी लगायी तो वह परिवार निश्चित रूप से सीमित होगा। अब मैं आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो चिकित्सक हैं वह गांवों में नहीं जाते और अधिकतर मेरे देखने में आया है कि आयुर्वेदिक औषधालय गांवों में खोले गये हैं परन्तु चिकित्सक...

एक माननीय सदस्य : किस बारे में बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में बोल रहा हूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : यह आफिशियल और नोन आफिशियल पत्नी क्या होती है यह तो स्पष्ट करो आप?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन की बात कर रहा हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौन नहीं कर रहा है परिवार नियोजन की बातें। हम करेंगे आप करेंगे। आप कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह तो पूछें कि इनकी शादी भी हुई है या नहीं। बच्चे ही बच्चों की बात कर रहे हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आफिशियल नोन आफिशियल पत्नी क्या होती है?

श्री मदन दिलावर : यह मैं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में बोल रहा था कि जिन गांवों में औषधालय हैं उसी गांव में रहने के लिए चिकित्सकों को पाबन्द किया जाय ताकि वह ठीक तरह से अपनी सेवाएं नियोजित कर सकें। अब मैं चिकित्सालय के बारे में बात कर रहा हूं गांवों में चिकित्सा भवन काफी जर्जर अवस्था में हैं। उनकी मेण्टीनेंस नहीं की जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आटोन गांव में एक चिकित्सा भवन ऐसा है यदि कुछ दिन नहीं सम्भाला तो मैं समझता हूं कि उसमें जो डॉक्टर बैठता है वह मर जायेगा। कभी भी

(श्री मदन दिलावर)

वह भवन गिर जायेगा इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि उस डाक्टर को मरने से बचाया जाय और उस भवन में सुधार किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं सड़कों के बारे में बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : परिवार नियोजन क्या सड़कों पर आकर लागू होगा।

श्री मदन दिलावर : अब तो सड़क पर जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क मेरे क्षेत्र में मात्र तीन रोड हैं।

एक माननीय सदस्य : वह भी कांग्रेस ने बनायी हैं।

श्री मदन दिलावर : खा गये रुपये। 85 लाख लिया सात किलोमीटर में। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं यदि उनको सड़कों से जोड़ दिया जाये तो बड़े कस्बे बन सकते हैं। परन्तु सड़कों से नहीं जोड़ने पर वह ढाणियां बन गये हैं। इधर से आटोन, कुंजे, सकतपुर इन गांवों को तो निश्चित रूप से सड़क से जोड़ा ही जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बस जोड़ दिया, हो गया आपका सवाल। आप विराजें। श्रीमती उजला अरोड़ा। अन्तिम वक्ता। पांच मिनिट।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह जो अंतिम बात आपने उजला जी के लिए कही है....

श्री अध्यक्ष : अब बुढ़ापा आ गया है उनका इसीलिए अंतिम कह रहा हूं। आपकी कह रहा हूं। आपकी दृष्टि से अन्याय है। मेरी दृष्टि से नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अब मेरा टाइम कट रहा है या किस का टाइम कट रहा है, बताओ। मुझे पता नहीं कि किस का टाइम कट रहा है। अब मैं शुरू करूंगी घड़ी देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो खोले जाते हैं उनका अभी तक कोई पेटर्न तैयार नहीं है। उस पैटर्न को तय करना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य में मेडिकल कौंसिल ने कुछ सिफारिशें की हैं तो वह तय करके उसके आधार पर खोले जाने चाहिए चिकित्सालय पर्याप्त, चिकित्सक पर्याप्त, उसमें जो पेटर्न है उसके अनुसार ही इनकी भर्ती होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर औषध निगम बनाने की बात पिछले दस वर्षों से चली आ रही है वह अभी तक तय नहीं किया। अब मैं समझती हूं मंत्री महोदय काफी होशियार हैं वह इस निगम की स्थापना कराने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में पदोन्नति के अवसर नहीं हैं इनकी पदोन्नति के अवसर होने चाहिए और साथ ही उपनिदेशक का पद जो 855 चिकित्सकों के पद, कम्पाउण्डर्स के पद उपजिला शिक्षा अधिकारी के पद, खाली पड़े हुए हैं जो एक हजार से भी ऊंचे हैं उनकी तत्काल भर्ती की जानी चाहिए। जिससे यह ठीक तरह से अपनी सेवाओं को अन्जाम दे सकें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी इसका बजट बढ़ाया जाना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहिए। आप देखें, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में कितना बजट है? आयुर्वेदिक में उसका कुछ भी प्रतिशत नहीं है। देशी चिकित्सा पद्धति के लिए उसका दसवां हिस्सा दिया जाता है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। हमारी मांग है कि यहां पर औषधि पूरी मिलनी चाहिए औषधि क्रय किये जाने के बारे में. एक रिपोर्ट 78-79 में प्रस्तुत की गयी थी वह इतनी अच्छी रिपोर्ट है कि उसको लागू करें या फिर गुजरात के पैटर्न पर कोई क्रय पद्धति होनी चाहिए वर्ना रसायनशालाओं में दवाइयां नहीं बनेंगी और वह सब यों का यों ही पड़ा रह जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप पट्टी और वैसलिन भेजकर केवल यह कह देते हैं कि हम ने सारी दवाई दे दी। दवाई क्रय नहीं की जाती। रसायनशालाओं में ठीक समय पर दवाई बनती नहीं। बनती है तो एक-एक योग के बगैर अधूरी पड़ी रहती है तो मेरा निवेदन है कि आप किसी भी तरह से औषधि निर्माण के लिए प्रयास करें। गुजरात एक अकेला प्रदेश है जो सारे हिन्दुस्तान को दवाई

(8.10 सायं)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

देता है और राजस्थान की अपनी औषधशालाओं में दवाइयां नहीं रहतीं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वन औषध के जो उद्यान हैं वह लगभग-लगभग खत्म होते जा रहे हैं। लोग उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनको बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि यहां के जो छात्र हैं, उनको औषधि देखने का, बनाने का और जो हमारा खुद का उत्पादन होगा वह हमें प्राप्त होगा और उसमें कम खर्च आयेगा। यह होना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसी तरह से यूनानी पद्धति की भी स्थिति खराब है। कोई विधान सभा ऐसी नहीं गयी पिछले 13-14 सालों से, जब से मैं आयी हूं, कि जब हमने देसी चिकित्सा पद्धति के लिए यहां सिफारिश न की हो। आज हम खुद आये हैं तो हमको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगी कि अस्पतालों की सरकारी बिल्डिंग की दुर्दशा है। जयपुर में लोमिया अस्पताल के बारे में तो बार-बार कहा जाता रहा कि उसकी कैसी जर्जर हालत है। या तो उसमें सुधार करें या दस लाख या जितने भी लगते हों, लगाकर बिल्डिंग बनवाने की कार्यवाही करें। इन देसी चिकित्सा पद्धतियों में आप देखेंगे कि आयुर्वेद का पुनर्भरण हो जाता है, यूनानी का पुनर्भरण हो जाता है, लेकिन होमियोपैथी के पुनर्भरण की यहां पद्धति नहीं है। जो लोग इस पैथी में विश्वास करते हैं उनके चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि गांवों में चिकित्सक नहीं जाते। आप तय कर दीजिए कि प्रारम्भ में तीन साल गांव में, फिर पांच साल शहरी क्षेत्र में और फिर तीन साल गांव में, इस तरह पूरी सर्विस में नौ साल गांव में रहना पड़ेगा, चाहे वह एलोपैथी के चिकित्सक हों चाहे आयुर्वेद के हों। तब निश्चित रूप से गांवों और शहरों की स्थिति अच्छी होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गांवों में महिला चिकित्सक भेजे जाने की आवश्यकता मैं महसूस करती हूं। जिस तरह की वहां की स्थिति है, सड़कें ठीक नहीं हैं, वहां से महिलाओं को लाया नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जा सकता। प्रसूति के समय जब कभी पोजीशन खराब हो, इतनी दूर लाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। अगर महिला चिकित्सक वहां हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप जरा इसका ध्यान रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पहली घण्टी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आयुर्वेद और एलोपैथी, दोनों ही अस्पतालों में सबसे ज्यादा बुराई कहीं दिखती है तो सफाई न होने की दिखती है। जैसे एस. एम. एस. में ही है कि तीन-तीन वार्डों में एक-एक सफाई कर्मचारी है। अगर उनकी संख्या बढ़ा दें तो सफाई अच्छी नजर आ सकती है। अगर स्टॉफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से न सफाई अच्छी रह सकती न सेवाएं अच्छी रह सकती हैं। अस्पतालों में सफाई न हो, यह बर्दाश्त करने काबिल बात नहीं है। हमने पिछले दिनों भी यहां कहा था, जयपुर के एस. एम. एस. अस्पताल में विभिन्न तकनीकी चिकित्सक एवं सुविधाओं के कारण यहां पर काफी लोग बाहर से आते हैं, जयपुर से भी आते हैं। वहां पर और कमरे बनाये जाने की आवश्यकता है। 18 कमरों का प्रपोजल दिया हुआ है, मेहरबानी करके उसे मंजूर करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक-दो बातें बोल दूं।

मेरे नायला विधान सभा क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, जब कि वहां रोज डॉक्टर जाते हैं। वहां प्रशिक्षण केन्द्र है, लेकिन चिकित्सा सुविधा नहीं है। दो बजे वहां से सब लोग चले आते हैं। जो आप अस्पताल की बिल्डिंग की बात कहते हैं कि बिल्डिंग हो तो खोल दें, वहां पर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक करोड़ की बिल्डिंग है। आप उसको दिखवा लीजिए, काफी जगह है, वहां अस्पताल खोला जा सकता है। मेरे साइवाड़ क्षेत्र में मैं आपको बिल्डिंग देने को तैयार हूं। वहां पर सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ एलोपैथी का एक चिकित्सालय खोला जा सकता है। उस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं है, वहां खोले जाने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं ऐसी दादागिरी चल रही है कि हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक कम्पाउण्डर महोदय हैं, वह किसी डॉक्टर को वहां टिकने नहीं देते। पिछले 6-7 महीनों में छः चिकित्सक चले गये। वह हरेक के तो नहाते-धोते फोटो खींचता है, उनसे जो मिलने आता है उसके फोटो खींचता है। डॉक्टर जितनी दवाइयां निकालकर देता है वह सब मार्केट में चली चली जाती है। सड़क पर खड़ा होकर यह कहता है कि नीचे आ मैं तुझे देखूंगा। वह यादव कम्पाउण्डर अभी वहीं का वहीं टिका हुआ है। चिट्ठी लिखकर दे दी, तीन महीने से मैंने प्रयास भी कर लिये, लेकिन वह वहीं का वहीं है। इसी प्रकार साइवाड़ में एक वैद्य बारह साल से टिके हुए हैं। क्या नीति है आपकी ट्रांसफर्स की, मेरी तो समझ में नहीं आता। वह खुलकर तो चुनाव में विरोध में काम करते हैं और दवाई करते नहीं। उस क्षेत्र के चार बड़े आदमियों की सेवा करते हैं और सबसे पैसे लूटता-कमाता है। एक महीने में केवल दो-तीन बार वहां आते हैं और मस्ती मारते हैं भानपुर कलां में।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लेकिन वह सोमेश्वर भारद्वाज वहीं रखा जायेगा। इस तरह के लोगों को दूर भेजकर उनको दण्डित किया जाना चाहिए, जिससे वह सम्भल जायें और भविष्य में अच्छी सेवा दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में दो-एक बात कहूंगी।

मेरा निवेदन है कि मेरे यहां पापड़-नायला रोड, जावड़ के मठ से नायला रोड और नटाटा से नीमड़ी-रायसर रोड 11-12 साल पहले मैंने मंजूर करायी थी। ग्यारह किलोमीटर सड़क अब तक नहीं बनी, 19 किलोमीटर की सड़क अब तक नहीं बनी। उधर की पूंछ बना दी और आगे की पूंछ बना दी। हर बार दफ्तरों में जाकर चक्कर काटना पड़ता है। बीच-बीच में खड्डे पड़े हैं। बस निकलती है, साइबाड़ से निकलते ही लड़खड़ा जाती है। आप देखेंगे कि दो-तीन महीने में एक पूरी बस का एक्सीडेण्ट होता है, लेकिन वहां पर सड़क नहीं बनायी जा रही है। कितने खेद की बात है। जयपुर का हमारा जो म्यूजियम है, इसका नक्शा देखें तो आगे से जैसा आप देखते हैं उसी तरह से पीछे तक भी है। दो छतरियां आगे और दो छतरियां पीछे। वह नक्शा अपनी जगह पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सवाई मानसिंह अस्पताल के सारे बाथरूमों में कोई जा नहीं सकता। अस्पताल में कोई जनरल वार्ड में रहे तो उसको मालूम पड़े कि स्थिति कितनी खराब है। उनके लिए पैसा देकर उनको बनवाया जाना चाहिए। अस्पतालों की बुराई करना तो आसान बात है लेकिन अगर हम पैसा नहीं देंगे, टाइम पर उनको सुधरवायेंगे नहीं तो वह चिकित्सक क्या अपने बजट से काम करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर के जनाना और मर्दाना, दोनों अस्पतालों की लिफ्ट खराब पड़ी हैं। केवल एक लिफ्ट चालू की जाती है, चाहे इधर की चाहे उधर की। एक से डेढ़ किलोमीटर का चक्कर पड़ता है बीमार आदमी को सम्भालने या बीमार आदमी को देखने के लिए जाने के लिए। तो तीन लिफ्ट वहां किस लिए? दर्शनीय हैं क्या वह? या उनकी प्रदर्शनी लगानी है कहीं ले जाकर? उसके लिए अलग से बजट दें····

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके लिए टैक्निकल पोस्ट देकर आप लिफ्टमैन तैयार करें। इतनी बात कहते हुए, आपने मुझे समय दिया, एक बार मैं चली गई थी लेकिन नाम सुनकर एकदम भागकर आयी। आपने फिर टाइम से दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : अगर कोई बंद पड़ी लिफ्ट में शिफ्ट हो गया तो बाहर नहीं आ सकेगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

का ध्यान बस्सी विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 6 पी. एच. सी. और एक रैफरल अस्पताल है, लेकिन उसमें एक्स-रे मशीन की कोई सुविधा नहीं है और न रैफरल अस्पताल के अन्दर स्टाफ की सुविधा है। वहां सात डाक्टर्स की सुविधा होनी चाहिये, जबकि तीन डाक्टर्स अभी कार्यरत हैं, जो कि बहुत कम है। वहां पर खाटों की बहुत कमी है, बैड की व्यवस्था की जाय। एक्स-रे न होने से मरीजों को इतनी परेशानी होती है कि वहां से या तो यहां जयपुर आकर ही एक्स-रे कराना पड़ता है या उनको दौसा जाना पड़ता है। इसके अलावा एक्स-रे की कोई व्यवस्था नहीं है। एक्स-रे मशीन कम से कम बस्सी में तो लगायी जाय। कानोता एक बहुत बड़ा कस्बा है, 10 हजार की लगभग पापुलेशन है और आसपास चार पंचायतें लगती हैं। वहां न एड पोस्ट है, न डिस्पेंसरी है। कानोता के अन्दर डिस्पेंसरी खोली जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांव का कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर जब इमरजेंसी वार्ड में आता है, आप कभी भी 11–12 बजे आकर वहां खड़े होकर देख लीजिए, गांव वाले कराहते हुए वहां मिलेंगे। जिनके साथ कोई नहीं होता, कोई उठाकर भरती करवा देता है। अभी पांच दिन पहले की बात है, तीन घण्टे तक एक आदमी को किसी ने नहीं सम्भाला। उनको बार-बार कहते रहे। डाक्टर कमरों के अन्दर सो जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होकर आये मरीजों की इस वजह से मौत हो जाती है कि उनको टाइम पर सम्भाला नहीं जाता। इस इमरजेंसी वार्ड की तरफ तो कम से कम ध्यान दिया जाय। एक्स-रे की मशीन भी कभी चालू रहती है कभी बन्द होती है। एक साथ 15-15 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर जब आ जाते हैं तो एक एक्स-रे मशीन होने की वजह से तीन-तीन घण्टे तक इमरजेंसी वार्ड में पड़े रहते हैं, एक्स-रे के लिये लाइन पर लगे रहते हैं। उनको बैठने के लिये भी जगह नहीं मिलती है। इसलिये एक अन्य एक्स-रे मशीन की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। यहां एस.एम.एस. के अन्दर एक्सीडेण्ट से किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहले तो पुलिस वाले ही पंचनामा करने में 2–3–4 घण्टे लगा देते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम कराने जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि सांगानेरी गेट से जाकर पोलिथिन की थैली लाओ। फिर प्लास्टर मंगाया जाता है और कई अन्य चीजें मंगाने के लिये भी कहते हैं। या फिर 100–150 रुपये यदि वह व्यक्ति देता है तब जाकर पोस्टमार्टम होता है और उसको डैड बाडी मिलती है। इसलिये इसकी व्यवस्था की जाय।

मैं आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आयुर्वेद विभाग द्वारा जो औषधालय गांवों में चल रहे हैं वो न के बराबर हैं। वहां न तो दवाइयां है और वहां न कोई अन्य व्यवस्था है। सब सेन्टर जितने भी चल रहे हैं, सब सेन्टरों में न तो दाइयां ठहरती हैं, खाली पड़े हुए हैं। अनेक सब सेन्टर खुले हुए हैं लेकिन वहां पूरी तरह से स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता है। घंटे या दो घंटे तक वहां रहते हैं। मैं माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

दिलाना चाहूंगा कि आयुर्वेद विभाग में जो निदेशक और उप निदेशक का पद काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है, उसको भरा जाना चाहिए और जितने भी रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति की जानी चाहिए। आयुर्वेदिक विभाग में जो फार्मेसिज दवाइयां सप्लाई नहीं कर रही हैं उनकी जगह पहले भी एक बार 1974 में भी एक ऐसा प्रावधान हुआ था कि आयुर्वेदिक दवाइयों का एक कार्पोरेशन बनाया जाना चाहिए जिस से दवाइयां सप्लाई हो सके।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 1977 से लेकर अब तक अनाज योजना के अन्दर और अकाल राहत के तहत ग्रेवल और मिट्टी का कार्य, सड़कें इतनी बनी हुई हैं कि नई बनाने की बजाय अगर उन सड़कों की ओर ध्यान दिया जाय तो सड़कों की काफी प्राब्लम हल हो सकती है।

मेरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 13 ऐसी रोड्स हैं जिन पर 5 पर ग्रेवल रोडें हैं और बाकी पर मिट्टी का कार्य हो चुका है जैसे सामरिया से कोट खावदा तक, कोट खावदा से देलावाला तक की जो सड़कें हैं अगर नई न करके यदि उन्हीं पर डामर करवाई जाय तो काफी सुविधा हो सकती है। जो भी रोडें पक्की बनी हुई थी, पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से जो रोडें तुंगा से और तुंगा से रूपहड़ी जाने वाली रोड थी वो अभी इस कम बरसात के अन्दर टूट करके जगह जगह से सारा आना-जाना बंद हुआ पड़ा है। इसी तरह से कानोता से सामरिया, कोट खावदा जाने वाली रोड जगह-जगह से टूटने की वजह से वहां आवागमन बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन रोडों को चालू कराने के लिए कोई व्यवस्था करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण वर्मा (नेनवा) : एक बात कहना चाहता हूं, आधा मिनट के लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में प्रश्न कर लेना। (व्यवधान) देखिए, आपने पहले कोई इशारा किया नहीं। आप बाद में पूछ लीजिए। (व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री) : आपकी आदत ही पड़ गई है कि खड़े हों जब.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेडिकल ज्यूरिस्ट की बात उठाइए। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य और लोक निर्माण की मांगों के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव रखे। कुछ माननीय सदस्यों ने तो इतने अच्छे सुझाव रखे कि उनकी किन शब्दों में मैं प्रशंसा करूं, क्योंकि मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है और उन सुझावों को मैं यही मान रहा हूं, इसकी घोषणा मैं थोड़े समय बाद करूंगा।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहस में 38 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और विस्तार से चर्चा करते हुए राजस्थान के इन दोनों विभागों की दृष्टि से इस-इस प्रकार के सुझाव उन्होंने प्रेषित किए हैं कि जिससे राजस्थान की जनता का बहुत लाभ होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की रोगी जनता को अपना आराध्य माना है। हमारा यह प्रयत्न है, हम यह कोशिश कर रहे हैं, हम इस नाते से कटिबद्ध हैं कि राजस्थान में जो रोग चारों तरफ है उस रोग के निवारण और उसके पहले रोग पैदा न हो इस प्रकार के प्रयत्न किये जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस दृष्टि से प्रदेश की जनता को अधिकाधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए न केवल प्रयत्नशील है बल्कि कटिबद्ध है। एक ओर जहां रोगों के उपचार और रोकथाम की व्यवस्था की जा रही है वहीं दूसरी ओर राज्य के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रचार माध्यमों से स्वास्थ्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपनी प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं पर रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बहुत परिचित हूं और माननीय सदस्यों ने भी विस्तार से इस बात की बहुत चर्चा की है कि आज राजस्थान में ग्रामीण चिकित्सा बहुत उपेक्षित है। न केवल उपेक्षित है किन्तु इस चिकित्सा को देने की दृष्टि से जो प्रयत्न किया जाना चाहिए उसमें बहुत प्रकार की कमियां हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ग्रामीण चिकित्सा सुविधा देने की दृष्टि से अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न करेगी। एक छोटी सी अपेक्षा आज जब इस विषय में मैं बोल रहा हूं मैं माननीय सदस्यों से भी कुछ करना चाहता हूं कि इसकी भी चर्चा मैं इस दृष्टि से करूंगा। इस बात को प्रारम्भ होने के पहले मैं एक बात आप के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का हामी हूं कि पिछले 40 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाओं का बहुत विकास हुआ है। इस में बहुत बड़े प्रयत्न किये गये हम स्वतंत्रता के समय बहुत शून्य में थे, लेकिन उसके बाद से लगातार राजस्थान की धरती में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत सारे प्रयत्न हुए। मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता। न पुरानी सरकार को इस नाते से कुछ कहना चाहता हूं किन्तु उन्होंने लगातार बढ़ोतरी करने के प्रयत्न किए। किन्तु आपके माध्यम से एक न्यूनता जो मेरे ध्यान में आयी है, मैं आज सदन के सामने लाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न तो किया गया किन्तु उसमें बहुत बड़ा असंतुलन रखा गया। मुझे याद है टोंक से आने वाले माननीय विधायक यहां हैं मैं उनके क्षेत्र में प्रवास करने चला गया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

था अकस्मात। पिपलू के क्षेत्र में रेफरल अस्पताल बना हुआ है। डाक्टरों की नियुक्तियां है, कोई डाक्टर नहीं रहता है। कम्पाउण्डर ने अपने घर में डिस्पेंसरी खोली हुई है। रेफरल अस्पताल में 30 बिस्तर होने चाहिए, 6 बिस्तर लगे हुए हैं और इन 6 बिस्तरों में जब मैंने जानकारी की तो पिछले 20 दिनों में एक भी मरीज नहीं आया। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि शायद कलियुग को छोड़कर सतयुग आ गया। किन्तु जब जानकारी की गई तो मेरी जानकारी में आया कि चिकित्सालय में मरीजों के आने की आवश्यकता क्या है, लोगों ने अपने घर-घर में चिकित्सालय खोल रखे हैं। वहां लोगों की भरती की जाती है, उस प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं। यह केवल पीपलू का केस नहीं है। मैं कापरेन गया, मैं पाली जिले में 3 स्थानों पर गया, मैं जोधपुर जिले में 7 स्थानों पर गया। स्वभाव से घुमक्कड़ हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इन ग्रामीण चिकित्सा सुविधा में जो पर्यवेक्षण नहीं होता रहा है जो निरीक्षण नहीं होता रहा है उसमें विभाग की दृष्टि से तो प्रयत्न होगा ही, किन्तु अपने स्तर पर मंत्री के नाते इतने अधिक चिकित्सालयों में अचानक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा ताकि वहां के चिकित्सक निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी का अंजाम दे सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चिकित्सा सुविधा का विस्तार तो हुआ है किन्तु असंतुलन इस दृष्टि से पहुंच गया है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक विधान सभा क्षेत्र है मांडलगढ़। मांडलगढ़ में 6 पी. एच. सी. होनी चाहिये आबादी के अनुसार, 30 हजार की आबादी पर एक पी. एच. सी. चाहिये, 5 हजार की आबादी पर एक उप केन्द्र चाहिये, किन्तु आप देखेंगे कि वहां 11 पी. एच. सी. हैं। यह तो क्राइटेरिया है आल इण्डिया गवर्नमेंट का। 6 की जगह 11 पी.एच.सी. खोलने से निकलेगा क्या? जहाजपुर क्षेत्र में 5 पी. एच. सी. चाहिये 9 पी.एच.सी. हैं। आप अगर देखें तो टोंक विधान सभा क्षेत्र जिसमें मुझे जाने का मौका मिला, 6 पी.एच.सी. की आवश्यकता है, 18 पी.एच.सी. खुली हुई है। मेरे सामने बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया, कोई मंत्री वहां का बन गया, 18 पी.एच.सी. खोलकर उसमें से कौनसी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा, घोषणा कर दी। डाक्टर नहीं है, सुविधायें नहीं हैं, चुनाव को सामने देखकर, 1990 के चुनावों को ध्यान में रखकर 6 के स्थान पर 18 पी.एच.सी. खोलने का उपक्रम हुआ। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, चर्चा की है वहां की, आप चर्चा करेंगे। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोटा का केवल मंत्री नहीं हूं, मैं राजस्थान की तरफ से मंत्री बना हूं, किन्तु कोटा जिले का हाल क्या है? एक पंचायत समिति में एक पी. एच. सी. चाहिये, एक रेफरल अस्पताल चाहिये, 12 पंचायत समितियां हैं, किन्तु 6 पी.एच. सी. है, पी एच.सी. चाहिये 46, अवस्थित हैं केवल मात्र 27। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह आंकड़े सदन के समक्ष इसलिये रखना चाहता हूं कि विकास तो हुआ, विकास की प्रक्रिया तो शुरू हुई, चिकित्सा सुविधाएं देने की दृष्टि से प्रयत्न तो हुआ किन्तु इस प्रकार का असंतुलन खड़ा कर दिया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि हम भेद-भाव नहीं करेंगे, हम राजनीतिक भेद-भाव नहीं करेंगे किन्तु निश्चित रूप से जहां-जहां न्यूनता है वहां उनको भरने का प्रयत्न करेंगे, हमारा प्रयत्न रहेगा। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी करने की कोशिश नहीं की जायेगी। पुरानी परम्पराओं को हम निश्चित रूप से तोड़ने का प्रयत्न करेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यमान ग्रामीण चिकित्सा जिसको मैंने अपना आराध्य माना है, जिस को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में चर्चा करने की कोशिश की है उसके परिवेश में यहां सदा शिकायत रही है, बहुत शिकायतें उस बारे में की गयी हैं। मैं मानता हूं कि चिकित्सा सुविधायें अस्पतालों में पर्याप्त नहीं हैं, चिकित्सक अस्पतालों में नहीं रहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा मैं जोधपुर गया और जोधपुर से बिलाड़ा अस्पताल की चैकिंग करने के लिये गया, जो 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूसरी तरफ कूकड़ा गांव है, ऐसा कोई गांव है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वहां गया। मुझे देख कर आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से रोजाना डाक्टर अप-डाउन करता है, जो डाक्टर 60 किलोमीटर जायेगा, 8 बजे की बजाय साढ़े 9 बजे पहुंचेगा और 11.00 बजे लौटकर आयेगा, डेढ़ घण्टा रहेगा वह केवल और डेढ़ घण्टे में सारे दिन की परिचर्या करके वह लोगों की क्या सेवा करेगा ? निश्चित रूप से शिकायतें हैं वह सत्य हैं, इनमें शत-प्रतिशत सत्यता है मैं इसको मानने में किसी प्रकार की हिचक नहीं करता। समय पर अस्पतालों में नहीं मिलते हैं। कहीं-कहीं इस बात की शिकायतें भी आई है कि मरीजों अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ चिकित्सकों का व्यवहार पूर्णतया मानवीय नहीं होता है कभी-कभी अमानवीय हो जाता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में यह बात सच है कि आज जो भौतिक दौड़ लगी हुई है, उस भौतिक दौड़ में अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपनी प्रेक्टिस और इस कारण से संवेदनहीनता हो गई है। मैं आप का सहयोग चाहूंगा इस बारे में, यह केवल कानून से नहीं बन सकता है, यह केवल दण्ड देने से भी नहीं बन सकता है। हम जानते हैं कि एक बार प्रयत्न हो सकता है भावनाओं को जागृत करने का। मुझे पिछले 4 महीनों में अनुभव आया है विभिन्न स्थानों पर प्रवास के समय जाकर जब डाक्टर्स के बीच में बैठकर इस बात की विस्तार से चर्चा होती है, आखिर वह भी दिल रखते हैं, उनका भी मानव शरीर है, उनके भी मन में भावना है, आवश्यकता है उन भावनाओं को जगाने की और दूसरी आवश्यकता है ऊपर से लोगों को कौन सी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई इस बात को देखने की।

राज्य सरकार इस बात का प्रयत्न निश्चित रूप से कर रही है कि संवेदनहीनता संवेदनशीलता में बदल जाय, करुणा आवश्यक है डाक्टर के लिये, संवेदनशीलता आवश्यक है इसका वातावरण उत्पन्न करने का हम प्रयत्न करेंगे। किन्तु जैसा आज प्रारम्भ में, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस मार्ग पर रुकेंगे नहीं अगर गोली देने से काम चलेगा मरीज की सेवा में तो गोली से काम चलायेंगे अगर संवेदनहीनता हटकर संवेदनशीलता सामान्य समझाने से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आती है तो वह प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। अगर गोली से काम नहीं चलेगा तो इंजेक्शन की प्रक्रिया करेंगे और राज्य सरकार कभी भी कदम पीछे नहीं हटायेगी, कठोर कदम रखकर हम डाक्टर्स से, मैं जानता हूं कि सभी डाक्टर्स इस प्रकार के नहीं हैं, थोड़े ही डाक्टर्स हैं, उनका अनुकरण करके एक प्रकार की परम्परा बनने के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति बनती चली जाती है। हमारा प्रयत्न साम-दाम-दण्ड-भेद सभी दृष्टि से इस प्रकार का रहेगा कि मरीज को, रोगी को अपना भगवान समझकर, मैं डाक्टर को भगवान नहीं मानता। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रक्रिया प्रारम्भ की थी "दीन-हीन-करुणा युक्त गरीब व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति मेरा भगवान है, आज भगवान की पूजा नहीं करके उसका प्रयत्न करने की कोशिश करूंगा।"

धीरे-धीरे सारे विभाग में इस प्रकार का प्रयत्न हमारा चला है, लगातार मीटिंग्स करके, समझा कर-बुझाकर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि केवल समझाने-बुझाने से काम नहीं चलेगा सब प्रकार का प्रयत्न करके, इस बात को पूरी करने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि ग्रामीण चिकित्सा की दृष्टि से जो यहां पर कमियां आई हैं मैं उनको बहुत अंश में सही मानता हूं, राज्य सरकार ने 10 सूत्री प्रोग्राम इस नाते से बनाया है। जो आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं—

(1) आज होता क्या है डिस्ट्रिक्ट है उस पर एक सी. एम. एण्ड एच. ओ. है, स्पेशलिस्ट है, उसकी जिम्मेदारी तो यह है कि सारे जिले में जाय, अपना अस्पताल देखे, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखे कि सरकार की गतिविधियां ठीक रूप से चल रही है या नहीं और उसके साथ साथ जिले में चलने वाली जितनी पी.एच.सीज. हैं, उप केन्द्र हैं ठीक रूप से व्यवस्था होती है या नहीं इसको देखे।

किन्तु पिछले 4 महीने में मेरा अनुभव आया है उसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं, वह स्पेशलिस्ट है, वह आज अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता है और इस कारण से उसके दौरे बन्द हो गये, उसका निरीक्षण बन्द हो गया वह जाकर लोगों को अपने क्षेत्र में देखता नहीं है, अगर गांव में जाकर उन चिकित्सालयों का निरीक्षण नहीं किया गया तो शायद लोग समझते हैं कि आखिर देखने वाला कोई नहीं है तो हमको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने इसकी नीति तय की है कि सी. एम. एण्ड एच. ओ. अभी है, जो स्पेशलिस्ट है, वह केवल डिस्ट्रिक्ट सेन्टर की चलने वाली शासकीय गतिविधियों को देखेंगे। हम एक रूरल सी. एम. एण्ड एच. ओ. की स्थापना अभी से कर रहे हैं, नोन स्पेशलिस्ट होगा। उसका काम होगा सारे जिले के क्षेत्र-क्षेत्र में प्रवास करे, प्रवास की रिपोर्ट रखे, स्थान-स्थान पर जाय, औषधालयों का निरीक्षण करे, वहां की कमियों को देखें और उसके साथ-साथ उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करे—यह सूत्र एक हमने रखने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत क्या

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है ? आज हमारे डिप्टी सी.एम. एण्ड एच. ओज. हैं उन सबके हैड क्वार्टर जिले के अन्दर बने हुये हैं, काम जरूर है। मलेरिया का किसी के पास काम है, किसी के पास टीकाकरण का काम है, किसी का हिम्युनाइजेशन का काम है, किसी के पास टी.बी. का काम है। होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर बैठे हुए हैं। अब इन सब कामों को देखने के लिये सारे जिले में जाना चाहिए. वह सम्भव नहीं होता है और न वह जाते हैं।

राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सब डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओज. अब जिला केन्द्रों पर नहीं रहेंगे, एस. डी. एम. केन्द्र पर जायेंगे वहां उनका हैड क्वार्टर बनेगा और जो एस.डी.एम. का क्षेत्र आयेगा उस क्षेत्र की सारी की सारी जिम्मेदारी उस डिप्टी सी. एम. एच. ओ. की होगी। सब प्रकार की रेस्पान्सिबिलिटी, उसमें किसी प्रकार की कमी आई तो उसकी जिम्मेदारी उस डिप्टी सी.एम.एच.ओ. को वहन करनी होगी। हैड क्वार्टर बदलेगा और वह उस क्षेत्र का एस. डी. एम क्षेत्र का जो डिप्टी सी. एम. एच. ओ. होगा वह अपने क्षेत्र में चलने वाली विभिन्न प्रकार की एक्टीविटीज चाहे वह टी.बी. की हो, चाहे टीकाकरण की होगी, चाहे हिम्युनाइजेशन की होगी उन सब बातों की देख-रेख उस डिप्टी सी.एम. एच.ओ. के द्वारा होगी।

नर्सिंग स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है ताकि वह लोग पूरा मन लगाकर गांवों में रह सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं हम आशा तो करते हैं किन्तु आशा करने के साथ-साथ यह बात सच है कि आज कुछ सुविधा इस प्रकार से उपलब्ध करायें इसकी दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने उसमें कहा है कि हम एक कोष बना रहे हैं। मुझे याद है 1978-79 में वह मुख्य मंत्री थे मुझे उस समय चिकित्सा मन्त्री रहने का मौका आया था। उस समय योजना बनी थी। हम चाहते हैं कि वह चिकित्सा कोष केवल सामान्य न रहे। हम राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी भाइयों से कान्टेक्ट करेंगे, पत्र लिखेंगे, कलकत्ता जायेंगे, बम्बई जायेंगे, मद्रास जायेंगे, बैंगलोर जायेंगे। निवेदन करेंगे उनसे। उनके भावों को जगायेंगे और उस चिकित्सा कोष में दस करोड़ रुपया इस वर्ष हम एकत्रित कर सकें यह हमारी योजना है।

तीसरी चिकित्सकों को हम मकानों के निर्माण करने की सुविधा की दृष्टि से मैचिंग ग्राण्ट दे सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथा सूत्र जो मैंने रखा है जैसा मैंने पिछले सत्र के अवसर पर कहा था। मेरे क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में नर्सिंग स्टाफ की उन्हीं जिलों में भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू की जाए। यह व्यवस्था इसी वर्ष से चालू हो रही है। हमारे नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की थी कि मैं पति-पत्नियों को अलग कर रहा हूं। उन्होंने इस भाव को इस नाते से रखा, मैं बताना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से ए.एन.एम. की ट्रेनिंग का सवाल है उन्होंने कहा था पुरुषों के लिये क्यों नहीं करते।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पुरुषों के पद बहुत कम हैं। प्रत्येक उप केन्द्र में एक महिला ए एन.एम. का रखना आवश्यक है। आपको ध्यान होगा पिछले सत्र में जब सवाल आया था उस समय बाड़मेर से आने वाले सदस्य, विशेषकर नागौर से आने वाले सदस्य, पाली से आने वाले सदस्य चर्चा करते थे कि हमारे उप केन्द्र में नर्सिंग स्टाफ और ए एन.एम. नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिये नहीं थी रहने वाली थी भरतपुर की, क्षमा करेंगे आप मुझे, रहने वाली थी अलवर की यहां तो कोर्स का मौका नहीं मिलता। एडमिशन लेती थी वहां ट्रेनिंग प्राप्त करती थी और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बीच में ही कोशिश करती थी हम मन्त्रियों से सम्पर्क करके उस ट्रेनिंग केन्द्र को बदला लें। अगर उस समय नहीं बदला जाता था तो उसके बाद नौकरी के समय चिन्ता करती थी कि उन जिलों से खिसक कर अपने गृह जिलों में आ जाए। और इसी कारण से बाड़मेर, नागौर इन सब स्थानों पर रिक्त स्थान पड़े हुए थे। इसलिये ही यह कहा गया कि जिला नहीं बदला जायेगा, न ट्रेनिंग सेन्टर बदला जायेगा। माननीय सदस्य महोदय आपने जो चिन्ता प्रकट की है उसका स्पष्टीकरण मैं इन्हीं शब्दों में करना चाहता हूं। यह चौथा सूत्र हमने इस नाते से रखा है।

पांचवें सूत्र के नाते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कितने हमारे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने तय किया है, कि गांव में रहने वाले बच्चे विशेषकर के उनके स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता। अगर प्रारम्भ में ही स्कूल के प्रवेश के साथ ही स्वास्थ्य का परीक्षण उनका हो जाए, स्वास्थ्य चार्ट बन जाए तो उस चार्ट के आधार पर अगर कुछ काम्पलीकेशन्स आगामी जीवन में होने वाले हैं इसकी जानकारी हो जाती है। उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी हो जाती है, उनको कैसी सहायता देना आवश्यक है इसकी भी जानकारी हो जाती है। इसलिये राज्य सरकार ने तय किया है कि हमारा चिकित्सा विभाग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण इस जुलाई माह से करना प्रारम्भ करेगा और प्रत्येक बच्चे का परीक्षण करके हम चार्ट बनायेंगे। यह पांचवां सूत्र रखने की हमने कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का परिणाम इतना विशाल है, यह जो मैंने लोगों के और स्वास्थ्य परीक्षण की चर्चा की। सवाल आ जाता है शहरों की कच्ची बस्तियों का, शहरों की गन्दी बस्तियों का जहां की हाइजनिक कण्डीशन इतनी खराब है। मैं पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के साथ सोनी क्लिनिक में गया था और एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में चर्चा करते समय मैंने निवेदन किया उनसे कि ऐसे नर्सिंग होमों को कम से कम शहर की एक कच्ची बस्ती को गोद लेना चाहिए। जिन कच्ची बस्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण अपने तौर पर वह करायें, बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी लोगों को चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं बड़े आदमियों को। पैसा भी बहुत पैदा कर रहे हैं। किन्तु अगर इसका थोड़ा सा विनियोजन उन कच्ची बस्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण और उनमें होने वाले काम्पलीकेशन की दृष्टि से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जाये, सोनी क्लिनिक ने उस बात को माना और एक कच्ची बस्ती को उन्होंने गोद ले लिया।

मैं आज जब सदन में खड़ा हूं, आपके माध्यम से सदन के सदस्यों के माध्यम से शहरों में जो नर्सिंग होम्स हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर वगैरहा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह बढ़ें, अच्छी प्रगति करें किन्तु कम से कम एक कच्ची बस्ती, एक गन्दी बस्ती अपनी गोद ले ताकि वहां के बच्चों का निरीक्षण होकर उनके जीवन को ठीक रूप से चलाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों के होने की माननीय सदस्यों ने शिकायत की है। आज प्रातः काल इसका उत्तर मैंने विस्तार से दे दिया है। मैं फिर उसको रिपीट करना चाहता हूं। मुझे बहुत कष्ट है। मैं सचमुच व्यक्ति-रूप से बहुत दुखी हूं। मैंने अपने विभाग के लोगों से इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैं आपको निश्चित रूप में कहना चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि यह हाई कोर्ट का प्रतिबन्ध हट जाए, स्टे हट जाए। मुझे लगता है इसमें सफलता मिल जाएगी। इस बात को छोड़कर बाकी जिसकी चर्चा चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने की थी सीनियर स्पेशलिस्टों की कमी है, जूनियर स्पेशलिस्टो की कमी है। यह बात सच है तीन महीने हमको हो गए। एक तो यह समय बड़ा कम है। मैं आपसे 31 अगस्त तक का और समय मांग रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा एक एक रिक्त पद निश्चित रूप से 31 अगस्त तक भर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में और टिपिकल क्षेत्रों में इस नाते पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की है और इसलिए हमने तय किया है 150 जो हमारे बंधु लगे हुए हैं जो उस समय लगे थे और 400 और 180, 580 आने वाले है। इन सारे लोगों को जो नगरपालिका क्षेत्र नहीं है उन्हीं में फर्स्ट पोस्टिंग दिया जाएगा और तीन साल तक उनको वहां रखा जाएगा। किसी भी नए आने वाले विद्यार्थी को, आने वाले डाक्टर को हम पोस्टिंग वहां देंगे और तीन साल तक वह ग्रामीण लोगों की सेवा करे। इस प्रकार की हमने कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी शिकायत माननीय सदस्यों एवं अन्य लोगों द्वारा समय-समय पर की जाती रही है कि चिकित्सालयों में मरीजों को औषधियां उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। मैं स्वयं मुक्त भोगी हूं इसका। उधर से आने वाले माननीय सदस्य एक ऐसे मरीज की चर्चा कर रहे थे लैप्रोसी का मैं स्वयं वहां गया। आज के तीन-चार दिन पहले मुझे अस्पताल में जाने का मौका मिला। मेरे साथ अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेंट महोदय भी थे। मैं भी अकस्मात उसी वार्ड में पहुंच गया। मुझको बताया गया वह गरीबी की रेखा के नीचे का व्यक्ति है। देखा उसको, मैंने पूछा आपकी दवाइयों की सूची लाओ, दवाइयों की सूची भी लाया। मैंने उससे पूछा 450 रुपए की दवाइएं तो पिछले 15 दिनों में हम ला चुके हैं। मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं गरीबी की रेखा के नीचे जो भी बंधु होंगे उन्हें चिकित्सालय में इण्डोर पेशेन्ट्स को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जायेंगी। कितनी भी कीमत की हो, कितना भी खर्चा हो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हमारा, हमने कोशिश की है हमने प्रयत्न किया है, हम इस नाते से पूरे कटिबद्ध हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में खराब पड़े हुए उपकरणों के विषय में समय-समय पर शिकायतें आती रही हैं। एक चर्चा मैं और करना चाहूंगा। यह तो वह 8 सूत्र हैं जो हमने स्वीकार कर लिए हैं। दो सूत्र और हैं जिन पर हमको अभी फाइनल निर्णय लेना बाकी है। किन्तु राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

पहला तो विचार यह है कि अभी एक पी. एच. सी में एक डाक्टर होता है। तीस हजार की आबादी पर ग्रामीण क्षेत्र में होता है। राज्य सरकार यह विचार कर रही है एक डाक्टर के बजाए दो डाक्टर रखें जाएं। जैसा थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया। अभी तक वित्तीय प्रावधान हमने देखे नहीं है, उसका विचार नहीं हुआ है। इस नाते से यह बात अभी हमारे विचाराधीन है और उससे एक कदम बढ़कर हमने यह तय किया है। एक डाक्टर तो पी. एच. सी. पर लगातार रहेगा एक महीने। और दूसरा डाक्टर, एक पी. एच. सी. के अन्तर्गत जो पांच या छः उप केन्द्र आते हैं उन पांच या छः उप केन्द्रों में अपनी तिथि पहले से ही निश्चित करके तीन-तीन दिन, क्योंकि जैसे पहले शिकायत आई थी उस केन्द्र पर केवल नर्स रहती है यह बात सच है। यह केन्द्र की व्यवस्था हम 2 हजार तक राजस्थान के कोने-कोने और हिन्दुस्तान के कोने में स्वास्थ्य, सबके लिए उस योजना को जो लेकर चलें उस केन्द्रीय योजना जो है उसमें पी. एच. सी. के नीचे तीस हजार की आबादी तक एक उप केन्द्र अवस्थित है जिसमें एक नर्स रहती है हमने विचार किया है कि दूसरा डाक्टर, जो वहां रहेगा एक महीने तक एक डाक्टर लगातार फिक्स रहे और दूसरा डॉक्टर तीन-तीन दिन के लिए उन उप केन्द्रों पर दौरा करता चला जाये जिसकी तिथियां पहले से ही उस क्षेत्र में विज्ञापित कर दी जाये यह योजना हमारे विचाराधीन है।

एक और योजना जो विचाराधीन है। यह अनुभव किया जा रहा है कि चिकित्सा में पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरना पसन्द नहीं करता। नियुक्ति के तुरन्त बाद ही चिकित्सक यह प्रयत्न करने लगता है कि येन केन प्रकारेण उसका पद-स्थापन शहरी क्षेत्रों में हो जाये और कभी ग्रामीण क्षेत्रों में उसको मजबूरन रहना पड़ता है तो वहां से भागने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जैसा मैंने कहा कि साम दाम दण्ड भेद की प्रक्रिया राज्य सरकार अपनाना चाहती है। किन्तु उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग जैसा कि मैंने कहा था। आप सोच लें कि इसमें मुझे कैसे सहयोग देंगे आप। यह कोई सामान्य बात नहीं है। गम्भीरता से विचार करेंगे तब आपको यह लगेगा कि यह प्राब-लम कितनी कठिन है। एक दूसरा अल्टर-नेटिव इस सरकार के विचाराधीन है। जैसा यहां से किसी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, ग्रामीण चिकित्सा सेवा का गठन करने का राज्य सरकार अलग से विचार कर रही है। बात बहुत कठिन है मध्य प्रदेश में इसको एक्सपेरीमेंट करके किया गया। किन्तु वहां सफल नहीं हुई है। किसी दूसरे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रदेश में भी की गयी किन्तु वहां भी सफल नहीं हुई है। इस कारण से अभी इसके पक्ष और विपक्ष में प्रत्येक बात को देखना बाकी है। इसमें दो सूत्र अन्तिम जो है आठ सूत्र तो वह हैं जिनका हम पालन करेंगे और यह दो सूत्र जो है यह विचारार्थ राज्य सरकार के सामने है। जिन पर सरकार विचार करना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में खराब पड़े हुये उपकरणों के विषय में समय-समय पर शिकायतें आती रही हैं। मेरा मानना है कि जो नई व्यवस्था परीक्षण की ओर निरीक्षण की हम चालू कर रहे हैं उसमें बेहतर परीवेक्षण होने के कारण इस बारे में हमको बहुत रिलीफ मिलेगी। किन्तु फिर भी इस बारे में हमने बहुत स्पष्ट निर्णय लिये हैं। हमने यह विचार किया है कि जो उपकरण खराब हो जाते हैं, 15 दिन की अवधि में उनकी मरम्मत करवा कर उनको चालू करवा लिया जाये अगर चालू नहीं होंगे तो उस चिकित्सालय का जो इन्चार्ज होगा वह जिम्मेदार होगा और सुपरवाइजरी ड्यूटीज के नाते जो डिप्टी सी. एम. एच. ओ. बैठा होगा उस क्षेत्र में उसकी सुपरवाइजरी ड्यूटीज भी नेग्लिजेन्सी में शामिल की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीनों के विषय में विशेष रूप से ऐसी शिकायतें आती रही हैं। इस विषय में 15 दिन से एक माह में उनको ठीक करवाने की व्यवस्था की जायेगी। यह आदेश हम हमारी सरकार आने के बाद तीन बार प्रसारित कर चुके हैं। कुछ एक्स-रे मशीनें भी ठीक हुई है, कुछ खराब पड़ी हैं किन्तु हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि नई एक्स-रे मशीन आने पर दो माह की अवधि में उसको निश्चित रूप से लगाया जाना होगा। मैं पीपलू की चर्चा आपके सामने कर रहा था। मैंने जा कर पूछा। तीन साल से एक्स-रे मशीन आई पड़ी है। मैं गया था कापरेन में। कापरेन का डाक्टर कहने लगा कि इसका फ्यूज उड़ गया है। डेढ़ महीने से खराब पड़ी है। मैंने कहा डाक्टर साहब आपके घर का बल्ब का फ्यूज उड़ जायेगा तो पत्नी घर में नहीं घुसने देगी दूसरे दिन। फ्यूज ठीक करवा के आओ फिर घर में घुसने देगी। यह जो धारणा है यह जो अण्डरस्टेंडिंग है यह जो विचार है इस विचार में सभी नाते से परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, एक कमी और रही है। पिछले वर्षों में एक्स-रे मशीन तो दे दी गयी है किन्तु टेक्निशियन नहीं दिया गया। पिछले वर्षों में एम्बुलेंस तो दे दी गयी पर ड्राइवर मुहैया नहीं करवाया गया है। राज्य सरकार ने भी निश्चय किया है कि जहां-जहां एक्स-रे मशीन होगी वहां टेक्निशियन निश्चित रूप से भेजा जायेगा। जहां-जहां एम्बुलेंस होगी वहां ड्राइवर को भेजने की हम निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक सेवाभावी लोगों का सहयोग मिल सके और उनके सहयोग से चिकित्सा व्यवस्था अधिक प्रभावी और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लाभदायी बनायी जा सके इसके लिए चिकित्सा सुविधा सलाहकार समिति का गठन करने के बारे में विचार चल रहा है। हमने निश्चय किया है कि मेडिकल कालेज से लेकर पी एच सीज तक एक-एक सलाहकार समिति ऐसी बने, गठन क्या होगा हमारे निर्वाचित सदस्य होंगे हमारे मन की इच्छा है। उस क्षेत्र के एक दो सेवाभावी जिनकी मेडिकल में रुचि है, वह कोई इनके बॉस नहीं होंगे किन्तु लगातार उसके लिए भवन की उपलब्धता, वहां के चीजों की उपलब्धता, दवाई कम आई तो कमी अपने यहां से, कमी आई तो उसकी चर्चा विभाग को पहुंचा कर मंत्री को पहुंचा कर उसमें सुधार ला सके। इस प्रकार की हमने सलाहकार समिति का इस नाते से नामिनक्लेचर किया है। हमने विचार किया है कि पी एच सी लेबल से लेकर अस्पताल तक हम इस प्रकार की सलाहकार समिति का गठन करें जो कि इनको बढ़ाने की दृष्टि से, चलाने की दृष्टि से हमको सहयोग कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं मोबाइल सर्जिकल यूनिट की सेवाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। यह इकाई बहुत उल्लेखनीय सेवा दे रही है। अभी बाढ़ और अकाल के समय सारे लोग पहुंच गये वहां हमने सबकी ड्यूटीज वहां लगा दी हैं। अभी पिछले साल राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ आई है उसमें इस इकाई के चिकित्सकों को भेजा जा रहा है। हमने यह भी कोशिश की है कि उनके लगने वाले जो कैम्प्स हैं उनकी संख्या बढ़े और हम यह भी सोच रहे हैं कि इन सबके लिए बेस यूनिट अस्पताल का निर्माण किया जाये। जिस समय यहां रहते हैं उस अस्पताल में बैठें, वहां मरीजों को देखें और वहां मरीजों की सेवा करें। क्योंकि पिछली बार पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की मीटिंग के जब नोट्स पढ़े तो उसमें तो यह विचार दे दिया गया था कि इस मोबाइल सर्जिकल यूनिट को खत्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना काम इनको करना चाहिए वह कर नहीं रहे हैं। इसलिए हमने इनके कामों को बढ़ाया। नम्बर आफ कैम्प्स हम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां बने कि बाढ़ आ जाये तो उनकी ड्यूटीज लगाने की बात कही गयी है। बेस अस्पताल बनाने की तीसरी बात कही है और चौथी बात जैसा मैंने नर्सिंग होम्स के लोगों से अपील की है वह कच्ची बस्तियों को गोद लें अगर उनमें से कुछ क्षेत्र बच जायेंगे बड़े शहरों में तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स के सारे डाक्टर उन बची हुई कच्ची बस्तियों में जाकर वहां के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य बनायेंगे इस प्रकार की प्रक्रिया करने की हमने कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दस सूत्री के कार्यक्रम को, मैं जानता हूं चिकित्सा सुविधा पहुंचाना बहुत कठिन है। उसमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा कभी कभी तो एक भागीरथ योजना बनाई है हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस भागीरथ योजना को करने की कोशिश करनी होगी। इसमें आपका बहुत सहयोग चाहिए। कोई भी बात जो आपके दिमाग में आती है एक बार विभाग को बतायें, मुझको बतायें हम पूरी कोशिश करेंगे उन कमियों को पूरा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करने के लिए और कभी-कभी को पूरा नहीं कर पायेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके सामने, एक अपराधी के समान कटघरे में खड़े हुए मिलेंगे यह मैं निश्चित रूप से आपको बात कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध तो हैं किन्तु वह भी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में काफी कम पड़ती जा रही हैं। मैं उस सन्दर्भ में सबसे पहले जयपुर नगर के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर शहर का जिस गति से विस्तार हो रहा है उसमें मेडिकल कॉलेज व इससे सम्बन्धित चिकित्सालय पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यद्यपि हमने शास्त्रीनगर और सेठी कालोनी में सेटेलाइट चिकित्सा चालू किये हैं किन्तु वह केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उससे समूचे नगर की आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होती और इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया है जो चिर प्रतिक्षित बात है, बरसों से चली आ रही है एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल निर्माण करने की, राजस्थान सरकार इसी वर्ष से डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की जयपुर में स्थापना करने जा रही है। हमने तय किया है कि जयपुर में सांगानेरी गेट के बाहर महिला चिकित्सालय है जिसमें अभी शायद 70 बैड हैं महिलाओं के यह दे करके दो सौ बैड का अस्पताल हम बनायेंगे, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल होगा, मेडिकल कॉलेज से अलग रहेगा और सारे लोगों को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से हमारा इसका प्रयास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मालवीया नगर, मानसरोवर, विद्याधरनगर आदि में फिलहाल सौ बिस्तरों के नये चिकित्सालयों के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। मालवीय नगर क्षेत्र में जहां से माननीय अध्यक्ष महोदय आते हैं, नेहरू पार्क में एक सौ शैयाओं के लिए चिकित्सालय भवन बनाया गया है किन्तु अभी सुविधायें पूरी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। कन्स्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पहले तीस बैड का अस्पताल हम इस वर्ष से प्रारम्भ करेंगे, उसको बढ़ाकर सौ बैड तक एक दो साल तक पहुंच जायेंगे। मैंने स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से इस विषय में बात की है, हमारे विभाग के अधिकारी और उनके विभागों के अधिकारियों की भी चर्चा हो चुकी है, और उनसे हमने निवेदन किया है जो इस प्रकार से आस-पास बड़ी-बड़ी कालोनीज बसाई हैं, उन कालोनीज में वह स्थान उपलब्ध करावें, भवन का निर्माण करवायें, और उन भवनों में जयपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से पांच वर्ष में सौ बैड्स का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया हमारी होगी, कुछ बच जायगी तो छठे सातवें साल हम इस काम को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। (व्यवधान) आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, फिक्र मत करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर मेडिकल कॉलेज की बड़ी चर्चा हुई यहां। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज भी जयपुर मेडिकल कॉलेज की जो प्रतिभायें हैं, जो डाक्टर्स हैं उनके केलिबर की चर्चा हिन्दुस्तान के कोने-कोने में होती है। कई कमियां है, उन कमियों की भी चर्चा करूंगा। उन कमियों के विषय में कई माननीय सदस्यों ने चर्चायें की हैं। उनके सम्बन्ध में कौनसे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कदम उठाये उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। किन्तु पहले-पहले वहां मेडिकल दृष्टि से मेडिकल विभाग में, सुपर स्पेशियलिटी डवलप हो गई। तीन चार बन गई उसकी क्षेत्र में अभी तक एक अम्ब्रेला के नीचे है, मेडिकल के। सर्जरी की ब्रोड स्पेशियलिटी के अन्तर्गत जिस प्रकार सुपरसोनिक उपलब्ध है उसी प्रकार मेडिसिन की ब्रोड स्पेशियलिटी के अन्तर्गत कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, लेप्रोलॉजी, तथा गेस्ट्रो-एण्ट्रोलॉजी के सुपर स्पेशियलिटी का गठन किया जाना है, राज्य सरकार इस नाते से प्रयत्नशील है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा एक दशक पूर्व यह व्यवस्था की गई थी कि चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यगण आस-पास के क्षेत्रों में जायें, आस-पास के चिकित्सालयों को समय-समय पर परामर्श दें, यह योजना चली थी, शुरूआत हुई थी, किन्तु अप्रभावी हो गई। कई प्रकार के व्यवधान उसमें आये। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं है, किन्तु मैं उस बात की ताइद करता। अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू किया गया था किन्तु वहां का अनुभव भी कुछ सुखद नहीं रहा है। फिर भी राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है। हम यह सोच रहे हैं कुछ बातें तय हों तो यहां के स्पेशलिस्ट लोग डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में भी एक दो दिन के लिए जाया करें। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के लोग अपना एक ओरियन्टेशन कार्यक्रम करके नीचे पी. एच. सी. में जांय, राज्य सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है। विचार करने के बाद जैसा उसमें से निष्कर्ष निकलेगा वह आगामी समय पर आपके बीच रखने की कोशिश की जायगी। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के प्रभाव क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जो पेरी-फेरी में उपलब्ध न हो उसका लोगों को लाभ मिले। जिस प्रकार जयपुर नगर में पेरीफेरल अस्पताल खोलने पर विचार किया जा रहा है, उसी प्रकार के पेरीफेरल अस्पताल की आवश्यकता दूसरे बड़े नगरों में भी आवश्यक होगी। इसके लिए भी एक दीर्घकालीन योजना बनाई जा रही है ताकि बड़े चिकित्सालयों का दबाव घटाया जा सके और लोगों को व्यापक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की लगभग दस हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है क्योंकि चिकित्सक निजी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। मैं तो जहां-जहां जा रहा हूं, डाक्टरों के बीच में बैठने का मुझे अवसर मिल रहा है, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने डाक्टरी की है तो सरकारी नौकरी करने के लिए नहीं की। आज छोटी-छोटी बस्तियों के, छोटे-छोटे उपनगरों के छोटे-छोटे खण्डों, प्रखण्डों के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपकी सुविधाओं के लिए लगातार आपकी ओर देख रहे हैं। राज्य सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेगी कि जो भी चिकित्सक प्राइवेट क्षेत्र में अपना क्लिनिक खोलना चाहेंगे सब प्रकार की सुविधायें लोन, इत्यादि, दिलवाने की दृष्टि से राज्य सरकार उनका पूरा-पूरा सहयोग करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पांच मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें प्रतिवर्ष निकलने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वाले चिकित्सकों की संख्या आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। हमारा प्रयास होगा"" (व्यवधान) अभी तो प्रयास ही है, फाइनल निर्णय कुछ दिनों में हो जायेगा।

कोटा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस नाते से की जाय। एक ही विभाग बचा है। पांचों क्षेत्रों में केवल वह ही बचा है। हमारा प्रयास हो रहा है इसको भी कार्यान्वित कर सकें। जब पूरी योजना आयेगी तब आप लोगों के ध्यान में बात आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों से आने वाले गरीबों के लिए बिस्तर देने में प्राथमिकता दी जायगी। अभी वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, चर्चा की। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। एक दिन रात के अन्धेरे में एक बजे घूमते-घूमते मैं एस. एम. एस. अस्पताल पहुंच गया, वहां खड़ा था। साथ में मेरा गनमैन भी नहीं था, लोग खड़े थे, कोई मेडिको लीगल केस हो गया था। चार पांच आदमी बात कर रहे थे, "देखिये कैसी सरकार है, छः घण्टे से आये पड़े हैं, अभी तक मरीज जीप में से निकाला नहीं गया। सिपाही हमारे साथ आये थे, ए. एस. आई. आए थे, बहुत कोशिश की, सफल नहीं हुए।" मालूम किया तो गये हैं पुलिस के अधिकारियों से काण्टेक्ट करने के लिए। मैंने उसी समय प्रिंसिपल को बुलाया, उसी समय वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट बुलाये गये। मैंने कहा "बताइये, व्यवस्था क्या है?" आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां के डाक्टर ने उनसे कहा था कि "तुम तो फागी के पास के हो, फागी के अस्पताल में क्यों नहीं चले गये।" राज्य सरकार की प्राथमिक आवश्यकता ग्रामीण चिकित्सा सुविधा है तो मैं आज इस सदन के माध्यम से डाक्टर बन्धुओं को कहना चाहता हूं, विशेषकर मेडिकल कॉलेज के डाक्टर बन्धुओं से कि हमने आराध्य के रूप में ग्रामीण माना है। अगर आवश्यकता हुई तो शहर का व्यक्ति जा सकता है नर्सिंग होम में, वह जा सकता है सन्तोकबा अस्पताल में, वह जा सकता है सोनी अस्पताल में, लेकिन गांव का गरीब है उसको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। मैंने निर्देश दिये हैं कि जब कभी सवाल आकर खड़ा हो, ग्रामीण व्यक्ति को एडमिशन देने में प्राथमिकता दी जाय, शहर के व्यक्ति की चिन्ता नहीं की जाय। और इस प्रकार की कोई बात सामने आयेगी, राज्य सरकार इस प्रकार के काम में अवरोध पैदा होने वाले व्यक्तियों से कठोर व्यवहार करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तय किया है कि सभी शहरी चिकित्सालयों में ग्रामीण अंचल को प्राथमिकता के आधार पर और उसी के साथ-साथ विधवाओं, सरकारी सेवा-निवृत कर्मचारियों, सत्तर वर्ष से अधिक के वृद्धों, अन्धों और विकलांगों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर भर्ती किया जायेगा और उनको समस्त चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जायेगी। यह हमने तय किया है।

श्री सम्पतसिंह : आपकी योजना के अनुसार 2/3 ग्रामीण तो अस्पताल में ही रहेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों में जो प्रथम नियुक्ति होती है उसका स्वास्थ्य

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रमाण पत्र लेने जब सम्बन्धित अधिकारियों के पास आते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रथायें हैं। अब हमने तय किया है कि नौकरियों में प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मिलने पर ही कर्मचारी आयेगा, उसको निःशुल्क प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। उसमें फीस अगर कोई लेगा तो उसको रिश्वत की संज्ञा दी जायेगी। The doctor will be treated as taking bribe from government servant. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में....

श्री हेतराम बेनीवाल : चतुर्वेदीजी, वह उनको फेल कर देगा उसी वक्त।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वहां के लिए नहीं, सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी करने वाले को स्वास्थ्य का प्रथम प्रमाण-पत्र लेना होता है,

श्री हेतराम बेनीवाल : बिना पैसे दिये तो अनफिट कर देगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बनवाकर देखियेगा। आज इन बातों की जो चर्चा कर रहा हूं, इन बातों को कठोरता से लागू करने के प्रयत्न के पीछे राज्य सरकार कटिबद्ध है, मैं यह बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : शिकायत होने पर ही एक्शन हो जायगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री सम्पतसिंह : उस पर तो रिएक्शन होना चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में क्षय रोग के निवारण के लिए किये जा रहे कार्यों में यह पाया गया है कि राज्य के 9 क्षय निवारण केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है। 18 में से 9 में भवन नहीं है और वर्तमान में यह केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। आगामी पांच वर्षों में टी. बी. सीरीज का विक्रय बढ़ाकर कोष एकत्रित करके भवनों का निर्माण करने की योजना है। उसी के साथ रोगियों के लिये दवाईयों की भी व्यवस्था की जायेगी। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी बात की चर्चा की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां जो भवन बन रहा है उसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. में हमारा पैसा जमा है, शायद आई. एन. जी. पी. के इसी बजट से वह पूरा किया जा रहा है। मैंने पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कहीं पैसा हो कहीं फण्ड हो उसको तलाश करो और उस क्षेत्र में उस भवन को बनाने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करो।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस प्रोग्राम में हमने उनके पास देखा तो अभी हमको उस पैसे की उपलब्धि वहां जमा की हुई नहीं मिली, किन्तु हम देखेंगे कि पैसा किसके पास जमा है। मुझे जो जानकारी दी गई है कि आई. एन. जी. पी. के....

एक माननीय सदस्य : आई. डी. एम. पी. के पास जमा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां तो उनसे बात करके....

श्री डूंगरराम पंवार : वह बल्ड फूड वाले ही बना रहे हैं। उनकी शिकायत है कि बड़े-बड़े भवन बना दिये लेकिन हैण्ड ओवर नहीं किया उनमें स्टाफ नहीं दिया। मेडिकल विभाग ने उसको हैण्ड ओवर नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में प्रश्न पूछ लेना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके साथ-साथ यह तय किया है, एक तो यह। और दूसरा सवाई माधोपुर में भी क्षय रोग के भवन बनाने की व्यवस्था इसी वर्ष प्रारम्भ कर दी जायेगी। प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर एवं सिरोही बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। बाढ़ग्रस्त लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने आवश्यक उपयुक्त कदम उठाये हैं। प्रत्येक जिले में चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ से घिरे लोगों को चिकित्सा सुविधा दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में चिकित्सा अधिकारी, एक मेल नर्स (द्वितीय), एक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं चार पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त बाड़मेर और जालोर में दस चिकित्सा अधिकारी और बीस नर्सिंग स्टाफ भेजे जा चुके हैं। कल प्रातःकाल मैं भी दौरे पर जा रहा हूं और दो दिन में उस सारे क्षेत्र का मानीटरिंग करके आऊंगा। जोधपुर शहर में मेडिकल कालेज एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सहयोग से 15 टीम कार्य कर रहे हैं। अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि इस बाढ़ के कारण स्नेक बाइट के बहुत अधिक केसेज हो गये हैं। एक दवा वहां कम हो गई थी, उस दवा को अविलम्ब उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि स्नेक बाइट के रोगियों का उपचार किया जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश से पहले ही पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध करा दी गई थीं फिर भी सुरक्षा भण्डार बनाने के लिये 15 हजार की और औषधियां संयुक्त निदेशक को भेज दी गई है। पानी का शुद्धिकरण और छूत की बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्याप्त मात्रा में कीटाणुनाशक औषधियां उपलब्ध हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधाओं में जितना भी विकास एवं विस्तार किया जाये वह बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में प्रभावहीन हो जाता है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीरता से चर्चा की। वैसे आज हमारा सौभाग्य है कि आज ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। जनसंख्या नियन्त्रण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। उन की आज के दिन समीक्षा की जा रही है। ऐसे अवसर पर आज चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग को विधान सभा के पटल पर आकर मांगों का उत्तर देने का मौका मिल रहा है। यह मेरा भी सौभाग्य है और इस दृष्टि से समीक्षा करने का मौका भी आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसी चर्चा की थी, सचमुच वह बहुत बड़ी बात है। जिस तेजी से आज पापुलेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, बड़ी विकट समस्या

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पैदा कर रहा है। कई उपाय किये गये। टारगेट्स का उपाय किया गया, इतने अच्छे कार्यक्रम को टारगेट्स की विभीषिका में खड़ा करके इमरजेंसी के समय जो मानसिक दशा देश की बना दी, मैं तो कभी-कभी गम्भीरता से विचार करता हूं कि पहले तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में उस मानसिक भूमिका को बदल करना आवश्यक है। मैं सच कहना चाहता हूं आपको, मैंने गम्भीरता से फील किया है इसको। आज भी इमरजेंसी के समय सारे प्रयास किये गये, जो टारगेट्स की भूमिका खड़ी हुई, उसके कारण से एक विशेष प्रकार का काम्पलेक्स ग्रामीण जनता में है। हम कुछ भी ढिंढोरा पीटें, बड़ी आवश्यकता तो आज शिक्षा की, प्रचार की, प्रसार की, मेन्टल एटीट्यूड चेन्ज करने की और स्ट्रांग पोलिटिकल बिल की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण के समय कहा था, हम प्रयत्न कर रहे हैं, टारगेट्स से काम नहीं चलेगा। इनसेन्टिव से भी काम नहीं चलेगा।

माननीय सदस्य ने कानून बनाने की चर्चा की है। मैंने प्रारम्भ में बात की, हम को लगता है कानून ठीक है। किन्तु कानून आते ही वह सारी इमरजेंसी की सुप्त शक्तियां जागृत हो जायेंगी। अभी तो एक बार इस काम्पलेक्स को दूर करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस नाते विभिन्न प्रकार के लोगों से बैठ रही है, विचार कर रही है। यहां जो अग्रवाल साहब का इन्स्टीट्यूशन है, उनको निवेदन किया है, मैं भी एक दो बार उनके कार्यक्रम में गया। मैंने कहा यह समस्या आवश्यक है, इसका निदान भी आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं प्रचार और प्रसार को छोड़कर अभी कोई भूमिका मेरे दिमाग में नहीं आ पाई है। मैं माननीय सदस्यों के सुझाव चाहता हूं। राज्य सरकार उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी। सब पक्षों को देखेगी। हमारा उद्देश्य यह है कि जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने की हम कोशिश करें। कुछ जातियों का हिसाब भी इसमें बाधा आ रहा है। आज इस सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता के विभिन्न समुदायों से भी अपील करना चाहता हूं इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका किसी चीज से सम्बन्ध नहीं है। देश प्रबल है, देश प्रमुख है, देश का विकास आवश्यक है। इसके विकास के बिना कोई भी योजना आगे नहीं चल सकती। देश के प्रत्येक समुदाय को जनसंख्या के रोकने के सारे मार्ग में कन्धा से कन्धा मिला कर आगे आना होगा। प्रयत्न हमारे चल रहे हैं, उन प्रयत्नों से जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं वह मैंने कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चर्चाएं यहां पर और की गई हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या बढ़ाने का उपदेश दे रहे हैं हमको....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप मेरे को देखकर इतने ईर्ष्यालु क्यों हो रहे हैं ? मेरे ज्यादा बच्चे नहीं हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बर्थ कन्ट्रोल करना आवश्यक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बात पूरी तो कर लूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आपका बजट है। यह प्रस्तावित बजट है.... इधर वालों ने जो सवाल पूछे थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : धारावाह भाषण से काम चलने वाला नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बजट में क्या है इस बात को स्पष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : पैसा नहीं रखा है, करोगे क्या ? बजट के बाहर जाकर कहां कर देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पूरा तो करने दो। एक बार कम्प्लीट करने दीजिये। जल्दी क्यों कर रहे हो, बिराज जाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे भाषण पूरा नहीं करने दे रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर। (व्यवधान) बजट भाषण के अन्दर उन सब चीजों का समावेश किया जाता है जिसमें वित्तीय इम्प्लीकेशन्स होते हैं, और जिसको मुख्य मंत्री पूरे बजट के दौरान माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल कुछ मेजर्स को विदड्रा भी करते हैं, कुछ टैक्सेज को कुछ नए प्रीफरेन्स भी एड करते हैं। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। अगर आप यह बता रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं, पर वो स्टेज एप्रोप्रियेशन बिल की आएगी। अभी आपकी फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स का पता नहीं है। जो एस्टीमेट्स आपने दिये हैं, और जब आप यह घोषणा कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let him complete.

श्री मदनलाल सैनी : मंत्री जी बतायेंगे इस बात को, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete my point of order. उपाध्यक्ष महोदय, सीधी बात यह है कि अगर ये नई सुविधा की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा के साथ फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स बताने पड़ेगे कि कितना फाइनेन्स ये प्रोवाइड करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर की सेंक्शन के बिना....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री जी बतायेंगे, आप सुनिये।

एक माननीय सदस्य : महावीर प्रसाद जी, आप बार बार खड़े हो जाते हैं, मंत्रीजी को जवाब नहीं देने देते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स इनको बताने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ही पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा दफ्तर होता है, सी.एम.एच ओ. आफिस का दफ्तर अलग कायम होगा जिले का। पूरा पेरेलल आफिस चलेगा एक सी.एम.एच.ओ. का। रूरल सी. एम. एच. ओ. का आफिस अलग होगा। उसका स्टाफ अलग होगा। आप इसमें फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आप को बताऊंगा। आप बैठो तो सही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी ब्लड बैंक के निर्माण करने की। अभी इस समय 18 जिलों में ब्लड बैंक निर्मित हैं, 9 जिले और हैं। फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स ब्लड बैंक का एक लाख रुपया है। 9 लाख रुपया जो हमको दिया गया है उस से बाकी बचे 9 जिलों में ब्लड बैंक राजस्थान सरकार उपलब्ध कराने जा रही है इस वर्ष में। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके मस्तिष्क की जांच करानी चाहिये थी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चर्चा और की थी, प्राइवेट ब्लड बैंकों को अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार इस योजना से बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां-जहां प्राइवेट ब्लड बैंक बड़े शहरों में मौजूद हैं, वहां ज्यादातर पेशेवर रक्तदाताओं का खून उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे पेशेवर रक्त देने वाले ज्यादातर भयंकर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण खून बेचकर पैसा हासिल करने के लिए एड्स, पीलिया आदि भयंकर बीमारियों को प्रारम्भ करवा देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस महामारी से देश को बचाने के लिए एड्स के लिए निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक जो रक्त की बोतल बाहर जावे, उसकी जांच की जाय और उसके बाद व्यक्तियों को मुहैया कराया जावे। इसके अलावा पीलिया रोग के कीटाणुओं की जांच भी होना जरूरी है। ये टेस्ट राज्य के ब्लड बैंकों में सब जगह है। तो प्राइवेट ब्लड बैंक सब टेस्ट कैसे करवा पायेंगे। इसलिए ब्लड बैंक प्राइवेट क्षेत्र में उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की योजना में नहीं आता। एक समस्या के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। मैंने इस बात को बहुत गम्भीरता से माना है। राज्य सरकार इस बात की हामी है कि रिजर्वेशन का, अपाइन्टमेन्ट, पोस्टिंग और प्रमोशन में शत-प्रतिशत पालन किया जाना चाहिये। 1979 तक की सीनियरटी लिस्ट हमारे यहां तैयार थी। 8 साल अनुभव चाहिये। 1990 में पोस्टिंग कर रहे हैं तो 1982 तक की सीनियरटी लिस्ट तैयार चाहिये। अभी 1979 तक की आई है, उसमें हमने सब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को पोस्टिंग दे दिया है। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य को, सारे सदन को कि मैंने कहा है कि कोई प्रमोशन नहीं किया जावे। अभी जगह बाकी हैं। एक बार 1982 तक की सीनियरटी लिस्ट बनाकर पहले शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को प्रमोशन दे दिये जावें, उसके बाद जनरल पर चर्चा की जावे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चिकित्सकों का पहले सीनियर मेडिकल ग्राफिसर्स में पदोन्नति नहीं हुई और....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, नहीं, नहीं। मेरा कहना यह है कि वर्ष 1979 तक हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सीनियर मेडिकल ग्राफिसर्स में ये जूनियर स्पेशलिस्ट में रेट्रोस्पेक्टिव डेट में आप उनको पदोन्नत करेंगे। उनको इसका लाभ देंगे। कृपया आप सदन को आश्वस्त करें इस बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1989 तक की सारी सूची का कन्सीडरेशन (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लो पूरी। बैठ तो सरी भाया।। जल्दी क्यों कर रहे हो? 1979 तक की सीनियेरिटी के हिसाब से हमने पहले सब लिये। केवल मात्र अभी इस थोड़े समय से इस बाकी 89, और 1982 की सूची के जनरल लोगों को दी है इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कोई जूनियर लगेगा कि किसी सीनियरिटी डिफेक्ट हुई तो उसका भी लाभ उसको निश्चित रूप से दिया जावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी उसकी जानकारी मैंने ली है। उस बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6.2.90 में पावटा में एक रेफरल अस्पताल खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.2.90 यानी 15 दिन के बाद। दो दिन तो नहीं थे। आदेश तो 15 दिन के अन्तर पर है। आपने जो बात कही मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं सेठ चिरंजीलाल नरेठा वाला राजकीय रेफरल अस्पताल के नाम से मेड में स्थानान्तरण कर दिया गया। विभाग में दानदाताओं से कोई दान भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी उसको वित्तीय स्वीकृति के अभाव में शुरू भी नहीं किया गया है। ऐसा आपको लगे क्योंकि पिछले वर्षों में जब ये बनाई गई जब 50 रेफरल अस्पताल बनाने जाने चाहिये थे। चुनाव के कारण बना दिये 54 और 54 में यह भी एक है। इसकी अभी वित्तीय स्वीकृति चालू नहीं हुई है। इसलिये अब अस्पताल के बनने का तो सवाल ही नहीं है, न वहां किसी का पोस्टिंग हुआ है। अगर किसी ने नाम लिख दिया है तो दानदाता वह नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, उसका कोई कांट्रेक्ट हमसे नहीं है। उस नाम से कोई भी अस्पताल वहां नहीं चलेगा।

अब उन्होंने कहा कि इसमें दो लाख रुपये की रिश्वत ली गई है और 70 हजार तो उन्होंने एक नाम लेकर चार्ज लगा दिया। अगर उसका कोई डाकूमेंट वह देंगे तो उस डाकूमेंट के आधार पर या विधान सभा में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर कोई जांच हो सकती है, किन्तु मुझे नहीं लगता कि केवल इस चर्चा के आधार पर कोई जांच होकर किसने रिश्वत ली और किसने रिश्वत दी इसका कोई आंकड़ा बता सके। तो इस कारण जो स्थितियां हैं, अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं है। मेहर में रेफरल अस्पताल नहीं है। इस नाम का कोई अस्पताल वहां नहीं चलेगा, यह बात मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। फिर भी अगर इस सारे विधान सभा के डेलीबरेशंस के आधार पर कोई जांच करना सम्भव

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

होगा या माननीय सदस्य कोई डाक्यूमेन्ट्री प्रूफ ऐसा देंगे तो सरकार उस पर निश्चित रूप से जांच करेगी।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें अपने आप में ही यह साबित है कि बिना किसी डोनेशन के किसी सेठ के नाम से अस्पताल हो जाना काफी है। यह अपने आप में पूरी तरह पूर्ण जवाब है कि बिना किसी सेठ के कोइ डोनेशन दिये उसका उसका नाम कैसे आया। यह ही इसमें काफी है साबित करने के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नो, नो, यह तो इन्फेन्स है। माननीय सदस्य महोदय, यह तो इन्फेन्स है। कई बार चुनाव के पहले राजनैतिक कारण बड़े प्रबल रहते हैं, वह भी इन्फ्रेन्स हो सकता है। This inference may be true, that inference may be also trua, so nothing can be said. इसीलिये अगर डाक्यूमेन्ट्री कोई बात मिले या सारी चर्चा जो यहां हुई है उसके आधार पर कोई जांच करना सम्भव हुआ तो की जा सकेगी।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्राइवेट प्रेक्टिस....

श्री उपाध्यक्ष : जो यहां नहीं है उनका जवाब मत देओ आप। जो यहां से बोल कर चले गये, उनका जवाब ही मत देओ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह इम्पार्टेण्ट बात है। प्राइवेट प्रेक्टिस बंद करने की बात है। एक बार इसका अनुभव हम कर चुके हैं। वह अनुभव भी केवल मेडिकल कालेज में किया था। मेरे मन की भी इच्छा है किन्तु यह इतना गहन विषय है, इस पर कई एक्सपेरीमेंट कई प्रदेशों में हो चुके, हमारे प्रदेश में भी एक्सपेरीमेंट मेडिकल कालेज में करके हम अनसक्सेफुल हो चुके। इसलिये यह जो सुझाव दिया, इस सुझाव का मैं परीक्षण निश्चित रूप से करवाऊंगा और इसमें से अगर कुछ लगेगा कि हां, जिस हेतु से हम यह कराना चाहते है, उसमें कोई फायदा हो सकता है तो राज्य सरकार इस पर भी विचार करेगी। अब आप कहें तो पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में कह दूं।

अनेक माननीय सदस्य : मांग स्वीकार है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पी. डब्ल्यू. डी. के जवाब को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, शार्ट में कहेंगे। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आपके सहयोग से नई सरकार बनी है मुझे मंत्री बनने का मौका मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में कहा था, अब भी कह रहा हूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मौजूद हैं उनके जवाब दिये जायं, जो नहीं हैं उनका नहीं दिया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इस बात का पक्षपाती हूं, मेरी मान्यता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लेकर अब

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तक बहुत विकास हुआ है। किन्तु उसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हम देखें, अभी 1990 में अगर सड़कों का घनत्व प्रति सौ वर्ग किलोमीटर देखें तो वह 16.61 किलोमीटर राजस्थान में है, और जनसंख्या के हिसाब से एक लाख पर 166.24 किलोमीटर हो गया है। किन्तु अखिल भारतीय औसत जो है वह प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में 22.72 किलोमीटर है। और एक लाख की जनसंख्या पर 236.99 किलोमीटर है। हम पीछे हैं।

श्री रामकिशन : सौ साल पीछे रहेंगे आप, इस चर्चा से लाभ क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा की गई थी यहां पर कि 1500 आबादी के गांवों को जोड़ने की घोषणा मंत्री महोदय ने कर दी है। यह सत्य से परे है।

एक माननीय सदस्य : अखबारों में लिखा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अखबारों में नहीं, मैंने पहले भी कहा था अब भी कहना चाहता हूं। यह योजना थी 1985 तक.... (व्यवधान) एक मिनट विराजो तो सही। पूरी बात तो हो जाने दो।

1985 तक 1500 से अधिक की आबादी के कुल 3300 गांव सड़कों से जुड़ जायं। हमारी योजना 1985 तक ही थी। 1985 चला गया, 1990 भी आ गया। किन्तु अब तक 3300 गांवों में से 1500 से अधिक आबादी के गांव, 1971 की जनसंख्या की गणना के अनुसार, 285 गांव सड़क से जोड़ना बाकी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े कष्ट की बात यह है कि इसमें भी इम्बैलेंस रखा गया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, गंगानगर, झुंझुनूं और कोटा जिले में अभी तक ऐसे बचे हुए हैं गांव राजस्थान के दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत कम हैं। दूसरे क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार की दृष्टि से कम प्रयत्न किया गया है, असन्तुलन निर्माण किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। उसी जिले से आने वाले लूणकरणसर के सदस्य भी हैं। कैसी विडम्बना है, कैसी असंगति है, कैसा इम्बैलेंस है, तीन करोड़ रुपया मंजूर होता है चुनाव के पहले, पौने चार करोड़ रुपया खर्च होता है, माननीय मंत्री महोदय तो हाथ गाड़ कर बच गये, सात वो सस्पैण्ड हो गये आज वहां। मंत्री महोदय, आपको निश्चित रूप से अपना प्रायश्चित करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या शेम शेम करते हो +++ इनको यह पता नहीं है चुनाव के पहले मंत्री कौन था। कौन मंत्री था पी. डब्ल्यू. डी. में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : योजनाएं कब से चल रही थीं ? मंत्री बनने के बाद ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप यह जो

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राजनैतिक बातें करते हो ना, आप यह कहते हो भ्रष्टाचार है, सब खोल कर बतायेंगे आपको। आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी, आप विराज जायं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो सात आदमी आपने सस्पेण्ड किये हैं, आपको पता लग जायगा, कोर्ट में बहाल करने पड़ेंगे आपको।

एक माननीय सदस्य : कल्लाजी, कोई भी हो, आप क्यों बीच में नाराज होते हो ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोटा में 60 करोड़ से ऊपर की.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब आप क्या करोगे यह बताओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बातों को छोड़ो, अगली बातों की बातें करो।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। पूरा कर लेने दीजिये, पूरी छुट्टी होगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर को तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम जो विधान सभा सभा के बने हुए हैं उसके तहत किसी के ऊपर एलीगेशन लगाने का एक तरीका है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आरोप कहां लगाया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम ही नहीं लिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने नाम लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक शब्द बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : किसी का नाम नहीं मिला।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय ने कहा कि इन्होंने तीन करोड़ रुपये इकट्ठे किये। यह इनका भाषण है, यह इन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप देख लीजिये, आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिये । इन्होंने कहा है आप व्यवस्था दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता दूंगा, मैंने गलत सुना होगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है । (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख लीजिये ।

श्रीबुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, +++ कोटा में............... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय+++

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन करोड़, पौने चार करोड़ की बात अगर मैंने गलत सुना हो........

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लीजिए । बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इन्होंने लूणकरणसर में इतने दिये, बीकानेर में इतने दिये और तीन करोड़ रुपये+++........ (व्यवधान) यह बहुत गलत तरीका है और एक मन्त्रिमण्डल का वरिष्ठ सदस्य.... (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : माननीय महावीर जी, आसन पैरों पर है और आप खड़े हो जाते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह न कहो, आप भी खड़े हैं सब । (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इनको बैठाओ, उपाध्यक्ष महोदय । इसमें व्यवस्था दीजिए आप जो देना चाहें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा था, चुनावों के पहले तीन करोड़ और पौने चार करोड़ रुपये की बात उन्होंने कही लेकिन उन्होंने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : चुनाव के पहले किस मन्त्री ने पौने चार करोड़ रुपये मंजूर किये, यहां सदन की मेज पर रखें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं फिर दोहरा रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, माननीय महावीर जी ।

एक माननीय सदस्य : तीर तो चलाओ आप पर कम से कम विषैले मत चलाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब ऐसी बात करो ही मत, जिससे टेन्शन क्रिएट हो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने बीकानेर का, जोधपुर का, उदयपुर का, कोटा का विकास किया है । आपके यहां 6 करोड़ के पुल दिये +++और विकास तो जो मन्त्री होगा वह कराएगा ही ।+++ (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मान-

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ती। उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, यह कौन सा नियम ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद, प्लीज बैठ जाए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मान्यवर, आपने नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को व्यवस्था दे दी। वह बात खतम हो गई। मेरा उससे बिल्कुल अलग हट करके है।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था नहीं दी है साहब, कहां दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : I have rejected that point of order.

आपका नया है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, नया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो बोलिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने +++ शब्द कहे हैं (व्यवधान) बिल्कुल कहे हैं, आप देख लीजिए कार्यवाही में।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा इनको बिल्कुल एक्सपंज कर दिया जाय। (व्यवधान) एक्सपंज किये गये। माननीय मन्त्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : यह गम्भीर आरोप लगाया है इन्होंने वापिस लेना चाहिए।

श्री रामनारायण बैरवा : कार्यवाही से मालूम कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब जल्दी समाप्त करिये आप। (व्यवधान) अब आप उनको कन्क्लूड करने का समय तो देंगे। अब कन्क्लूड करिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रयास होगा कि इस विसंगति को दूर करने के लिए सभी 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को किसी न किसी प्रकार की सड़कों से जोड़ा जाय। वैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी 80 करोड़ रुपये की लागत की आवश्यकता होगी जो टारगेट 1985 में कायम किया था हमने। पूर्व काल में हमारी जो स्थिति हो गई उसके कारण इस वर्ष में इस नाते से कुछ करना सम्भव नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत करने के बाद बाकी इस वर्ष को कन्सोलिडेटेड वर्ष बनाने का हमने तय किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में माननीय विश्नोई जी की सलाह मान लीजिए आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ग्राम पंचायतों का सवाल उठा था। 7300 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5,490 गांव पंचायत मुख्यालयों को मार्च 1990 तक सड़कों द्वारा जोड़ा जा चुका है और इसलिए अभी तो केवल 15-16 सौ की आबादी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में परेशानी है। इसके लिए 250 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी जो आठवीं योजना में भी पूरा करना सम्भव नहीं होगा। प्रायोरिटी हमारी यह है। हमारे कदम इस सीमा तक बढ़ रहे हैं किन्तु इसमें भी बड़ी विसंगतियां निर्माण की गई है। इन पंचायत मुख्यालयों के विषय में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने जानबूझ कर पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की है। भीलवाड़ा जिले में जहां 337 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से केवल 20 गांव पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े नहीं हैं, वहां भरतपुर जिले में 149 ग्राम पंचायतों में से 102 और कोटा जिले में 290 में से 181 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है। यह इम्बेलेन्स पैदा किया गया पिछले वर्षों में ...

एक माननीय सदस्य : आप तो पूर्वी राजस्थान को जोड़ना सड़कों से.........

श्री परसादीलाल मीणा : अलवर के आंकड़े और बता दो, माननीय मन्त्री महोदय।

श्री रामस्वरूप : माननीय मन्त्री जी, कितने गांवों को आप जोड़ोगे, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय चतुर्वेदी जी जो भाषण दे रहे हैं उससे लगता है आप कोटा के लिए ही करोगे सब कुछ, क्योंकि आपको चिन्ता ही कोटा की है और है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं हम भी हैं वहां, सी. पी. एम. भी वहीं हैं, इसलिए ज्यादा चिन्ता मत करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान के मिनिस्टर हैं ये, इनको रीजनल और पेरोकियल बात नहीं करनी चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जयपुर जिले की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहां 584 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 205 ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी भी सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि जो असन्तुलन निर्माण हुआ है राजस्थान की धरती पर, उसको दूर करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप कितना असन्तुलन कवर करेंगे ? यह बता दीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी निवेदन करना चाहती हूं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवाई माधोपुर की चर्चा होने दो थोड़ी बहुत।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले कुछ दिनों से हाउस में यह रेगुलर प्रेक्टिस हो रही है कि जब भी माननीय मंत्री जवाब देते हैं कटौती प्रस्तावों का तो बीच बीच में माननीय सदस्य उठ कर बोलते हैं। इससे प्रिसिडेंस बहुत गलत हो जाएगा....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेक्टिस बहुत गलत है। जवाब देने के लिए आप समय

(श्रीमती विद्या पाठक)

देते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी माननीय मंत्रियों को बीच-बीच में व्यवधान डालें, इसको आप रोकें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, डिबेट से भी ज्यादा लम्बा जवाब हो गया उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप की जो शंका है इनका जवाब पूरा आवे, तब नहीं मन भरे तो प्रश्न कर लेना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अच्छा, केवल मात्र बिन्दु प्रस्तुत कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1971 की जनगणना अब इर्रिलेवेन्ट हो गई। इसलिये विभाग ने, हमने तैयारी की है कि 1981 की जनगणना के अनुसार....

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : फिर खड़े हो गये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर खड़े हो गये माननीय सदस्य, एक बार विराजो तो सही।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं इम्बेलेन्स की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय विश्नोई साहब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं अभी पूरा कर लूं, पूछ लेना खूब.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, काफी वरिष्ठ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप? हाथ जोड़ना कोई अपमान नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि आसन की गरिमा यह नहीं है कि आप इस तरह से माननीय सदस्यों के आगे हाथ जोड़कर के मिन्नतें करें। इसलिये आपने जो भी एक्शन किया है, यह हाउस की गरिमा के खिलाफ है, इस आसन के खिलाफ है। इसलिये आपका यह एक्शन करना शोभा नहीं देता। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपका इस तरह से एक्शन करना बहुत ही अशोभनीय है।

श्री उपाध्यक्ष : हाथ जोड़ना कोई आसन का अपमान नहीं है। हाथ जोड़ना तो माननीय सदस्य का सम्मान करना है। माननीय सदस्य, आपका कब तक का बैठने का इरादा है यह बतला दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : साहब आप उधर ही आदेश कर दो ना कि, मांग पारित करवा लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह पूरा तो हो। कोटपूतली से आने वाले सदस्य, जैसे-जैसे आम में रस आता है वैसे-वैसे डाली झुकती चली जाती है, आपने जो नम्रता का परिचय दिया है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है, लेकिन जिसके कारण यह बात हो गई, उनको विचार करना चाहिए इस पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो करोड़ रुपये शहरी सड़कों के कार्य की दृष्टि से भी उपलब्ध कराये हैं। जयपुर नगर की बाईपास.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गम्भीरता से इसके ऊपर बोलने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जयपुर नगर की बाईपास और उदयपुर नगर की बाईपास....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह भाषण टेलिकास्ट करवा दीजिए। यह मेरा सुझाव है कि यह भाषण टेलिकास्ट होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय का इतना बढ़िया भाषण है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब मैं बिन्दु बताऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि आज नेशनल हाइवे होने के कारण सड़क जो शहर के बीच में से होकर जा रही है लोगों ने उसको मृत्यु सड़क कहना प्रारम्भ कर दिया है। यह सरकार संवेदनशील है। हमने दो करोड़ रुपये एक रूट के ही इस बात के लिये मुहैया करवाये है ताकि जयपुर नगर की बाईपास.... (व्यवधान) और उदयपुर नगर की बाईपास, उसको बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जावें। नेशनल हाइवे वाले कहते हैं कि आपको इसके साथ-साथ एक रोड छोटी बनानी पड़ेगी। इस सारे प्रावधान में हम जयपुर बाईपास और उदयपुर बाईपास की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विसंगति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब से नई सरकार आई है, सैकड़ों किसान हमारे पास आते हैं कि आज सड़क तो बना दी, जमीन तो ले ली, उसका उपयोग तो हो गया, मुआवजा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने पचास लाख रुपया उनके मुआवजे के लिए इस वर्ष के लिये रखा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यदि किसान इससे अधिक आये और भी मुआवजा हमको मुहैया करना हुआ तो हम और क्षेत्रों में से पैसा लाकर किसानों को मुआवजा मुहैया करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मदनलाल सैनी : यह आपके समय का है बकाया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : टीबी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चर्चा की थी। उस सड़क पर मैं भी होकर आया हूं। सरदार शहर से लेकर और गंगानगर तक जाने वाली सड़क बनानी है। बहुत कठिनाई है, बीच-बीच में मिट्टी आ जाती है। हमने केन्द्रीय सड़क नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 22.88 करोड़ की लागत के तरेसठ कार्यों की स्वीकृति 1979 में की थी। 2.78 करोड़ रुपये उसमें व्यय हो गए। 12.50 करोड़ रुपये इस बारे में और हैं। हमने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि केन्द्रीय सड़क नीति के अन्तर्गत हमको और क्या मुहैया करवाना है इसकी दिशा दे ताकि इस प्रकार के जो इम्पोंटेन्ट काम हैं उनको करवाने की प्रक्रिया कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीमान्त जिला होने की बात की थी। उसकी दृष्टि से भी हम प्रयत्न कर रहे है। तीस करोड़ रुपये इस साल उनकी सड़कों पर व्यय करने का प्रावधान है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं। डाकू उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चम्बल नदी बीहड़ों में सड़कों के निर्माण हेतु 26 सड़कों एवं एक पुल निर्माण हेतु 24.33 करोड़ की स्वीकृति दे दी थी। चार महीने हुए हैं हमने टाइम बाउण्ड प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तीन-तीन महीने का लक्ष्य लेकर केवल फाइनेन्शियल टारगेट नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना इतना नहीं है। फिजिकल टारगेट भी क्या अचिव किये जाए इस बात का निर्धारण भी विभाग में किया गया है। हर तीन महीने में मानोटरिंग हो रही है सार्वजनिक निर्माण मंत्री होने के नाते यह मैंने तय किया है कि इस वर्ष कम से कम चारों मानोटरिंग की बैठक में मैं स्वयं जाऊंगा। मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि इसमें आपकी कैपेसिटी लगेगी। एक बार दिसम्बर, जनवरी तक मार्च का पूरा काम पूरा कर दीजिए। ताकि मार्च में जो अनाप-शनाप खरीद की जाती थी, कमीशन का चक्कर होता था फिजीकल टारगेट पूरे नहीं होते थे, पैसों को लगातार इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया थी उसमें अवरोध पैदा हो गया। इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सड़कों पर पुल निर्माण करने का काम केन्द्रीय प्रवर्तक योजना के अन्तर्गत 6.04 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। इस वर्ष 7 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। इन पुलों का निर्माण राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा करवाया जा रहा है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा था अब तो पुल बनने बचे हैं तो कोटा, बून्दी, झालावाड़ में ही बचे हैं। अभी कालीसिन्ध पर पानी आ जाने के बाद चार महीने बैराज टूटा रहता है। अभी भी सारी स्थिति वहां पर वैसी है। और कहीं नहीं है। इसलिये योजना बनेगी पुल की तो कहां की बनेगी, वहीं की बनेगी। इसलिये इसमें आपको ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके कारण नहीं है, यह तो एक नेसेसिटी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको बताना चाहिए, आपने नहीं मंत्री महोदय, यह हमने बताया है उसको....(व्यवधान),

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहिए था।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे तीर्थस्थान के बाईपास के बारे में जरूर बताना साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक बड़े-बड़े पुल जो बनाये जाते थे पुल निगम उसको करता था। टॉल टैक्स लेता था। जो अवस्था हमारी है उसमें से अधिक प्रावधान करना बजट में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार यह भी विचार कर रही है कि कुछ इम्पोंटेन्ट बाईपास के लिये, जिनमें हैवी ट्रक्स जाते हैं, उनकी भी कुछ व्यवस्था अपने पैसों से पुल निगम करे। और उन इम्पोंटेन्ट सड़कों पर भी टॉल टैक्स लेने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि सड़कों का विस्तार राजस्थान में अधिक किया जा सके। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने विचार किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : भरतपुर के लिये तो कहिये, माननीय मंत्री महोदय....

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने भरतपुर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और सवाई माधोपुर दोनों "पुर" को छोड़ रखा है। इन दोनों पुरों की बात करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती है। उसके ऊपर लगाम लगाने की बहुत कोशिश की। गोडू से सुदारावाला सड़क इसकी जांच हमने की और इस जांच के कारण कुछ लोगों को सस्पेण्ड किया है, जिसकी जानकारी मैं फिर देना चाहता हूं। यह प्रकरण फिर बीकानेर के आसपास से सम्बन्धित है। श्री बच्छराज व्यास, अधिशासी अभियन्ता, श्री जे.आर. आहूजा, अधिशाषी अभियन्ता, श्री जे. के. तलवार, सहायक अभियन्ता, श्री गुरुदेव सिंह, सहायक अभियन्ता, श्री के.सी. काला, सहायक अभियन्ता, श्री सुरेश माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री बी.सी. भाटिया, कनिष्ठ अभियन्ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार....

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सब अखबारों में आ चुका है, इस तरह से हो चुका है, तो अब दिखाने की क्या आवश्यकता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कन्फरमेशन कर रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्या जरूरत है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चोर तो निलंबित होंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी प्रकार जिला सवाई माधोपुर में मण्डराल से रणथई सड़क निर्माण कार्य, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच हमने पूर्ण की। इस प्रकरण में प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर अब तक श्री डी. पी गोयल, सहायक अभियन्ता और श्री सी आर. मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है। प्रकरण में प्रारम्भिक जांच अभी बाकी है।

गऊ घाट से बपावस सड़क.... (व्यवधान) पूरी बात तो कर लेने दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर से जो सूचनाएं मुझे मिली हैं उसके अनुसार इनकी पार्टी के लोगों ने जो टेण्डर मंजूर करवाने चाहे, वह मंजूर नहीं किये, इसके कारण से इन लोगों ने मेलाफाइड इन्टेन्शन से यह काम किया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कल्लाजी, आपको नाराजगी क्यों है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय ललितकिशोर जी उस समय बीकानेर गये थे और उनके कहने से टेण्डर मंजूर नहीं हुए, इस कारण से मेलाफाइड इन्टेन्शन से यह काम किया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच ललितकिशोर चतुर्वेदी नहीं करता। जांच रिपोर्ट है। अखबार वालों की तरफ से छपेगी नहीं उनकी तरफ देखने से। चिन्ता मत कीजिए।

एक माननीय सदस्य : आपकी रिश्तेदारी थी या हिस्सेदारी थी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ : रिश्तेदारी और हिस्सेदारी दोनों ही थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब, माननीय श्री सराफ। न मैं कल्ला साहब को अलाऊ करूंगा, न आपको करूंगा।... (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो कार्यवाही करनी है कर लें लेकिन इनके टेण्डर मंजूर नहीं किये इस कारण से मेलाफाइड इन्टेन्शन से इनको सस्पेण्ड किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री कालीचरण सराफ : आपकी हिस्सेदारी थी....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा माननीय सदस्य महोदय। हिम्मत है तभी जांच करके निलम्बित करते हैं। उनको बिना ऑर्डर दिये हुए, बिना आज्ञा दिये हुए काम करवा कर उनको कटघरे में खड़ा करवाने की प्रवृत्ति नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या आपने उन अधिकारियों को किन्हीं कामों को मंजूर करने के लिये फोन किये थे? बताईये आप। किये थे या नहीं किये थे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब वह सक्षम हैं बोलने के लिये। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : बीच-बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं। इनकी क्या प्रोपराइटी है जो बार-बार खड़े हो जाते हैं। कम से कम थोड़ी साइलेन्स रखनी चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए इनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ++ + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपसे एक-एक पैसा निकालेंगे नाकों के बल....

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये, यह बार-बार खड़े हो जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजें, कल्ला साहब। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने उन अधिकारियों को कुछ नाजायज काम करने के लिये फोन किये थे या नहीं किये थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आप बाद में प्रश्न करियेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाये, बार-बार बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, अब आप ऐसा मत करिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अच्छा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कोटा जिले में गऊ घाट से बपावस सड़क पर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच.... (व्यवधान)

++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : यह फिर खड़े हो गये, यह क्या है ? (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ललितजी से निवेदन है कि इनकी दुखती रग पर हाथ न रखें ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप फिर लम्बा कर रहे हैं इसको। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्षजी, जरा सूरसागर की तरफ ध्यान रखिये ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल सैनी : सूरसागर में जूनागढ़ के किले में कल्लाजी का पानी निकलवाने की व्यवस्था करिये और वहां सड़क बनवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, अब आप तनाव नहीं करें। अब आप ऐसी बात कहें जो इनको सुहाये। इनको सुहाती हुई बात करिये यहां पर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गऊ घाट से बपावस सड़क, जो कोटा जिले में अब स्थित है, उस विषय की भी पूरी जांच की गई और के. रामचन्द्र राव—जो अधिशाषी अभियन्ता हैं, उन्होंने बिना स्वीकृति किये हुए ही जीरो से चार किलोमीटर तक की जो सारी सड़क थी, उसका पैसा उनके हिसाब से नहीं आता था। उनको चार टुकड़ों में बांट दिया, आॅडर्स कर दिये, उसके विरुद्ध भी पूरी जांच हो गई है। हमने अपनी ओर से प्रस्ताव करके डी. ओ. पी. में भेज दिया है। उस पर भी दो-एक दिनों में निर्णय निर्णय होना बाकी है। सम्पर्क सड़क लखोड़ा जिला सवाई माधोपुर के निर्माण में भी अनियमितता का प्रकरण हमारे सामने आया है जिसमें 53,867/-रुपये लागत का माल कम पाया गया। काम करने दिया था ढुलाई का, 21,000/-रुपये पेमेन्ट कर दिया, इस विषय में भी जांच पूरी हो चुकी है। हमने अपने विभाग से निर्णय करके ऊपर भिजवा दिया है.... (व्यवधान) एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा—सरकार आते ही वर्ल्ड बैंक से सम्बन्धित एक बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान की जनता के सामने आया जिसमें उस समय के चीफ इंजीनियर मिस्टर कुच्छल को ससपैण्ड किया गया है, जिस पर अभी तक जांच चल रही है उसी प्रकार डामर चोरी के.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : है क्या हिम्मत आपमें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीस केस हुए, उन तीसों केसों की जांच की जा चुकी है। विभाग ने अपने स्तर पर निर्णय ले लिया है और उस सारे कार्य को भी डी. ओ. पी. को करने के लिए भेज दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के ऊपर जिस प्रकार का अटैक करने का निश्चय किया था। पी. डब्ल्यू.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

डी. उसी नाते से प्रयत्नशील है। आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा, मलहम काण्ड की जानकारी हमको दी गई, हमने अपनी जांच पूर्ण कर ली, दो व्यक्तियों को कल उसमें ससपेण्ड कर दिया है, जांच पूरी हो रही है। हम भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

किन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे इंजीनियर्स इस प्रकार के नहीं हुआ करते जो फिजीकल फाइनेन्स टारगेट उनको दिये गये हैं. प्रमाणिकता से उनको पूरा कर रहे हैं। इस समय बाढ़ के इलाके में जिस प्रकार की कार्यवाही हमारे इंजीनियर्स वहां कर रहे हैं - मुझे वहां के एक बहुत प्रसिद्ध मेरे सहयोगी का फोन कल प्राप्त हुआ, उन्होंने इस नाते से पी. डब्ल्यू. डी. के व्यक्तियों की बहुत प्रशंसा की है। सब लोग बुरे नहीं होते किन्तु अनुकरण करने के कारण जो भावना बनती है, कुछ जो इस प्रकार की मछलियां हैं जो सारे तालाब को गंदा कर देती है, राज्य सरकार कड़ाई से निपटेगी और उदाहरण पेश होने के कारण पी. डब्ल्यू. डी. में, चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और गति से पूरा काम चलेगा। इसी के साथ मेरी मांगों को स्वीकार किया जाय, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंडित रामकिशनजी। अभी एक मन्त्री और है।

श्री नत्थी सिंह : उनका भी जवाब हो जाने दो, उसके बाद एक साथ प्रश्न कर लेना। उनका थोड़ा सा ही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मन्त्रीजी। जवाब पूरा हो जाय, एक साथ ही पूछ लीजियेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (आयुर्वेद मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजियेगा।

श्री नत्थी सिंह : यह तो केवल चूर्ण देंगे, और कोई बात नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा विभाग भी छोटा है, बजट भी छोटा है और भाषण भी छोटा ही होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इनका पढ़ा हुआ मान लिया गया। इनको पी. डब्ल्यू. डी. के लिए प्रश्न करने हैं।

श्री कालीचरण सराफ : बजट भी छोटा, भाषण भी छोटा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इस चिकित्सा पद्धति के लिए अलग से निदेशालय होने का गौरव राजस्थान को प्राप्त है। आयुर्वेद के साथ-साथ होम्योपैथी यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी अचूक और प्रतिष्ठित पद्धतियों के संरक्षण और संवर्द्धन का काम भी आयुर्वेद निदेशालय के जिम्मे है। इन चार महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध और अचूक चिकित्सा पद्धतियों को संरक्षित

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करने, संबद्धित करने का दायित्व भी इस विभाग के जिम्मे था और है। इस विभाग की पिछले चालीस वर्षों में और विशेषकर पिछले दस वर्षों में जो उपेक्षा और केवल उपेक्षा ही नहीं, जो दुर्दशा हुई है उसके कारण आज यह स्थिति आई है कि सदन में एक माननीय सदस्य को यह कहना पड़ा कि इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। यह स्थिति हमारे सामने है, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए हम कृत-सकल्प हैं। यह परिदृश्य बदले और आयुर्वेद विभाग एवं इससे सम्बन्धित चारों पद्धतियां समाज में पुनः प्रतिष्ठित हों.... यह आदर्श सामने रखकर हम चल रहे हैं। इस दृष्टि से जो कदम उठाने आवश्यक हैं और होंगे वह सब उठाने की हमारी पूर्ण तैयारी है। आयुर्वेद विभाग ठीक ढंग से काम करे इसके लिए एक परामर्शदात्री समिति पहले से गठित है जिसका कार्यकाल अभी 22 मई को ही पूरा हुआ है और उसका शीघ्र पुनर्गठन किया जायेगा। इस समिति में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विशेष जानकार लोग, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि समय-समय पर सुझाव देते रहते हैं कि विभाग को कैसे चलना चाहिए, और उन सुझावों को पूर्ण सम्मान देते हुए उनके आधार पर विभाग को चलाने का प्रयास करते हैं। उस परामर्शदात्री समिति की ओर से बार-बार एक सुझाव आता रहा और वह है औषधियों के बारे में। अनेक माननीय सदस्यों ने भी इस पर चिन्ता प्रकट की है और इसके बारे में बराबर यह बात उठती रहती है कि औषधालयों में औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी है और उन कारणों को ढूंढने और उनका निवारण क्या हो इसके लिए एक समिति अभी 7 तारीख को ही घोषित की है जो कि एक उच्च स्तरीय समिति है और जो 30 सितम्बर तक अपने सुझाव विभाग को दे देगी। औषधियों का निर्माण सुचारू रूप से कैसे हो, अच्छी से अच्छी औषधियां बनें और पर्याप्त मात्रा में बनें और समय पर विभाग और जनता को उपलब्ध हों, इन सब पर उस कमेटी को सुझाव देने हैं। उन सुझावों पर पूर्ण गम्भीरता से अमल होगा, यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में एक अन्य बिन्दु जो विचाराधीन है वह यह है कि राज्य में एक आयुर्वेद औषध निगम की स्थापना की जाय। अभी गुजरात में एक ऐसा निगम कार्यरत है। उसकी पद्धति प्रक्रिया का हम अध्ययन कर रहे है और यदि वह अपने राज्य के अनुकूल लगेगा, लाभकारी लगेगा तो हम भी अपने राज्य में ऐसा ही औषध निगम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

औषध निर्माण के लिए अपने राज्य में 4 रसायनशालाएं हैं और चारों रसायनशालाएं ही औषध निर्माण में लगी हुई है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वह यह है कि रा मैटीरियल खरीदने की जो प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है कि समय पर खरीद नहीं हो पाती है। उसके कारण समय पर निर्माण नहीं हो पाता है और अनेक मरीज दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उस प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में हम सोच रहे हैं, निरन्तर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सुझाव ग्रामंत्रित कर रहे हैं और उन पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस प्रक्रिया को सरल करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कच्ची दवाओं की समय पर पूर्ति हो सके और उसके आधार पर निर्मित दवाओं का उत्पादन समय पर हो सके। इसके अलावा रसायनशालाओं में आधुनिक उपकरण साज-समान, मशीनरी खरीदने के लिए.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मालूम है आपका समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको एनकरेज करिए उलटा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : विचार चल रहा है और उसके लिए इस बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद के 3628 औषधालय हैं, होम्योपैथी के 101 और यूनानी के 100 तथा प्राकृतिक चिकित्सालय दो हैं। इसके अलावा पांच चल चिकित्सालय भी कार्यरत हैं। इन पांचों के पास गाड़ियां हैं, साधन हैं, स्टाफ है और अभी जब जालोर और पाली आदि में बाढ़ आयी तो दो चल इकाइयों को अजमेर से रवाना कर दिया गया है जिनमें से एक जालोर जिले में घुमेगी और एक पाली जिले में। इसके अलावा औषधियों के वितरण के लिए 7 केन्द्र हैं।

अब से पहले जितना बजट औषध निर्माण के लिए मिलता था दुर्भाग्य से विभाग उस पूरे बजट का उपयोग नहीं कर पाता था, पर इस वर्ष पहली बार यह स्थिति बनी है कि 1989–90 में औषधियों के लिए जो बजट स्वीकृत था उसको शत प्रतिशत यूटिलाइज किया है। यह हमारे लिए एक उपलब्धि है। आयुर्वेद के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान हो और उन का प्रकाशन हो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप उनको एनकरेज करिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनका लाभ समाज को मिले, इसके प्रयास चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बड़े-बड़े प्रयास बता दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य इतने उतावले हो रहे हैं तो मैं अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

आयुर्वेद विभाग ठीक से चले, इसके लिए मैं आप सब के सुझाव व्यक्तिश: तो मांग ही चुका हूं, आज इस सदन के माध्यम से भी फिर मांगता हूं। सुझाव आपकी तरफ से मिले भी हैं। शायद ही कोई माननीय सदस्य ऐसा होगा जिसने सुझाव नहीं दिये हैं, लिखित में दिये है उन सारे सुझावों को मैं देख भी रहा हूं पर सब एक ही विषय पर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सुझाव के विषय को छोड़कर कोई दूसरा विषय लें। यदि मुझे ट्रान्सफरों से फुर्सत दें आप लोग, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं और एक साल यदि आप ट्रान्सफर की बात छोड़ दें तो मैं इस आयुर्वेद को पुन-प्रतिष्ठित करके मानूंगा। इस एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद विभाग की मांगों को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। क्योंकि मैं बोला नहीं हूं। एक तो सेवर ओवर ब्रिज के लिए क्या प्रावधान है ? दूसरा भरतपुर में सुजान गंगा नहर जो काफी दिनों से लापरवाही के कारण बंद पड़ी है जिसमें बहुत गड़बड़ी हुई, मैं जानना चाहूंगा कि उसके लिए क्या व्यवस्था है। तीसरी, क्या दौसा पर ओवर ब्रिज के लिए प्रावधान है ? यह तीन जानकारी दे दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री महोदय ने कुछ ऐलान किए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। आपने गरीबी की रेखा से नीचे वाले मरीजों को पूरी सुविधा देने की व्यवस्था की है उसमें एक बैड पर 22 हजार का खर्चा है, और जितने बैड उपलब्ध है उसमें 80 प्रतिशत बैड उन लोगों में से भरे जायेंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले है। तो आप यह 25-30 करोड़ की व्यवस्था कैसे करेंगे ? (व्यवधान) दवाई का मतलब और कुछ नहीं। जो आदमी गरीबी की रेखा से नीचे है उसको अस्पताल में भर्ती तो कर लेंगे, खाना अपना खायेगा और दवाई मुफ्त देंगे। यही व्यवस्था है ?

एक माननीय सदस्य : खाना तो पहले ही दिया जाता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके बजाय मंत्रीजी जवाब देंगे, नौजवानों को मौका नहीं दे रहे है। दूसरा मुझे यह कहना है कि जो हास्पिटल खोले हैं वह कहां खोले हैं ? मंत्री महोदय ने यह बताया कि हास्पिटल खोलने की जो योजना है उसमें नाम तो लिये है गांवों के कि हम सारा हम सारा का सारा धन गांवों की तरफ दे रहे हैं और हास्पिटल खोलने का वक्त आया तो वह शहरों में आ गये। तो यह स्पष्टीकरण करें कि फिर गांव की बात करने का क्या मतलब ? सिर्फ कोटा में खोलेंगे, शहर में खोलेंगे तो गांव का नाम क्यों ?

दूसरी बात यह कहनी है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में उन्होंने संस्पेण्ड किये हैं, तो संस्पेण्ड तो इन्होंने भी बहुत किये थे। 45-45 इंजीनियर्स को संस्पेंड किया था, डिसमिस भी हुए और वे सारे तनख्वाह लेकर आ गये हैं, अब बड़ी हैसियत वाली जगहों पर हैं। अब सबको फील्ड मिले हुए हैं, मौज कर रहे है, तनख्वाह ले ली, भत्ते ले लिये, प्रमोशन भी हो गया। इसलिए हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि इस तरह के अधिकारी बचे हुए हैं जिनके खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के चार्जेज हैं जो कई बार करप्शन में पकड़े गये हैं वह भी आज बड़ी अच्छी जगहों पर हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से चारों ओर कौन सी मछलियां आपने फंसायी हैं। मगरमच्छ अभी तक वहीं हैं, बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ, उनको अभी छोड़ रखा है। मेरी शंका यह है कि इसमें....

श्री कालीचरण सराफ : +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है मैं कह रहा था, निश्चित तौर से छवि तब बनेगी जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिये हैं और जिनको संस्पैण्ड किया है, उनके लिये इस तरह की व्यवस्था नहीं बनायेंगे, जिससे इन अधिकारियों को सिर्फ संस्पैण्ड करके और दो महीने बाद बहाल कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय लोक निर्माण मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह बात कही कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लगाम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, घोड़ों को तो लगाम लगाते देखी है, गधों के लगाम कैसे लगेगी, कृपया यह बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चिकित्सा मंत्रीजी ने दस सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हर जिले में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगाने की बात कही। एस. डी एम. हैड क्वार्टर पर डिप्टी सी. एम. एच. ओ. लगाने की बात की और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह कहा कि इनके लिए मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके लिए आपने वित्तीय प्रावधान कितना किया है। क्या आपने वित्त विभाग की स्वीकृति ले ली इसके लिए? दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि अपने चुनाव से पूर्व कुछ सड़कों की स्वीकृति की बात की मैं जानना चाहता हूं कि वह सड़क कौन-कौनसी थी और कितनी लागत की स्वीकृति यहां चुनावों के वक्त में की और उसमें बीकानेर शहर के लिये चुनाव के वक्त कितनी मंजूर की गई, यह बताया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा करने दीजिए।

श्री मदनलाल सैनी : कोई सड़क बने या न बने सूरसागर के पास में जरूर बने और जूनागढ़ के पास में भी जरूर बननी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उनकी जनरल नॉलिज पर हंसी आती है कि वह कोलायत क्षेत्र में आता है, इनको अभी तक ज्ञान नहीं है कि मेरा चुनाव क्षेत्र क्या है। यह तो अच्छा है विरोधी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिये। देवीसिंह जी चुनकर आये हैं और वहां सड़क बना दी तो क्या बुरा कर दिया? (व्यवधान) आप जो बोलोगे फंस जाओगे।

श्री मदनलाल सैनी : आप तो आलराउण्डर हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप फंस जाओगे, सैनीजी। थोड़ा अनुभव लो, अभी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

यहां से। जूनागढ़ और सूरसागर देवीसिंहजी की कांस्टीट्वेन्सी में आते हैं। यह मेरे जिले के लोग जानते हैं। यहां चुन्नीलाल जी बैठे हैं यदि वहां सड़क बना दी हमने, क्या बुरा कर दिया.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : हां कल्ला साहब....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे को जानकारी मिली है कि वहां विश्व हिन्दू परिषद के नाम से + + + उन्होंने लोगों से चन्दा मांगा है और जिन्होंने चन्दा नहीं दिया उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। नाम जो लिये हैं, वह एक्सपंज किये जायें, आपको नोटिस दे दिया। जो सदन का सदस्य नहीं है उसके लिए तो हमारी और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो चन्दा नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + काम नहीं चलता, यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : आप शब्द एक्सपंज करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने एक्सपंज करवा दिया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपके यहां जो अभी एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं पी. डब्ल्यू. डी. में, मिस्टर जोशी, वह जब जोधपुर में एक्स. ई. एन. थे, उस समय दस हजार सीमेण्ट की बोरी का मामला अकाउण्टेंट जनरल ने पकड़ा था, तो आडिट पैरा भी बना, पैरा बनने के बाद उसमें एफ. आई. आर. भी दर्ज हुई। मैं जानना चाहता हूं कि उस केस.... (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है। आप भ्रष्टाचार की बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें भी कुछ करके बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी। अंतिम प्रश्न।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल तो आयुर्वेद मंत्रीजी से करना चाहता हूं। परन्तु वह नहीं हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रीजी उसका जवाब दें। जिला परिषदों में जो आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं और उसके लिए काफी आन्दोलन हुए हैं, तो क्या जिला परिषदों से आप वापस आयुर्वेदिक औषधालयों को लेकर विभाग को देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो ?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री परसादीलाल मीणा : वापस लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रसादजी।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अन्तिम प्रश्न। आप उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मेरे वैर क्षेत्र में समराया और बसावर बाईपासों के लिए कोई प्रावधान है? दूसरा, बयाना में जो रेल्वे फाटक है, उस पर पुल बनाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। चर्चा समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा चलिये, पूछिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो पेरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की बात कही गई, क्या वह आपको स्वीकार है? नम्बर एक। नम्बर दो, औषधालयों के बारे में पूछना चाहती हूं कि क्या औषधालय खोले जाने का जो पेटर्न है, वह आपने निश्चित कर लिया है या निश्चित करेंगे? एक बात और, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को पदोन्नति के अवसर देने की बात जो स्वीकार की गई, क्या वह स्वीकार है? इन बातों का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सेवर ओवरब्रिज की चर्चा की है, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है, उसके पृष्ठ संख्या 6 में यह नेशनल हाइवे का काम है, और उसके लिए हम यह कह रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की स्वीकृति अभी मामला विचाराधीन है, तो इनकी रिपोर्ट आयेगी, तब इस पर कार्यवाही होगी। कितना पैसा वह उस पर देते हैं। दूसरी सुजान गंगा की बात की। मोटवाल का जो वह स्टाफ था, वह आर्कोलोजिकल डिपार्टमेण्ट का था, वह काम हमने करदिया है। शेष काम इरिगेशन डिपार्टमेण्ट का है, वह हमको पैसा मुहैय्या करायेंगे, तो हम उस काम को पूरा करेंगे। हम तो मजदूर आदमी हैं।

श्री रामकिशन : पैसा तो करा चुके, मंत्री महोदय, बहुत दिनों से पैसा आपके पास है। वहां के एक्स. ई. एन. ने मुझे कहा कि विवाद है ठेकेदार का, जो काम कर रहे हैं। पैसा तो आपके पास है वहां।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर यह मुझे दी गयी जानकारी गलत है तो इसकी भी जांच करवाऊंगा।

श्री रामकिशन : जांच की जरूरत नहीं है, जानकारी नहीं है आपको। सजा देने की जरूरत नहीं, पर पैसा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी प्रकार दौसा ओवरब्रिज बनाने का जहां तक सवाल है, उसमें एप्रोच रोड्स बनाने का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

काम हमारा था, जो हमने कर दिया है। उसके रेलवे लाइन के ऊपर का काम सेण्ट्रल गवर्नमैण्ट करती है। मैंने दो पत्र उनको लिखे हैं। मैंने एक पत्र और लिखा है बीकानेर के रेलवे ब्रिज के सम्बन्ध में। उस दृष्टि से कोई मीटिंग रेलवे मंत्री महोदय और हमारी हो जाय। अभी तक उनकी चिट्ठी नहीं आयी है। मैं फिर एक चिट्ठी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीन महीने में नहीं आयी ? पिछली विधान सभा में कहा था कि मीटिंग करेंगे। आपको टाइम ही नहीं दिया मंत्री महोदय ने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीकानेर ब्रिज का फाउण्डेशन का काम बिना सहमति के ही हो गया था क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी समय पूर्व के किसी एक भ्रष्टाचार की चर्चा की है। उनकी जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने विभाग में जांच की है कि उस विषय में क्या कागज आये हुए हैं। कार्यवाही हो गयी तो करना कुछ नहीं है, लेकिन अगर यह लगेगा कि इस प्रकार के कागजात हैं कि कुछ करना सम्भव है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कार्यवाही नहीं हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब आपने कोट किया है तो उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं, आफ हैण्ड कहने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्री जी, आयुर्वेद औषधालय जिला परिषदों में रखेंगे या विभाग को वापस देंगे ? उनको विभाग को ही वापस दिया जाना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सरकार के विचाराधीन मामला है। यह कनसालिडेशन वर्ष है, हम विचार कर रहे हैं। जैसे ही फाइनेंसेज हमको अलाउ करेंगे हम इसको बढ़ाने का विचार निश्चित रूप से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मांग संख्या 19 व 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,45,37,99,000 (रुपए एक अरब, पैंतालीस करोड़, सैंतीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 19 पारित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,47,07,86,000 (रुपए दो अरब, सैंतालीस करोड़, सात लाख, छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 पारित की गयी।

सदन की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 12 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.34 बजे गुरुवार दिनांक 12 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की सूची

अजमेर जिले के मसूदा विधान सभा क्षेत्र में संचालित औषधालयों में एवं चिकित्सकों तथा नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	कार्यरत स्टाफ का विवरण	
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
1.	राजनगर-विजयनगर।	पद स्थापित है।	पद स्थापित है
2.	हणूतिया	,,	,,
3.	कानिया	,,	,,
4.	सथाना	,,	,,
5.	शिखरानी	,,	,,
6.	ब्यावर ग्राम	,,	,,
7.	रामगढ़	,,	,,
8.	शेरगढ़	,,	,,
9.	जीवाणा	,,	,,
10.	जामोला	,,	,,
11.	किराप	पद रिक्त जनवरी, 1988 से	,,
12.	बेगलियावास	,, जनवरी, 1990 से	,,
13.	नन्दवाड़ा	,, नवम्बर, 1989 से	,,
14.	देवास	,, मार्च, 1990 से	,,
15.	शिवपुरा घाटा	पद स्थापित हैं	पद स्वीकृत नहीं है
16.	सतवाड़िया	,,	पद स्थापित है
17.	कानाखेड़ा	,,	,,
18.	बालोता का बाड़ा	–भवन के अभाव में औषधालय आरम्भ नहीं हुआ है।	

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 276 की सूची

क्र.सं.	नाम संस्था	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	श्री डूंगरगढ़, सामु. स्वा. केन्द्र 1	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	—
		2. वरिष्ठ चिकि. अधि.	3	1
		3. मेल नर्स श्रेणी-I	1	—
		4. मेल नर्स श्रेणी-II	4	2
		5. एल. एच. वी.	1	—
		6. स्टाफ नर्स	2	—
		7. रेडियोग्राफर	1	1
		8. एक्स-रे टेक्निशियन	1	—
		9. वरिष्ठ लेब. टेक्निशियन	1	—
		10. लेब. टेक्निशियन	2	—
		11. ए. एन. एम.	2	—
		12. नर्सदाई	1	—
		13. वरिष्ठ लिपिक	1	1
		14. कनिष्ठ लिपिक	1	1
		15. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1
		16. वाहन चालक	1	—
		17. परि. क. स्वा. सहायक	1	—
2.	नेत्र चिकित्सा. श्री डूंगरगढ़	1. चिकित्सा अधिकारी	1	—
		2. मेल नर्स श्रेणी-I	1	—
		3. मेल नर्स श्रेणी-II	2	1
		4. स्टाफ नर्स	2	2

1	2	3	4	5
		5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	—
3.	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, बिग्गा 1	1. चिकित्सा अधिकारी	2	1
		2. मेल नर्स श्रेणी–II	2	—
		3. ए. एन. एम.	2	—
		4. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—
		5. वाहन चालक	1	—
		6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	—
		7. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—
		8. बी. ई. ई.	1	—
		9. वरिष्ठ लिपिक	1	1
		10. कम्पूटर	1	—
		11. एस. एस.	1	—
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, दुलचासर 1	1. चिकित्सा अधिकारी	1	—
		2. मेल नर्स श्रेणी–II	2	1
		3. ए. एन. एम.	1	—
		4. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
		5. कनिष्ठ लिपिक	1	1
		6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बीदासर मय प्रसूति गृह 1	1. चिकित्सा अधिकारी	2	—
		2. मेल नर्स–II	3	1
		3. ए एन. एम.	3	—
		4. एक्स-रे टेक्निशियन	1	—
		5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	—
		6. परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	—

Page No. 273

(273)

1	2	3	4	5
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र,	1. चिकित्सा अधिकारी	2	—
	मोमासर।	2. मेल नर्स–II	3	1
		3. दाई	1	—
		4. सी. एच. ओ.	1	1
		5. लेब टेक्निशियन	1	1
		6. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—
		7. वरिष्ठ लिपिक	1	1
		8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	4
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र,	1. चिकित्सा अधिकारी	1	—
	तोलियासर।	2. मेल नर्स-श्रेणी-II	1	1
		3. ए. एन. एम.	1	—
		4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र,	1. चिकित्सा अधिकारी	1	—
	लाखासर।	2. मेल नर्स-श्रेणी-*II*	1	—
		3. ए. एन. एम.	1	—
		4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1.

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

वित्तीय वर्ष 1988-89 व 1989-90 में बजट प्रावधान, व्यय की स्थिति

क्र.सं.	लेखामद	(राशि लाख रु. में) बजट निर्णायक समिति द्वारा आवंटित राशि	आवंटित राशि के विपरीत अंतिम व्यय
1-	2202-सामान्य शिक्षा	189.42	102.03
2-	2204-खेल और युवा कल्याण	2.50	0.50
3-	2210-चिकित्सा और लोक कल्याण	42.07	48.15
4-	2216-आवास	11.25	11.25
5-	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	237.13	275.47
6-	2330-श्रम और रोजगार	77.33	35.50
7-	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	88.00	7.67
8-	2401-कृषि कार्य	64.44	63 45
9-	2403-पशुपालन	17.81	18.15
10-	2404-डेयरी विकास	5.00	5.00
11-	2405-मीन उद्योग	20.95	20.59
12-	2406-वनिकी और वन्य जीवन	36.23	36.23
13-	2420-सहकारिता	29.04	26.27
14-	2702-लघु सिंचाई	27.00	27.00
15-	2801-विद्युत	1.00	1.00
16-	2851-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग	22.74	9.18
17-	2853-अलोह धातु खनन और धातु कार्य उद्योग	0.55	—
18-	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1.41	2.92
19-	3456-नागरिक पूर्ति	6.60	6.60
20-	4250-अन्य सामाजिक सेवाएं	4.00	2.25
	योग	804.47	699.21
			105.26 लाख शेष

Page No. 275

(275)

वर्ष 1989-90 में आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	विभाग	आवंटित राशि	व्यय
1-	कृषि कार्यक्रम	66.43	58.07
2-	पशुपालन	15.77	6.69
3-	भेड़ व ऊन	2.96	2.48
4-	मत्स्य विकास	39.34	36.14
5-	वन	9.14	0.16
6-	सहकारिता	37.37	37.37
7-	ग्रामीण विकास	10.13	6.71
8-	सिंचाई विभाग	126.13	148.40
9-	विद्युत	1.66	1.62
10-	खनिज विभाग	0.55	0.51
11-	शिक्षा	253.29	218.77
12-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	240.00	—
13-	आयुर्वेद	2.00	1.19
14-	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	57.42	54.58
15-	आवास	7.50	3.10
16-	श्रम एवं कल्याण	1.45	1.45
17-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.56	1.67
18-	तकनीकी शिक्षा	163.08	87.84
19-	आयुक्त कार्यालय एवं कोर बजट	102.46	13.99
		904.24	680.74

× व्यय की राशि का मिलान महालेखाकार से नहीं किया गया है अतः व्यय की सूचना अनन्तिम है।

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मोमासर-सालासर (चूरू) मार्ग पर बस

278. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मोमासर-सालासर (चूरू) निजी मार्ग पर बसों को चलाने के लिये किन-किन को, कब से कितनी-कितनी बसों के संचालन हेतु अनुज्ञापत्र दिये गये हैं ?

(2) इस मार्ग पर कौन-कौन से गांव आते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भांगीवाद गांव में बसें काफी समय से नहीं जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा बस मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त बस मालिकों के परमिट निरस्त कर नये सिरे से परमिट जारी कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) भांगीवाद गांव से बसें कब तक प्रारम्भ करवा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) सालासर-मोमासर मार्ग पर निम्न प्रकार चार अनुज्ञापत्र दिये गये हैं :-

1-श्री जनकलाल पुत्र श्री सोहनलाल को बस नं. आर.एस.के. 5136 दिनांक 29.8.69 से 28.8.91 तक।

2-श्री रामपाल पुत्र श्री जोहाराराम को बस नं. आर. जे. पी. 3075 दिनांक 26.7.82 से 25.7.90 तक।

3-श्री चुन्नीराम पुत्र श्री गोविन्दराम को बस नं. आर.जे.आई. 2565 दिनांक 26.8.82 से 25.8.90 तक।

4-श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री सूरजाराम को बस सं. आर.जे.आई. 1941 दिनांक 25.4.84 से 24.4.92 तक।

सालासर-मोमासर मार्ग पर इस समय 4 वाहन 2 समय पर चल रही है।

(2) सालासर, मोमासर मार्ग में लाछड़सर, बीनासर, रतनादेसर, राजलदेसर, पडिहारा, रजियासर मीठा, तोलियासर, मालासी, खुडी, चारिया, मुरड़किया, भांगीवाद गांव पड़ते हैं।

(3) हां, यह सही है कि भांगीवाद गांव में बसें नहीं जा रही है। इस सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत बस मालिकों को नोटिस दिये गये हैं।

(4) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 में निर्धारित मार्ग पर बस संचालन नहीं किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। जहां तक नये परमिट जारी करने का प्रश्न है, नये मोटर यान अधिनियम 1988 में किसी भी मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी भी इच्छुक आवेदक को नियमानुसार परमिट

...मंत्री)

...करने पर विचार किया जावेगा। ...में कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन ...है।

(5) ...गांव में बस चालू करने ...अनुज्ञापत्रधारियों को पाबन्द कर दिया ...है। अनुज्ञापत्रधारियों ने दि. 10.7.90 ...बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु लिखित में ...या है।

अजमेर, किशनगढ़ एवं ब्यावर को पेयजल

279. श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडा-...सिंह): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ...यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर, ...नगढ़, ब्यावर को पेयजल उपलब्ध ...ने हेतु तहसील देवली के ग्राम नेगडिया ...र कलां में गहरे ट्यूब वैल खोदने से ...का जल स्तर नीचे चला गया है व वहां ...ए सूख गये हैं तथा हैण्ड पम्प निरर्थक ...हो गये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या गांवों — डाबर ...मालेडा कल्याणपुरा, अन्य आस-पास ...गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की ...ना सरकार के विचाराधीन है ? यदि ...तो कब तक क्रियान्विति होगी ? नहीं, ...क्यों ?

(3) अजमेर शहर की पेयजल पाइप ...से जिला अजमेर के कितने गांवों को ...सुलभ कराया गया है तथा इसी ...लाइन के पास के गांवों को जो टोंक जिले में आते हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है जबकि ग्राम बड़ला, बीजवाड़ा, थावला, माताजी का थावला मानपुरा, डाबर कलां, मालेड़ा में पीने योग्य पानी नहीं है तथा 2-3 कि.मी. दूरी से पानी लाना पड़ता है ? इनको सरकार पेयजल कब तक सुलभ करा देगी ?

(4) टोंक जिले में कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है तथा पानी इस वजह से पीने योग्य नहीं है ? वहां सरकार का पेयजल सुलभ कराने का क्या विचार है तथा कब तक ?

(5) क्या ग्राम पंवालिया जो तहसील टोडारायसिंह का आबादी के हिसाब से सब से बड़ा ग्राम है वहां पर पेयजल संकट के कारण उक्त गांव के लिये कुछ समय पहले स्कीम बनाई गई थी ? क्या उक्त स्कीम निरस्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो वहां अब पेयजल कब तक सुलभ कराने का सरकार का विचार है ? नहीं, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) तहसील देवली के ग्राम नेगडिया व डाबर कलां के स्रोतों में विभाग के कूपों द्वारा जल उत्पादन के कारण एवं अन्य कारणों से जल स्तर में ह्रास हुआ है। इन ग्रामों में कम गहरे कुए सूख गये हैं परन्तु ग्राम नेगडिया में 2 सार्वजनिक नलों से तथा डाबरकलां में 6 हैण्डपम्पों तथा 1 सार्वजनिक नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) संदर्भित ग्रामों हेतु योजना के प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक प्रारूप में है।

277

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना की क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगी।

(3) अजमेर शहर की पेयजल पाइप लाइन से जिला अजमेर के 4 गांवों को पेयजल सुलभ कराया गया है। इसी प्रकार टोंक जिले के भी 4 गांव जो इस पाइप लाइन के पास हैं, को पेयजल सुलभ कराया गया है। प्रश्न में वर्णित सभी ग्रामों में पेयजल की गुणवत्ता मापदण्डों से कम है। इन ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न प्रपत्र में है। इन ग्रामों को पेयजल व्यवस्था संसाधन उपलब्ध होने पर करा दी जायेगी।

(4) टोंक जिले के 52 ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है। इन ग्रामों हेतु पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगी।

(5) 1981 की जनगणना के आधार पर तहसील में द्वितीय सबसे बड़े ग्राम पंवालिया (कोड संख्या 11) में 8 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। वर्तमान में इस ग्राम हेतु योजना विचाराधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	भूजल टी.सी.एस.
1.	बड़ला	24	766	785
2.	बीजवाड़	22	1923	3095
3.	थांवला	20	2570	2310
4.	माताजी का थांवला (ढाणी)	20	—	—
5.	मानपुरा	1	373	1709
6.	डाबर कलां	27	1589	1050
7.	मालेड़ा	26	866	2864

गुढ़ा क्षेत्र के बाल पोषाहार केन्द्र

280. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा में कितने एवं कहां-कहां बाल पोषाहार केन्द्र संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के उदयपुरवाटी में बाल विकास परियोजना केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा में कोई बाल पोषाहार केन्द्र संचालित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लहसोडा (सवाई माधोपुर) सड़क का ठेका

281. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम-लहसोड़ा सड़क का ठेका कितने-कितने किलो मीटर का किस-किस ठेकेदार को दिया गया ? ठेके की शर्तें व समयावधि क्या थी ?

(2) उक्त सड़क के निर्माण के पेटे किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? सड़क निर्माण का कार्य अब तक किस अधिकारी व ठेकेदार की लापरवाही से पूर्ण नहीं हो पाया है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण में दोषी अधिकारी व ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी और सड़क को शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभिन्न ठेकेदारों को दिये गये ठेके का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) संवेदक का नाम	भुगतान की गई राशि
1. श्री लल्लू प्रसाद सिसोदिया	रू. 21,679/-
2. श्री इन्द्रजीतसिंह	रू. 36,347/-
3. श्री सत्यनारायण केदावत	रू. 05,925/-

इस सड़क निर्माण के पूर्ण न होने का कारण मार्च, 1989 के पश्चात् आर. एल. ई. जी. पी. में स्वीकृति नहीं होना है। अतः कार्य पूरा न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

एम. एन. पी. के कार्य की धीमी गति के लिए मुख्यता सड़क का वन क्षेत्र में होना है, फिर भी संवेदक को संविदा की शर्तों के अनुसार नोटिस दिये गये हैं ताकि कार्य में गति लायी जा सके। इस एम. एन. पी.

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) -

के कार्य के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) आर. एल. ई. जी. पी. के विगत में किये गये कार्यों में सड़क निर्माण की सामग्री में कमी पाये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग में जांच चल रही है। जांच के निष्कर्ष आने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी एम. एन. पी. के नये कार्य में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। इस कार्य को वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर 5 कि. मी. डामर की सड़क का निर्माण हो सकेगा। शेष सड़क का कार्य पूरा होना योजना के अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट- अ

क्र. सं.	संवेदक का नाम	कि. मी.	ठेके की राशि	कार्य आरम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
आर. एल. ई. जी. पी.						
1.	श्री लल्लू प्रसाद सिसोदिया	0/0 से 4/0 तक	34,001/- (ढुलाई का कार्य)	5.2.87	4.5.87	21,679
2.	श्री इन्द्रजीत सिंह	10/0 से 12/0 तक	38,415/- (ढुलाई का कार्य)	24.2.87	23.5.87	36,347/-
नया एम. एन. पी. कार्य						
1.	श्री सत्य नारायण केदावत	6/500 से 11/500 तक	6,71,351/- (डामर सड़क का कार्य)	30.12.89	29.10.90	05,925/- (माह जून, 1900 तक)

हिन्डौली क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

282. श्रीमती रमा पायलट (हिन्डोली) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र हिन्डोली में वहां की जनता की सुविधार्थ उक्त संस्थान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कुशल कारीगरों की आवश्यकता, उस क्षेत्र में उद्योगों की मांग, अभ्यार्थियों की उपलब्धता, रोजगार की सम्भावना, आदि मुद्दों पर विचार करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया जाता है।

वर्ष 1990–91 में हिन्डौली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का बजट में प्रावधान नहीं है।

दीवान पशुआहार संस्था जूसरी (मकराना) द्वारा अनियमिततायें

283. श्री बिरदा राम चौधरी (मकराना) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-1988 में मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम जूसरी पंचायत सीमा में टंकी के पास अकाल राहत के तहत चारा लाने व वितरण करने की दीवान पशु आहार नाम की कोई संस्था कार्यरत थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त संस्था ने वर्ष 1987–1988 में कहां-कहां से कितना चारा मंगवाया व वितरण किया ? उक्त संस्था ने कितने रुपये के परिवहन व्यय की मांग की और कितना रुपया परिवहन व्यय के रूप में उठाया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था के विरुद्ध चारा वितरण में घपला करने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसकी जांच हुई या नहीं ? यदि जांच हुई, तो क्या शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो चारा घपले में किन-किन व्यक्तियों का हाथ है एवं उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जूसरी रोड, टंकी के पास दिनांक 24.2.88 से तथा जूसरी बाई पास पर दिनांक 19.4.88 से अकाल राहत के तहत चारा लाने व वितरण करने की दीवान पशु आहार नाम की सोसाइटी मकराना के नाम से कार्यरत थी।

(2) संस्था ने वर्ष 87–88 में राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के ग्राम जाबुआ, गुना, तथा शिवपुरी से दिनांक 24.2.88 से 25.7.88 की अवधि के मध्य कुल 42430.8 क्वि. चारा मंगवाया गया था, जिसमें से 42161.8 क्वि. वितरण किया गया। शेष 269.00 क्वि. संस्था के पास चारा शेष रहा। उक्त संस्था ने परिवहन व्यय अनुदान के रूप में कुल रु. 16,95,522/- रु.

282

(अकाल राहत मन्त्री)

की मांग की और 3,50,000 रु. परिवहन के रूप में अग्रिम भुगतान किया गया। (परिशिष्ट 'अ')

(3) जी हां। उक्त संस्था की जांच उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि संस्था ने पूर्ण रूप से फर्जी बिल बनाकर सरकार को धोखा देने की मंशा से बिल पेश किये हैं और संस्था को परिवहन बिलों का भुगतान करना न्यायोचित नहीं है।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, मकराना द्वारा एक शिकायत की गई। उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, नागौर द्वारा परिवाद सं. 1661/88 उक्त संस्था के विरुद्ध पंजीकृत कर जांच की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच रिपोर्ट में यह बताया कि चारा वितरण का कार्य संस्था द्वारा सुचारु रूप से किया गया था। मकराना के कुछ साम्प्रदायिक विशेष लोगों की राजनैतिक कारण वश शिकायत की जाती रही है। इसी कारण को मानते हुये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उक्त शिकायत को नस्तीबद्ध कर दी है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापिस ले ली है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कलक्टर, नागौर को निर्देश दिये गये हैं कि नियमानुसार बिलों का प्रमाणीकरण होने पर वाजिब क्लेम्स का भुगतान किया जावे।

परिशिष्ट—अ

श्री निशार अहमद अध्यक्ष, दिवान पशु आहार सोसायटी, मकराना द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ख" चारा परिवहन अनुदान बिल के अनुसार

क्र. सं.	अवधि	राज्य का नाम जहां से संस्था द्वारा चारा मंगवाया गया	चारा की मात्रा क्विटल में	संस्था द्वारा परिवहन व्यय की मांग की गई राशि	संस्था द्वारा वितरण किये गये चारा की मात्रा क्विटल में	वितरण से शेष रहा चारा क्वि.	संस्था द्वारा परिवहन व्यय में उठाई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24.2.88 से 24.3.88	राजस्थान मध्यप्रदेश	42.00	–	42.00	–	3,50,000/-
		झाबुआ, गुना, शिवपुरी मध्यप्रदेश	1460.00	58400	1460.00	–	
2.	26.3.88 से 19.4.88	,,	2123.08	84952	2113.8	–	
3.	1.5.88 से 15.5.88	,,	6689.00	267560	6689.00	–	
4.	16.5.88 से 31.5.88	,,	7185.00	286320	7158.00	–	
5.	1.6.88 से 15.6.88	,,	6673.00	266920	6673.00	–	

283

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	16.6.88 से 30.6.88	राजस्थान मध्य प्रदेश झाबुआ, गुना, शिवपुरी, मध्यप्रदेश	6718.00	268720	6718.00	–	
7.	1.7.88 से 15.7.88	"	6692.00	267680	6692.00	–	
8.	16.7.88 से 25.7.88	"	4875.00	195000	4406.00	269.00	
		योग—	42,430,8	16,95,552/-	42,161.8	269.00	3,50,000/-

जिला कलक्टर, (सहायता)
नागौर

तारांकित प्रश्न सं. 284

(स्थगित)

भिनाय क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों तक सड़कें

285. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं ? उन्हें कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) पंचायत मुख्यालयों के सड़क से जुड़ने का तात्पर्य कच्ची सड़क से है या पक्की सड़क से है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में केवल एक पंचायत मुख्यालय धातोल सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ने का तात्पर्य डामर, मेटल अथवा ग्रेवल किसी एक से सड़क से जोड़ना है।

बाली क्षेत्र के गरासिया बेल्ट में टाडा योजना

286. श्री अमृतलाल परमार (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में विशेषकर गरासिया बेल्ट में टाडा योजना का लाभ एवं सुविधायें उदयपुर क्षेत्र में माडा योजना की तुलना में बहुत कम मिल रहा है ? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ?

(2) गरासिया बेल्ट को अधिक लाभ एवं सुविधा देने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बाली में टाडा योजना क्रियान्वित नहीं है। बाली के 21 गांव माडा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। इन गांवों में जनजाति के लोगों के साथ गरासिया जनजाति के लोग भी रहते हैं, जिन्हें माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। बाली क्षेत्र में उदयपुर के माडा क्षेत्र के तुलनात्मक रूप में कम धनराशि व्यय नहीं की जाती है। अतः असमानता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) राज्य सरकार की गरासिया समुदाय हेतु यद्यपि पृथक से आर्थिक लाभ एवं सुविधाएं देने हेतु योजना नहीं है, लेकिन यह समुदाय अन्य जनजाति समुदायों के साथ ही माडा तथा टाडा की योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाते हैं।

झुंझुनू व सीकर बस स्टैण्ड का निर्माण

287. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) : एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : (नसीराबाद) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू व सीकर बस स्टैण्ड के भवन निर्माण के संदर्भ में मुख्य अभियंता श्री लोरिया जो निगम के सदस्य भी थे, के बार-बार रोक लगाने के बाद भी 10 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या यह जायज था ? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(286)

उत्तर

(1) जी नहीं। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है : सीकर बस स्टेण्ड के लिये निगम मण्डल ने 19.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23.1.85 को प्रदान की थी। जिसके तहत बिल्डिंग कार्य के टैण्डर आमंत्रित कर पार्टी सुभाष चन्द को न्यूनतम होने के कारण दिनांक 20.7.85 को 14.7 लाख रुपये का कार्यादेश जारी किया गया। यह कार्य 10.5.87 को समाप्त हुआ और तब तक ठेकेदार को 21.90 लाख रुपये का भुगतान किया गया। अधिक एवं अतिरिक्त भुगतान के निम्न कारण थे :—

मूल एस्टीमेट में स्टील की मात्रा केवल 70 टन हुई थी, जबकि कार्य समाप्त होने तक 115 टन स्टील खर्च हुआ। इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ही ली गई थी। श्री ओ. पी. पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता जो कि निगम में प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीकर बस स्टैंण्ड के कार्यादेश 14.7 लाख रुपये को संशोधित कर 16.15 लाख रुपये का दिनांक 31.1.86 को जारी किया। इस पर निगम मण्डल द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में श्री लोरिया मुख्य अभियन्ता भी सदस्य थे। इस कमेटी ने श्री ओ. पी. पुरोहित को इस संशोधित कार्यादेश के लिए दोषी ठहराया कमेटी की रिपोर्ट पर एडवोकेट जनरल ने सलाह दी कि संशोधित कार्यादेश के तहत ठेकेदार भुगतान का अधिकारी है। एडवोकेट जनरल की राय पर मण्डल ने 16.5.88 को निगम अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु मनोनीत किया। अत: एडवोकेट जनरल की राय से सहमत होते हुए अन्तिम भुगतान ठेकेदार को किया गया। इस संशोधन के कार्यादेश के तहत निगम को 2.86 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को करना पड़ा।

श्री ओ. पी. पुरोहित अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निगम ने दिनांक 18.3.88 को राज्य सरकार को चार्जशीट भेज दी उस पर जांच अभी विचाराधीन है।

झुन्झुनू बस स्टेण्ड के कार्य पर कोई भी अधिक भुगतान नहीं हुआ है। इस कार्य के बारे में मुख्य अभियन्ता श्री लोरिया ने भी कोई टिप्पणी नहीं दी थी।

बाड़मेर-गौ सेवा समिति

288. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गौ सेवा समिति, बाड़मेर के विरुद्ध पूर्व में राज्य सरकार को गबन एवं घपलों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गौ सेवा समिति, बाड़मेर द्वारा चारा वितरण अनुदान राशि में अनियमितता के सबन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच सहायता विभाग के सहायक

(अकाल राहत मंत्री)

लेखाधिकारी द्वारा जुलाई, 87 से दिसम्बर, 87 की अवधि की, की गई है। श्री चम्पा लाल बांठिया, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के पत्र दिनांक 21 व 22.3.88 में जिला गौ सेवा समिति बाड़मेर के खिलाफ चारा परिवहन अनुदान में की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायत की गई। सहायता विभाग के लेखाधिकारी द्वारा दिनांक 4.10 88 से 7.10. 88 की अवधि में समिति के लेखों की जांच की गई। इसके पश्चात् इस प्रकरण की जांच जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा गठित समिति द्वारा की गई। दिनांक 30.3.93 को राजस्थान विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय यह निर्णय लिया गया कि परिवहन व्यय हेतु अनुदान राशि में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में विशेष जांच का कार्य विधान सभा की जन लेखा समिति द्वारा, किया जावेगा जन लेखा समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 1989 में लिए गये निर्णय के अनुसरण में विधान सभा को पत्र संख्या एफ 11 (25) सग्रा/वि. स./ 10245 दिनांक 23.6.89 के जरिये तथ्यात्मक टिप्पणी की 25 प्रतियां भिजवादी गई हैं।

(2) प्रकरण विधान सभा की जन लेखासमिति के पास जांच हेतु विचाराधीन है। जन लेखा समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। अब तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर में दर्शाया गया है।

किशनगढ़ यज्ञ भवन के पास अतिक्रमण

289 श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा यज्ञ भवन के आस-पास आवासी भू-खण्ड बेचे गये थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को किस वर्ष में व किस-किस राशि पर कितने-कितने वर्ग गज के बेचे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बेची गई भूमि पर पी. टी. एस. द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां तो नाजायज अतिक्रमण को नगर परिषद् क्यों नहीं हटा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्व. एस. पी. श्री गिरिराज सिंह के बंगले की चार दीवारी के सामने के रास्ते पर भी पी. टी. एस. द्वारा अतिक्रमण कर टेंट लगा रक्खे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? नगर परिषद् उपरोक्त अतिक्रमण कब तक हटा देगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर परिषद्, किशनगढ़ द्वारा यज्ञ भवन के आस-पास 47 आवासीय भूखण्ड वर्ष 66 से 70 के बीच नीलामी द्वारा विक्रय किये गये थे, जिनके पट्टे भी जारी कर दिये गये हैं। विक्रय किये गये भूखन्डों का वर्ष, राशि व क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) नगर परिषद् द्वारा इस विक्रय की गई भूमि पर वर्ष 1986 के आस-पास पी. टी. एस. ने तारदार कांटों की बाड़

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लगाकर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर को कुछ भूखण्ड क्रेताओं द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना पर दिनांक 5.5.90 को उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को हटाने के आदेश दिये। उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने नगर परिषद् को दिनांक 19.5.90 को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा है। नगर परिषद द्वारा इस बाबत पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। यह तथ्य सही नहीं है। जब अतिक्रमण ही नहीं है तो हटाने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

नगर परिषद्, किशनगढ़ द्वारा यज्ञ भवन के पास लेक्चरार कॉलोनी में विक्रय किये गये भूखण्डों की सूची

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल	नीलामी की तारीख	दर	कुल रकम वसूल की गई है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस.एस. शुक्ला पुत्र इच्छाशंकर शुक्ला किशनगढ़	75×60 418 व.मी.	22–8–70	3.20	1337.60
2.	श्रीमति शकुन्तला पत्नि राधागोविन्द शर्मा मदनगंज	75×52 362 व.मी.	,,	3.15	1140.30
3.	श्री जे.पी. गुप्ता पुत्र रामचन्द गुप्ता मदनगंज	75×60 418 व.मी.	,,	3 25	1358.50
4.	श्री टीकमचन्द पुत्र रेवाचन्द भगवानी मदनगंज	$\frac{60\times70\times60}{2}$ 365 व.मी.	,,	3.15	1140.30
5.	श्री एस.डी. पुत्र गियाराम शर्मा मदनगंज	75×55 382 व.मी.	,,	3.15	1206.45

1	2	3	4	5	6
6.	श्री एम एम. पुत्र प्यारेलाल गर्ग मदनगंज	75×60 418 व.मी.	21-8-70	3.15	1346.70
7.	श्री गोरधन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल मदनगंज	75×57 355 व.मी.	16-9-70	3.15	1118.25
8.	श्री किशोरीलाल पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता किशनगढ़	75×60 418 व.मी.	22-8-70	3.25	1358.50
9.	श्री वल्लभदास पुत्र नारायण दास किशनगढ़	75×57 45 / 2 355 व.मी.	21-8-70	3.20	1136.00
10.	श्री के. सी. पुत्र घीसालाल अग्रवाल मदनगंज	75×60 418 व.मी.	28-8-70	3.20	1337.60
11.	श्री चम्पालाल पुत्र जमनालाल माथुर किशनगढ़	75×60 418 व.मी.	27-8-70	3.15	1316.70
12.	श्री ए.एम. पुत्र यू.एम. लूनिया मदनगंज	75×60 418 व.मी.	21-8-70	3.20	1337.60
13.	श्रीमति उमारानी पत्नि सूरजनारायण माथुर किशनगढ़	110×1×95 / 2 438 व.मी.	27-8-70	3.15	1379.70
14.	श्रीमती उगमकंवर पत्नि एस.एन. माथुर मदनगंज	99×52 476 व.मी.	"	3.25	1553.50

(290)

1	2	3	4	5	6
15.	श्री जीवनलाल पुत्र मोहनलाल माथुर किशनगढ़	60×70×60 / 2 362 व.मी.	27.8.70	3.15	1140.30
16.	श्रीमती कृष्णा पत्नि पुष्करनारायण माथुर मदनगंज	99×52॥ 478 व.मी.	,,	3.25	1553.50
17.	श्री एस.डी. स्वामी पुत्र गोधाराम मदनगंज	75×55 383 व.मी.	,,	3.15	1206.45
18.	श्री एम. एस. पुत्र किशनचन्द सोलंकी किशनगढ़	75×52 362 व.मी.	29-8-70		1140.30
19.	श्री राधेश्याम पुत्र भगवानदास पुष्करणा किशनगढ़	99×52॥ 478 व मी.	10-9-70	3.15	1505.70
20.	श्री रघुनन्दन पुत्र कल्याणबक्ष शर्मा किशनगढ़	60×60 400 व.मी.	,,	3.25	1300.00
21.	श्री कल्याणमल पुत्र मंगलदास शर्मा मदनगंज	75×60 70 / 2 463 व.मी.	17-9-70	3.20	325.60 चौथान 1156.60 बाकी है
22.	श्री हनुमानसिंह पुत्र गोपाल सिंह मेहता किशनगढ़	60×60 400 वर्गगज	10-9-70	3.20	1280.00
23.	श्री रामचन्द्र पुत्र रामनाथ शर्मा मदनगंज	75×69 54॥ 433 व.मी.	17-9-70	3.20	325) चौथान 1060.30 बाकी है

1	2	3	4	5	6
24.	श्री गिरराज प्रसाद पुत्र जगदीशप्रसाद व्यास किशनगढ़	75×57 45 / 2 355 व.मी.	"	3.15	1118.25
25.	श्री मदनलाल पुत्र बलदेव छीपा मदनगंज	60×60 324 व.मी.	"	3.15	1220.60
26.	श्री उत्तमचन्द पुत्र बिरदीचन्द चौधरी मदनगंज	60×45 300 वर्गगज	13-10-66	4.62	1386.00
27.	श्री राधाकिशन पुत्र नन्दलाल प्रो. मदनगंज	60×45 300 व.मी.	12-10-66	4.25	1275.00
28.	श्री गंगाबिशन भूतड़ा मदनगंज	60×45 300 वर्गगज	11-10-76	5.00	1500.00
29.	श्री किशनगोपाल पुत्र गंगाधर भूतड़ा मदनगंज	60×60 400 व.मी.	3-11-69	7.25	725) चौथान 2175) बाकी
30.	श्री केदारनाथ पुत्र मूलचन्द गोयल	60×45 300 वर्गगज	28-11-66	1.50	450.00
31.	श्री भंवरलाल पुत्र किशनलाल	45×45 225 वर्गगज	24-2-67	2.20	495.00
32.	श्री नन्द लाल पुत्र रामानन्द बाहेती मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	23-1-67	1.25	460.00
33.	श्री ओम प्रकाश पुत्र मूलचन्द अग्रवाल मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	28-1-67	1.15	460.00
34.	श्री रामधन पुत्र हनुमान प्रसाद मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	24-1-67	2.00	800.00
35.	श्री नन्द लाल पुत्र रामानन्द बाहेती मदनगंज	45×45 225 वर्गगज	10-1-67	1.25	258.75

1	2	3	4	5	6
36.	श्री सन्तोषचन्द पुत्र मुनीराम शर्मा मदनगंज	45×45 225 वर्गगज	25-2-67	1.90	427.50
37.	श्री गोपालदास पुत्र नेवलदास सिन्धी मदनगंज	45×45 225 वर्गगज	7-1-67	2.40	540.00
38.	श्री रामधन पुत्र शिवनाथ बियाणी मदनगंज	45×45 225 वर्गगज	23-2-67	1.15	258.75
39.	श्री नन्द लाल पुत्र रामानन्द बाहेती मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	19-1-67	2.00	800.00
40.	श्री ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम दास अग्रवाल मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	27-1-67	1.15	460.00
41.	श्री रामपाल पुत्र केदारमल अग्रवाल मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	25-1-67	1.15	460.00
42.	श्री नन्द लाल पुत्र रामानन्द बाहेती	60×60 400 वर्गगज	20-1-67	2.25	900.00
43.	श्री रूपचन्द पुत्र कन्हैयालाल खण्डेलवाल मदनगंज	60×60 400 वर्गगज	21-1-67	2.60	1040.00
44.	श्री गोपालदास पुत्र नेचलदास सिन्धी मदनगंज	45×45 225 वर्गगज	5-1-67	1.50	337.60
45.	श्री उमरावचन्द पुत्र मिलापचन्द किशनगढ़	45×45 225 वर्गगज	9-1-67	2.35	528.75
46.	श्री नन्द लाल पुत्र रामानन्द बाहेती	45×45 225 वर्गगज	11-1-67	1.15	258.75
47.	श्री गंगाबिशन पुत्र मांगीलाल भूतड़ा	60×45 300 वर्गगज	15-10-66	5.05	1515.00

गोविन्दगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय

290. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(2) अब कब तक वहां महाविद्यालय खोल दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(3) राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या नियम अथवा मानदण्ड हैं ?

उत्तर

(1) गोविन्दगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग वर्ष 1987 में प्राप्त हुई थी। निदेशालय कालेज शिक्षा से इस सम्बन्ध में निरीक्षण करवाया गया था। नये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण की मानदण्डों के आधार पर पुनः जांच के उपरान्त इस पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(2) राज्य में इस वर्ष बजट में दो नये कालेज खोलने का प्रावधान है। अतः भविष्य में नया कालेज खोलते समय अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी औचित्य एवं मानदण्ड के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है:-

(1) प्रस्तावित स्थान की 30 कि.मी. की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं हो।

(2) प्रस्तावित स्थान के आस-पास कम से कम चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

(3) क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

(4) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

आसीन्द क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास परियोजना

291. श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महिला बच्चे पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ करने के क्या मानदण्ड हैं ? तत्संदर्भी प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) भीलवाड़ा जिले के सर्वाधिक अकाल प्रभावित क्षेत्र आसीन्द में यह योजना अब तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार वहां इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाल विकास परियोजना प्रारम्भ

(२९५)

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का विवरण निम्नानुसार हैं:-

ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये

1- वे पंचायत समितियां जो जनजाति योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

2- 30 प्रतिशत या अधिक की अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्र।

3- रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में आने वाले क्षेत्र।

4- बार-बार बाढ़ आने से प्रभावित क्षेत्र।

5- कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित जिले जिनमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्प संख्यक समुदाय की बाहूल्यता हैं।

6- वे विकास खंड जिनमें 20 प्रतिशत अल्प संख्यक समुदाय की जनसंख्या हैं।

शहरी क्षेत्र की परियोजना के मापदण्ड

1-2 लाख या इससे अधिक की आबादी वाले शहर के वे क्षेत्र जहां गरीब लोगों की गंदी बस्तियां स्थित हैं।

माप दण्ड सदन मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) भीलवाड़ा जिले के आसिन्द क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 14.6 है। अतः इस आधार पर भी भारत सरकार द्वारा चयनित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। मापदंड में नहीं आती है।

भादरा नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन

292. श्री लालचन्द डूडी (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका भादरा के कर्मचारियों का कब तक का कितने महीनों का वेतन बकाया है और किस कारण?

(2) क्या यह सही है कि वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों ने कार्य करना बन्द कर दिया है जिस कारण बाजार एवं गलियों में गन्दगी के ढेर जमा हुए पड़े हैं और सम्बन्धित अन्य बीमारियों की सम्भावना के साथ पीलिया रोग का प्रकोप हो गया है?

(3) यदि हां, तो सरकार कब तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर साफ सफाई की उचित व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) पालिका कर्मचारियों का वेतन निम्नानुसार बकाया है:-

(क) सफाई कर्मचारी नवम्बर, 89 से जून, 90 तक आठ माह का वेतन 80,00,000/- रुपया बकाया है।

(ख) कर शाखा कर्मचारियों का अक्टूबर 89 से जून, 90 तक नौ माह का 5,50,000/- रुपया बकाया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(ग) कार्यालय कर्मचारियों को अक्टूबर, 89 से जून, 90 तक नौ माह का 1,50,000 रुपया बकाया है। कुल 15,00,000/- रु. बकाया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वेतन व मंहगाई भत्ता बढ़ाने तथा अकाल की वजह से आय कम होने के कारण वेतन बकाया है।

(2) यह सही है कि सफाई कर्मचारियों के वेतन न मिलने के कारण कार्य करना बंदकर दिया है जिसके कारण बाजार एवं गलियों में गंदगी के ढ़ेर पड़े हैं। बीमारियों की कोई सूचना नहीं है।

(3) राज्य सरकार इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु प्रयत्नशील है।

सुमेरपुर क्षेत्र की अनुसूचितजाति/जनजाति की बस्तियों का विद्युतीकरण

293. श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्त बस्तियों का विद्युतीकरण पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो कब तक इन बस्तियों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी ग्रामों व कस्बों का विद्युतिकरण किया जा चुका है एवं कोई भी ग्राम विद्युतिकरण के लिये शेष नहीं है।

(2) जी हां। ग्रामों के विद्युतिकरण के साथ योजना के अनुसार कम से कम एक हरिजन बस्ती में बिजली पहुंचाई जाती है। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित किये जाने पर तथा रोड लाइट के कनेक्शन की मांग पंचायत द्वारा करने पर हरिजन बस्ती के विद्युतिकरण की कार्यवाही की जाती है। अतः इनके विद्युतिकरण के सम्बन्ध में निश्चित समयावधि बता पानी संभव नहीं है।

लाखेरी में चिकित्सा सुविधा

294. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बून्दी जिले के लाखेरी कस्बे की जनसंख्या एवं निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता के संदर्भ में कार्यशील डिस्पेंसरी अपर्याप्त है ?

(2) यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में राज्य सरकार वहां किस प्रकार कब तक चिकित्सा सुविधा का विस्तार करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिरोही-दिल्ली बस सेवा

295 श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में सिरोही-दिल्ली से सीधी बस सेवा से जुड़ा हुआ था व द्रुतगामी बस भी चलती थी ?

(2) उक्त सेवा किन कारणों से बन्द की गई ?

(3) क्या सरकार सिरोही, पाली ब्यावर से गुजरने वाली इस बस सेवा को यात्रियों की सुविधा व यात्री दबाव को मध्यनजर रखते हुए पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सिरोही से देहली के लिये सीधे दैनिक एक द्रुतगामी बस का संचालन था ।

(2) दिनांक 6.3.90 से उक्त सेवा को सिरोही सुमेरपुर, पाली स्थानों से पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण बन्द किया गया । दैनिक केवल 8 या 10 यात्री ही सीधे देहली के लिये उपलब्ध थे ।

(3) जी नहीं । इस सेवा को सिरोही व पाली से देहली के लिये सीधा पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं है । ब्यावर से दिल्ली के लिये दैनिक तीन बसों का संचालन यथावत है ।

करौली क्षेत्र में राहत कार्य

296. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन गांवों में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली तहसील के 160 ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में अब तक कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अब इन सभी गांवों में कार्य शीघ्र चालू करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर, खण्डार, बौंली, गंगापुर, बामनवास, नादौती, करौली, सपोटरा एवं टोडा भीम के प्रभाव ग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य खोले गये । इन तहसीलों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । करौली तहसील के 50 ग्रामों में राहत कार्य खोले गये, जिसकी सूची प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के साथ संलग्न है । करौली क्षेत्र में पत्थर की खानों पर श्रमिकों को आसानी से रोजगार उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त 27 स्थानों पर नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण भी इस तहसील में हो रहा है । सामान्य जवाहर रोजगार योजना के तहत भी श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है । ऐसी स्थिति में उन्हीं ग्रामों में अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये जहां पेयजल समस्या थी । इन सभी 50 ग्रामों में सार्वजनिक

(अकाल राहत मन्त्री)
कूप गहरा करने के कार्य स्वीकृत किये गये थे। अब वर्षा प्रारम्भ हो चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा समस्त राहत कार्य बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अटरू क्षेत्र का विद्युतीकरण

297. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1983 से 30 जून, 1990 तक विधान सभा क्षेत्र अटरू के कितने गाँवों को विद्युतीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष गाँवों को कब तक विद्युतिकरण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में कुल 251 ग्राम हैं, जिनमें से 226 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है जो कि कुल ग्रामों का 90.04 प्रतिशत है। वर्ष 1983 से 1989-90 तक इस क्षेत्र के 44 ग्रामों के विद्युतीकरण करने की योजनाओं को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अटरू विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति अटरू के शेष 8 अविद्युतिकृत ग्रामों के विद्युतिकरण की कोई योजना स्वीकृति नहीं है। वर्तमान में चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना के क्लोज (समापन) होने पर नई योजना में इन 3 ग्रामों को भी विद्युतिकरण के लिये सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

सूची

विधान सभा क्षेत्र अटरू में वर्ष 1983 से ग्रा. वि. निगम योजना के तहत स्वीकृत ग्रामों की सूची।

पं. सं. अटरू आर. एन. एन. पी. वर्ष 84-85 (179 137)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	सहरोद	25/10/2	7	निमोदा	33
2	ढोटी	3	8	गोविन्दपुरा	39
3	खडीला	21	9	कचरा	46
4	खूरी	22	10	चोथ्या	53
5	बोकडा	23	11	देवपुरा	114
6	मनोहरपुर	25	12	किशनपुरा	56

1	2	3	1	2	3
13	कराड्याहड़ा	60	29	बेरपुर	8
14	खानपुरिया	64	30	रहलाई	9
15	पन्तुखेडी	73	31	डाबडिया	11
16	छेला बेल	76	32	कोटड़ा	13
17	नीमोदा	79	33	अरनिया	14
18	सीघनी	80	34	आसन	27
19	मन्यागण	39	35	खेडली माजर	31
20	बिछालस	90	36	महेशपुरा	38
21	कराडया गुलजी	91	37	खेड़ली ढपका	50
22	मेहला	99	38	खेड़ली रावण	52
23	शेरगढ़	104	39	बहलावान	55
24	नरसिंहपुरा	106	40	मोटुका	65
25	बड़ोदिया	107	41	किशनपुरा	103
26	सरसोदिया	113		मशालदरान	
27	खेड़ली का दिया	122		पं स. सांगोद ओबी (आर)	
28	नरसिंहपुरा	1		88-89 (170672	
			42	लालाहेडी	25/9/93
			43	प्रतापसागर	103
			44	सूंडा	91

बांदीकुई क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

298. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन कर्मचारियों के पद रिक्त हैं और क्यों ?

(2) रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर केवल स्वीकृत एक-एक पद महिला स्वास्थ्य दर्शिका का रिक्त है।

(2) इन पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 420 की सूची

सोजत तहसील में विभागवार अकाल राहत के स्वीकृत कार्यों की विवरण सूची

क्र सं.	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत श्रमिक	कार्य प्रारम्भ की तिथि	नियोजित श्रमिक मई	नियोजित श्रमिक जून 90	लाभान्वित ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
	वन विभाग						
1	जोडों में प्लान्टिंग व अन्य सुधार कार्य 50 हैक्टर	9.5.90	150	12.5.90	52	59	मुरडावा
	योग		150		52	59	
	भू संरक्षक, सोजत						
1	मालपुरिया एनिकट	16.5.90	80	23.5.90	20	45	मालपुरिया कलां, खुर्द
2	चन्दलाई खडीन	8.5.90	150	10.6.90	—	146	चन्दलाई
3	खारिया नीव एनिकट	16.5.90	80	1.6.90	—	104	खारीया नीव
4	भाणिया खडीन	8.5.90	100	16.5.90	70	120	भाणिया
5	साण्डिया एनिकट	16.5.90	100	10.6.90	—	80	साण्डिया
	योग		510		90	495	

Page No. 301

1	2	3	4	5	6	7	8
	सार्वजनिक निर्माण विभाग. सोजत						
1–	सुरायता से जाडन सड़क वाया कानावास 2 कि.मी.	8.5.90	150	12.5.90	144	144	सुरायता
2–	चण्डावल से रामपुरा डब्लू.बी.एम. रोड	8.5.90	200	14.5.90	—	22	खोखरा, बासना, मण्डला
3-	रूपावास से रेपड़ावास रेपड़ावास से हांपत सड़क	8.5.90	150	11.5.90	84	144	गोदेलाव, रेपडावास, बुटेलाव, हापत
4–	लुण्डावास से बूटेलाव ग्रेवल रोड	8.5.90	100	11.5.90	96	96	बुटेलाव, लुण्डावास
5–	नापावास से प्रबकाई ढाणी डब्लू.बी.एम. रोड	8.5.90	125	12.5.90	120	120	नयागांव, प्रबकाई ढाणी
6–	चौपड़ा से चान्दासनी डब्लू. बी. एम. रोड	8.5.90	300	12.5.90	192	257	चौपडा, चान्दासनी, पाचवा
7–	शिवपुरा से बीजपुर डब्लू. बी. एम. रोड	8.5.90	100	11.5.90	96	96	बीजपुर, खामल, शिवपुरा भाटो की ढाणी
8–	सम्पर्क सड़क खोखरा बी. टी.	8.5.90	100	12.5.90	84	80	खोखरा, बासना

1	2	3	4	5	6	7	8
9–	भुपेलाव से चाडवास ग्रेवल सड़क	13.6.90	200	25.6.90	—	52	भूपेलाव
10–	भुपेलाव से पाचवाकलां ग्रेवल सड़क	13.6.90	150	16.6.90	—	91	पांचवा
11–	राजोला से नापावास ग्रेवल सड़क	13.6.90	75	16.6.90	—	72	
12–	राजोला से भाणिया एवं भाणिया से लाणेरा डब्लू.बी.एम. रोड	26.5.90	250	1.6.90	—	240	
	योग		1900		960	1414	
	सिंचाई विभाग						
1–	शिवपुरा बाढ बचाव	8.5.90	80	12.5.90	70	70	शिवपुरा
2–	मेव धरासनी बांध	8.5.90	100	12.5.90	35	72	मेव
3–	लाणेरा बांध	8.5.90	100	12.5.90	60	70	लाणेरा
4–	सरडाई बांध	8.5.90	150	12.5.90	106	132	सरडाई
5–	रेपडावास बांध का विस्तार	8.5.90	150	12.5.90	96	95	रेपडावास
6–	अजीतपुरा बाढ बचाव	8.5.90	100	12.5.90	50	50	अजीतपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8
7–रामासनी साधवान एनिकट		8.5.90	75	12.5.90	72	141	रामासनी, साधवान
8–खूनीनाला एनिकट मोडावा		26.5.90	140	2.6.90	—	125	मोडावास
9–गोदेलाव बांध रेजिंग कार्य		26.5.90	100	2.6.90	—	93	गोदेलाव
10–उदेशीकुआं, टूटीया बांध मरम्मत		26.5.90	80	—	—	60	उदेशीकुआं
11–रायरा कलां बांध		26.5.90	100	5.6.90	—	125	रायलाकलां, खुर्द
12–घूरासनी तालाब का फीडर		26.5.90	50	2.6.90	—	45	घुरासनी
	योग		1225		489	1078	

16

423 की सूची

मण्डल के लिए अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में सूचना

मुआवजे की राशि		कुल मुआवजे आदि की देय राशि	मुआवजा दिया गया	विशेष विवरण
मि की	पेड़ों व स्ट्रेक्चर्स कुवे, ब्याज आदि के मुआवजे की राशि			
	7	8	9	10
	–	–	–	न्यायालय का स्थगन होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया।
9700/-	333454.15	353154.15	653154.15	–
1900/-	314417.34	456317.34	456317.34	–
5000/-	20917.98	185917.98	185917.98	–

(304)

3

1	2	3	4	5
				भवानी
5.	बशीर मोहम्मद पुत्र फैजमोहम्मद	5-03	भवानीमंडी	–
6.	अब्दुलहलीम पुत्र फैजमोहम्मद	5-02	,,	–
7.	पारूमल पुत्र लीलाराम	7-08	,,	
8.	अब्दुलअजीज पुत्र फैजमोहम्मद	6-18	,,	
9.	जगन्नाथ बालाराम पुत्र किशनलाल सोनी	8-14	,,	
10.	अल्लाबक्श पुत्र गुलमोहम्मद	4-13	,,	12,0

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची

जिला सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्यों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	जोब सं.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	मई 1990 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण करने की अनुमानित लागत मय डामरीकरण सहित	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम							
	ग्रामीण सड़क							
1.	मूंडिया से घोलेटा वाया मांगल मोरडा कमालपुरा तक सड़क निर्माण	160/537 1981–82	56.85	23.400	45.42	कार्य अपूर्ण	—	18.500 कि.मी. में डामर का कार्य हो चुका है एवं शेष कार्य भूमि विवाद होने के कारण रुका हुआ है, जिसकी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है।

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	व्यय की गई राशि मई,90 तक(लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	सड़क को डामरीकरण सहित पूर्ण कराने की लागत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्द पड़ी सड़कों की सूची						
फेज द्वितीय							
1.	सम्पर्क सड़क राजपुर	2.00	2	1.22	कार्य अपूर्ण	4.00	1.300 कि.मी. में मिट्टी कार्य किया एवं 1.00 कि.मी. में ग्रोवर साइज एवं बेलास्ट कलेक्शन का कार्य हुआ।
2.	सम्पर्क सड़क रामपुर	3.00	3	1.18	,,	6.00	1/800 कि.मी. में मिट्टी का कार्य किया गया एवं 1/00 कि.मी. में बेलास्ट एवं ग्रोवर साइज का कलेक्शन किया गया।
फेज तृतीय							
3.	सम्पर्क सड़क भनकपुरा पालडाखालसा	9.00	6	6.18	,,	–	4/200 कि.मी. में डामर का कार्य किया गया एवं न्यूनतम आवश्यक कार्य की स्वीकृति है।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सम्पर्क सड़क खोहरा	5.00	3	1.13	कार्य अपूर्ण	–	1/700 कि.मी. में डब्ल्यू. बी. एम. सड़क का कार्य किया। यह कार्य वर्ष 90-91 के विशेष मरम्मत कार्य में स्वीकृत है।
फेज चतुर्थ							
5.	सम्पर्क सड़क भनकपुरा	11.00	–	0.97	,,	–	2.5 कि.मी. मिट्टी का कार्य एवं डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य कराया गया। यह सड़क न्यूनतम आवश्यक कार्य में स्वीकृत है।
6.	सम्पर्क सड़क गड़खेड़ा वाया बामोर-नादोती	8.50	–	1.97	,,	–	4 कि.मी. पटरी भराई का कार्य एवं मिट्टी का 4 कि.मी. का अपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया।

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	कुल व्यय (लाखों में)	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
			III. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
1.	लिंक रोड बोल से खेडला	4.00	4.00	3.15	अपूर्ण 15.00	मिट्टी का कार्य 5 कि.मी. ग्रेवल सड़क 2.2 कि.मी.

307

(308)

1	2	3	4	5		6	7
2.	सम्पर्क सड़क सांकरवाडा	3.00	3.00	0.99	अपूर्ण	9.00	मिट्टी का कार्य 3 कि.मी. हुआ एवं ग्रेवल सड़क 1 कि.मी. में किया।
3.	सम्पर्क सड़क उरदैन	3.00	3.00	0.70	,,	9.00	मिट्टी का कार्य 2.5 कि.मी. में किया।
4.	सम्पर्क सड़क नांगल लाट	1.50	1.50	0.46	,,	3.00	मिट्टी का कार्य 1 कि. मी. एवं ग्रेवल सड़क 400 मी.।
5.	सम्पर्क सड़क माचडी जैसनी	3.00	3.00	1.71	,,	4.80	ग्रेवल सड़क 1.60 कि.मी. बनाई।
6.	सम्पर्क सड़क फिरवाडा शेखपुरा	5.00	5.00	4.62	,,	21.00	मिट्टी का कार्य 6.80 कि.मी एवं ग्रेवल सड़क 6.60 कि.मी. बनाई।
7.	सम्पर्क सड़क रानोली	5.00	5.00	0.23	,,	11.00	मिट्टी का कार्य 1 कि.मी. में किया।
8.	सम्पर्क सड़क एदलपुर	1.50	1.50	0.20	,,	5.10	मिट्टी का कार्य 1.10 कि.मी. में किया।
9.	सम्पर्क सड़क अजीजपुर	2.00	2.00	0.86	,,	12.00	मिट्टी का कार्य कराया।
10.	सम्पर्क सड़क भण्डारी अंदरूनी	2.50	2.00	0.65	,,	4.00	मिट्टी का कार्य एवं ग्रेवल सड़क एक कि.मी. में।
11.	सम्पर्क सड़क लहावद	3.00	3.00	2.07	,,	7.00	मिट्टी का कार्य एवं 2 कि.मी. में ग्रेवल सड़क बनाई।
12.	सम्पर्क सड़क जीतकीपुर दलपुरा उजीर्ण	7.50	5.00	2.79	,,	21.00	ग्रेवल सड़क 3.5 कि.मी. में एवं 5 कि.मी. में ओवर साइज।
13.	सम्पर्क सड़क खेडी	7.50	5.00	2.18	,,	18.00	मिट्टी का कार्य 6 कि.मी. किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	सम्पर्क सड़क सोप, कुन्जेला, कैमला	7.50	500	1.82	अपूर्ण	42.00	4 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया ।
15.	सम्पर्क सड़क भीलापाड़ा	7.50	5.00	2.88	,,	9.00	मिट्टी का कार्य एवं ओ एस एम एवं बेलास्ट का 3 कि.मी. में क्लेक्शन अपूर्ण ।
16.	सम्पर्क सड़क तेसगांव	3.00	3.00	1.11	,,	6.00	सी.डी. वर्क का कार्य अपूर्ण ।
17.	सम्पर्क सड़क नन्दखुर्द	3.00	3.00	1.96	,,	6.00	2 कि.मी. में मिट्टी का कार्य एवं 2 कि.मी. में ग्रेवल सड़क का कार्य ।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि, (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	कुल व्यय (लाखों में)	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
			4, अकाल राहत कार्यक्रम			
1.	सम्पर्क सड़क पहाड़ी	2.00	2	0.72	4.50 कार्य अपूर्ण	1.200 में ग्रेवल सड़क बनायी गई है ।
2.	सम्पर्क सड़क गांवडी	2.00	2	0.64	16.00 ,,	2.00 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया गया-
3.	सम्पर्क सड़क राजोर	2.00	2	0.72	12.00 ,,	1.50 कि.मी. में मिट्टी का कार्य एवं ग्रेवल 1.00 कि.मी. कराया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
4.	सम्पर्क सड़क सुजानपुरा	2.00	2	0,24	8.00 कार्य अपूर्ण	1.00 कि.मी. में मिट्टी का कार्य एवं ग्रेवल 600 मीटर में कराया गया।
5.	सम्पर्क सड़क खिरखीरी	2.00	2	-0.08	-9.00 ,,	3.00 कि.मी. में मिट्टी एवं 1.50 कि.मी. ग्रेवल सड़क कार्य कराया गया।
6.	सम्पर्क सड़क सांकरवाड़ा	2.00	2	0.64	– ,,	1.50 कि.मी. में ग्रेवल का कार्य कराया गया
7.	सम्पर्क सड़क भीलापाडा से धवान वाया मोहनपुरा	2.00	2	1.21	16.00 ,,	4.00 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया गया
8.	सम्पर्क सड़क लेसगांव	1.50	–	0.20	– ,,	ग्रेवल सड़क .500 कि.मी. ग्रेवल सड़क का कार्य कराया गया।
9.	सम्पर्क सड़क जीतकीपुर	2.00	2	0.87	– ,,	1.00 कि.मी. में मिट्टी एवं 1.800 कि.मी. में ग्रेवल का कार्य कराया गया।
10.	सम्पर्क सड़क दलपुरा	2.00	2	0.50	16.00 ,,	2.00 कि.मी. में मिट्टी एवं 1.00 कि.मी. में ग्रेवल सड़क का कार्य कराया गया।
11.	सम्पर्क सड़क लहावद से सोप	2.00	2	0.02	16.00 ,,	100 मीटर में मिट्टी का कार्य कराया गया।
12.	सम्पर्क सड़क खेडी	2.00	2	1,46	– ,,	6.00 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया गया।
13.	सम्पर्क सड़क लालसर से रायसिना वाया गांवडी	2.00	2	0.92	– ,,	4.00 कि.मी. में मिट्टी का कार्य एवं 1.00 कि.मी. में ग्रेवल का कार्य।
					97.50	

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

क्र सं.	जिला	पुरुष	महिला	योग
1-	अलवर	34	4	38
2-	अजमेर	12	4	16
3-	कोटा	28	3	31
4-	बूंदी	7	–	7
5-	सवाईमाधोपुर	9	–	9
6-	जयपुर	64	9	73
7-	भरतपुर	18	–	18
8-	सिरोही	2	–	2
9-	झालावाड़	2	–	2
10-	पाली	3	–	3
11-	बीकानेर	3	–	3
12-	भीलवाड़ा	2	–	2
13-	श्रीगंगानगर	11	2	13
14-	सीकर	4	–	4
15-	चूरू	1	–	1
16-	झुंझुनूं	1	–	1
17-	नागौर	2	–	2
18-	डूंगरपुर	2	–	2
19-	धौलपुर	1	–	1
20-	चित्तौड़गढ़	1	–	1
21-	टौंक	1	–	1
22-	बांसवाड़ा	1	–	1
		209	22	231

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 426 की सूची

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाईयों में उपलब्ध कमरों एवं शैय्याओं की संख्या :

क्र.सं.	इकाई का नाम	कमरों की संख्या	शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4
1.	गणगौर, जयपुर	63	128
2.	तीज, जयपुर	48	126
3.	यूथ होस्टल, जयपुर	10	60
4.	स्वागतम्, जयपुर	38	104
5.	झील, जमवारामगढ़	10	20
6.	ट्यूरिस्ट होस्टल, जयपुर	41	76
7.	दुर्ग कैफेटेरिया, नाहरगढ़	1	2
8.	खादिम, अजमेर	58	146
9.	सरोवर, पुष्कर	31	60
10.	गोकुल, नाथद्वारा	7	24
11.	कजरी, उदयपुर	53	130
12.	भंवरी, रिषभदेव	10	30
13.	टी. बी., जयसमन्द	8	30
14.	मिडवे, रतनपुर	2	4
15.	रेस्ट हाऊस, हल्दी घाटी	2	6
16.	शिल्पी, रणकपुर	13	32
17.	पन्ना, चित्तौड़गढ़	27	62
18.	जनता आवास गृह, चित्तौड़गढ़	14	28
19.	शिखर, मा. आबू	86	196
20.	पूरजन निवास, मा. आबू	6	60
21.	मूमल, जैसलमेर	62	140
22.	घूमर, जोधपुर	79	174
23.	सारस, भरतपुर	22	54

3	4
4	60
3	29
4	8
3	6
4	36
2	24
8	64
2	4
2	4
8	16
10	40
1	1983

परिशिष्ट–1

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाईयों का

क्र.सं.	इकाई का नाम	कमरों का उ		
		85-86	86-87	87-
1	2	3	4	
1.	गणगौर, जयपुर	68 93	80·92	8
2.	तीज, जयपुर	83·34	75·72	7
3.	यूथ होस्टल, जयपुर	54·15	55·91	6
4.	स्वागतम्, जयपुर	81·89	66·16	7
5.	झील, जमवारामगढ़	20·79	23·34	3
6.	ट्यूरिस्ट होस्टल, जयपुर	–	–	
7.	खादिम, अजमेर	71·65	66·00	5
8.	सरोवर, पुष्कर	59·08	65·83	5
9.	गोकुल, नाथद्वारा	63·65	58·55	5
10.	कजरी, उदयपुर	80·35	73·80	6
11.	गवरी, रिषभदेव	33·87	39·69	3
12.	पर्यटक विश्राम गृह, जयसमन्द	7·96	12·44	
13.	मिडवे, रतनपुर	35·26	36·57	4
14.	रेस्ट हाऊस, हल्दी घाटी	11·68	8·42	
15.	शिल्पी, रणकपुर	56·82	57·44	5
16.	पन्ना, चित्तोड़गढ़	66·08	74·97	7
17.	जनता आवास गृह, चित्तोड़गढ़	67·99	61·70	6
18.	शिखर, मा. आबू	30·46	35·00	2
19.	पुष्प निवास, मा. आबू		कमरे नहीं हैं	
20.	भूमल, जैसलमेर	37·37	20·91	2
21.	घूमर, जोधपुर	38·91	43·58	6
22.	सारस, भरतपुर	48·27	51·11	5
23.	टाइगर डेन, सरिस्का	32·88	44·41	3

	5	6	7	8	9	10	11	12
B	19·64	26·46	31·06	18·84	19·88	16·26	30·74	32·18
6	52·48	77·51	71·19	61·67	53·42	50·53	76·26	71·62
	54·37	48·41	61·46	48·33	56·79	62·39	44·91	48·08
D	56·81	52 42	46·14	44·79	48·26	45·72	38·46	37·08
B	43·48	51·07	54·09	27·91	43·65	40·23	49·98	54·46
B	31·03	35·05	33·28	40·14	31·70	24·00	26·81	27·14
	–	–	26·57	–	–	–	–	22 74
2	52·97	61·50	54·33	52·04	50·15	47·76	47·25	49·65

(316)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 427 की सूची

जयपुर जिले में पेयजल संकट के तत्काल समाधान के लिए मार्च, 1990 से अब तक स्वीकृत हैण्डपम्प व अन्य योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत हैण्डपम्प (नये हैण्डपम्प तथा पुराने सूखे हैण्डपम्प को गहरा करवाना)	नलकूपों तथा डी. सी. बी. के निर्माण की स्वीकृति
1.	सांगानेर	35	1
2.	चाकसू	37	2
3.	फागी	25	1
4.	दूदू	64	5
5.	सांभरलेक	19	–
6.	कोटपूतली	27	–
7.	विराटनगर	23	–
8.	शाहपुरा	24	1
9.	जमवा रामगढ़	48	1
10.	आमेर	38	–
11.	गोविन्दगढ़	31	–
12.	झोटवाड़ा	32	–
13.	दौसा	40	2
14.	लालसोट	33	2
15.	बस्सी	37	–
16.	बसवा	36	1
17.	सिकराय	34	–
	योग:—	583	16

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 435 की सूची

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना

"मास्टर प्लान में सम्मिलित कार्यों की सूची"

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्गीकरण	लम्बाई किमी. में
1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क दलपतपुरा पाटन कोटपुतली सड़क से	ए 3/51	7.00
2.	पाटन से वल्लूपुरा	ए 3/52	7.50
3.	सम्पर्क सड़क छाजा की नांगल पाटन कोटपुतली सड़क से	ए 3/53	1.00
4.	सम्पर्क सड़क दयाल की नांगल डावला पाटन सड़क से जीलो होकर	ए 3/54	8.00
5.	खेखरा से मावण्डाकलान दयाल की नांगल होकर	ए 3/54 (ए)	22.00
6.	डायला से विहारीपुर	ए 3/55	2.00
7.	सम्पर्क सड़क श्यामपुरा डावला पाटन सड़क से	ए 3/56	2.00
8.	सम्पर्क सड़क से नाया की नांगल मावण्डा नीजामपुर सड़क से	ए 3/57	2.00
9.	सम्पर्क सड़क से चारनवास (पुरानावास) एस. एच. 13 से	ए 3/58	3.00
10.	नाथावली से गोडावास	ए 3/59	3.50
11.	सम्पर्क सड़क भगेगा एस. एच. 13 सिरोही से	ए 3/60	3.00
12.	टोडा से दीपावास	ए 3/62	6.00
13.	चीपलाटा से अजमेरी सड़क	ए 3/62 (बी)	15.00

317

1	2	3	4	5
14. रायपुर से घासीपुर नयावास होकर		ए 3/63	8.00	6.00
15. सम्पर्क सड़क माकड़ी एस. एच. 13 से		बी 6/21	3.00	2.50
16. सम्पर्क सड़क शिमली डावला पाटन सड़क से		बी 6/22	2.00	2.00
17. शाहपुरा चिड़ावा सड़क एस. एच. 13 किमी. 49/0 से 78/0		सी /3	96.00	131.50
18. नीमकाथाना पाटन कोटपुतली सड़क किमी. 0/0 से 34/800		डी /4	34.800	38.20
19. भदीली से गणेश्वर नरसिहवास होकर		इ /4	4.00	6.00
20. माउन्डा से नीजामपुर		एफ /1	24.00	29.00
21. हासामपुर से दलतपुरा रामपुरा होकर		जे /5	9.00	23.00
22. पाटन कर्जो से मीना की नांगल		जे/6	6.18	18.00
23. माउण्डा कला से जीलो		जे/7	10.00	22.00
24. सम्पर्क सड़क मलिकपुरा रायपुर से डोकन रायपुर पाटन रोड़ पर		जे/14	2.00	6.00
25. सम्पर्क सड़क नानगवास टोडा से		जे/15	5.00	13.00
26. सम्पर्क सड़क जोगियों की ढ़ाणी डावला पाटन सड़क से		जे/16	2.00	6.00
27. सम्पर्क सड़क दूदवास टोडा से		जे/17	10.00	26.00
28. सम्पर्क सड़क भगवानपुरा नीमकाथाना चीपलाटा सड़क से		जे/18	5.00	12.00
29. सम्पर्क सड़क अहिराने ढ़ाणी पाटन कोटपुतली सड़क से		जे/19	3.00	7.00
30. सम्पर्क सड़क पंच खटखाड़ा डावला पाटन सड़क पर देईमेई से		जे/20	3.00	8.00
31. माहुवा से भाराला मोड़		जे/21	5.00	12.00

(319)

1	2	3	4	5
32.	सम्पर्क सड़क नीमोद नीमकाथाना पाटन सड़क से	जे/22	5.00	12.00
33.	सम्पर्क सड़क गांवड़ी नीमकाथाना गणेश्वर सड़क से	जे/23	3.00	9.00
34.	सम्पर्क सड़क अगरों की ढाणी नीमकाथाना चीपलाटा सड़क से	जे/24	2.00	6.00
35.	सम्पर्क सड़क चीपलाटा	ओ/13	0.50	1.00
36	सम्पर्क सड़क हुसामपुर	ओ/15	0.40	0.80
37.	सम्पर्क सड़क भेदोली	ओ/16	0.20	0.40
38.	सम्पर्क सड़क गांवड़ी	ओ/17	0.30	0.60
39.	खोखरा से सिहोद	एक्स/10	11.00	22.00
40.	डावला से सिहोद	एक्स/11	3.00	6.00
41.	माउगड़ा कला से जीतो	एक्स/12	5.00	10.00
42.	माहुवा से भाराला मोड़	एक्स/13	5.00	10.00
43.	भदोली से गणेश्वर	एक्स/14	5.00	10.00
44.	नीमकाथाना से नयावास	एक्स/15	6.50	13.00
45.	चीपलाटा से अजमेरी सांवलपुरा होकर	एक्स/6	14.00	28.00
46.	कर्जो से दलतपुरा	एक्स/7	5.00	10.00
47.	डोकन से लादी का बास रायपुर जागीर होकर	जे/8	11.00	14.00

अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. विभाग खण्ड, सीकर

(319)

परिशिष्ट-ब

(अ) मास्टर प्लान में लिये गये कार्यों में से पूर्ण हुए कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्गीकरण
1	2	3
1.	सम्पर्क सड़क दलपतपुरा पाटन कोटपूतली सड़क से	ए 3/51
2.	शाहपुरा चिड़ावा सड़क एस. एच. 13 किमी. 49/0 से 78/0	सी/3
3.	नीमकाथाना पाटन कोटपुतली सड़क किमी. 0/0 से 34/800	डी/4
4.	पाटन कर्जो से मीना की नांगल	जे/6
5.	माउण्डा कला से जीलो	जे/7
6.	सम्पर्क सड़क मुदोली	ओ/16
7.	माउण्डा कला से जीलो	एक्स 12
8.	मूदोली से गणेश्वर	एक्स/14
9.	नीमकाथाना से नयावास	एक्स/15
10.	कर्जों से दलपतपुरा	एक्स/7

(ब) मास्टर प्लान में लिये गये कार्यों में चालू कार्यों की सूची

1.	खोखरा से माउण्डा कला दयाल की नांगल होकर	ए 3/54 (ए)
2.	चीपलाटा अजमेरी सड़क	ए 3/62 (बी)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 438 की सूची

क्र. सं.	योजना	वर्ष	व्यय
1.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	1983–84	1·28 लाख
		1984–85	7,52 लाख
		1985–86	6·37 ,, ,,
		1986–87	1·31 लाख
		1987–88	3·16 लाख
		1988–89	3·22 लाख
		1989–90	0·46 लाख
			23·32 लाख
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1984–85	1·13 लाख
		1985–86	0·62 लाख
		1986–87	1·24 लाख
		1987–88	----
		1988–89	4·56 लाख
		1989–90	7·46 लाख
			15·01 लाख

५३२

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 441 की सूची

...मिर विधान सभा क्षेत्र में निम्न पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ी

...

...सिंह—

(...) डामर सड़क से

(1820) "

(2429) "

(613) "

(...) "

(...) "

(...) "

(...) "

(...) "

(...) "

(...) "

ग्रेवल सड़क से

(...) "

"

"

पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए

डामर सड़क से

"

"

6. बीसलपुर (1420) डामर सड़क से
7. थावला (2153) ग्रेवल सड़क से
8. हितामपुर (776) „
9. पनवाड़ (1875) „

शेष तीन पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है।
(जनसंख्या 1971 की जनगणना अनुसार)

परिशिष्ट-ब

'टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में सड़कों से नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची

टोडारायसिंह पंचायत समिति

1. खरेड़ा (1896)
2. गनेती (908)
3. मोर भाटियान (621)
4. मेहरू (1825)
5. मूण्डिया कलां (1076)
6. बोटून्दा (1276)
7. अरीयाली (1141)
8. रिण्डज्या रामपुरा (834)
9. बरवास (920)
10. इन्दोकिया (406)

देवली पंचायत समिति

1. कासीर (1277)
2. सान्डला (807)
3. बीजवाड़ (1555)

(जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार)

(322)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 85- बजट
1	2	3	4
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1	टोडारायसिंह	मोर से सांवरिया	2·00	2·
2.	देवली	भांसू से मालेड़ा	0·60	0·
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		
3.	टोडारायसिंह	रतवाई से भांसू	8·00	2·4
4.	देवली	सम्पर्क सड़क पनवाड़	5·00	1

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की सूची

संस्थान का नाम	1987–88	1988–89	1989–90
1. ब्लाक प्रा. स्वा. के., खण्डार	10,660	7,500	15,960
	32,800	51,200	56,761
	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)
2. ब्लाक प्रा. स्वा. के., भगवतगढ़	19,577	8,300	15,568
	26,150	21,676	36,840
	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, सिवाड	6,200	10,560	15,256
	8,773	11,890	9,368
	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)	(अकाल राहत)
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, ईसरदा	3,136	6,920	13,910
		3,950	5,583
		(अकाल राहत)	(अकाल राहत)
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, बालेर	18,206	88,870	15,300
			3,207
			(अकाल राहत)
6. प्रा. स्वा. के. चौथ का बरवाड़ा	19,222	22,620	12,541
7. डिस्पेन्सरी, बहरावडाखुर्द	14,242	6,400	12,610
			6,074
			(अकाल राहत)
8. डिस्पेन्सरी, फलौदी क्वारी	9,895	9,569	8,500
		8,163	5,300
		(अकाल राहत)	(अकाल राहत)

नोटः—अकाल राहत की राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा औषधि क्रय कर उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 1989-90 में जिला सवाई माधोपुर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली द्वारा फर्म्स से क्रय की गई औषधियों की राशि की सूचना

S.No. 1	Name of Firm 2	Cost of Medicine purchased (Rs....) 3
1.	M/s Central Research Institute, Kasauli	60,628
2.	M/s Sigma Laboratories, Bombay	14,060
3.	M/s U. P. D. Lucknow	15,579
4.	M/s Micro Labs. Pvt. Ltd. Bangalore	1,872
5.	M/s Reliance Pharmaceuticals Ltd. Hyderabad	8,444
6.	M/s Hari Medical Store, Karauli	2,724
7.	M/s S. G. Pharmaceuticals, Jaipur	376
8.	M/s Medicure, Jaipur	568
9.	M/s Alphachem Pharmaceuticals, Jaipur	21,802
10.	M/s B.D.H. Chemical Div. New Delhi	2,055
11.	M/s S. S. M. Pharmaceuticals, Jaipur	27,030
12.	M/s K. P. Distributors, Jaipur	950
13.	M/s B. P. L. (India) Ltd. New Delhi	1,404
14.	M/s Satya Raj & Co. Bikaner	795
15.	M/s E. Merck (India) Ltd. New Delhi	2,962
16.	M/s I. D. P. L., Jaipur	7,420
17.	M/s R.D.P.L., Jaipur	2,87,337
18.	M/s Gulati Medicals, Kota	2,668
19.	M/s Vostak Laboratories, Indore	495
20.	M/s Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh Ltd., Jiapur	1,92,715
21.	M/s Reckitt & Colwan, New Delhi	3,282
22.	M/s Metro Trading Carpn., Jaipur	17,582
23.	M/s Rallis India Ltd. Jaipur	5,140
24.	M/s Maharastra Antibiotics Ltd., Jaipur	12,190

1	2	3
25.	M/s Globe Surgicals, Jaipur	165
26.	M/s Samarath Pharmaceuticals, Jaipur	21,730
27.	M/s Chemicare Laboratories, Udaipur	28,943
28.	M/s Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd., Jaipur	67,610
29.	M/s Rajendra Corpn., Udaipur	3,618
30.	M/s Genuine Dons Mfg. House, Jaipur	2,046
31.	M/s Kesar Interprises, Jaipur	3,617
32.	M/s Subh Laxmi Agencies, Udaipur	45,741
33.	M/s Aarsh Chemicals, Maharashtra	7,280
34.	M/s Bothrs Distributors, Jaipur	4,760
35.	M/s Tulsi Das & Sons, Jaidur	11,840
36.	M/s Suckiccha & Co. Jaipur	923
37.	M/s Bharat Serum & Vaccine Pvt. Ltd., Bombay	10,920
38.	M/s Geoffery Manners & Co. Ltd. Jaipur	10,097
39.	M/s Hindustan Antibiotics Ltd., Jaipur	1,10,378
40.	M/s Jugget Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Bangalore	6,996
41.	M/s Appollo Pharmaceuticals Lab. Alwar	13,980
42.	M/s Albert David Ltd. Jaipur	13,480
43.	M/s Allied Chemicals & Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Jaipur	4,346
44.	M/s Vijai Laxmi Sales Corpn., Jaipur	550
45.	M/s Cotton Product of India, Udaipur	34,351
46.	M/s Karan Pharmaceuticals, Jaipur	1,051
47.	M/s Ashoka Medical Hell, Karauli	140
	Grand total	10,94,546

(326)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 446 की सूची

जिला महिला विकास अभिकरणों में गत वर्ष में आयोजित
बैठकों का विवरण

क्र.सं.	जिला	जाजम एवं बड़ी जाजम
1.	भीलवाड़ा	25
2.	बांसवाड़ा	23
3.	सीकर	13
4.	अजमेर	29
5.	उदयपुर	69
6.	कोटा	10
7.	डूंगरपुर	8
8.	जोधपुर	56
9.	जयपुर	44

सिफ द्वारा आवंटित वर्षवार राशि का विवरण

187-88		88-89		89-90		योग	
नसेफ	स्टेट प्लान	यूनिसेफ	स्टेट प्लान	यूनिसेफ	स्टेट प्लान	यूनिसेफ	स्टेट प्लान
7	8	9	10	11	12	13	14
6.50	0.85	4.51	0.75	7.39	0.49	27.53	3.02
.25	0.85	5.25	0.90	7.50	1.27	25.98	3.77
6.04	0.75	6.95	1.20	11.52	1.20	34.98	4.17
5.59	0.75	6.15	0.85	8.53	1.35	30.59	4.06
–	–	1.00	–	4.70 0.55	–	6.25	–
–	6.00	–	7.33	–	9.63	–	32.23
–	–	–	1.50	–	5.83	–	7.33
–	–	–	9.38	–	2.24	5.00	11.62
16.95	9.85	6.29	1.10	7.67	0.75	29 12	3.79
0.33	10.05	30.14	23.01	47.86	22.76	159.45	69.99

328

प्रतार

कार्यालय नगर प

पालिका द्वारा निम

fि

क्र. सं.	वर्ष	म
1.	वर्ष 1685–86	
2.	वर्ष 1986–87	
3.	वर्ष 1987–87	
4.	वर्ष 1988–89	
5.	वर्ष 1989–90	
6.	वर्ष 1990, मई तक	

329

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	375	5	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
2.	539	2	अतारांकित	तारांकित